25 वाँ वार्षिक प्रतिवेदन

2019-20

राजस्थान अक्षय उर्जा निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

25 वाँ

वार्षिक प्रतिवेदन

2019-20

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
ई-166, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

निदेशक मण्डल (21.12.2020 को)		
	डॉ. सुबोध अग्रवाल, आई.ए.एस (डी.आई.एन. 06940604)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
	डॉ. डी.एन. पाण्डे, आई.एफ.एस. (डी.आई.एन. 08634139)	निदेशक
	श्री सुधीर शर्मा, आई.ए.एस.(डी.आई.एन. 02879180)	निदेशक
	श्री कमलेश अबुसारिया, आर.ए.एस.(डी.आई.एन. 08418984)	निदेशक
	श्री आर.के. जैन (डी.आई.एन. 07635410)	निदेशक
स्वतंत्र निदेशक		
	श्री विनोद पंडया (डी.आई.एन. 00544829) (10.11.2019 तक)	
	श्री वेद प्रकाश (डी.आई.एन. 07906519) (10.11.2019 तक)	
मुख्य वित्त अधिकारी	श्री के.सी. कुमावत	
कम्पनी सचिव	श्रीमती गजल सक्सेना (एम.न0. एफ 8244)	
पंजीकृत कार्यालय	ई–166, युधिष्ठिर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001	
	सीआईएनः U4010RJ1995SGC009847 टेलीफोन न. 0141–2225859 ई–मेलःrrec2016@gmail.com वेबसाइटः www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl	
वैधानिक अंकेक्षक	एच.एम.सिंघवी एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर	
लागत अंकेक्षक	मेहता एन एण्ड एसोसिएट्स कॉस्ट एकाउन्टेन्टस, जयपुर	
आंतरिक अंकेक्षक	सुनिता सुल्तानिया एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर	
बैंकर्स	पंजाब नेशनल बैंक एचडीएफसी बैंक एक्सिस बैंक इण्डसइंड बैंक	

अनुक्रमणिका

	पृष्ठ संख्या
नोटिस	1
निदेशकों का प्रतिवेदन	8
➢ अनुलग्नक– I – एमजीटी–9	24
➢ अनुलग्नक– II – सीएसआर रिपोर्ट	31
वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन	33
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट	58
तुलन–पत्र	60
लाभ व हानि विवरण	62
नकद प्रवाह विवरण	75
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	77
समेकित लेखों पर वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन	95
समेकित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट	110
समेकित वित्तीय	111
सहायक कम्पनी – राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेन्ट कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन	152

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
(राज्य सरकार का उपक्रम)

नोटिस

यह सूचना दी जाती है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के सदस्यों की पच्चीसवीं वार्षिक साधारण सभा बुधवार, 30 दिसम्बर, 2020 को सांय 05.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय ई–166, युधिष्ठर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर पर निम्नलिखित कार्य सम्पादन करने के लिये आयोजित होगी:–

<u>सामान्य व्यवसाय</u>

1. **31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरण प्राप्त करना, विचारित करना एवं ग्रहण करना।**

   संशोधन (संशोधनों) सहित या रहित, निम्न सामान्य प्रस्ताव को विचारित करना एवं स्वीकृत करना:

   "**संकल्प लिया कि** 31 मार्च, 2020 को कम्पनी का अंकेक्षित तुलन–पत्र, उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण पत्र, रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र, उन पर टिप्पणियों के साथ, उन पर वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन, वर्ष के लिए निदेशकों का प्रतिवेदन तथा प्रबंधन के उत्तर के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पूरक अंकेक्षण रिपोर्ट सहित वित्तीय विवरणों को एतद्द्वारा प्राप्त किया जाता है एवं अंगीकृत किया जाता है।"

2. **वर्ष 2019–20 के लिए अन्तिम लाभांश के भुगतान की घोषणा करना**

   संशोधन सहित या रहित , निम्न सामान्य प्रस्ताव को विचारित करना एवं स्वीकृत करना:

   "**संकल्प लिया कि** वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए मण्डल द्वारा की गयी अनुशंषा के अनुसार अंशों के प्रदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से लाभांश यथा अन्तिम लाभांश के रूप में प्रदत्त करने की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है एवं स्वीकृत किया जाता है।"

3. **अंकेक्षकों की नियुक्ति**

   संशोधन (संशोधनों) सहित या रहित, निम्न सामान्य प्रस्ताव को विचारित करना एवं स्वीकृत करना:

   "संकल्प लिया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मै. एच.एम. सिंघवी एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है तथा इनकी सेवाओं के लिये निदेशक मण्डल द्वारा यथा निर्धारित अंकेक्षण शुल्क के 2,11,750 /– रूपये साथ ही 35,000/– रूपये वाहन व्ययों के पुनर्भरण के रूप में तथा लागू कर अतिरिक्त को भी एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

आगे यह भी संकल्प लिया है कि मै. माथुर एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है एवं कम्पनी के निदेशक मण्डल को अंकेक्षण शुल्क निर्धारित करने के लिए एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है।''

विशेष व्यवसाय

4. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लागत अंकेक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करना

संशोधन (संशोधनों) सहित या रहित, निम्न प्रस्ताव को यथा सामान्य प्रस्ताव के विचार करना एवं यदि उचित समझा जाये, तो पारित किया जाना :

यह संकल्प लिया कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधान एवं अन्य सभी प्रावधान तथा कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 (कोई वैधानिक संशोधन (संशोधनों) या उक्त समयावधि के लिए पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसरण में, मै. मेहता एन. एसोसिएटस् को कम्पनी लागत अंकेक्षक के रूप में वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कम्पनी के लागत लेखा का अंकेक्षण करने एवं लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये पच्चीस हजार रूपये एवं लागू कर राशि अतिरिक्त का पारिश्रमिक भुगतान करने का एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के
ह.
निदेशक मण्डल की आज्ञा से

गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
ई–166, युधिष्ठिर मार्ग,
सी–स्कीम, जयपुर

दिनांक 21 दिसम्बर, 2020

टिप्पणियां:

1. सभा में उपस्थित रहने एवं मतदान करने को अधिकृत सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित रहने एवं मतदान करने के लिये प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिये अधिकृत है। उक्त प्रतिनिधि का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। यदि प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाती है तो कम्पनी के पास यथावत रूप से पूर्ण संलग्न छदम् प्रारूप वापिस आ जाना चाहियें।

2. कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा के समय के कम से कम 48 घंटे पहले प्रतिनिधि का प्रपत्र जमा करा दिया जाना चाहिये।

3. वार्षिक साधारण सभा की तिथि तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय अवधि के दौरान सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रपत्र निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगें।

4. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के प्रावधानों के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

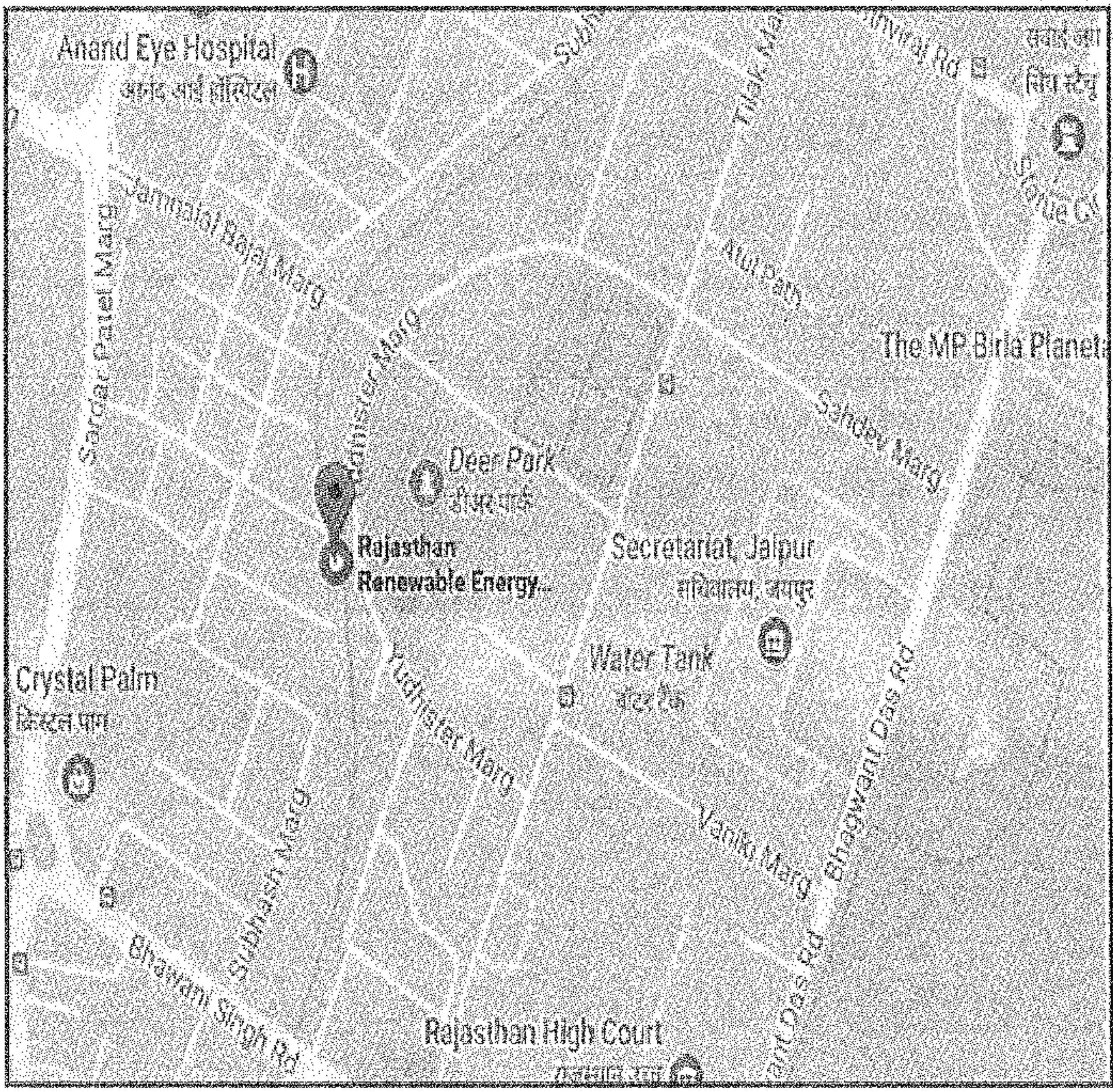
Anand Eye Hospital
Jamnalal Bajaj Marg
Sardar Patel Marg
Atul Path
The MP Birla Planeta
Sahdev Marg
Deer Park
Rajasthan
Renewable Energy...
Secretariat, Jaipur
Water Tank
Crystal Palm
Yudhister Marg
Vanki Marg
Bhagwant Das Rd
Subhash Marg
Bhawani Singh Rd
Rajasthan High Court

सूचना का अनुलग्नक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के प्रावधानों के अनुरूप साथ ही नोटिस में उल्लिखित मद संख्या 4 के संबंध में सभी तात्विक तथ्यों को निर्दिष्ट करते हुये निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 4

कार्पोरेट मामलात मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2014 द्वारा कम्पनी (लागत अभिलेखे एवं अंकेक्षण) नियम, 2014 विहित किये गये है। उपरोक्त नियमों के नियम 3 के अनुसरण में, कुछ निश्चित वर्ग की कम्पनियों को उनकी लेखा पुस्तकों में लागत अभिलेखें सम्मिलित करना आवश्यक है। अग्रतर, नियम 4 में प्रावधान है कि यदि कम्पनी का मूल्य एक सौ पचास करोड़ रूपये या उससे अधिक या कुल कारोबार 25 करोड़ या उससे अधिक है तो कम्पनी के लागत अभिलेखों का अंकेक्षण होना आवश्यक है।

कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के प्रावधानों के अनुसरण में, उपधारा 2 के अधीन अंकेक्षण, निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त पेंशनर लागत लेखाकार द्वारा किया जायेगा। जिसका पारिश्रमिक सदस्यों द्वारा निर्धारित तरीके से तय किया जा सकता है। आपकी कम्पनी ने मैसर्स मेहता एन. एसोसिएटस् को कम्पनी के लागत अभिलेखों का अंकेक्षण करने के लिये वित्तीय वर्ष 2020--21 के लिए 25,000 रूपये एवं लागू कर अतिरिक्त के अंकेक्षण शुल्क/पारिश्रमिक पर सदस्यों के अनुसमर्थन के अध्यधीन नियुक्त किया है।

निदेशक मण्डल उपरोक्त सामान्य प्रस्ताव पारित करने के लिये समर्थन करता है।

निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक एवं/या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी उपरोक्त प्रस्ताव से संबंधित या हितबद्ध नहीं है।

प्रपत्र संख्या एमजीटी–11
प्रतिनिधि प्रपत्र

{कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) एवं कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में}

सीआईएनः U40101RJ1995SGC009847

सदस्य (सदस्यों) का नाम :

पंजीकृत पता : ई–166, युधिष्ठिर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

ई–मेल आईडी : rrec2016@gmail.com

फोलियो नं./ग्राहक आईडीः

डीपी आईडीः

मैं/हम आरआरईसी लिमिटेड के .... प्रत्येक 10 रूपये के साम्या अंशों के सदस्य होते हुये, निम्न को

(1) नाम ....

पता...

ई–मेल आईडी.......................................

हस्ताक्षर.................................... या उसके न होने पर

(2) नाम ....

पता...

ई–मेल आईडी.......................................

हस्ताक्षर.................................... या उसके न होने पर

(3) नाम ....

पता...

ई–मेल आईडी.......................................

हस्ताक्षर.................................... या उसके न होने पर

अपनी / हमारी ओर से प्रतिनिधि के रूप में कम्पनी की 25वीं वार्षिक साधारण सभा जो बुधवार दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 को ई-166, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर पर सायं 5.00 बजे आयोजित हो रही हैं, में भाग लेने और मतदान (मतदान होने पर) करने के लिये एवं ऐसे संकल्पों, जो कि नीचे इंगित है, के संबंध में किसी स्थगन के लिए एतद्द्वारा नियुक्त करता हूँ :

1. 31 मार्च, 2020 को अंकेक्षित तुलन-पत्र, उस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण एवं उस पर निदेशक मण्डल तथा अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अंगीकरण।
2. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये अन्तिम लाभांश के भुगतान की घोषणा।
3. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये मैसर्स माथुर एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का निर्धारण।
4. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये लागत अंकेक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।

एक रूपया का रेवेन्यू स्टाम्प लगाए

वर्ष 2020 के .... दिन................ को हस्ताक्षर किये।
सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर ....
प्रोक्सी धारक (प्रोक्सी धारकों) के हस्ताक्षर ....

टिप्पणी: प्रतिनिधि का यह प्रपत्र यथावत् रूप से पूरा किया हुआ कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा के समय के कम से कम 48 घंटे पहले जमा करा देना चाहिये।

निदेशकों का प्रतिवेदन

सदस्यगण,
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुये वित्तीय वर्ष के लिये अंकेक्षित लेखों के साथ कम्पनी के व्यवसाय एवं संचालन पर पच्चीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा स्वतंत्र अंकेक्षकों एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये आपकी कम्पनी की मुख्य विशिष्टिताएं निम्न प्रकार है:

वित्तीय तथ्य

<u>एकल</u>

वर्ष 2019–20 की कुल आय 13502.46 लाख रूपये हुई, जबकि गत वर्ष यह 12670.63 लाख रूपये थी।

गत वर्ष के कर पूर्व लाभ 2019.03 लाख रूपये के मुकाबले इस वर्ष कर पूर्व लाभ 3101.86 लाख रूपये रहा। कम्पनी ने अवधि के लिए 2336.22 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया।

<u>समेकित</u>

वर्ष 2019–20 की कुल आय 15817.79 लाख रूपये हुई, जबकि गत वर्ष यह 15595.08 लाख रूपये थी।

गत वर्ष के कर पूर्व लाभ 3413.12 लाख रूपये के मुकाबले इस वर्ष कर पूर्व लाभ 3153.35 लाख रूपये रहा। कम्पनी ने अवधि के लिए 2283.49 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया।

वित्तीय परिणाम

वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं गत वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय परिणामों की तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है:

(रूपये लाखों में)

	2019-20	**2018-19**
संचालन से प्राप्त आय	11006.72	10279.35
अन्य आय	2495.74	2391.28
कुल राजस्व	**13502.46**	**12670.63**
व्यापारिक स्कंध का क्रय	7525.81	7553.41
इन्वेन्ट्रीयों में परिवर्तन	-	-

वित्त लागत	-	53.64
कर्मचारी लाभार्थ व्यय	935.48	969.57
मूल्यह्रास	1172.46	1177.58
अन्य व्यय	674.85	697.39
कुल व्यय	**10308.60**	**10451.59**
अपवादात्मक, असाधारण मदें तथा कर पूर्व लाभ	**3193.86**	**2219.04**
अपवादात्मक मदें	92.00	200.00
डुबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान	-	-
असाधारण मदें	-	-
कर पूर्व लाभ	**3101.86**	**2019.04**
कर व्यय (चालू कर एवं आस्थगित कर)	765.64	302.57
निरन्तर संचालन अवधि के लिए लाभ / (हानि)	**2336.22**	**1716.47**
अनिरन्तर संचालन से लाभ / (हानि)		-
अवधि के लिए लाभ / (हानि)	**2336.22**	**1716.47**

लाभांश

कम्पनी वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए प्रदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश करती है। लाभांश का भुगतान वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन किया जायेगा।

आरक्षित कोष या निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अन्तरण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी ने आरक्षित कोष में किसी भी राशि का अन्तरण नहीं किया है।

अंशपूंजी

कम्पनी की अधिकृत पूंजी 16 करोड़ रूपये है जिसमें 14 करोड़ रूपये की साम्या अंश पूंजी और 2 करोड़ रूपये की संचयी शोधनीय पूर्वाधिकार अंश पूंजी है, जो वित्तीय वर्ष 2019–20 में अपरिवर्तनीय रही। कम्पनी की प्रदत्त अंश पूंजी 12,94,10,780/– रूपये वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये अपरिवर्तनीय रही ।

प्रचालन निष्पादन

(I) **वाणिज्यिक क्रियाकलाप**

वित्तीय वर्ष 2019–20 में गत वर्ष के 413.31 लाख यूनिट की तुलना में आपकी कम्पनी का विद्युत उत्पादन 406.25 लाख यूनिट रहा। विभिन्न विद्युत उत्पादन इकाईयों का उत्पादन एवं विक्रय निम्न प्रकार रहा:

(यूनिट लाखों में)

	चालू वर्ष	गत वर्ष
2.25 मेगावाट देवगढ़ पवन ऊर्जा संयंत्र	10.90	11.05
2.10 मेगावाट फलौदी पवन ऊर्जा संयंत्र	18.43	21.48
25 मेगावाट जैसलमेर पवन ऊर्जा संयंत्र	287.44	293.88
10.2 मेगावाट आकल पवन ऊर्जा संयंत्र	26.43	30.80
100 किलोवाट गौरीर पवन ऊर्जा संयंत्र	-	-
10.20 मेगावाट पोहरा जैसलमेर	48.17	41.54
0.1.00 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र फागी	14.87	14.56
कुल	**406.24**	**413.31**

(II) प्रोन्नयन क्रियाकलाप

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आपकी कम्पनी ने भारत सरकार/नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय/राजस्थान सरकार के कार्यक्रमों के अधीन विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका निभाई है। इसका विवरण निम्नानुसार है:–

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा अवाम उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) घटक–ए।

पीएम कुसुम योजना–ए का शुभारम्भ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 08.03.2019 को किया गया था और दिनांक 22.07.2019 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा कार्यान्वयन के लिए अंतिम दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। योजना विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा और 2 मेगावाट तक के अन्य नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के विकास की परिकल्पना करती है जो सीधे ही वितरण कम्पनी के 33/11 केवी या 66/11 केवी या 110/11 केवी सब–स्टेशनों से जोड़े जा सकते है। इसके अतिरिक्त इस योजना का उद्देश्य सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए उनकी बंजर और बेकार भूमि का उपयोग करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। व्यक्तिगत किसानों/किसानों के समूह/सहकारी समितियों/पंचायतों/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ)/जल उपयोगकर्त्ता संघों (डब्ल्यूयूए) और विकासकर्त्ताओं को योजना में भाग लेने की अनुमति दी गयी है।

एमएनआरई ने कुसुम घटक–ए के अन्तर्गत राजस्थान को 325 मेगावाट क्षमता आवंटित की है। राज्य सरकार ने पत्र दिनांक 01.06.2020 द्वारा एमएनआरई से 325 मेगावाट के लक्ष्य बढ़ाकर 725 मेगावाट करने का अनुरोध किया है। एमएनआरई से पुष्टि प्रतीक्षारत है।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) ने आदेश दिनांक 1.02.2020 द्वारा इस योजना के अन्तर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 325 मेगावाट क्षमता के लिए 3.14 रूपये प्रति यूनिट का टैरिफ निर्धारित किया है। डिस्कॉमों की ओर से राविउनि ने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को पीएम कुसुम घटक–ए के कार्यान्वयन के लिए नामित किया है। राविविआ ने आदेश दिनांक 07.07.2020 द्वारा कुसुम घटक–ए योजना के अन्तर्गत 3.14 रूपये प्रति यूनिट की टैरिफ पर लक्ष्य को बढ़ाकर 325 मेगावाट से 725 मेगावाट कर दिया है। क्षमता वृद्धि का मामला

एमएनआरई के साथ अभी भी चर्चा में है। 722 मेगावाट की संकलित क्षमता वाले कुल 623 आवेदकों का वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत चयन किया गया है। योजना का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।

पवन ऊर्जा परियोजना

वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न डवलपर्स/ऊर्जा उत्पादकों से राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर 105.3 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुये। वर्ष 2019–20 के दौरान 27.1 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित एवं प्रारम्भ किये जा चुके है।

बॉयोमास ऊर्जा परियोजना

वर्ष 2019–20 के दौरान, 27.8 मेगावाट क्षमता की 3 (तीन) बायोमास ऊर्जा परियोजना पंजीकृत की गयी थी एवं किसी भी बॉयोमास ऊर्जा संयंत्र को स्थापित एवं प्रारम्भ नहीं किया गया है।

सौर ऊर्जा परियोजनाएं

वर्ष 2019–20 के दौरान 7629 मेगावाट क्षमता के 71 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पंजीकृत हुए है। वर्ष 2019–20 के दौरान 1808 मेगावाट क्षमता के 53 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित और प्रारम्भ किए गए है।

एस.पी.वी. रूफ टॉप ऊर्जा उत्पादन योजना

एसपीवी रूफ टॉप विद्युत उत्पादन योजना

28.08.2019 को एमएनआरई द्वारा चरण–II ग्रिड सम्बद्ध सोलर रूफटॉप प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा–निर्देश जारी किये गये थे, जिसमें सहायिकी (सब्सिडी) सहायता केवल नीचे यथावर्णित आवासीय क्षेत्र तक ही सीमित थी :

आवासीय क्षेत्र का प्रकार	सीएफए (प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञात की गयी लागत या स्थिर बिन्दू लागत का प्रतिशत जो भी कम हो)
आवासीय क्षेत्र (अधिकतम 3 किलोवाट तक)	40 प्रतिशत
आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट से अधिक और 10 किलावाट तक)	3 किलोवाट तक 40 प्रतिशत और 3 किलोवाट से ऊपर एवं 10 किलोवाट तक आरटीएस प्रणाली के लिए 20 प्रतिशत
500केडब्ल्यूपी (10 किलोवाट प्रति घर की दर से) तक की सामान्य सुविधाओं के लिए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज/रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) इत्यादि उन जीएचएस/आरडब्ल्यूए में व्यक्तिगत निवासियों द्वारा पहले से ही स्थापित किए गए व्यक्तिगत रूफटॉप संयंत्रों के सहित ऊपरी सीमा के साथ	20 प्रतिशत

ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार ने डिस्कॉमों की ओर से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के माध्यम से इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। एमएनआरई ने 04.10.2019 को राजस्थान डिस्कॉमों (जेवीवीएन--25 मेवा, जेडीवीवीएन--15 मेवा एवं एवीवीएनएल--5 मेवा) को आवासीय क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 45 मेगावाट क्षमता की स्वीकृति दी है।

राज्य में सहायिकी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विक्रेताओं के सूचीयन (एम्पेनलमेन्ट) (डिस्कॉम वार) के लिये 25.10.2019 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने एनआईटी जारी किया। तकनीकी बोलियां और वित्तीय बोलियां क्रमशः 16.12.2019 और 21.01.2020 को खोली गयी।

माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में मैसर्स पिंक सिटी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर द्वारा तकनीकी बोली मे उनकी अयोग्यता के विरूद्ध दायर सिविल रिट याचिका पर दिनांक 4.2.2020 को एक पक्षीय स्थगन दिया है।

मैसर्स पिंक सिटी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर द्वारा रिट याचिका वापस लेने के पश्चात् राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने 10.06.2020 को 119 सूचीगत (एम्पेनल्ड) विक्रेताओं को रेट कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है।

रेस्को (आरईएससीओ) पद्धति के अन्तर्गत सरकारी भवनों पर रूफ टॉप परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

सरकारी भवनों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना निश्चय ही कुछ समय से राज्य सरकार के सक्रिय विचारधीन है। सरकारी भवनों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके विद्युत पर होने वाले व्यय को यथेष्ट सीमा तक कम किया जा सकता है। सरकारी भवनों पर रूफटॉप सिस्टम को रेस्को पद्धति के अन्तर्गत स्थापित किया जा सकता है, जिसमें भवन के मालिक द्वारा कोई अपफ्रंट पूंजी निवेश शामिल नहीं है। विद्युत क्रय अनुबंध को कार्यान्वयन--भागीदार को भुगतान विद्युत प्रभारों के भुगतान के लिए उपलब्ध बजट शीर्ष से किया जायेगा। इस योजना के परिणामस्वरूप संबंधित कार्यालय के विद्युत बिल में कमी के कारण काफी बचत होगी।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा चयनित कार्यान्वयन--भागीदारों के माध्यम से सरकारी भवनों पर रेस्को पद्धति के अन्तर्गत रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र सं. प.20 (28)ऊर्जा/2014 दिनांक 27.08.2019 द्वारा दिशा--निर्देश जारी किये गये हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने दो कार्यान्वयन--भागीदारों का चयन किया है और 4.15 रूपये प्रति यूनिट की टैरिफ को ज्ञात किया है। इन 2 फर्मों को 06.12.2019 को 14 मेगावाट क्षमता आवंटित की गयी हैं निर्धारित कमीशनिंग अवधि एलओए दिनांक 06.12.2019 से 24 माह की है। मार्च, 2020 तक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा कुल 4.5 मेगावाट क्षमता के लिये रूफटॉप परियोजनाओं की स्वीकृति दी गयी है। इस योजना में सरकारी भवनों पर रूफटॉप सौर परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रगति पर है।

सहायक एवं सहयोगी कम्पनियां

कम्पनी ने स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी के रूप में 'विशेष प्रयोजन यान' (एसपीवी) का गठन किया है। सोलर पार्कों में सौर ऊर्जा संयंत्रों के विकास को बढ़ावा देना, सहायता करना एवं श्रेष्ठता का सौर केन्द्र, विनिर्माण क्षेत्र, अनुसंधान एवं विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र के क्षेत्र एवं अन्य सुविधाओं के क्षेत्र का सृजन करने सहित विभिन्न चरणों में जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, और बाड़मेर तथा राजस्थान के अन्य जिलों के परिलक्षित क्षेत्रों में शीघ्रता से सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिये सोलर पार्कों के बुनियादी ढ़ाचे एवं प्रबंधन के एकीकृत और कुशल

विकास की योजना, उन्नयन एवं आयोजन के प्रयोजनार्थ राजस्थान सोलर पार्क विकास कम्पनी लिमिटेड नामित कम्पनी को 2 नवम्बर, 2011 को निगमित किया।

कुल 75 मेगावाट क्षमता के 7 सोलर विद्युत संयंत्रों वाला भाडला सोलर पार्क चरण– प्रथम एवं कुल 680 मेगावाट क्षमता के 10 सोलर विद्युत संयंत्रों वाला चरण–द्वितीय को आरएसडीसीएल द्वारा ग्राम भाडला, तहसील बाप, जिला जोधपुर पर विकसित किया गया है। सोलर पार्क एवं अति मेगा सोलर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिये एमएनआरई योजना के अधीन चरण–द्वितीय में सड़क एवं सड़क–प्रकाश व्यवस्था, जल आपूर्ति व्यवस्था, विद्युत निष्क्रमण हेतु ईएचवी प्रणाली तथा कार्यालय भवन और विश्राम ग्रह इत्यादि जैसे सभी आवश्यक आधारभूत ढ़ाचें के साथ विकसित किया गया है। आरएसडीसीएल द्वारा सृजित सामूहिक आधारभूत सुविधाओं का संचालन एवं रख–रखाव भी आरएसडीसीएल द्वारा किया जा रहा है।

अग्रतर, ग्राम–नोख, तहसील पोकरण, जिला जैसलमेर में एक 925 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की योजना बनायी गयी है और एमएनआरई योजना के अधीन विकसित किया जा रहा है। ईपीसी (3X245 मेगावाट) और डेवलपर (1X190 मेगावाट) पद्धति के अन्तर्गत एनटीपीसी द्वारा नोख सोलर पार्क की 04 सौर ऊर्जा परियोजनायें स्थापित की जायेंगी। दिनांक 20.02.2020 को एनटीपीसी और आरएसडीसीएल के बीच ईपीसी परियोजनाओं के लिये कार्यान्वयन और सहायता अनुबंधों पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

संचालन के अन्तर्गत सहायक कम्पनियों की प्रगति तथा वित्तीय स्थिति पर मंडल की बैठक में विधिवत चर्चा की गयी है।

समेकित वित्तीय विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये अंकेक्षित समेकित वित्तीय विवरणों को सहायक कम्पनी से प्राप्त उसके संबंधित निदेशक मण्डल द्वारा यथा स्वीकृत वित्तीय विवरणों के आधार पर लेखा मानकों एवं यथा प्रयोज्य नियमों के साथ पठित लेखा मानक 21 (एएस 21) "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार तैयार किया गया है।

विद्युत व्यापार लाइसेंस

कम्पनी ने विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) से राज्य के भीतर विद्युत ट्रेडिंग के लिए राज्यान्तरिक विद्युत व्यापार लाइसेंस प्राप्त किया जिसे भाडला चरण– प्रथम सोलर परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की ट्रेडिंग के लिये उपयोग किया जा रहा था। आगे, कम्पनी ने जुलाई, 2014 में केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग से विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय व्यापार लाइसेंस भी प्राप्त किया था परन्तु जैसा कि कम्पनी राज्य के अन्तर्राज्यीय गतिविधियों में संलग्न नही थी सीईआरसी के आदेश द्वारा 16.02.2016 को अन्तर्राज्यीय व्यापार लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था।

जनशक्ति

31 मार्च, 2020 को 98 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 76 कर्मचारी (36 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर) कार्यरत थे। प्रबंधन एवं कर्मचारियों के मध्य संबंध निरंतर हार्दिक बने हुये है।

निदेशक एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

कम्पनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद संख्या 87(i) और 88, राजस्थान के राज्यपाल को कम्पनी के मण्डल में निदेशकों की नियुक्ति करने के लिये अधिकृत करते है। अनुच्छेद संख्या 87(i) के अनुसार राज्यपाल समय–समय पर नियुक्त किये गये निदेशकों में से एक को मण्डल का अध्यक्ष एवं एक या अधिक निदेशकों को यथा प्रबंध निदेशक एवं/अथवा कार्यपालक निदेशक (निदेशकों) को नियुक्त कर सकते है।

वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित को कम्पनी के यथा निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था :

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की दिनांक
1	श्री सुधीर कुमार शर्मा	16/04/2019
2	श्री कमलेश अबुसारिया	11/04/2019
3	श्री डी.एन. पाण्डे	10/12/2019

वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित की यथा कम्पनी के निदेशक के रूप में सेवायें समाप्त की गयी:

क्र.सं.	नाम	यथा निदेशक के सेवा समाप्ति की दिनांक
1	श्री एस.के. सोलंकी	16/04/2019
2	श्री सुलताना राम पिलानिया	11/04/2019
3	श्री बी.एस. रतनू	21/07/2019
4	श्री एस.के. जैन	10/12/2019
5	श्री विनोद पंडया	10/11/2019
6	श्री वेद प्रकाश	10/11/2019

31 मार्च, 2020 को कम्पनी के निदेशक मण्डल की संरचना निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	डीआईएन
1	श्री अजिताभ शर्मा	अध्यक्ष एवं निदेशक	02758682
2	श्री अनिल गुप्ता	प्रबंध निदेशक	08232468
3	श्री डी.एन. पाण्डे	निदेशक	08634139
4	श्री सुधीर शर्मा	निदेशक	02879180
5	श्री कमलेश अबुसारिया	निदेशक	08418984
6	श्री वाई.के. रायज़ादा	निदेशक	00893752

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के प्रयोजनार्थ, 31 मार्च, 2020 को कम्पनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निम्न है, उनकी नियुक्ति की नियम और शर्तें पहले से ही मण्डल द्वारा अनुमोदित है और/अथवा राजस्थान राज्य सेवा नियमों द्वारा निर्धारित है :

i) श्री अनिल गुप्ता — प्रबंध निदेशक
ii) श्री के.सी. कुमावत — निदेशक वित्त सह मुख्य वित्त अधिकारी
iii) श्रीमति गजल सक्सेना — कम्पनी सचिव

निदेशक मण्डल एवं इसकी समिति (समितियों) की बैठकें :

मण्डल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2019--20 के दौरान निदेशक मण्डल की चार बैठकें सम्पन्न हुयी थी। मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्न प्रकार है:—

मण्डल की बैठक / निदेशक का नाम	03.06.2019 की 104वीं बैठक	09.08.2019 की 105वीं बैठक	26.08.2019 की 106वीं बैठक	27.12.2019 की 107वीं बैठक	टिप्पणी
श्री अजिताभ शर्मा	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	—
श्री अनिल गुप्ता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	—
श्री एस.के. जैन	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	10.12.2019 को यथा निदेशक के रूप में सेवा समाप्त
श्री एस.के. शर्मा	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	—
श्री विनोद पंडया	हाँ	हाँ	नहीं	लागू नहीं है	10.11.2019 को यथा निदेशक के रूप में सेवा समाप्त
श्री वेद प्रकाश	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं है	10.11.2019 को यथा निदेशक के रूप में सेवा समाप्त
श्री वाई.के. रायजादा	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	—
श्री बी.एस. रतनू	हाँ	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	21.07.2019 को यथा निदेशक के रूप में सेवा समाप्त
श्री कमलेश अबुसारिया	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	—
श्री डी.एन. पाण्डे	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	हाँ	10.12.2019 को यथा निदेशक के रूप में नियुक्ति

अंकेक्षण समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसरण में कम्पनी ने एक अंकेक्षण समिति का गठन किया है जिसमें वर्तमान में निम्नलिखित निदेशक, सदस्यों के रूप में नियुक्त है ;

1. श्री विनोद पंडया, सेवानिवृत आईएएस — स्वतंत्र निदेशक यथा अध्यक्ष
2. श्री अनिल गुप्ता, आईएएस — सदस्य
3. श्री वेद प्रकाश, सेवानिवृत आईएएस — स्वतंत्र निदेशक यथा सदस्य

परन्तु, वर्ष के दौरान श्री विनोद पण्डया एवं श्री वेद प्रकाश की यथा मण्डल के सदस्य के रूप में सेवा अवधि पूरी होने के पश्चात्, अंकेक्षण समिति का पुनर्गठन किया गया एवं 31 मार्च, 2020 को समिति में निम्न निदेशक यथा सदस्य के है:

1. श्री अनिल गुप्ता — सदस्य
2. श्री वाई.के.रायजादा — सदस्य
3. श्री कमलेश अबुसारिया — सदस्य

वित्तीय वर्ष 2019–20 में अंकेक्षण समिति की चार बैठकें सम्पन्न हुयी। सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं.	निदेशक का नाम	03.06.2019 की 42वीं बैठक	26.08.2019 की 43वीं बैठक	20.09.2019 की 44वीं बैठक	26.12.2019 की 45वीं बैठक	टिप्पणी
1	श्री अनिल गुप्ता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	–
2	श्री विनोद पंडया	हाँ	हाँ	नहीं	लागू नहीं है	10.11.2017 को यथा सदस्य के रूप में सेवा समाप्त
3	श्री वेद प्रकाश	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं है	10.11.2017 को यथा सदस्य के रूप में सेवा समाप्त
4	श्री वाई.के. रायजादा	–	–	–	हाँ	16.12.2019 को यथा सदस्य के नियुक्त
5	श्री कमलेश अबुसारिया	–	–	–	नहीं	16.12.2019 को यथा सदस्य के नियुक्त

सी.एस.आर. समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में कम्पनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है जिसमें 31 मार्च, 2020 को निम्नलिखित निदेशक सदस्य है:

1. श्री अनिल गुप्ता
2. श्री वाई.के.रायजादा
3. श्री कमलेश अबुसारिया

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सी.एस.आर. समिति की एक बैठक दिनांक 26.12.2020 को कम्पनी की सी.एस.आर. गतिविधियों पर विचार–विमर्श एवं मॉनीटर करने के लिये सम्पन्न हुई।

नामितिकरण एवं पारिश्रमिक समिति

कम्पनी (मण्डल की बैठक एवं इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसरण में कम्पनी ने नामितिकरण एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2019 को समिति में श्री सुलताना राम पिलानिया, निदेशक, श्री विनोद पंडया स्वतंत्र निदेशक यथा सदस्य, श्री वेद प्रकाश स्वतंत्र निदेशक यथा सदस्य है। सरकारी कम्पनी होने से, कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक या तो उनके मूल संगठन (जहां से वे प्रतिनियुक्ति पर है) के सेवा नियमों द्वारा या राजस्थान राज्य सेवा नियमों द्वारा, जो भी लागू हो, शासित होते है। सरकार पर आधारित होने से वहां अतर्कसंगतता का शायद ही कोई अवसर हो।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(8) एवं अनुसूची – IV के अनुसरण में, प्रतिवेदित अवधि के दौरान कम्पनी के स्वतंत्र निदेशकों की एक बार बैठक गैर स्वतंत्र निदेशकों एवं प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना हुयी। स्वतंत्र निदेशकों ने मण्डल एवं कम्पनी प्रबन्धन के मध्य जानकारी के प्रवाह की गुणवता, मात्रा और कालातीत का आंकलन किया ताकि मण्डल निदेशक प्रभावी ढंग से अपने कर्त्तव्यों का पालन करें एवं नोट किया कि यह यथेष्ट और पर्याप्त है।

साधारण सभा

<u>वार्षिक साधारण सभा</u>: समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी की 24वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन 30 सितम्बर, 2019 को हुआ था।

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के अन्तर्गत प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक से आवश्यक घोषणा कि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) में यथा विहित स्वतंत्रता के माप–दण्डों को प्रत्येक ऐसे स्वतंत्र निदेशक पूर्ण करते है, प्राप्त कर ली है।

<u>मण्डल के कार्य निष्पादन का वार्षिक मुल्यांकन</u>

कम्पनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार, कम्पनी के सभी निदेशकों / पूर्ण कालिक निदेशकों / अध्यक्ष की नियुक्ति,

पदच्युति, पारिश्रमिक का निर्णय इत्यादि, के संबंध में राजस्थान सरकार को पूर्ण विवेकाधिकार होगा। तदनुसार, इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की दिनांक को कम्पनी के मण्डल में सभी कार्यकारी निदेशकों को राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है औरा राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। स्वतंत्र निदेशकों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार, साधारण सभा में नियुक्त किये जाते है। कम्पनी की मण्डल/समितियां/साधारण सभा (सभाओं) में उपस्थित होने पर स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मण्डल द्वारा यथा विनिश्चित बैठक शुल्क, यात्रा व्यय इत्यादि का भुगतान किया जाता है।

अंकेक्षक एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट

वैधानिक अंकेक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कम्पनी के लेखों का अंकेक्षण करने के लिए मैसर्स एच. एम. सिंघवी एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

वैधानिक अंकेक्षकों ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये कम्पनी के लेखों का अंकेक्षण कर लिया है। लेखों के लिये प्रासंगिक टिप्पणियों के साथ पठित वैधानिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट स्वयं व्याख्यात्मक है और अन्य टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों की आवश्यकता नहीं है। अंकेक्षक रिपोर्ट के प्रति मण्डल का प्रत्युत्तर संलग्न है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2020–21 के लिये माथुर एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर को निगम का वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया है। अंकेक्षकों का पारिश्रमिक निगम की साधारण सभा अथवा साधारण सभा में जैसा निर्णय लिया जाये, के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। आपके निदेशक आपसे अनुरोध करते हैं कि अंकेक्षकों के पारिश्रमिक के निर्धारण हेतु निदेशक मंडल को अधिकृत किया जाये।

लागत अंकेक्षक

अधिनियम एवं कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कम्पनी द्वारा संधारित लागत अभिलेखों का लागत अंकेक्षण करने के लिए मैसर्स मेहता एन. एण्ड एसोसिएटस् कॉस्ट एकाउन्टेन्टस को कम्पनी की आगामी वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों द्वारा पारिश्रमिक का पुष्टीकरण किये जाने के अध्याधीन कम्पनी के लागत अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया है एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार, मैसर्स आर. के. भण्डारी एण्ड कम्पनी को कम्पनी के लागत अभिलेखों जो लेखों के अंश होते है, के संधारण के लिये नियुक्त किया है।

आन्तरिक अंकेक्षण एवं नियंत्रण

कम्पनी के आन्तरिक अंकेक्षण के लिए कम्पनी व्यवहारतः अर्हताप्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस की नियुक्ति करती है। वर्ष के दौरान आन्तरिक अंकेक्षण कार्य के लिए मैसर्स सुनिता सुल्तानिया एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस फर्म की

नियुक्ति की गयी थी। आन्तरिक नियंत्रण पद्धति में सुधार के लिए उनके सुझावों एवं सिफारिशों को कम्पनी द्वारा निरन्तर लागू किया जा रहा है। आन्तरिक अंकेक्षकों की टीका–टिप्पणियों को अंकेक्षण समिति की बैठक में विस्तृत रूप से विवेचन किया गया था एवं अंकेक्षण समिति के निर्देशानुसार व्यापार संचालन तथा आन्तरिक नियंत्रण में पर्याप्त सुधार लाने के लिए निरन्तर उचित कार्यवाही की गयी।

कर्मचारियों का विवरण

कार्पोरेट मामलात मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 05 जून, 2015 के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान एवं इनके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार, सरकारी कम्पनियों को अधिनियम एवं इनके अधीन सूचित नियमों के अन्तर्गत विहित सीमा से अधिक पारिश्रमिक पाने वाले कर्मचारियों का विवरण मण्डल के प्रतिवेदन में शामिल करने से छूट है। अतः ऐसे विवरण यथा मण्डल के प्रतिवेदन के भाग के शामिल नहीं किये गये है।

ऊर्जा का संरक्षण

आरआरईसी राजस्थान के लिये ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण के डेमों प्रोजेक्टस् के माध्यम से जानकारी देने के लिये, विद्युत संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्रावधानों की क्रियान्विति के लिये राज्य नियुक्त एजेंसी के रूप में निरन्तर कार्यरत है। ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न पहलुओं का प्रचार–प्रसार, मुद्रण एवं विद्युत साधनों द्वारा किया जा रहा है।

कुशल उपयोग एवं ऊर्जा के अधिक संरक्षण के लिए उद्योगों/संस्थापनों/ व्यक्तियों द्वारा किए गए सचेत एवं व्यवस्थित प्रयासों के लिए विशेष राज्य स्तरीय मान्यता देने हेतु आपकी कम्पनी ने वर्ष 2009 से राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार (आरईसीए) देना प्रारम्भ किया है। ऊर्जा उपयोग के सभी प्रमुख क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रेरणा, पुनरावृत्ति और जागरूकता पैदा करने के लिए यह योजना बनाई है। इस दिशा में विभिन्न उद्योगों/संस्थापनों/व्यक्तियों को उपलब्धियों के लिये ट्रॉफी/प्लेक (शील्ड) तथा प्रमाण–पत्र के रूप में 14 पुरस्कार एवं प्रमाण–पत्र के रूप में 21 और 2 विशेष को सम्मान दिया गया है। ऊर्जा संरक्षण का संदेश सामान्य जनता एवं विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रचारित करने हेतु 14 दिसम्बर, 2019 को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया था।

तकनीकी संलयन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी किसी भी निर्माण प्रक्रिया में लिप्त नहीं थी, अतः समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी तकनीकी को आयात करने की आवश्यकता नहीं थी।

कम्पनी में पृथक से कोई अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियां नहीं है, अतः कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के अनुसार अनुसंधान एवं विकास के अधीन तकनीकी संलयन के संबंध में सूचना शून्य है।

विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम

कम्पनी राज्य में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के प्रचार–प्रसार कार्य में संलग्न है। वर्ष 2019–20 के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम शून्य रहा।

वार्षिक विवरणी का सारांश

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) एवं कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में यथा अपेक्षित एमजीटी 9 में वार्षिक विवरणी का सारांश इस वार्षिक विवरणी के एक भाग के रूप में अनुलग्नक–1 पर है। यह www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl पर भी उपलब्ध है।

सूचना का अधिकार

पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिये, "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" के अनुरूप आपकी कम्पनी में उचित तंत्र स्थापित किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत, आवेदको/नागरिकों को अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के लिए आपकी कम्पनी ने इसके कार्यालयों पर सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारियों/राज्य लोक सूचना अधिकारियों/अपील प्राधिकारियों को नामनिर्दिष्ट किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित आवेदनों का समय पर निपटान किया गया था।

अन्य वैधानिक प्रकटीकरण

जैसा कि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्न मदों में कोई संव्यवहार नहीं किया गया अतः आपके निदेशकों ने व्यक्त किया है कि निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है:

1. अधिनियम के अध्याय–V के अन्तर्गत समाविष्ट जमाओं से संबंधित विवरण।
2. लाभांश, मतदान या अन्य विभिन्न अधिकारों के साथ समता अंशों का निर्गमन।
3. किसी योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के अंशों (स्वीट इक्विटी अंशों सहित) का निर्गमन।
4. नियामकों/न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण अथवा सारवान आदेश पारित नहीं किए गए हैं, जो कम्पनी की चालू समुत्थान प्रास्थिति एवं भविष्य में इसके संचालन को प्रभावित करें।
5. व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हैं।
6. वित्तीय वर्ष की समाप्ति एवं इस प्रतिवेदन की दिनांक के मध्य कोई तात्विक परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं नहीं है जिससे कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही हो।
7. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी ने ऋण तथा गारंटी नहीं दी है एवं निवेश भी नहीं किया हैं।
8. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(3) के अन्तर्गत निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान, निदेशकों की अर्हतायें, सकारात्मक गुण विशेषता, निदेशकों की स्वतंत्रता एवं अन्य संबंधित मामलों के प्रकटीकरण के प्रावधान एमसीए अधिसूचना दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार सरकारी कम्पनियों के लिये छूट प्राप्त हैं।
9. कम्पनी अधिनियम की धारा 134 (3) (सीए) के अनुसार प्रकटीकरण लागू नहीं होता है जैसाकि इस संबंध में अंकेक्षकों द्वारा कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया गया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) के निबंधनों के अनुसार, महत्वपूर्ण विचारित संबंधित पक्षकारों के साथ कम्पनी द्वारा किये गये अनुबंधों/व्यवस्थाओं का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) के निबंधनों के अनुसार, महत्वपूर्ण विचारित संबंधित पक्षकारों के साथ कम्पनी द्वारा किये गये अनुबंधों/व्यवस्थाओं का विवरण के ब्यौरों के प्रकटीकरण के संबंध में सूचना लेखा टिप्पणियों की टिप्पणी 14 के अन्तर्गत दी गयी है। व्यवसाय के सामान्य तरीके एवं निकटता में कम्पनी का प्रमुख संबंधित पक्षकार संव्यवहार, सामान्यतः इसकी सहायक कम्पनी के साथ है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन कम्पनी का दायित्व

कम्पनी लिंग, जाति पंथ या सामाजिक वर्ग के कर्मचारियों के संबंधत में सुरक्षित, स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान करने और बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है। इसके सभी कर्मचारियों को सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यशील वातावरण प्रदान करने के इसके प्रयास में, किसी भी कर्मचारी द्वारा यौन प्रकृति के मौखिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक आचरण जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पीड़न, बाधित या दूसरी के कार्य निष्पादन में हस्तक्षेप करता है या भयभीत अथवा शत्रुतापूर्ण माहौल पैदा करता है, के प्रति शुन्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने के लिये कम्पनी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन कर रही है ताकि प्रत्येक कर्मचारी अपनी अधिकतम क्षमता का अनुभव कर सकें।

यहां पर यह भी कथित है कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन कम्पनी ने आन्तरिक शिकायत समिति से संबंधित सभी प्रावधानों की अनुपालना की है। सभी कर्मचारी (स्थायी, संविदात्मक, प्रतिनियुक्ति पर, अस्थायी, प्रशिक्षणार्थी) इस नीति के अन्तर्गत आवृत है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है–

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी
1	वर्ष के दौरान एवं प्रतिवेदन की दिनांक तक प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य
2	वर्ष के दौरान एवं प्रतिवेदन की दिनांक तक निष्पादित शिकायतों की संख्या	शून्य
3	90 दिनों से अधिक अवधि वाले लम्बित मामलों की संख्या	शून्य
4	यौन उत्पीड़न के विरूद्ध कार्यान्वित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या।	शून्य
5	नियोक्ता द्वारा की गयी कार्यवाही की प्रकृति	शून्य

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

वित्तीय वर्ष 2019–20 में निगमित सामाजिक दायित्व की गतिविधियों के लिए कुल राशि 44,51,471/– रूपये का प्रावधान किया था। सीएसआर नीति www.energy.rajasthan. gov.in/rrecl पर भी उपलब्ध है। कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार जानकारी अनुलग्नक – II में दी गई है।

जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कम्पनी में जोखिम को ज्ञात करने, निर्धारित करने, उनको कम करने के उपाय तथा उनके उचित और समय पर निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिये तंत्र है।

राजस्थान सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला एवं नियंत्रित उपक्रम होने के कारण इसकी कार्यशीलता एवं अस्तित्व पूर्णतः राज्य सरकार की नीतियों एवं अन्य निर्णय जो कम्पनी के संचालन एवं अस्तित्व पर प्रभाव डालते हो, पर निर्भर है।

निदेशकों के उत्तरदायित्व का कथन

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) की आवश्यकता के अनुसरण में आपके निदेशक रिपोर्ट करते है कि:–

1. समीक्षाधीन वर्ष के लिये वार्षिक लेखों को तैयार करने में लेखा मानकों को यथासंभव एवं व्यावहारिक रूप में लागू किया गया था।

2. 31 मार्च, 2020 को कम्पनी के मामलात तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की सत्य एवं उचित स्थिति दर्शाने के लिए लेखा नीतियों को निरन्तर प्रयुक्त किया है।

3. इस तथ्य का उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा गया है कि कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा ओर धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने के लिए समुचित लेखा रिकॉर्ड रखे जायें।

4. वार्षिक लेखे चालू समुत्थान आधार (चालू व्यापार आधार) पर तैयार किए गये हैं।

5. समस्त प्रयोज्य कानूनों (सिद्धांतो) के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये उचित प्रणालियां एवं ऐसी प्रणालियां पर्याप्त एवं प्रभावशाली रूप से संचालित थी।

सचिवीय मानकों की अनुपालना पर कथन

कम्पनी ने भारतीय कम्पनी सचिव संस्था, नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये सचिवीय मानकों 1 व 2, समय–समय पर यथा संशोधित, के लागू प्रावधानों की अनुपालना की है।

अभिस्वीकृति

आपके निदेशक, अंशधारियों, राज्य सरकार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं भारत सरकार की अन्य एजेन्सियां, राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग एवं वित्त विभाग एवं अन्य विभाग, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजस्थान विद्युत एवं विनियामक आयोग, राजस्थान राज्य

विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड एवं वितरण कम्पनियों से प्राप्त निरन्तर दिशा–निर्देश एवं समर्थन के लिये धन्यवाद ज्ञापित करते है एवं अपना आदर अभिलेखों में अंकित करते है। मण्डल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वैधानिक अंकेक्षकों एवं बैंकों द्वारा दिये गये उनके मूल्यावान सहयोग के लिये भी धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशक मण्डल अपने कर्मचारियों को उनके द्वारा समस्त स्तरों पर दिये गये सबल एवं सहायता के लिये भी अपना आदर अभिलेखों में अंकित करता है, जिसके कारण प्रतिवेदन के अधीन वर्ष के दौरान कम्पनी उत्कृष्ट भूमिका निर्वहन करने में सफल रही।

निदेशक मण्डल के लिये और उनकी ओर से

ह.

(डॉ. सुबोध अग्रवाल, आईएएस)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

दिनांक : 21.12.2020

स्थानः जयपुर।

अनुलग्नक–I

प्रपत्र संख्या एमजीटी–9
वार्षिक विवरणी का उद्धरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष को
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में)

1. पंजीयन एवं अन्य ब्यौरे :

1	सीआईएन	U40101RJ1995SGC009847
2	पंजीयन दिनांक	06/04/1995
3	कम्पनी का नाम	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
4	कम्पनी का प्रवर्ग/उप–प्रवर्ग	अंशों द्वारा कम्पनी लिमिटेड राज्य सरकार कम्पनी
5	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क हेतु ब्यौरा	ई–166, युधिष्ठिर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
6	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	नहीं
7	रजिस्ट्रार एवं अन्तरण अभिकर्त्ता का नाम, पता तथा संपर्क हेतु ब्यौरा, यदि कोई है	लागू नहीं है।

2. कम्पनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

कम्पनी के कुल व्यापारावर्त्त के 10 प्रतिशत या अधिक सहायता करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण :

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/ सेवाओं का वर्णन एवं नाम	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड़	कम्पनी के कुल व्यापारावर्त्त का प्रतिशत
1	गैर पारम्परिक संसाधनों के माध्यम से विद्युत उत्पादन	351/351/05,06,07	81.52 प्रतिशत

3. नियंत्री, सहायक तथा सहयोगी कम्पनी के विवरण

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्री/ सहायक/ एसोशिएट	धारित अंशों का प्रतिशत	प्रयोज्य धारा
1	राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	U40102RJ2011SGC036861	सहायक	100%	2(87)

4. अंश धारण पद्धति

(कुल साम्या का यथा प्रतिशत के साम्या अंश पूंजी का विघटन)

i. श्रेणीवार अंश धारण

अंशधारक का प्रवर्ग		वर्ष के प्रारम्भ में धारित अंशों की संख्या (01 अप्रेल, 2019 को)				वर्ष के अन्त में धारित अंशों की संख्या (31 मार्च, 2020 को)				वर्ष के दौरान परिवर्तन–प्रतिशत में
		डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	
(ए)	संप्रवर्तक									
(1)	भारतीय									
(ए)	व्यष्टि/हिन्दु अविभक्त कुटुंब			0	0			0	0	0
(बी)	केन्द्रीय सरकार			0	0			0	0	0
(सी)	राज्य सरकार	0	12941078	12941078	100%	0	12941078	12941078	100%	0
(डी)	निगमित निकाय		0	0				0	0	0
(ई)	व्रित्तीय संस्थाऐ/बैंक		0	0				0	0	0
(एफ)	अन्य		0	0				0	0	0
	उप–योग ए (1)	0	12941078	12941078	100%	0	12941078	12941078	100%	0
2	विदेश									
(ए)	अनिवासी व्यष्टि			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
(बी)	अन्य व्यष्टि			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
(सी)	निगमित निकाय			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
(डी)	कोई अन्य			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
	उप–योग ए (2)	–	–	–	0.00%	–	–	–	0.00%	0.00%
	योग–ए	0	12941078	12941078	100%	0	12941078	12941078	100%	0
(बी)	पब्लिक अंशधारण									
(1)	संस्थाएं									
(ए)	पारस्परिक निधियां			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
(बी)	वित्तीय संस्थाए/बैंक			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
(सी)	केन्द्रीय सरकार			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
(डी)	राज्य सरकार			–	0.00%			–	0.00%	0.00%

(ई)	जोखिम पूंजी निधियां			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
(एफ)	बीमा कम्पनियां			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
(जी)	विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
(एच)	विदेशी साहसी पूंजी कोष			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
(आई)	अन्य (निर्दिष्ट करें)			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
	उप–योग बी(1)	–	–	–	0.00%	–	–	–	0.00%	0.00%
2	**गैर संस्थाएं**									
(ए)	निगमित निकाय									
(i)	भारतीय			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
(ii)	विदेशी			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
(बी)	व्यष्टि									
(i)	एक लाख रूपये तक की अभिहित अंश पूंजी धारक व्यष्टि			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
(ii)	एक लाख रूपये से अधिक अभिहित अंश पूंजी धारक व्यष्टि			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
(सी)	अन्य (निर्दिष्ट करें)									
	अनिवासी भारतीय			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
	विदेशी निगमित निकाय			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
	विदेशी राष्ट्रीय			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
	समाशोधन सदस्य			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
	न्यास			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
	विदेशी निकाय – डीआर			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
	उप–योग बी(2)	–	–	–	0.00%	–	–	–	0.00%	0.00%
	कुल पब्लिक (बी)	–	–	–	0.00%	–	–	–	0.00%	0.00%
(सी)	**अभिरक्षकों द्वारा धारित अंश**			–	0.00%			–	0.00%	0.00%
	सर्वयोग (ए+बी+सी)	0	12941078	12941078	100%	0	12941078	12941078	100%	0

ii. प्रवर्तको का अंशधारण

क्र. सं.	अंशधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण			वर्ष के अन्त में अंशधारण			
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशो में विल्लंगमित / प्रतिभूत अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशो में विल्लंगमित / प्रतिभूत अंशों का प्रतिशत	वर्ष के दौरान अंशधारण में परिवर्तन प्रतिशत में
1	महामहिम राज्यपाल, राजस्थान	12941078	100.00 %		12941078	100.00 %		0.00%

*राजस्थान के महामहिम राज्यपाल के नामांकित व्यक्ति के रूप में अंशधारिता

iii. संप्रवर्तकों के अंशधारण में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें) :

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारम्भ में अश धारण		वर्ष के दौरान संचति अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में	12,941,078	100.00%	12,941,078	100.00%
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि / कमी, विशेषरूप से वृद्धि / कमी का उल्लेख करते हुऐ	शून्य			
	वर्ष के अन्त में	12,941,078	100.00%	12,941,078	100.00%

iv. शीर्ष दस अंशधारकों के अंशधारण की पद्धति

(निदेशकों, संप्रवर्तको तथा जीडीआरएस एवं एडीआरएस के धारकों के अतिरिक्ति)

क्र. सं.	विवरण	दिनांक	कारण	वर्ष के प्रारम्भ में अश धारण		वर्ष के दौरान संचति अंशधारण	
				अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत
1	नाम						
	वर्ष के प्रारम्भ में			शून्य	0.00%	शून्य	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में				0.00%		0.00%
2	नाम						
	वर्ष के प्रारम्भ में			शून्य	0.00%	शून्य	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन				0.00%		0.00%
	वर्ष के अन्त में				0.00%		0.00%

v. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की अंशधारिता

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का अंशधारण	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण		वर्ष के दौरान संचित अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	कोई परिवर्तन नहीं		कोई परिवर्तन नहीं	
	वर्ष के अन्त में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी : आरआरइसी 100 प्रतिशत एक सरकारी कम्पनी है तथा सभी साम्या अंश राजस्थान के माननीय राज्यपाल एवं उनके नामितियों के नाम है।

ऋणग्रस्तता (ऋणिता)

बकाया/प्रोद्भूत ब्याज परन्तु तत्काल भुगतान देय नहीं है सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता

	निक्षेपों के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता				
i. मूल राशि				
ii. ब्याज देय परन्तु अप्रदत्त				
iii. ब्याज प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं				
योग (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणिता में परिवर्तन				
–अभिवृद्धि –कमी				
शुद्ध परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अन्त में ऋणिता				
i. मूल राशि	–	–		–
ii. ब्याज देय परन्तु अप्रदत्त				
iii. ब्याज प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं				
योग (i+ii+iii)	–	–		–

6. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिको का पारिश्रमिक

(ए) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा मैनेजर का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मैनेजर का नाम	कुल राशि
	नाम	श्री अनिल गुप्ता, एमडी	(लाख रूपये में)
	पद	प्रबंध निदेशक	
1	सकल वेतन		
(ए)	आयकर अधिनियम की धारा	25.78	25.78

	17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन		
(बी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलब्धियों का मूल्य		
(सी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदले में लाभ		
2	स्टाक विकल्प करार		
3	स्वीट साम्या		
4	कमीशन --यथा लाभ का प्रतिशत --अन्य, विशेष रूप से उल्लेख करें		
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें		
	योग (ए)	25.78	25.78

(बी) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम		कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक	श्री वेद प्रकाश	श्री विनोद पण्डया	
	मण्डल समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु शुल्क	60000	40000	1,00,000.00
	कमीशन			
	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।			
	योग (1)	60000	40000	1,00,000.00
2.	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक			
	मण्डल समिति की बैठक में उपस्थित होने हेतु शुल्क			
	कमीशन			
	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें।			
	योग (2)			
	कुल (बी)=(1+2)			1,00,000.00
	अधिनियम के अनुसार, कुल अधिकतम सीमा			

(सी) प्रबंध निदेशक/मैनेजर/ पूर्णकालिक निदेशकों के अतिरिक्त अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिको का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिका के नाम				कुल राशि
	नाम					(लाख रूपये में)
	पद	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य वित्त अधिकारी	कम्पनी सचिव		

1	सकल वेतन		21.43	10.21		31.64
(ए)	आयकर अधिनियम की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन					
(बी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अन्तर्गत परिलब्धियों का मूल्य					
(सी)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अन्तर्गत वेतन के बदलें में लाभ					
2	स्टाक विकल्प करार					
3	स्वीट साम्या					
4	कमीशन –यथा लाभ का प्रतिशत –अन्य, विशेष रूप से उल्लेख करें					
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें					
	योग		21.43	10.21		31.64

7. शास्तियां/अपराधों का प्रशमन

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त वर्णन	शास्ति/दंड/अधिरापित प्रश्मन शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकारी (आरडी/एन सी एलटी/न्यायालय)	की गयी अपील यदि कोई हो (ब्यौरा देवें)
ए. कम्पनी					
शास्ति					
दंड			शुन्य		
प्रश्मन					
बी. निदेशक					
शास्ति					
दंड			शुन्य		
प्रश्मन					
सी. व्यतिक्रम में अन्य अधिकारी					
शास्ति					
दंड			शुन्य		
प्रश्मन					

निदेशक मण्डल के लिये और उनकी ओर से

ह.

(डॉ. सुबोध अग्रवाल, आईएएस)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन 06940604

अनुलग्नक–II

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

1. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की नीति को निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 28.03.2015 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में स्वीकृत किया गया तथा इसका नाम आरआरईसीएल सीएसआर नीति रखा गया एवं यह www.rajasthan.gov.in/rrecl पर उपलब्ध है। कम्पनी, आरआरईसीएल, के दृष्टिकोण के अनुरूप अपने सामाजिक दायित्व के कार्यों से समाज के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रयास करती रहेगी तथा समुदायों में अपनी सामुदायिक सेवाओं, अभियानों को चलाती रहेगी ताकि समाज तथा समुदायों का निरन्तर उत्थान हो और इस तरह कम्पनी पर्यावरणीय चिन्ताओं के साथ कार्पोरेट सामाजिक दायित्व निभाने में अपनी भूमिका निभाती रहेगी।

आरआरईसीएल की सीएसआर नीति के उद्देश्य इस प्रकार है:

(i) अपने सभी हितधारकों के हितों को पहचानते हुए आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय निरन्तरता से अपना कार्य संचालन करने तथा संगठन में सभी स्तर पर अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने का संकल्प।

(ii) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समुदायों के हित में ऐसे प्रॉजेक्टस्, कार्यक्रम अथवा गतिविधियां करना जिनका परिणाम, एक समयावधि के बाद, जीवन की गुणवत्ता तथा स्थानीय आबादी का आर्थिक स्तर बढ़ने मे हो।

(iii) अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से आरआरईसीएल के लिये सामुदायिक सद्भावना को सृजित करना एवं कॉर्पोरेट इकाई के रूप में एक सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को निखारना।

2. **सीएसआर समिति की संरचना**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में कम्पनी ने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति का गठन किया है, जिसमें 31 मार्च, 2020 को निम्नलिखित निदेशक यथा सदस्य के है:

1. श्री अनिल गुप्ता
2. श्री वाई.के. रायजादा
3. श्री कमलेश अबुसरिया

3. गत 3 वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध लाभ– 22,25,73,543/– रूपये

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत) –44,51,471/– रूपये

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सामाजिक दायित्व के कार्यों पर किये गये व्यय का ब्यौरा – 92,00,000/– रूपये

(ए) आगे लाई गयी गत वर्षों की अव्ययित राशि – 48,03,985/–रूपये

(बी) व्यय की जाने वाली कुल राशि – 92,55,456/–रूपये

(सी) अव्ययित राशि – 55,456/–रूपये। धन राशि को आगे ले जाया गया है और इसे वित्तीय वर्ष

2020–21 में खर्च की जायेगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	अभिज्ञात सीएसआर प्रोजेक्ट/ कार्यकलाप	क्षेत्र जिसमें प्रोजेक्ट आता है	प्रोजेक्ट या कार्य क्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य एवं जिले का उल्लेख जहां प्रोजेक्ट/कार्य किया गया	प्रोजेक्ट/ कार्य अनुसार राशि का प्रावधान (बजट)	प्रोजेक्ट/कार्य पर व्यय की गई राशि उपशीर्ष (1) प्रोजेक्ट/ कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष हुआ व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	व्यय की गई राशि : स्वयं द्वारा या निष्पादन करने वाली एजेन्सी के माध्यम से
1	अनुसंधान परियोजना	अनुसंधान	एमएनआईटी, जयपुर को प्रदान की गयी	6,00,000/ – रू.	6,00,000/ – रू.		"ऊर्जा निष्कर्षण एवं सरसों के अवशिष्ट मूल्य वृद्धि उत्पाद के उत्पादन में सुधार" पर अध्ययन के लिये प्रदान की गयी। धन राशि एमएनआईटी, जयपुर को प्रदान की गयी।
2	कोविड के प्रकोप को दूर करने के लिये वेन्टीलेटरों के क्रय के लिये उपलब्ध कराया गया	स्वास्थ्य	कोविड शमन निधि के लिये वेन्टीलेटरों के क्रय के लिये उपलब्ध कराया गया	86,00,000 /– रू.	86,00,000/ – रू.	92,00,000/ – रू.	प्रचलित कोविड द्वारा प्रकोप को दूर करने के लिये धन राशि कोविड शमन निधि में प्रदान की गयी

ह. (निदेशक)	ह. (अध्यक्ष सीएसआर समिति)

एच.एम. सिंघवी एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड़ (कम्पनी) के एकल वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण कर लिया है जिसमें 31 मार्च, 2020 तक के तुलन–पत्र एवं लाभ हानि विवरण एवं उस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु रोकड़ प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य विस्तृत सूचनाओं सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां समाविष्ट है।

हमारी राय में तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी के कार्यकलाप की स्थिति यथा 31 मार्च, 2020 को एवं इसके लाभ/हानि एवं रोकड़ प्रवाह विवरण के मामलें में, उस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु, इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक– I में दी गयी कथित वित्तीय विवरणों पर हमारी टिप्पणियों में वर्णित मामलों के प्रभाव के सिवाय, भारत में साधरणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य व स्वच्छ परिदृश्य प्रदान करते है।

अभिमत हेतु आधार

हमने, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार, हमारे अंकेक्षण को आयोजित किया है। उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्व को हमारे प्रतिवेदन के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग के अंकेक्षण के लिये अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व में अग्रतर वर्णित किया गया है। हम नैतिक अपेक्षाओं जो कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के प्रासंगिक है के साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी की गयी आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र है एवं इन अपेक्षाओं और भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था की आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर लिया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है एवं वित्तीय विवरणों पर हमारे सीमित अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते है।

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सूचना एवं उस पर अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिये कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में मण्डल के प्रतिवेदन के अनुलग्नकों सहित मण्डल के प्रतिवेदन में सम्मिलित जानकारी शामिल है परन्तु इसमें वित्तीय विवरण एवं उन पर हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

वित्तीय विवरण पर हमारी राय में अन्य सूचनाएं सम्मिलित नहीं है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरण के हमारे अंकेक्षण के सम्बन्ध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरण के साथ तात्विक रूप से असंगत है या हमारे अंकेक्षण के दौरान या अन्यथा अभिप्राप्त हमारा ज्ञान तात्विक रूप से अशुद्ध वर्णन करता प्रतीत होता है।

यदि, हमने जो कार्य निष्पादित किया है उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष करते है कि इन अन्य सूचनाओं का सारवान मिथ्या कथन है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिये कुछ भी नहीं है।

<u>प्रबंधन एवं जिनके पास एकल वित्तीय विवरणों के नियमन का प्रभार है, के उत्तरदायित्व</u>

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में नियत मामलों में इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जो कि कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के साथ–साथ, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं रोकड़ प्रवाह का सत्य व स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करे, कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में सम्मिलित है, कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिये एवं कपट व अन्य अनियमितताओं को रोकने व ज्ञात करने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथेष्ट लेखा अभिलेखों का संधारण, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयुक्ति, निर्णय एवं प्राक्कलन करना जो कि युक्तियुक्त एवं विवेकपूर्ण हो, समुचित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्विति एवं संधारण जिन्हें वित्तीय विवरणों जो कि सत्य एंव स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करते है और चाहे कपट या त्रुटि के कारण सारभूत गलत विवरण से मुक्त है की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित, लेखा अभिलेखों की विशुद्धता एवं सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबन्धन यथा चालू समुत्थान के निरन्तरता हेतु कम्पनी की क्षमता का आंकलन करने, चालू समुत्थान से सम्बन्धित मामलों, जैसाकि लागू होता है, का प्रकटीकरण करने एवं चालू समुत्थान के आधार पर लेखांकन का उपयोग करने, का उत्तरदायित्व है जब तक कि प्रबन्धन या तो कम्पनी को समाप्त करने या संचालन को बन्द करने का आशय रखता है या परन्तु ऐसा करने के लिये कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिये भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरण के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से एकल वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या कथन, चाहे कपट या त्रुटि के कारण, से मुक्त है, एवं अंकेक्षक को रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि अंकेक्षण मानकों के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा विद्यमान सारवान मिथ्या कथन का पता लगाएगा। मिथ्या कथन कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते है और यदि व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप से, सारवान माने जाते है तो उनसे इन एकल

वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्त्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

अंकेक्षण मानकों के अनुसार, अंकेक्षण के अंश के रूप में, हम पेशवर निर्णय लेते है एवं सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान व्यावसायिक संदेहवाद को बनाये रखते है। हमः

- वित्तीय विवरण के सारवान मिथ्या कथनों की जोखिमों को निश्चित करें और उनका आंकलन करें, चाहे कपट या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रतिक्रियाशील अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रूप रेखा बनाये और निष्पादित करे एवं अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करे जो हमारी राय के लिये आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हो। कपट के परिणामस्वरूप होने वाले सारवान मिथ्या कथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, साशय लोप, दुर्व्यपदेशन, या आन्तरिक नियंत्रण का अधिभावी प्रभाव शामिल हो सकता है।

- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने के लिये अंकेक्षण के लिये प्रासंगिक आन्तरिक नियन्त्रण का अवबोध जो परिस्थितियों में उपयुक्त है, को प्राप्त करें। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अधीन, हम इस बात पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिये उत्तरदायी है कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों का परिचालन प्रभावशील है।

- उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबन्धन द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों एवं सम्बन्धित प्रकटीकरणों का मुल्यांकन करें।

- चालू समुत्थान आधारित लेखांकन का प्रबन्धन के उपयोग की उपयुक्तता एवं अभिप्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित निष्कर्ष करना कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों जो कम्पनी की यथा चालू समुत्थान की निरन्तरता की क्षमता पर महत्त्वपूर्ण संदेह डाल सकती हैं, से सम्बन्धित सारवान अनिश्चितता विद्यमान है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सारवान अनिश्चतता विद्यमान है, तो हमें हमारे अंकेक्षकों के प्रतिवेदन में एकल वित्तीय विवरण में सम्बन्धित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिये अपर्याप्त है। तथापि, भावी घटनाओं या स्थितियों के कारण कम्पनी की यथा चालू समुत्थान की निरन्तरता समाप्त हो सकती है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं अन्तर्वस्तु का मुल्यांकन करें, तथा क्या वित्तीय विवरण अन्तर्निहित संव्यवहार और घटनाओं को इस तरह से दर्शातें है जो स्वच्छ प्रस्तुति को पूरा करते है।

हम, अन्य मामलों में आन्तरिक नियंत्रण की कोई भी महत्वपूर्ण कमियों जिन्हें हम अपने अंकेक्षण के दौरान पहचानते हैं, के सहित निष्कर्षो से उन्हें जिनके पास नियमन का प्रभार है, सूचित करते है।

हम उनको जिनके पास नियमन का प्रभार है, एक कथन के साथ उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता से सम्बन्धित प्रासंगिक नैतिक आवश्यक्ताओं की पालना की है और सभी सम्बन्धों तथा अन्य मामलों जिन्हें हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, सम्बन्धित सुरक्षण पर युक्तियुक्त रूप से सोचा जा सकता है, उन्हें सूचित करते हैं।

जिनके पास नियमन का प्रभार है, उनके साथ संचार किये गये मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो कि चालू अवधि के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण में सबसे अधिक महत्व के थे और अंकेक्षण की नीति में परिवर्तनों पर भी महत्व दिया गया जो कि मुख्य अंकेक्षण मामलें के रूप में लेखों की टिप्पणियों के बिन्दू 2.बी.ii.सी में उल्लिखित है। इसलिये, मुख्य अंकेक्षण मामलें है। मामलों के बारे में जब तक कानून या विनियम सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोक नहीं देता हम इन मामलों का हमारे अंकेक्षकों के प्रतिवेदन में वर्णन करते हैं अथवा, जब अत्यन्त दुर्लभ परिस्थितियों में, हम निर्धारित करते है कि किसी मामलें को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा करने से प्रतिकूल परिणामों से ऐसी सूचना के सार्वजनिक हित लाभों के अतिभार होने की युक्तिपूर्वक प्रत्याशा की जायेगी।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 11 के निबन्धनों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये कम्पनी (अंकेक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा अपेक्षित है, हम 'अनुलग्नक–ए' में कथित आदेश के पैरा 3 व 4 में यथा विनिर्दिष्ट मामलों पर, लागू होने की सीमा तक, एक विवरण संलग्न करते है।

2. अग्रतर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के प्रावधानों के अनुसार हम "सामान्य एवं कम्पनी / क्षेत्र विशिष्ट निर्देश" पर हमारी रिपोर्ट अनुलग्नक– ए एवं अनुलग्नक–बी (यहां संलग्न है) में प्रस्तुत कर रहे है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते है कि –

   ए) हमने वे समस्त सूचनाये एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास से हमारे अंकेक्षण के प्रयोजन हेतू आवश्यक थे।

   बी) हमारे मत में, कम्पनी ने विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित लेखा पुस्तकें जहां तक इन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से विदित होता है, रखी हुई है।

   सी) इस प्रतिवेदन में व्यवहृत तुलन–पत्र, लाभ–हानि विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा–पुस्तकों से मेल खाते है।

   डी) हमारे मत में, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों की पालना करते है।

   (ई) एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कार्पोरेट मामलात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ज़ारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान कंम्पनी पर लागू नहीं है।

   (एफ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशील सक्रियता के संबंध में, 'अनुलग्नक–सी' पर हमारा पृथक प्रतिवेदन देखें।

   (जी) कार्पोरेट मामलात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 197 सरकारी कम्पनियों पर प्रयोज्य नहीं है। तद्नुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षाएं कम्पनी पर लागू नहीं है।

(एच) कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मत में एवं हमारी सूचना के सर्वोत्तम एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i- कम्पनी ने लम्बित मुकदमों एवं इसकी वित्तीय स्थिति पर होने वाले प्रभावों का प्रकटीकरण किया है—देखें एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 24

ii- कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में प्रचलित कानून या लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घावधि संविदा में पूर्वानुमेय हानियां, यदि कोई हो, हेतु प्रावधान किये है।

iii- कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अन्तरित करने वाली कोई राशि नहीं थी जिसे अन्तरित करने की आवश्यकता थी।

एच.एम. सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन : 001032सी
ह.
(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्य संख्या : 075310
यूडीआईएन: 20075310AAAACK9721

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

अनुलग्नक–ए

(राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड़ के हमारे प्रतिवेदन के "अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के परिचछेद 1 में संदर्भित अनुलग्नक)

हम रिपोर्ट करते है कि

i)(ए) कम्पनी ने अपनी स्थिर आस्तियों का यथेष्ट विवरण, परिमाणात्मक विवरण एवं आस्ति की प्रास्थिति सहित पूर्ण विवरण सहित उचित अभिलेखों का संधारण किया है। यद्यपि रेडा से हस्तान्तरित आस्तियों के लिये ब्लॉक रजिस्टर में विवरण नहीं दिये गये है। 10/20 किलोवाट पीएमजीवाई संयंत्रों के लिये अर्जित भूमि के स्वत्व विलेख 22 मामलों में उपलब्ध नहीं है एवं देवगढ़ और फलोदी के पवन विद्युत संयंत्र से संबंधित कुल क्रमशः 16.70 हेक्टयर तथा 130 बीघा भूमि का स्वत्व विलेख पूर्ववर्ती रेडा के नाम है।

(बी) हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा नियमित अन्तराल पर स्थिर आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है, ऐसे सत्यापन पर कोई सारवान असंगतियां नहीं पायी गयी है।

(सी) अचल सम्पत्तियों के स्वत्व विलेख कम्पनी के नाम में है सिवाय इसके कि 10/20 किलोवाट पीएमजीवाई संयंत्रों के लिये अर्जित भूमि के स्वत्व विलेख 22 मामलों में उपलब्ध नहीं है एवं देवगढ़ और फलोदी के पवन विद्युत संयंत्र से संबंधित कुल क्रमशः 16.70 हेक्टयर तथा 130 बीघा भूमि का स्वत्व विलेख पूर्ववर्ती रेडा के नाम है।

ii) हमारे मत में एवं हमे दी गई सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी के पास कोई इन्वेन्ट्री नहीं है। इसलिए आदेश के खण्ड 3 (ii) का उप पैरा (i) से (iii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते है।

iii) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत अनुरक्षित पंजिका में आवृत्त सहायक कम्पनी को ऋण स्वीकृत किया है। कम्पनी ने धारा 189 के अनुसार पालना की है।

iv) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 185 एवं धारा 186 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवृत्त अपनी समनुषंगी को ऋण दिया है। कम्पनी ने धारा 185 एवं 186 के अनुसार पालना की है।

v) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 के अन्तर्गत आवृत्त कोई सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं किये है।

vi) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट लागत अभिलेखों का कम्पनी द्वारा संधारण अपेक्षित है। तथापि, हमनें लागत प्रतिवेदन एवं लागत अभिलेखों की समीक्षा नहीं की है क्योंकि यह कम्पनी द्वारा तैयार किये जा रहे है।

vii) वैधानिक बकायों के संबंध में हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार :

कम्पनी साधारणतया प्रावधायी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर एवं अन्य अविवादित वैधानिक बकायों को इनके लागू होने तक की परिसीमा तक उचित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा करवाया जा रहा है।

प्रावधायी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उपकर एवं अन्य वैधानिक बकाया जो कि उनकी देय होने की तारीख से 6 महिने की अवधि से ज्यादा 31 मार्च, 2020 को बकाया हो, की कोई अविवादित राशि देय नहीं थी।

आयकर, बिक्रीकर एवं मूल्य वर्धित कर, सेवा कर के बकाया जिन्हें विवाद के कारण मार्च 31, 2020 तक जमा नहीं कराया गया, उनका विवरण निम्न प्रकार है :

विवरण	अवधि जिससे राशि संबंधित है	मंच जहां विवाद लम्बित है	मांग की गयी राशि
सेवा पर कर	2008-2009 से 2013-14	केन्द्रीय एक्साइज एवं सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल	10,68,46,634/-
आय कर अपील	नि.व. 2016–17	सी.आई.टी. (अपील)	80,84,354/-
आय कर अपील	नि.व. 2017–18	सी.आई.टी. (अपील)	2,50,51,820/-
भविष्य निधि	सितम्बर, 1998 से अक्टूबर, 2001	ईपीएफ अपीलीय प्राधिकारी	1,09,885/-

viii) हमारे मत में एवं हमें दी गयी सूचनाओ एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, किसी भी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकार या डिबेंचर धारकों को बकाया के पुनर्भुगतान में कम्पनी दोषी नहीं रही हैं।

ix) हमारी अंकेक्षण प्रक्रिया के आधार पर एवं प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर या अग्रतर पब्लिक ऑफर (ऋण प्रपत्रों सहित) द्वारा कोई धन इकट्ठा नहीं किया है या कोई अवधि ऋण नहीं लिया है।

x) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते है कि वर्ष के दौरान न तो कम्पनी द्वारा और न ही कम्पनी के साथ इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई कपट कम्पनी के ध्यान में आया या प्रकट किया गया है ।

xi) कार्पोरेट मामलात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05. 06.2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 197 सरकारी कम्पनियों पर लागू नहीं है। तद्नुसार, आदेश के खण्ड 3(xi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।

xii) कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है, अतः आदेश के खण्ड 3(xii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।

xiii) हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार संबंधित पक्षकार से सभी व्यवहार जहां भी लागू है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालना में है तथा इन व्यवहारों के, लागू लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित ब्योरे वित्तीय विवरणों में प्रकट किये गये है।

xiv) कम्पनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न ही कोई अधिमानी आवंटन किया गया है न ही किसी अंश या पूर्णतः या अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचर का प्लेसमेंट नहीं किया गया है।

xv) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास एवं हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के अनुसार, कम्पनी के निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों या निदेशकों से कोई गैर–नकद व्यवहार नहीं किया है।

xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अन्तर्गत कम्पनी को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

एच.एम. सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन : 001032सी
ह.
(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्य संख्या : 075310
यूडीआईएन: 20075310AAAACK9721

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

एच.एम. सिंघवी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

अनुलग्नक–बी (1)

(राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के सदस्यों को 31मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे समदिनांक प्रतिवेदन के भाग "अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अन्तर्गत परिच्छेद 2 में संदर्भित)

क्र.सं.	कम्पनी अधिनियम,2013 की धारा 143(5) के अधीन निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्यवाही पर अंकेक्षकों का उत्तर	प्रभाव
1	क्या कम्पनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यहारों को संसाधित करने की व्यवस्था है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ लेखों की प्रामाणिकता पर आईटी प्रणाली के अतिरिक्त लेखांकन संव्यवहारों के संसाधन के निहितार्थों का कथन किया जा सकता है।	हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों को संसाधित करने की व्यवस्था है। वित्तीय लेखांकन **(एफ आई) के लिये टेली** ईआरपी को लागू किया गया है। अंकेक्षण प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कोई भी लेखांकन संव्यवहार आईटी प्रणाली के अतिरिक्त नहीं किया गया है। तदनुसार, लेखों की प्रामाणिकता पर कोई निहितार्थ नहीं है।	शून्य
2	क्या किसी विद्यमान ऋण का कोई पुनर्गठन है या कम्पनी की ऋण के पुनर्भुगतान की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिये गये ऋण के अधित्यजन या ऋण/उधारों/ ब्याज इत्यादि के अपलेखन के मामले है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है।	अंकेक्षण प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, विद्यमान ऋण का कोई पुनर्गठन है या कम्पनी की ऋण के पुनर्भुगतान की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिये गये ऋण के अधित्यजन या ऋण/उधारों/ ब्याज इत्यादि के अपलेखन का मामला नहीं है।	शून्य
3	क्या केन्द्रीय/ राजकीय एजेन्सियों से विशिष्ट योजनाओं के लिये प्राप्त/प्राप्य धनराशि को इसके निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनायें।	अंकेक्षण प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, केन्द्रीय/ राजकीय एजेन्सियों से विशिष्ट योजनाओं के लिये प्राप्त/प्राप्य धनराशि को इसके निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग किया गया था।	शून्य

एच.एम. सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन : 001032सी
ह.
(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्य संख्या : 075310
यूडीआईएन: 20075310AAAACK9721

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

एच.एम. सिंघवी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

अनुलग्नक बी (2)

वर्ष 2019–20 के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के अंकेक्षण के मामलें में कम्पनी अधिनियम,2013 की धारा 143(5) के अधीन रिपोर्ट

क्र.सं.	उप निर्देश	अंकेक्षकों की कार्यवाही
1	क्या कम्पनी ने स्वयं की खाली पड़ी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के पर्याप्त प्रयास किये हैं। क्या कम्पनी की कोई भूमि अतिक्रमणित है, मुकदमेंबाजी के अधीन है, उपयोग में नहीं ली गयी है या अधिक घोषित की गयी है। विवरण दिया जाये।	जैसाकि प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया है कम्पनी ने स्वयं की खाली पड़ी भूमि पर अतिक्रमण/विवाद रोकने/हटाने की दिशा में पर्याप्त कदम उठाती हैं।
2	क्या कम्पनी में संविदात्मक निबंधनों के अनुसार राजस्व की वसुली के लिये प्रभावी प्रणाली विद्यमान है एवं प्रयोज्य लेखा मानकों की पालना में राजस्व को लेखा–पुस्तकों में उचित रूप से लेखाबद्ध किया जाता है।	जैसाकि की प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया है कम्पनी में संविदात्मक निबंधनों के अनुसार राजस्व की वसुली के लिये प्रभावी प्रणाली विद्यमान है एवं प्रयोज्य लेखा मानकों की पालना में राजस्व को लेखा–पुस्तकों में उचित रूप से लेखाबद्ध किया जाता है।

एच.एम. सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन : 001032सी
ह.
(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्य संख्या : 075310
यूडीआईएन: 20075310AAAACK9721

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

अनुलग्नक "सी"

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खण्ड ;पद्ध के अन्तर्गत आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (कम्पनी) की 31 मार्च, 2020 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी को उसी दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ–साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अंकेक्षण भी किया गया है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड़ एकाउन्टेन्टस संस्था (आई.सी.ए.आई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी किये गये निदेशन–पत्र में उल्लेखित आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को विचारित करते हुए कम्पनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण के स्थापित मान–दण्ड़ों के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को अधिष्ठापित करने एवं जारी रखने के लिये उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित कम्पनी की नीतियों का अनुसरण पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, कपटों व त्रुटियों का पता लगाना और उनका निवारण, लेखा अभिलेखों की पूर्णता एवं शुद्धता/यथार्थता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की यथासमय तैयारी करने को सम्मिलित करते हुए पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण जो इसके व्यापार को नियमित रूप एवं दक्षता से चलाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से सक्रिय थे की पर्याप्त रूप रेखा, कार्यान्वियन एवं अनुरक्षण सम्मिलित है।

अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारे अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण के लिये लागू होने की सीमा तक भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन विहित समझा जायेगा, निदेशन–पत्र एवं लेखा–परीक्षण के मानकों, दोनों आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण के लिये प्रयोज्य एवं, दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये, के अनुसार हमने हमारा अंकेक्षण सम्पादित किया है। इन मानकों एवं निदेशन–पत्र की अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं की पालना करे एवं अंकेक्षण को इस प्रकार से नियोजित व निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को अधिष्ठापित एवं अनुरक्षित किया गया था और ऐसे नियंत्रण सभी सारवान/तात्विक मामलों में प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे, के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सकें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं उनकी सक्रीयता की प्रभावशीलता हेतु अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया को क्रियान्वित करना हमारे अंकेक्षण में निहित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का निर्धारण करना कि सारवान अपर्याप्तता हैं, एवं परीक्षण करना, एवं निर्धारित जोखिम के आधार पर आन्तरिक नियंत्रण की सक्रिय प्रभावशीलता व रूप रेखा का मूल्यांकन करना सम्मिलित था। वित्तीय विवरणों के सारभूत मिथ्या कथन चाहे कपट के कारण या त्रुटि के कारण, के जोखिम के निर्धारण को सम्मिलित करते हुए प्रक्रिया का चयन अंकेक्षक के निर्णयन पर निर्भर करता है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति पर हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाह्य प्रयोजनार्थ वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिये तैयार किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण मे वो नितियां व कार्य प्रणालियां सम्मिलित है जो कि

(1) उन अभिलेखों के संधारण से संबंधित है जो कि कम्पनी की आस्तियों के व्ययन एवं व्यवहारों को युक्तियुक्त ब्योरे सहित, शुद्ध एवं उचित रूप से दर्शित करते है।

(2) युक्तिसंगत आश्वासन देते है कि सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिये यथा आवश्यक व्यवहारों को दर्ज किया गया है एवं प्राप्तियों व व्ययों को केवल कम्पनी के निदेशकों एवं प्रबंधन के अनुमोदन के अनुसार ही किया जाता हैं।

(3) कम्पनी की आस्तियों का अनधिकृत अर्जन, उपयोग या व्ययन जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, का यथासमय पता लगाने एवं निवारण से संबंधित युक्तिसंगत आश्वासन देवें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अन्तर्निहित परिसीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अन्तर्निहित परिसीमा साथ ही अनुपयुक्त प्रबंधन अथवा मिली भगत की संभावना के कारण, नियंत्रणों की अवहेलना, त्रुटि या कपट के कारण मिथ्या कथन हो सकते है और पता नहीं लगाये जा सकते। साथ ही, भावी अवधियों के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है क्योकि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते है, या कार्याविधि अथवा नीतियों की अनुपालना की मात्रा गिर सकती है।

अभिमत

हमारे मत में, नियंत्रण मानदण्डों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति विद्यमान है और भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा अंकेक्षण पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के जारी किये गये निदेशन–पत्र में उल्लेखित आन्तरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को विचारित करते हुये कम्पनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिये अधिष्ठापित मान–दण्डों के आधार पर ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2020 को प्रभावी रूप से सक्रिय थे।

एच.एम. सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन : 001032सी
ह.
(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्य संख्या : 075310
यूडीआईएन: 20075310AAAACK9721

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

एच.एम. सिंघवी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर अनुलग्नक– I

(31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर के लेखों पर हमारी सम दिनांक अंकेक्षण रिपोर्ट के संदर्भ में)

आक्षेप, जिनका प्रभाव लाभ हानि खाते तथा तुलन–पत्र में निर्धारित नहीं किया जा सकता है:

1. नीचे उल्लिखित निम्नलिखित सूची/सूचीयों के अन्तर्गत दर्शाये अनुसार कम्पनी के पुराने क्रेडिट शेष 5,33,36,726.50 रूपये है। ये 3 साल से अधिक की अवधि से चले आ रहे है। इस वर्ष के दौरान इनमें से किसी भी राशि का समायोजन नहीं किया गया, तथा न ही इस बात के प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए कि इनका मिलान किया गया, तथा किस तिथि को इनकी पुष्टि प्राप्त की गई थी और क्या ये संबंधित पार्टियों से पुर्नभुगतान अथवा भुगतान योग्य है। अतः हम इन मदों के लाभ तथा हानि खाते पर प्रभाव के परिणामों पर अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ है। ये है:

अन्य दीर्घावधि दायित्व	**राशि रूपयों में**
प्रतिधारण (एलटी लाइन)	417,456.00
अग्रिम राशि जमा (रेडा)	2,072,829.00
अनुदान हेतु प्राप्तियां	
अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान	
अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान (एमएनईएस)	1,367,772.00
अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान 2007	982,658.00
अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान 04–05 खाते	267,001.00
अन्य अनुदान	
वार्षिक कार्य योजना 11–12 (बीईई) अनुदान खाता	55,385.00
बीईई (प्रवर्तन मशीनरी का संस्थाकीयकरण)	7,00,000.00
एसडीए परियोजना के लिये परामर्श सेवा बीईई अनुदान	15,13,333.00
एमएनईएस जिला सलाह समिति योजना	2600000.00
स्टेच्यू सर्किल पर एसएलएस का प्रदर्शन (बीईई) अनुदान	1,686,000.00
ऊर्जा संरक्षण अनुदान 08–09 (बीईई) खाता	6,37,955.00
ऊर्जा संरक्षण अनुदान (बीईई) 09–10 अनुदान खाता	811956.00

आईजीईए बीईई अनुदान खाता	342517.00
आरईसी ढ़ाचे के लिये वित्तीय सहायता (एकबार) खाता	7,172.00
विविध अनुदान	368400.00
एमएनआरई अनुदान खाता	2,100,447.00
ए.एस.एस. 2001–02 के लिये प्रावधान	19,034.00
सोलर सिटी विकास (जोधपुर) अनुदान खाता	175,000.00
ईसीबीसी व्यवसायिकों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	176800.00
ईसीबीसी क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहायता	19,900.00
अधिसूचित पीएटी योजना पर कार्यशाला	233191.00
106.24 केडब्ल्यूपी एसपीवी ऊर्जा संयंत्र एमएनआरई अनुदान खाता	8389.00
प्रचार अनुदान खाता	1500.00
राज्य योजना अनुदान (आरईपी) खाता 12–13	5996415.00
आरवीई 11–12 (राज्य अंश) खाता	29488000.00
आरईपी अनुदान	
आरईपी (सीएसएस) 09–10 अनुदान खाता	8,67,481.00
सौर जल तापन अनुदान	
सोलर जल तपन सिस्टम सीएसएस खाता	64,472.50
एमएनआरई सेवा प्रभार प्राप्य खाता	198648.00
भारत इलेक्ट्रोनिक्स पीएमजीवाई 02–03 देय खाता	4,430.00
भेल खाता	42,464.00
तकनीकी कृषि इंजीनियरींग कॉलेज, उदयपुर	86,071.00
ऊर्जा संरक्षण बीईई 08–09 देय खाता	7,300.00
पीएमजीवाई (मासिक ऊर्जा बिल) खाता	16,750.00
	53336726.50

2. कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2011–12 में जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम को समन्वय समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बैटरियों की एक मुश्त बदली तथा डिस्कॉमों को 40 सौर ऊर्जा संयंत्र सौंपने से पूर्व उपयुक्त संचालन एंव मरम्मत लागत के लिये 1.00 करोड़ रूपये की राशि का अग्रिम एवं दौलतपुरा में 10 मेगावाट ऑफ ग्रिड संयंत्र बनाने के लिये कार्य आदेश के विरूद्ध जयपुर डिस्काम को वित्तीय वर्ष 2018–19 में 4.16 लाख रूपये का भुगतान किया। उसमें से 24.16 लाख रूपये के व्ययों के विवरण लम्बित है। डिस्कॉमों द्वारा वर्ष के दौरान किये गये व्यय का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है इसलिए लाभ एवं चालू आस्तियां पर इसके प्रभाव यदि कोई हो, के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करने में हम असमर्थ है।

3. कम्पनी के डेबिट शेष (प्राप्य अनुदान) निम्नलिखित है जो कि लम्बे समय से लम्बित है :

- अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान 2006 — 256680 रूपये
- अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान एमएनआरई 2008 — 1750842 रूपये
- 80 सफेद एलईडी डीएलएस (एमएनआरई) खाता — 120000 रूपये
- वार्षिक गतिविधि योजना (2012–13) खाता — 4600103 रूपये
- बायोमास आवासीय एएसएस प्रोग्राम 2001–02 — 79797 रूपये
- डीटीबीयू — 117360 रूपये
- सरकारी लक्ष्य प्राप्ति व्यय अनुदान 12–13 — 27800 रूपये
- आई.आर.ई.पी. सीएसएस — 3650317 रूपये
- पूर्व बोली सोलर आरपीएफ खाता — 147553 रूपये
- पुनः निवेश परिणाम–पारस्परिक बैठक (आईआरईडीए) — 489669 रूपये
- आरई राज्य योजना / एमएनआरई सीएसआई (एसपीवी प्रोजेक्ट 10–11) — 29970 रूपये
- सोलर ऑब्जर्वेट्री सीएसएस अनुदान — 27346.50 रूपये
- स्टॉफ एनर्जी कन्जर्वेशन कोष — 42277 रूपये
- एसटीबीयू (सीएसएस)28640 रूपये
- पवन संसाधन निर्धारण अनुदान (सीएसएस) खाता — 53088 रूपये
- सूचना एवं प्रचार अनुदान 12.13 खाता — 24800 रूपये
- प्रचार सोलर कूकर (सीएसएस) — 26181 रूपये
- आरवीई 11–12 (13 गांव) सीएसएस अनुदान — 61529 रूपये
- एमएनईएस अनुदान प्राप्य (डीपीआर) — 100000 रूपये
- एक दिन की पारस्परिक कार्यशाला (पीएटी) एमएनआरई — 50941 रूपये
- ऑफ ग्रिड पीआरओजी 2013–14 (1किवाघं) — 78376 रूपये
- राज्य योजना अनुदान (आरईपी) 11–12 खाता — 296334 रूपये
- प्रशिक्षण एवं जानकारी (जोनल) आरवीई 05–06 कार्यक्रम — 267 रूपये
- सोलर जल ऊष्मा प्रणाली (सेमीनार) अनुदान — 8600 रूपये
- ऊर्जा संरक्षण निधि (बीईई) 07–08 खाता — 527483 रूपये
- पुनः निवेश परिणाम–पारस्परिक बैठक (इरेडा) — 489669 रूपये

शाखा कार्यालयों के लम्बित समायोजन के पूर्ण विवरणों के अभाव में, लाभ एवं चालू आस्तियां पर इसके प्रभाव यदि कोई हो, के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करने में हम असमर्थ है।

4. कम्पनी की लेखापुस्तकों में एक विशिष्ट दिन में प्रस्तुत उनके शेष की पुष्टि करने के लिये प्रक्रिया का अनुसरण करना शुरू किया है। यद्यपि कम्पनी ने व्यापारिक प्राप्तियों, व्यापारिक देयताओं के समाधान के लिये कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है और अन्य दायित्व, ऋण एवं अग्रिम, देनदार, ग्राहकों से अग्रिम, जिनकी अन्तिम पुष्टि / समाधान हमारे प्रकटीकरण को प्रभावित कर सकते है इसलिये, अनिश्चतता निहित होने के कारण ऐसे अग्रिमों / बकायों की वसूली की सीमा के बारे में टिप्पणी करने में हम असमर्थ है।

5. कम्पनी ने निम्नलिखित अग्रिम दिये है जो लम्बे समय से समायोजन के लिये लम्बित है :

- राउन्ड टेबल कान्फ्रेन्स के लिये अग्रिम 226892 रूपये
- इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली को अग्रिम 36000 रूपये
- कार्यपालक अधिकारी नगर पालिका, भरतपुर को अग्रिम 850000 रूपये
- शिवचरण माथुर सामाजिक नीति अनुसंधान को अग्रिम 20000 रूपये
- रिसर्जेन्ट राजस्थान पाटनर्शिप समिट 2015 को अग्रिम 50000000 रूपये
- मैसर्स वेस्टास पिण्ड टेक इण्डिया प्रा.लि. को अग्रिम 1690073 रूपये
- मैसर्स उजास एनर्जी लि. (डी) 284625 रूपये
- सीपीएफ (राराविम–रेडा) 8313 रूपये
- अधिशाषी अभियन्ता (पीडब्ल्यूडी), जिला खण्ड, फलोदी को अग्रिम 2157 रूपये
- मैसर्स एक्यूरेट एडवरटाइजिंग कन्सलटेन्टस् प्रा.लि. (सी) 11426 रूपये
- राविप्रनि को अग्रिम 174746000 रूपये
- पीओ, टीएडी, उदयपुर निक्षेप कार्य खाता 65750 रूपये
- मैसर्स मणी बालाशत खाता 1500 रूपये
- मैसर्स इलयूजन रियल 9880 रूपये
- आरएसडीसी एवं सीसी लि. को अग्रिम 70000 रूपये
- मैसर्स विश विण्ड इन्फ्रा लि. जयपुर ऋणी 31200 रूपये
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर को अग्रिम 175000 रूपये
- सीएमएस एचसीएम रिपा, जयपुर को अग्रिम 20500 रूपये
- आयुक्त, भरतपुर नगरपालिका परिषद को अग्रिम 1000000 रूपये
- दिगम्बर जैन मंदिर श्री नेमीनाथ जी, अजमेर को अग्रिम 5046 रूपये
- जिला कलेक्टर, अजमेर को अग्रिम 42193 रूपये
- जिला कलेक्टर, बारां को अग्रिम 54496 रूपये
- जिला कलेक्टर, बाड़मेर को अग्रिम 26980 रूपये
- जिला कलेक्टर, बुंदी को अग्रिम 50886 रूपये
- जिला कलेक्टर, चुरू को अग्रिम 24320 रूपये
- जिला कलेक्टर, दौसा को अग्रिम 100000 रूपये
- जिला कलेक्टर, धोलपुर को अग्रिम 200000 रूपये
- जिला कलेक्टर, गंगानगर को अग्रिम 720 रूपये
- जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ को अग्रिम 50514 रूपये
- जिला कलेक्टर, झालावाड़ को अग्रिम 79539 रूपये
- जिला कलेक्टर, करौली को अग्रिम 11073 रूपये
- जिला कलेक्टर, को अग्रिम 74758 रूपये
- जिला कलेक्टर, कोटा को अग्रिम 38241 रूपये

- जिला कलेक्टर, राजसमन्द को अग्रिम 6298 रूपये
- जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर को अग्रिम 22511 रूपये
- जिला कलेक्टर, उदयपुर को अग्रिम 1686000 रूपये
- जयपुर नगर निगम को अग्रिम (एसएलएस बीईई की स्थापना) खाता 6000 रूपये
- जवाहर कला केन्द्र, जयपुर को अग्रिम 72120 रूपये
- मैसर्स आरएसटीसी, जयपुर को अग्रिम 15521 रूपये
- पीएचईडी, शहर खण्ड II (दक्षिण), जयपुर को अग्रिम खाता 35000 रूपये
- बीएसएनएल को अग्रिम खात 10000 रूपये
- बिटस, पिलानी 427127 रूपये
- अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत, पीडब्लयूडी, अजमेर को अग्रिम 175000 रूपये
- राजस्थान के इंजिनियरिंग कॉलेजों को अग्रिम 850000 रूपये
- कार्यपालक अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, भरतपुर को अग्रिम 85895 रूपये
- प्रबन्ध निदेशक, आरआईएसएल को अग्रिम 44149 रूपये
- जिला परिषद, बीकानेर (वीईएसपी–राज्य) को अग्रिम 139200 रूपये
- जिला परिषद, झालावाड़ (वीईएसपी–राज्य) को अग्रिम 155129 रूपये

लम्बित समायोजन के पूर्ण विवरणों के अभाव में, लाभ एवं चालू आस्तियां पर इसके प्रभाव यदि कोई हो, के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करने में हम असमर्थ है।

6. ऐसे किसी दायित्व का, जो कानूनी मामलों के परिणाम स्वरूप हो सकता है, कम्पनी ने प्रावधान नहीं किया है क्योंकि न तो यह निर्धारण योग्य है न ही किसी आदेश द्वारा निर्धारित है इसलिए संदिग्ध है।

7. कम्पनी ने विशिष्ट एमएनआरई योजनाओं के लिये पृथक–पृथक बैंक खातों का संधारण नहीं किया है एवं इन्हें सामूहिक बैंक खाते में लिया है इसलिये कथित विशिष्ट योजना कोष में अर्जित ब्याज का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अतः कम्पनी का लाभ इस सीमा तक अधिक कथित है।

एच.एम. सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन : 001032सी
ह.
(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्य संख्या : 075310
यूडीआईएन: 20075310AAAACK9721

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>आक्षेप</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>नीचे उल्लिखित निम्नलिखित सूची/सूचीयों के अन्तर्गत दर्शाये अनुसार कम्पनी के पुराने क्रेडिट शेष 5, 29,68,326.50 रूपये है। ये 3 साल से अधिक की अवधि से चले आ रहे है। इस वर्ष के दौरान इनमें से किसी भी राशि का समायोजन नहीं किया गया, तथा न ही इस बात के प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए कि इनका मिलान किया गया, तथा किस तिथि को इनकी पुष्टि प्राप्त की गई थी और क्या ये संबंधित पार्टियों से पुर्नभुगतान अथवा भुगतान योग्य है। अतः हम इन मदों के लाभ तथा हानि खाते पर प्रभाव के परिणामों पर अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ है। ये है:

<table>
<tr><th>अन्य दीर्घावधि दायित्व</th><th>राशि रूपयों में</th></tr>
<tr><td>प्रतिधारण (एलटी लाइन)</td><td>417,456.00</td></tr>
<tr><td>अग्रिम राशि जमा (रेडा)</td><td>2,072,829.00</td></tr>
<tr><td>अनुदान हेतु प्राप्तियां</td><td></td></tr>
<tr><td>अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान</td><td></td></tr>
<tr><td>अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान (एमएनईएस)</td><td>1,367,772.00</td></tr>
<tr><td>अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान 2007</td><td>982,658.00</td></tr>
<tr><td>अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान 04–05 खाते</td><td>267,001.00</td></tr>
<tr><td>अन्य अनुदान</td><td></td></tr>
</table></td><td>ये शेष पूर्ववर्ती रेडा अवधि में किये गये थे और वर्षों में लौटाये नहीं गये है। समायोजन/वापसी प्रासंगिक मदों की केवल निश्चितता होने पर ही हो सकेगी।

प्रतिधारण (एलटी लाइन)– मैसर्स आरईआईएल के भुगतानों में से प्रतिधारित यह राशि 10किवाट एसपीवी उर्जा संयंत्रों के तहत् है। मुद्दे का निपटान करने के लिये, मामलें की जांच की जा रही है।

प्रतिभूति निक्षेप (पीएमजीवाई–आरईआइएल)– मैसर्स आरईआईएल द्वारा स्थापित 10किवाट एसपीवी उर्जा संयंत्रों के विरूद्ध यह प्रतिभूति निक्षेप है। विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है:–
• 5 वर्षीय रखरखाव अनुबंध वाले संयंत्रों के विरूद्ध राशि– 2176506=00 रूपये
• 10 वर्षीय रखरखाव अनुबंध वाले संयंत्रों के विरूद्ध राशि– 9781809=00 रूपये
5 वर्षीय रखरखाव अनुबंध वाले संयंत्रों के प्रतिभूति निक्षेप के मोचन के लिये कार्यवाही की जा रही है एवं 10 वर्षीय रखरखाव अनुबंध वाले संयंत्रों के प्रतिभूति निक्षेप का मोचन 10 वर्ष के रखरखाव के अनुबंध की अवधि पूर्ण हो जाने पर किया जायेगा।</td></tr>
</table>

	वार्षिक कार्य योजना 11–12 (बीईई) अनुदान खाता	55,385.00		*अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान (एमएनईएस)–* अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एमएनआरई को भेज दिया गया है। *अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान 04–05 खाते–* 271501 रूपये के पुनर्भरण के लिये अंकेक्षित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एमएनआरई को भेज दिया गया है। एमएनआरई को स्मरण–पत्र जारी कर दिया गया है। *स्टेच्यू सर्किल पर एसएलएस का प्रदर्शन (बीईई) अनुदान–* परियोजना के निष्पादन के लिये जयपुर नगर निगम को 50 प्रतिशत राशि अर्थात् 1686000=00 रूपये का अग्रिम दिया गया था परन्तु यह निष्पादित नहीं किया गया था। कई स्मरणा–पत्रों के बावजूद भी, जयपुर नगर निगम ने न तो राशि वापिस की और न ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया है। तथापि बचे हुये शेषों के लिये, प्रबंधन एक अभियान के अधिन इन शेषों के समाधान/समायोजन के लिये अथक प्रयास कर रहा है और चालू वित्तीय वर्ष में इन शेषों के लिये तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये हम प्रतिबद्ध है।
	बीईई (प्रवर्तन मशीनरी का संस्थाकीयकरण)	7,00,000.00		
	एसडीए परियोजना के लिये पारमर्श सेवा बीईई अनुदान	15,13,333.00		
	एमएनईएस जिला सलाह समिति योजना	2600000.00		
	स्टेच्यू सर्किल पर एसएलएस का प्रदर्शन (बीईई) अनुदान	1,686,000.00		
	ऊर्जा संरक्षण अनुदान 08–09 (बीईई) खाता	6,37,955.00		
	ऊर्जा संरक्षण अनुदान (बीईई) 09–10 अनुदान खाता	811956.00		
	आईजीईए बीईई अनुदान खाता	342517.00		
	आरईसी ढाचे के लिये वित्तीय सहायता (एकबार) खाता	7,172.00		
	विविध अनुदाने	368400.00		
	एमएनआरई अनुदान खाता	2,100,447.00		
	ए.एस.एस. 2001–02 के लिये प्रावधान	19,034.00		
	सोलर सिटी विकास (जोधपुर) अनुदान खाता	175,000.00		
	ईसीबीसी व्यवसायिकों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	176800.00		
	ईसीबीसी क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहायता	19,900.00		
	अधिसूचित पीएटी योजना पर कार्यशाला	233191.00		
	106.24 केडब्ल्यूपी एसपीवी ऊर्जा संयंत्र एमएनआरई अनुदान खाता	8389.00		

	प्रचार अनुदान खाता	1500.00	
	राज्य योजना अनुदान (आरईपी) खाता 12–13	5996415.00	
	आरवीई 11–12 (राज्य अंश) खाता	29488000.00	
	आरईपी अनुदान		
	आरईपी (सीएसएस) 09–10 अनुदान खाता	8,67,481.00	
	सौर जल तापन अनुदान		
	सोलर जल तपन सिस्टम सीएसएस खाता	64,472.50	
	एमएनआरई सेवा प्रभार प्राप्य खाता	198648.00	
	भारत इलेक्ट्रोनिक्स पीएमजीवाई 02–03 देय खाता	4,430.00	
	भेल खाता	42,464.00	
	तकनीकी कृषि इंजीनियरींग कॉलेज, उदयपुर	86,071.00	
	ऊर्जा संरक्षण बीईई 08–09 देय खाता	7,300.00	
	पीएमजीवाई (मासिक ऊर्जा बिल) खाता	16,750.00	
		53336726.50	
2	कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2011–12 में जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम को समन्वय समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बैटरियों की एक मुश्त बदली तथा डिस्कॉमों को 40 सौर ऊर्जा संयंत्र सौंपने से पूर्व उपयुक्त संचालन एंव मरम्मत लागत के लिये 1.00 करोड़ रूपये की राशि का अग्रिम एवं दौलतपुरा में 10 मेगावाट ऑफ ग्रिड संयंत्र बनाने के लिये कार्य आदेश के विरूद्ध जयपुर डिस्काम को वित्तीय वर्ष 2018–19 में 416 लाख रूपये का भुगतान किया । उसमें से 24.16 लाख रूपये के व्ययों के विवरण लम्बित है। डिस्कॉमों द्वारा वर्ष के दौरान किये गये व्यय का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है *इसलिए लाभ एवं चालू आस्तियां*		आक्षेप के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि डिस्कोमों को 1 करोड़ रूपये के दिये गये अग्रिम में से 80 लाख रूपये (एवीवीएनएल से 35 लाख रूपये एवं जेडीवीवीएनएल से 45 लाख रूपये) पहले ही प्राप्त हो गये है, तथापि जेडीवीवीएनएल से 10 लाख रूपय एवं जेवीवीएनएल से 14.50 लाख रूपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित है जिसके लिये प्रबंधन द्वारा आवश्यक प्रयास किया जा रहे है और प्रबंधन लम्बित

	पर इसके प्रभाव यदि कोई हो, के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करने में हम असमर्थ है।	शेषों के समायोजन के लिये प्रतिबद्ध है।
3	कम्पनी के डेबिट शेष (प्राप्य अनुदान) निम्नलिखित है जो कि लम्बे समय से लम्बित है : • अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान 2006 — 256680 रूपये • अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान एमएनआरई 2008 — 1750842 रूपये • 80 सफेद एलईडी डीएलएस (एमएनआरई) खाता — 120000 रूपये • वार्षिक गतिविधि योजना (2012—13) खाता — 4600103 रूपये • बायोमास आवासीय एएसएस प्रोग्राम 2001—02 — 79797 रूपये • डीटीबीयू — 117360 रूपये • सरकारी लक्ष्य प्राप्ति व्यय अनुदान 12—13 — 27800 रूपये • आई.आर.ई.पी. सीएसएस — 3650317 रूपये • पूर्व बोली सोलर आरपीएफ खाता — 147553 रूपये • पुनः निवेश परिणाम—पारस्परिक बैठक (आईआरईडीए) — 489669 रूपये • आरई राज्य योजना / एमएनआरई सीएसआई (एसपीवी प्रोजेक्ट 10—11) — 29970 रूपये • सोलर ऑब्जर्वेट्री सीएसएस अनुदान — 27346.50 रूपये • स्टॉफ एनर्जी कन्जर्वेशन कोष — 42277 रूपये • एसटीबीयू (सीएसएस) — 28640 रूपये • पवन संसाधन निर्धारण अनुदान (सीएसएस) खाता — 53088 रूपये • सूचना एवं प्रचार अनुदान 12.13 खाता — 24800 रूपये • प्रचार सोलर कूकर (सीएसएस) — 26181 रूपये • आरवीई 11—12 (13 गांव) सीएसएस अनुदान — 61529 रूपये • एमएनईएस अनुदान प्राप्य (डीपीआर) — 100000 रूपये • एक दिन की पारस्परिक कार्यशाला (पीएटी) — 50941 रूपये	

	एमएनआरई • ऑफ ग्रिड पीआरओजी 2013–14 (1किवाघं) 78376 रूपये • राज्य योजना अनुदान (आरईपी) 11–12 खाता 296334 रूपये • प्रशिक्षण एवं जानकारी (जोनल) आरवीई 05–06 कार्यक्रम 267 रूपये • सोलर जल ऊष्मा प्रणाली (सेमीनार) अनुदान 8600 रूपये • ऊर्जा संरक्षण निधि (बीईई) 07–08 खाता 527483 रूपये • पुनः निवेश परिणाम–पारस्परिक बैठक (इरेडा) 489669 रूपये शाखा कार्यालयों के लम्बित समायोजन केपूर्ण विवरणों के अभाव में, *लाभ एवं चालू आस्तियां पर इसके प्रभाव यदि कोई हो, के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करने में हम असमर्थ है।*	
4	कम्पनी की लेखापुस्तकों में एक विशिष्ट दिन में प्रस्तुत उनके शेष की पुष्टि करने के लिये प्रक्रिया का अनुसरण करना शुरू किया है। यद्यपि कम्पनी ने व्यापारिक प्राप्तियों, व्यापारिक देयताओं के समाधान के लिये कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है और अन्य दायित्व, ऋण एवं अग्रिम, देनदार, ग्राहकों से अग्रिम, जिनकी अन्तिम पुष्टि/समाधान हमारे प्रकटीकरण को प्रभावित कर सकते है *इसलिये, अनिश्चत्तता निहित होने के कारण ऐसे अग्रिमों/बकायों की वसूली की सीमा के बारे में टिप्पणी करने में हम असमर्थ है।*	आरआरईसीएल ने पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन करना शुरू कर दिया है एवं उन पक्षकारों जिनके शेष 31 मार्च, 2020 के पश्चात् लम्बित है, को पत्र भेज दिये है। इस संबंध में यह प्रस्तुत है कि अभी तक इन पक्षकारों से कोई प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है और यह भी प्रस्तुत है कि कम्पनी ने डिस्कोमों को बैची गयी विद्युत के शेष का नियमित अन्तराल पर मिलान करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ग्राहकों से अग्रिम के संबंध में यह प्रस्तुत है कि आरआरईसीएल के पास ग्राहकों की कोई अग्रिम धन राशि नहीं है तथापि, व्यापारिक देय एवं देनदारों को पहले से पुष्टि के लिये पत्र भेज दिये है। इसलिये, ऐसे शेषों की वसूली में कोई अनिश्चितता अन्तर्निहित नहीं है।
5	कम्पनी ने निम्नलिखित अग्रिम दिये है जो लम्बे समय से समायोजन के लिये लम्बित है :	संबंधित अनुभाग कोउ पयोगिता प्रमाण–पत्र को लेने

	• राउन्ड टेबल कान्फ्रेन्स के लिये अग्रिम	226892 रूपये	के लिये आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये है। आरआरईसीएल चालू वर्ष में शेषों के समायाजना के लिये प्रतिबद्ध है।
	• इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली को अग्रिम	36000 रूपये	
	• कार्यपालक अधिकारी नगर पालिका, भरतपुर को अग्रिम	850000 रूपये	
	• शिवचरण माथुर सामाजिक नीति अनुसंधान को अग्रिम	20000 रूपये	
	• रिसर्जेन्ट राजस्थान पाटनर्शिप समिट 2015 को अग्रिम	50000000 रूपये	
	• मैसर्स वेस्टास पिण्ड टेक इण्डिया प्रा.लि. को अग्रिम	1690073 रूपये	
	• मैसर्स उजास एनर्जी लि. (डी)	284625 रूपये	
	• सीपीएफ (राराविम–रेडा)	8313 रूपये	
	• अधिशाषी अभियन्ता (पीडब्ल्यूडी), जिला खण्ड, फलोदी को अग्रिम	2157 रूपये	
	• मैसर्स एक्यूरेट एडवरटाइजिंग कन्सलटेन्टस् प्रा.लि. (सी)	11426 रूपये	
	• राविप्रनि को अग्रिम	174746000 रूपये	
	• पीओ, टीएडी, उदयपुर निक्षेप कार्य खाता	65750 रूपये	
	• मैसर्स मणी बालाशत खाता	1500 रूपये	
	• मैसर्स इलयूजन रियल	9880 रूपये	
	• आरएसडीसी एवं सीसी लि. को अग्रिम	70000 रूपये	
	• मैसर्स विश विण्ड इन्फ्रा लि. जयपुर ऋणी	31200 रूपये	
	• मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर को अग्रिम	175000 रूपये	
	• सीएमएस एचसीएम रिपा, जयपुर को अग्रिम	20500 रूपये	
	• आयुक्त, भरतपुर नगरपालिका परिषद को अग्रिम	1000000 रूपये	

• दिगम्बर जैन मंदिर श्री नेमीनाथ जी, अजमेर को अग्रिम	5046 रूपये
• जिला कलेक्टर, अजमेर को अग्रिम	42193 रूपये
• जिला कलेक्टर, बारां को अग्रिम	54496 रूपये
• जिला कलेक्टर, बाड़मेर को अग्रिम	26980 रूपये
• जिला कलेक्टर, बुंदी को अग्रिम	50886 रूपये
• जिला कलेक्टर, चुरू को अग्रिम	24320 रूपये
• जिला कलेक्टर, दौसा को अग्रिम	100000 रूपये
• जिला कलेक्टर, धोलपुर को अग्रिम	200000 रूपये
• जिला कलेक्टर, गंगानगर को अग्रिम	720 रूपये
• जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ को अग्रिम	50514 रूपये
• जिला कलेक्टर, झालावाड़ को अग्रिम	79539 रूपये
• जिला कलेक्टर, करौली को अग्रिम	11073 रूपये
• जिला कलेक्टर, को अग्रिम	74758 रूपये
• जिला कलेक्टर, कोटा को अग्रिम	38241 रूपये
• जिला कलेक्टर, राजसमन्द को अग्रिम	6298 रूपये
• जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर को अग्रिम	22511 रूपये
• जिला कलेक्टर, उदयपुर को अग्रिम	1686000 रूपये
• जयपुर नगर निगम को अग्रिम (एसएलएस बीईई की स्थापना) खाता	6000 रूपये
• जवाहर कला केन्द्र, जयपुर को अग्रिम	72120 रूपये
• मैसर्स आरएसटीसी, जयपुर को अग्रिम	15521 रूपये
• पीएचईडी, शहर खण्ड II (दक्षिण), जयपुर को अग्रिम खाता	35000 रूपये
• बीएसएनएल को अग्रिम खात	10000 रूपये
• बिटस, पिलानी	427127 रूपये
• अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत, पीडब्लयूडी, अजमेर को अग्रिम	175000 रूपये

	• राजस्थान के इंजिनियरिंग कॉलेजों को अग्रिम 850000 रूपये • कार्यपालक अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, भरतपुर को अग्रिम 85895 रूपये • प्रबन्ध निदेशक, आरआईएसएल को अग्रिम 44149 रूपये • जिला परिषद, बीकानेर (वीईएसपी–राज्य) को अग्रिम 139200 रूपये • जिला परिषद, झालावाड़ (वीईएसपी–राज्य) को अग्रिम 155129 रूपये लम्बित समायोजन के पूर्ण विवरणों के अभाव में, *लाभ एवं चालू आस्तियां पर इसके प्रभाव यदि कोई हो, के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करने में हम असमर्थ है।*	
6	ऐसे किसी दायित्व का, जो कानूनी मामलों के परिणाम स्वरूप हो सकता है, कम्पनी ने प्रावधान नहीं किया है क्योंकि न तो यह निर्धारण योग्य है न ही किसी आदेश द्वारा निर्धारित है इसलिए संदिग्ध है।	सभी मामले निर्णयाधीन है एवं उपयुक्त स्तर पर अपील दायर की गयी है। कम्पनी उल्लेख करना चाहेगी कि ये मांगे निरन्तर नहीं रहेगी, क्योंकि कम्पनी पहले से ही अपीलीय प्राधिकारी जैसे कि सीआईटी(ए) एवं आईटीएटी से विभिन्न मामलों में अनुतोष प्राप्त कर चुकी है एवं कम्पनी ने इस संबंध में उचित प्रकटीकरण किया है।
7	कम्पनी ने विशिष्ट एमएनआरई योजनाओं के लिये पृथक–पृथक बैंक खातों का संधारण नहीं किया है एवं इन्हेंसामूहिक बैंक खाते में लिया है इसलिये कथित विशिष्ट योजना कोष में अर्जित ब्याज का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अतः कम्पनी का लाभ इस सीमा तक अधिक कथित है।	इस संबंध में, यह प्रस्तुत है कि प्रत्येक और हर योजना का उपयोगिता प्रमाण–पत्र आरआरईसीएल द्वारा एमएनआरई को भेज दिया गया है एवं वर्तमान में एमएनआरई को प्रस्तुत करने के लिये कोई उपयोगिता प्रमाण–पत्र लम्बित नहीं है।आगे यह भी प्रस्तुत है कि एमएनआरई द्वारा यदि कोई ब्याज की मांग की जाती है तो आरआरईसीएल द्वारा उसके पश्चात् ऐसी विशेष योजना पर अर्जित ब्याज की मात्रा निर्धारित करने के पश्चात् अपेक्षित लेखों में प्रभावित किया जायेगा। अतः कम्पनी का लाभ अधिक कथित नहीं है।

सी.ए.डब्ल्यू–I / वा.ले. / आरआरईसी / 2019–20 / के–21 / पृ–1240

संख्या/NO.

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान
जनपथ, जयपुर-302 005

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-II) RAJASTHAN
JANPATH, JAIPUR-302 005

दिनांक/Date 18.12.2020

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड,
ई–166 युधिष्ठिर मार्ग,
जयपुर 302001

विषय : राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2019–20 के एकल एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मुझे कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6) के अंतर्गत कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर के एकल वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6)(b) के अधीन एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6)(b) सपठित धारा 129(4) के अधीन शून्य टिप्पणी प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त अवधि के वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सात प्रतियां, जैसी कि साधारण सभा में रखी जावें तथा स्वीकृत की जावें, कृपया इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय,

ओंकार

संलग्न : उपरोक्तानुसार

उपमहालेखाकार
(लेखा परीक्षा प्रबंधन समूह –I)

Phone : 0141-2385431-39 • Fax : 91-141-2385230 • E-mail : agauRajasthan2@cag.gov.in

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत विर्निदिष्ट वित्तीय प्रतिवेदन ढ़ाचे के अनुरूप तैयार करना कम्पनी प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक अंकेक्षक/अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखांकन के मानकों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत स्वतंत्र अंकेक्षक के आधार पर प्रकट करना है। यह उनके अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 19 नवम्बर, 2020 द्वारा किया जाना व्यक्त किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निमित कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6)(ए) के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जयपुर के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेक्षण किया है। इस अनुपूरक अंकेक्षण को स्वतंत्रतापूर्वक वैधानिक अंकेक्षकों के कार्य दस्तावेजों के बिना अभिगमन् किये, निष्पादित किया है तथा मुख्यतः वैधानिक अंकेक्षकों की जाचं एवं कम्पनी कार्मिक व कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरे द्वारा किये गये अनुपूरक अंकेक्षण के आधार पर ऐसा कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य मेरे ध्यान में नहीं आया जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत कोई टिप्पणियां वैधानिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट में जोड़ बंध हो।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के लिए
एवं निमित्त
ह.
(अतूर्वा सिन्हा)
महालेखाकार
(लेखा परीक्षण–II)
राजस्थान, जयपुर।

स्थान – जयपुर
दिनांक –18.12.2020

31 मार्च, 2020 को तुलन–पत्र

सीआईएन:U40101RJ1995SGC009847

(राशि रूपयों में)

विवरण			देखें टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2020 को समाप्त चालू प्रतिवेदित अवधि के अन्त के आंकडें	31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू प्रतिवेदित अवधि के अन्त के आंकडें
1			2		
I.	साम्या एवं दायित्व				
1	अंशधारकों की निधियां				
	(ए)	अंशपूंजी	2	129,410,780	129,410,780
	(बी)	संचितियाँ एवं अतिरिक्त	3	1,959,517,889	1,725,895,387
	(सी)	शेयर वारंट के तहत् प्राप्त धन राशि			
2	शेयर आवेदन धन राशि लम्बित आवंटन				
3	गैर–चालू दायित्व				
	(ए)	दीर्घावधि उधार राशिया	4		-
	(बी)	आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	5	120,410,116	153,103,151
	(सी)	अन्य दीर्घावधि दायित्व	6	1,732,482,607	1,585,660,946
	(डी)	दीर्घावधि प्रावधान			
4	चालू दायित्व				
	(ए)	अल्पावधि उधार राशियां			
	(बी)	व्यापारिक देयतायें	7		
		एम.एस.एम.ई.			
		एम.एस.एम.ई. के अतिरिक्त		132,078,833	128,771,996
	(सी)	अन्य चालू दायित्व	8	937,221,277	1,162,525,461
	(डी)	अल्पावधि प्रावधान	9	211,361,551	216,300,628
		योग		5,222,483,053	5,101,668,349
II	आस्तियां				
	गैर–चालू आस्तियां				
1	(ए)	स्थिर आस्तियां			
		(i) मूर्त आस्तियां	10	540,855,659	653,281,434
		(ii) अमूर्त आस्तियां		897,325	-

	(iii) प्रगतिरत पूंजी कार्य		-	-
	(iv) विकासाधीन अमूर्त आस्तियां			
	(बी) गैर–चालू निवेश	11	500,000	500,000
	(सी) आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)			
	(डी) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	12	2,059,590	2,059,590
	(ई) अन्य गैर–चालू आस्तियां	13	1,696,001	1,696,001
2	**चालू आस्तियां**			
	(ए) चालू निवेश			
	(बी) इन्वेन्ट्रीयां			
	(सी) व्यापारिक प्राप्तियां	14	427,090,173	284,917,580
	(डी) नकद एवं नकद समतुल्य	15	3,394,566,688	2,861,103,779
	(ई) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	16	466,846,828	309,182,067
	(एफ) अन्य चालू आस्तियां	17	387,970,789	988,927,898
	योग		**5,222,483,053**	**5,101,668,349**
	महत्वपूर्ण लेखां नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां	1	-	-

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
एच.एम.सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्डर्ट एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001032सी
ह.
(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 075310

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त
ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.
के. सी. कुमावत
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

ह.
गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8244

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण

(राशि रूपयों में)

	विवरण	देखें टिप्पणी संख्या	1 अप्रेल, 2019 से 31 मार्च, 2020	1 अप्रेल, 2018 से 31 मार्च, 2019
I.	संचालन से राजस्व	18	1,100,671,981	1,027,934,734
II.	अन्य आय	19	249,574,157	239,128,379
III.	**कुल राजस्व (I+II)**		**1,350,246,138**	**1,267,063,114**
IV.	व्ययः			
	उपभोगित सामग्रियों की लागत			
	व्यापारिक स्कन्ध (ऊर्जा) का क्रय	20	752,581,574	755,340,735
	निर्मित माल, प्रगतिरत कार्य एवं व्यापारिक स्कन्ध की इन्वेन्ट्रीयों में परिवर्तन			
	कर्मचारी हित लाभ व्यय	21	93,548,113	96,957,221
	वित्त लागतें	22	-	5,250,279
	मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	10	117,245,638	117,758,388
	अन्य व्यय	23	67,484,592	69,852,856
	कुल व्यय		**1,030,859,918**	**1,045,159,479**
V.	**अपवादात्मक एवं असाधारण मदों एवं कर के पूर्व लाभ (III-IV)**		**319,386,220**	**221,903,634**
VI.	अपवादात्मक मदें	24	9,200,000	20,000,000
VII.	**असाधारण मदों एवं कर के पूर्व लाभ (V-VI-VIA)**			
VIII.	असाधारण मदें		**310,186,220**	**201,903,634**
IX.	**कर पूर्व लाभ (VII- VIII)**		**310,186,220**	**201,903,634**
X	कर व्ययः			
	(1) चालू कर	25	108,000,000	85,000,000
	(2) पूर्ववर्ती वर्षों के लिये संक्षिप्त प्रावधान		1,256,753	193,455
	(3) आस्थगित कर	26	(32,693,036)	(54,936,646)
XI	**निरन्तर संचालनों से अवधि हेतु लाभ(हानि) (IX-X)**		**233,622,503**	**171,646,825**
XII	अनिरन्तर संचालनों से लाभ / (हानि)			
XIII	अनिरन्तर संचालनों के कर व्यय			
XIV	**अनिरन्तर संचालनों से लाभ / (हानि) (कर पश्चात्) (XII-XIII)**			

XV	अवधि हेतु लाभ(हानि) (XI + XIV)		**233,622,503**	**171,646,825**
XVI	प्रति साम्या अंश उपार्जन	27		
	(1) मूल		18.05	13.26
	(2) मन्दित		18.05	13.26
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणी	1		

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
एच.एम.सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्डर्ट एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001032सी
ह.
(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 075310

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त
ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.
के. सी. कुमावत
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

ह.
गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8244

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जयपुर

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(राशि रूपयों में)

	विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
टिप्पणी 2	अंशपूंजी				
	(ए) प्राधिकृत				
	प्रत्येक 10 रूपये मूल्य के साम्या अंश	14,000,000	140,000,000	14,000,000	140,000,000
	प्रत्येक 100 रूपये मूल्य के संचयी पूर्वाधिकार अंश	200,000	20,000,000	200,000	20,000,000
		14,200,000	**160,000,000**	**14,200,000**	**160,000,000**
	(बी) निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त				
	प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त 10 रूपये मूल्य के साम्या अंश	12,941,078	129,410,780	12,941,078	129,410,780
		12,941,078	**129,410,780**	**12,941,078**	**129,410,780**

(ए) वर्ष के प्रारम्भ में एवं अन्त में बकाया अंशों का समाधान

साम्या अंश	31 मार्च, 2020 को अंशों की संख्या	31 मार्च, 2020 को राशि	31 मार्च, 2019 को अंशों की संख्या	31 मार्च, 2019 को राशि
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया	12,941,078	129,410,780	12,941,078	129,410,780
वर्ष के दौरान निर्गमित	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापिस क्रय किये गये	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया	**12,941,078**	**129,410,780**	**12,941,078**	**129,410,780**

(बी) कम्पनी में 5 प्रतिशत अंशों से अधिक धारण करने वाले अंशधारक

प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त 10 रूपये मूल्य के साम्या अंश	31 मार्च, 2020 को धारित अंशों की संख्या	31 मार्च, 2020 को धारण का प्रतिशत	31 मार्च, 2019 को धारित अंशों की संख्या	31 मार्च, 2019 को धारण का प्रतिशत
महामहिम राज्यपाल, राजस्थान	12,941,071	**99.9999**	12,941,071	**99.9999**
	12,941,071	**99.9999**	**12,941,071**	**99.9999**

(सी) कम्पनी ने 10 रूपये प्रति अंश के सम मूल्य वाले एक ही श्रेणी के साम्या अंश निर्गमित किये हैं। प्रत्येक अंशधारक प्रति अंश धारिता पर एक मतदान के लिये योग्य है।

यदि संचालक मंडल द्वारा लाभांश, अन्तरिम लाभांश को छोड़कर, प्रस्तावित किया जाता है तो यह अंशधारियों द्वारा आगामी वार्षिक साधारण सभा में स्वीकृति के अध्यधीन है।

समापन होने की दशा में, समता अंशधारी सभी पूर्वाधिकार राशियों का वितरण होने के बाद कम्पनी की शेष सम्पत्तियां अपनी अंशधारिता के अनुपात में प्राप्त करने के योग्य होंगे।

(डी) कम्पनी की कोई नियंत्री कम्पनी नहीं है।

(ई) कम्पनी ने संकलित मात्रा में तथा बिना नकद भुगतान प्राप्त किये, जैसे बोनस अंश आवंटित नहीं किये हैं तथा 31 मार्च, 2020 तक की दिनांक से पूर्व के 5 वर्ष तक कोई अंश वापस क्रय नहीं किये है।

(राशि रुपयों में)

		विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
टिप्पणी	3	**संचितियाँ एवं अतिरिक्त**		
	ए.	**पूंजी संचय**		
		वर्ष के प्रारम्भ में शेष	3,518,038	3,518,038
		जोड़िये/घटाइये: वर्ष के दौरान		
		वर्ष के अन्त मे शेष	**3,518,038**	**3,518,038**
	बी.	**अन्य संचय (सामान्य संचय)**		
		वर्ष के प्रारम्भ में शेष	3,959,051	3,959,051
		जोड़िये/घटाइये: वर्ष के दौरान	-	-
		वर्ष के अन्त मे शेष	**3,959,051**	**3,959,051**
	सी.	**अतिरेक**		
		वर्ष के प्रारम्भ में शेष	1,718,418,298	1,562,372,627
		जोड़िये/घटाइये: वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	**233,622,503**	**171,646,825**
		विनियोजन के लिये उपलब्ध लाभ	**1,952,040,800**	**1,734,019,452**
		विनियोजन :		
		अन्तरिम लाभांश*	-	12,941,078
		अन्तरिम लाभांश पर निगम लाभांश कर	-	2,660,077
			-	15,601,155
		वर्ष के अन्त में शेष	**1,952,040,800**	**1,718,418,298**
		कुल योग (ए+बी+सी)	**1,959,517,889**	**1,725,895,387**

		विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
टिप्पणी	4	दीर्घावधि उधार राशियां		
	ए	सुरक्षित ऋण		
	ए.i	सावधि ऋण		
		बैंकों से		शून्य
	ए.ii	वित्तीय पट्टा प्रतिबद्धताओ की दीर्घावधि परिपक्वतायें		
		योग (ए)	-	-
	बी	असुरक्षित ऋण		
	बी.i	सावधि ऋण		शून्य
		अन्य पक्षकारों से		
		योग (बी)	-	-
		कुल योग (ए+बी)	-	-
टिप्पणी	5	आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)		
	ए	मूल्य ह्रास व्यय		
		प्रारम्भिक शेष	153,103,151	208,039,798
		जोडिये: चालू वर्ष के दायित्व		-
		घटाइये: चालू वर्ष की आस्तियां	(32,693,036)	(54,936,646)
		अन्तिम शेष (ए)	**120,410,116**	**153,103,151**
	बी	परिशोधन व्यय		
		प्रारम्भिक शेष		
		जोडिये: चालू वर्ष के दायित्व		
		घटाइये: चालू वर्ष की आस्तियां		
		अन्तिम शेष (बी)		
		योग (ए+बी)	**120,410,116**	**153,103,151**
		आस्थगित कर दायित्व–शुद्ध	120,410,116	153,103,151
टिप्पणी	6	अन्य दीर्घावधि दायित्व		
		अन्य		
	ए	अग्रिम धन राशि निक्षेप	2,882,829	4,007,829
	बी	प्रतिभूति निक्षेप	628,021,636	501,671,544
	सी	अन्य	1,101,578,142	1,079,981,573
			1,732,482,607	**1,585,660,946**
टिप्पणी	7	व्यापारिक देयतायें		
	ए	संचालन एवं रख–रखाव देयतायें	56,556,066	34,128,054
	बी	विद्युत क्रय के लिये देयतायें	66,930,076	69,095,777
	सी	अन्य देयतायें–व्यय	8,592,692	25,548,165
			132,078,833	**128,771,996**
टिप्पणी	8	अन्य चालू दायित्व		
	ए	दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वतायें		
		योग (ए)	-	-
	बी	वित्तीय पट्टा प्रतिबद्धताओं की चालू परिपक्वतायें		
		योग (बी)	-	-

सी	उधार राशियों पर ब्याज उपार्जित परन्तु देय नहीं		
	आपूर्तिकर्त्ता क्रेडिट (फलोदी) देयता खातें पर ब्याज	2,197,104	2,197,104
	योग (सी)	**2,197,104**	**2,197,104**
डी	अन्य देयतायें		
ए.	अग्रिम धन राशि निक्षेप	92,705,899	2,032,899
बी.	प्रतिभूति निक्षेप	172,100,243	298,934,286
सी.	अनुदान हेतु प्राप्तियां	305,290,579	713,871,700
डी.	कर्मचारीवृन्द एवं निधियों की अन्य देयतायें	364,927,454	145,489,472
	योग (डी)	**935,024,173**	**1,160,328,357**
	कुल योग	**937,221,277**	**1,162,525,461**

टिप्पणी	9	अल्पावधि प्रावधान		
		अन्य		
	ए	कर्मचारी हितलाभ के लिये प्रावधान	2,434,745	821,202
	बी	अन्य को देय अंशदान	3,373,060	3,480,527
	सी	देय वैधानिक दायित्व	26,823,634	14,232,891
	डी	आय कर हेतु प्रावधान	108,000,000	85,000,000
	ई	अन्य प्रावधान–व्यय	70,730,112	112,766,008
			211,361,551	**216,300,628**

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को तुलन–पत्र की टिप्पणियां एवं इसका अभिन्न अंग
टिप्पणी संख्या 10
स्थिर आस्तियों की अनुसूची

(राशि रूपयों में) (राशि रूपयों में)

विवरण	सकल समूह					मूल्यह्रास एवं परिशोधन				शुद्ध समूह	
	प्रारम्भिक शेष	अभिवृद्धियां	कटौतियां/निवृत्ति	अन्य समायोजन	अन्तिम शेष	प्रारम्भिक शेष	मूल्यह्रास प्रभार	अन्य समायोजन	अन्तिम शेष	अन्तिम शेष	प्रारम्भिक शेष
मूर्त आस्तियां											
पूर्ण स्वामित्व भूमि	24,038,381	-		-	24,038,381	-	-	-	-	24,038,381	24,038,381
पट्टाधृत भूमि	5,057,581	-	-		5,057,581	3,218,289	189,450	-	3,407,739	1,649,842	1,839,292
भवन (पूर्ण स्वामित्व)	60,530,986	-			60,530,986	25,512,328	2,601,683	-	28,114,011	32,416,975	35,018,658
संयंत्र एवं उपकरण	2,172,946,100	-	-		2,172,946,100	1,585,181,360	113,245,646		1,698,427,006	474,519,095	587,764,740
वाहन (पूर्ण स्वामित्व)	3,242,310	4,262,633			7,504,943	2,705,409	411,632	-	3,117,041	4,387,902	536,901
अस्थायी संरचना (गार्ड रूम)	39,500	-			39,500	2,056	12,508		14,564	24,936	37,444
फर्नीचर एवं फिक्सचर (पूर्ण स्वामित्व)	8,025,341	-			8,025,341	5,397,006	604,820	-	6,001,826	2,023,515	2,628,335
कार्यालय उपकरण	12,219,935	525,305	-	-	12,745,240	11,110,472	137,085		11,247,556	1,497,684	1,109,463
योग	**2,286,100,134**	**4,787,938**	**-**	**-**	**2,290,888,072**	**1,633,126,920**	**117,202,823**	**-**	**1,750,329,743**	**540,558,329**	**652,973,214**
परिसीमा दीवार	330,000	-	-		330,000	21,780	10,890	-	32,670	297,330	308,220
योग	**330,000**	**-**	**-**	**-**	**330,000**	**21,780**	**10,890**	**-**	**32,670**	**297,330**	**308,220**
कुल योग	**2,286,430,134**	**4,787,938**	**-**	**-**	**2,291,218,072**	**1,633,148,700**	**117,213,713**	**-**	**1,750,362,413**	**540,855,659**	**653,281,434**
अमूर्त आस्तिया विज्ञापन के लिये डिस्क	-	929,250.00	-	-	929,250	-	31,925	-	31,925	897,325	-

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.	ह.
के. सी. कुमावत	**गजल सक्सेना**
निदेशक (वित्त) एवं	**कम्पनी सचिव**
मुख्य वित्त अधिकारी	सदस्यता सं. एफ8244

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को तुलन–पत्र की टिप्पणियां एवं इसका अभिन्न अंग

टिप्पणी 11

गैर–चालू निवेश

(राशि रूपयों में)

विवरण	निम्न वर्ष को शेष		निकाय का नाम	सहायक/ सहबद्ध निगम/ संयुक्त उद्यम/ नियंत्रित सत्ता/ अन्य	अंकित मूल्य	अंशों/इकाइयों की संख्या		अंशतः प्रदत्त/ पूर्ण प्रदत्त	धारिता की सीमा (%)	क्या लागत पर कथित	यदि लागत के अतिरिक्त मूल्यांकित है तो मूल्यांकन का आधार निर्दिष्ट करे	
	2019-20	2018-19				2019-20	2018-19			हाँ/ नहीं	2019-20	2018-19
अन्य निवेश												
इक्विटी लेख–पत्रो में निवेश	500,000.00	500,000.00	राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी	सहायक	500,000.00	50,000	50,000	पूर्ण प्रदत्त	100%	हाँ		लागू नहीं
अनुद्धृत निवेशो का समुच्चय (ए)	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-		-
उद्धृत निवेशो का समुच्चय (बी)	शून्य	शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-		-
कुल योग (ए+बी)	500,000.00	500,000.00			500,000.00	50,000	50,000					

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(राशि रुपयों में)

		विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
टिप्पणी	12	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		
		असुरक्षित, अच्छे माने गये		
		अग्रिम पूंजी	-	-
		प्रतिभूति निक्षेप	2,059,590	2,059,590
			2,059,590	**2,059,590**
टिप्पणी	13	अन्य गैर–चालू आस्तिया		
		प्रतिभूति निक्षेप	1,696,001	1,696,001
			1,696,001	**1,696,001**
टिप्पणी	14	व्यापारिक प्राप्तियां (असुरक्षित)		
		छः माह से अधिक की बकाया		
		– अच्छे माने गये	88,266,850	604
		– संदेहास्पद माने गये	-	-
			88,266,850	**604**
		अन्य		
		– अच्छे माने गये	338,823,324	284,916,976
		– संदेहास्पद माने गये		
			338,823,324	**284,916,976**
			427,090,173	**284,917,580**
टिप्पणी	15	नकद एवं नकद समतुल्य		
	(ए)	हस्तगत नकद	-	-
	(बी)	बैंकों में शेष		
		चालू खातें में	1,534,384,471	1,351,162,876
		पीडी खातें में अंकित निधि का शेष	944,333,314	
		स्थायी जमा खातों में	915,848,903	1,509,940,902
			3,394,566,688	**2,861,103,779**

टिप्पणी 16 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम				
संबंधित पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम				
असुरक्षित, अच्छे माने गये			130,000,000	-
अन्य				
सुरक्षित, अच्छे माने गये				
अन्य	17,620,443	15,161,296		
घटाइये: डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान	(1,104,560)	(1,104,560)	16,515,883	14,056,736
आय कर अग्रिम, आय कर की स्त्रोत पर कटौती एवं प्रतिदाय योग्य			320,330,945	295,125,331
			466,846,828	**309,182,067**

			किसी भी अवधि के दौरान अधिकतम राशि	
				चालू अवधि
ऐसी कम्पनियों द्वारा देय जिनमें कम्पनी के निदेशकों में से एक निदेशक/सदस्य है	समनुषंगी कम्पनी	130,000,000		130,000,000
ऐसे पक्षकारों द्वारा देय जिसमें कम्पनी के निदेशक (निदेशकों) का हित है		-		-

टिप्पणी 17 अन्य चालू आस्तियां				
अनुदान	7,995,851	603,257,251		
घटाइये: डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान	(6,157,430)	(6,157,430)	1,838,421	597,099,821
अनुदानों के तहत् अग्रिम	15,603,664	15,648,787		
घटाइये: डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान	(1,101,794)	(1,101,794)	14,501,870	14,546,993
निश्चित कोष			95,441,604	95,441,604
अन्य	276,197,208	281,847,794		
घटाइये: डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान	(8,314)	(8,314)	276,188,895	281,839,481
			387,970,789	**988,927,898**

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण का हिस्सा एवं टिप्पणियां

	विवरण	2019-2020	2018-2019
18	**संचालन से आय**		
	विद्युत का विक्रय	974,341,569	982,467,113
	सेवाओं का विक्रय	124,528,953	43,671,616
	संचालन आय (विक्रय)	1,801,459	1,796,005
		1,100,671,981	**1,027,934,734**
19	**अन्य आय**		
	ब्याज से आय	117,654,266	144,797,275
	अन्य गैर–संचालन प्राप्तियां		
	विविध आय	8,471,231	1,122,922
	प्राप्त अभिवृद्धि शुल्क	82,200	6,000,000
	दण्ड की वसूली	98,483,107	44,310,557
	अन्य आय	24,883,353	42,897,625
		249,574,157	**239,128,379**
20	**क्रय**		
	विद्युत का क्रय	752,581,574	755,340,735
		752,581,574	**755,340,735**
21	**कर्मचारी लाभों पर व्यय**		
	वेतन एवं मजदूरी	84,972,337	85,101,910
	भविष्य निधि तथा अन्य कोष में अंशदान	7,350,357	9,725,184
	कर्मचारी कल्याण व्यय	1,225,419	2,130,127
		93,548,113	**96,957,221**
22	**वित्तीय व्यय**		
	पीएफसी 25 मेगावाट विंड फार्म जैसलमेर को पट्टा किराया	-	**5,250,279**
	अन्य अधिग्रहण की लागत	-	-
		-	**5,250,279**
23	**अन्य व्यय**		
	भूमि पट्टा किराया	1,529,065	1,546,075
	संचालन एवं रख–रखाव व्यय	28,058,187	27,208,780
	वाहन एवं पेट्रोल व्यय	620,494	404,334
	मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय	9,000	224,703
	बीमा	2,360,779	2,550,785
	यात्रा व्यय	2,560,614	3,482,146
	टेलीफोन एवं मोबाइल व्यय	413,706	523,633

	पूर्व अवधि के व्यय	139,138	105,340
	राज्य नवीनीकरण कोष (आरआरईसीएल) खाता	2,000,000	2,000,000
	अन्य व्यय	19,023,017	24,313,866
	अंकेक्षण शुल्क खाता	211,750	211,750
	जीएसटी अंकेक्षण शुल्क खाता	88,500	-
	अंकेक्षकों को वाहन व्यय का पुनर्भरण	35,000	35,000
	विद्युत प्रभार (मुख्यालय) खाता	930,394	626,289
	विद्युत प्रभार मथानिया खाता	1,376	-
	किराया दर एवं कर	310,879	357,388
	कानूनी, व्यावसायिक एवं परामर्श प्रभार खाता	2,367,406	3,653,734
	प्रचार एवं विज्ञापन	6,253,253	1,979,753
	अनुसूची एवं पूर्वानुमान व्यय	572,035	629,280
		67,484,592	**69,852,856**
24	अपवादात्मक मदें		
	मुख्य मंत्री राहत कोष में अंशदान	-	20,000,000
	सीएसआर गतिविधियां	9,200,000	
		9,200,000	**20,000,000**
25	**चालू कर**		
	वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये चालू आय कर का प्रावधान	108,000,000	85,000,000
		108,000,000	**85,000,000**
26	आस्थगित कर		
	आस्थगित कर	(32,693,036)	(54,936,646)
		(32,693,036)	**(54,936,646)**

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये खण्ड सूचना

(राशि रूपयों में)

व्यावसायिक खण्ड			
विवरण	विद्युत उत्पादन	प्रोन्नयन गतिविधियां	योग
राजस्व			
विक्रय	974,341,569	-	974,341,569
अन्य आय	-	375,904,569	375,904,569
आन्तरिक खण्ड	-	-	-
योग	**974,341,569**	**375,904,569**	**1,350,246,138**
परिणाम			
संचालित लाभ/हानि	69,601,906	241,184,314	310,786,220
ब्याज एवं वित्तीय व्यय	-	-	-
कर पूर्व लाभ	**69,601,906**	**241,184,314**	**310,786,220**
आय कर			109,256,753
आस्थगित कर आस्तिया/दायित्व			(32,693,036)
कर पूर्व शुद्ध लाभ			**234,222,503**
खण्ड आस्तियां	474,519,095	67,233,889	541,752,984
अनाबंटित आस्तियां			4,680,730,070
कुल आस्तियां			**5,222,483,053**
खण्ड दायित्व	55,956,311	295,783,334	351,739,645
अनाबंटित दायित्व			4,870,743,408
कुल दायित्व			5,222,483,053
मुल्य ह्रास	115,101,675		115,101,675
अनाबंटित मुल्य ह्रास			2,143,963
कुल मूल्य ह्रास			**117,245,638**

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
एच.एम.सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001032सी

ह.

(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 075310

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.
के. सी. कुमावत
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी

ह.
गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8244

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिये नकद प्रवाह विवरण

	विवरण	31.03.2020	31.03.2019
ए	**संचालित गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	करारोपण के पूर्व शुद्ध लाभ	310,186,220	201,903,637
	गैर–नकद मदों के लिये समायोजन		
	मूल्य ह्रास	117,245,638	117,758,390
	निवेशी गतिविधि के अन्तर्गत विचारित ब्याज की आय	(117,654,266)	(144,797,275)
	प्रदत्त ब्याज/पट्टा किराया	-	5,250,279
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के पहले संचालित लाभ	**309,777,592**	**180,115,031**
	निम्न की वृद्धि/कमी के लिये समायोजन		
	चालू दायित्व एवं प्रावधान	(80,114,762)	(428,135,790)
	चालू आस्तियां एवं ऋण व अग्रिम	301,119,754	(226,116,226)
	संचालन से उत्पादित नकद	**530,782,584**	**(474,136,985)**
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	(108,000,000)	(85,000,000)
	चालू वर्ष	(1,256,753)	(193,455)
	संचालित गतिविधियों से शुद्ध नकद	**421,525,831**	**(559,330,440)**
बी	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	स्थिर आस्तियों की अभिवृद्धि	(5,717,188)	(260,211)
	स्थिर आस्तियों का निपटान		
	प्रगतिरत पूंजी कार्य में वृद्धि		
	ब्याज की आय	117,654,266	144,797,275
	निवेशों में वृद्धि		
	निवेशी गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकद	**111,937,078**	**144,537,064**
सी	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	ब्याज/पट्टा किराया	-	(5,250,279)
	प्रदत्त लाभांश एवं लाभांश कर	-	(15,601,155)
	सुरक्षित ऋण कोष में वृद्धि/कमी	-	-
	असुरक्षित ऋण कोष में वृद्धि/कमी	-	-
	वित्तीय गतिविधियों में प्राप्त शुद्ध नकद	-	**(20,851,434)**
डी	**नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)**	533,462,910	(435,644,811)
	नकद एवं नकद समतुल्य (प्रारम्भिक शेष)	2,861,103,779	3,296,748,590
	नकद एवं नकद समतुल्य (अन्तिम शेष)	3,394,566,688	2,861,103,779
		3,394,566,688	2,861,103,779

टिप्पणी

नकद एवं नकद समतुल्य में शामिल है:		
मुख्यालय में हस्तगत नकद	-	1
मुख्यालय के बैंको में शेष	1,533,850,213	419,997,323
बैंको में सावधि जमा	915,848,903	1,509,940,902
चिन्हित निधि के लिये पीडी खातें में शेष	944,333,314	930,874,070
परियोजना कार्यालय पर नकद एवं बैंक शेष	534,258	291,483
	3,394,566,688	**2,861,103,779**

अंकों को निकटतम रूपयें में पूर्णांकित किया गया है

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
एच.एम.सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001032सी

ह.

(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 075310

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.
के. सी. कुमावत
निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी

ह.
गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8244

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जयपुर

टिप्पणी 1

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं 31 मार्च, 2020 को अतिरिक्त टिप्पणियां

1. **निगम की जानकारी**

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ("आरआरईसी") कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अधीन निगमित एवं भारत में अधिवासित राजस्थान सरकार की कम्पनी है। कम्पनी मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में गैर–परम्परागत ऊर्जा के उत्पादन एवं अभिवृद्धि में संलग्न हैं

2. **महत्वपूर्ण लेखा नीतियां**

(ए) **वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिये आधार**

वित्तीय विवरण को कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार साथ ही भारत की चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानकों के अनुसार, चालू समुत्थान के आधार पर जब तक अन्यथा न कहा जाए, लेखा के प्रोद्भवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत तैयार किये जाते है।

(बी) **आय और व्यय की मान्यता**

(i) **विक्रय / क्रय**

(ए) कम्पनी अपनी पवन / सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की प्राप्तियों को मान्यता संयुक्त मीटर पठन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पॉवर प्रोक्योरमेंट सेन्टर (आरपीपीसी) को करती है। विक्रय बिल आरपीपीसी के साथ निष्पादित पावर क्रय करार के अनुसार प्रस्तुत किए जाते है।

(बी) कम्पनी राजस्थान पॉवर प्रोक्योरमेंट सेन्टर (आरपीपीसी) से निष्पादित ऊर्जा विक्रय समझौते के अनुसार तथा ऊर्जा उत्पादकों के साथ निष्पादित ऊर्जा क्रय समझौते के अनुसार विद्युत विक्रय एवं क्रय प्राप्तियां को मान्यता देती है। विक्रय बिल आरपीपीसी के साथ निष्पादित पावर क्रय करार के अनुसार प्रस्तुत किए जाते है।

(सी) कम्पनी यथा उपलब्ध कार्बन वित्तीय प्रपत्रों / सीईआर का भी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज पर विक्रय की प्राप्तियों को मान्यता देती है परन्तु यह व्यापारी की तरह व्यवहार नहीं करती है।

(ii) **आय और व्यय की अन्य मदें**

कम्पनी लेखांकन की व्यापारिक पद्धति का अनुसरण करती है और आय एवं व्यय के प्रोद्भवन के आधार पर मान्य करती है। समस्त आय / व्यय वित्तीय विवरणों पर तात्विक रूप से भारित होने के कारण निम्नलिखित के अतिरिक्त सभी को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी जाती है:–

(ए) आवेदन / प्रसंस्करण / पंजीयन / विस्तारण शुल्क / भूमि पहचान / प्रत्यायन शुल्क जिसमें विस्तारण शुल्क शामिल है, को उस वर्ष, जिसमें वह वस्तुतः प्राप्त की गई है, के लिए आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(बी) परिनिर्धारित नुकसानी / शास्ति

परिनिर्धारित नुकसानी / शास्ति / न्यून शक्ति मशीन उपलब्धता / उत्पादन पर क्षति आदि यदि कोई हो, को उस वर्ष जिसमें वसूली की जाती है, में लेखाबद्ध किया जाता है।

(सी) वित्तीय वर्ष के दौरान, प्राप्ति की अनिश्चतता एवं राजस्थान के डिस्कॉमों के साथ समझौते के अधीन होने के कारण, दिसम्बर, 2019 में सम्पन्न हुई मण्डल की 107 वीं बैठक में पारित संकल्प के अनुसार विलम्ब भुगतान अधिभार को वास्तव में प्राप्त आधार पर वर्ष की आय के रूप में मान्य किया गया है।

उपरोक्त 'ए', 'बी' एवं 'सी' के लिये लेखा मानक–1 के खण्ड 17(ए) के अनुसार 'विवेक' की अपेक्षा है कि अनिश्चित भावी घटना / लाभों का पहले से विचार नहीं किया जाये परन्तु जब साकार हो जावे यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि नकद में ही हो, तब ही मान्यता दी जावें। अतः कम्पनी उन्हें रोकड़ आधार पर ज्ञात करती है।

(डी) भारत सरकार पदोन्नति स्कीम की तहत् एमएनआरई से सेवा प्रभार। प्राप्त सेवा प्रभारों को नकद आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

(ई) संचालन और संधारण व्यय संबंधित समझौतों के अनुसार निर्धारित दरों के आधार पर प्रावधि किये गये है।

(सी) स्थिर आस्तियां एवं मूल्य ह्रास

(i) स्थिर आस्तियां :

स्थिर आस्तियों को उनकी अधिग्रहण लागत में से संचित मूल्य ह्रास को कम करके दर्शाया जाता है। लागत में आस्ति के लिये प्राप्त कोई विशेष अनुदान को कम करके आस्तियों को इनकी वर्तमान स्थिति एवं स्थान पर लाने के लिये सभी उपगत व्यय शामिल है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में 10 / 20 किलोवाट के एकल पावर प्लाण्टों की स्थापना के लिए राज्य सरकार प्लाण्ट की कार्यशील अवधि के लिए पट्टे पर भूमि का निशुल्क आवंटन करती है। तथापि, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार मुफ्त उपलब्ध करवाई गई भूमि एवं संयंत्रों को नाममात्र के मूल्य रूपये 1/– प्रति संयंत्र तथा रूपये 1/– प्रति भूखण्ड के अनुसार दर्शाया गया है। इस सीमा तक पूंजी आरक्षित कोष बनाया गया है। इन संयंत्रों की स्थापना एवं भूमि का रिकार्ड कम्पनी के पास उपलब्ध है।

(ii) मूल्य ह्रास

i) पवन फार्म परियोजनायें

जैसलमेर में वर्ष 2004–05 के दौरान पूंजीकृत 25 मेगावाट पवन फार्म पर मूल्य ह्रास पावर फाइनेंस

कॉर्पोरेशन (पीएफसी) के साथ निष्पादित पट्टा करार के अनुसार 1 प्रतिशत सेल्वेज मूल्य का विचार करते हुये 15 वर्ष की पट्टा अवधि में अपलिखित करने के लिये 6.60 प्रतिशत की दर से किया गया है एवं भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानक 19 के अनुसार 25 मेगावाट की पट्टाधृत भूमि, भवन एवं सड़क पर मूल्य ह्रास 20 वर्ष का कार्यकाल विचारित करते हुये सरल रेखा विधि से 4.95 प्रतिशत की दर से किया गया है एवं पट्टाधृत भूमि हेतु लिये गये कार्यकाल से मिलान करते हुये 1 प्रतिशत सेल्वेज मूल्य लिया है।

परियोजना के 20 वर्ष के कार्यकाल को विचारित करते हुये पट्टाधृत भूमि पर मूल्य ह्रास सरल रेखा विधि से प्रभारित किया गया है एवं यद्यपि पट्टा 99 वर्ष के लिये स्वीकृत किया गया है परन्तु 20 वर्ष के अन्त में 1 प्रतिशत सेल्वेज मूल्य निर्धारित किया गया है।

ii) सोलर ऊर्जा परियोजना

iii) एक मेगावाट फागी प्लाण्ट पर मूल्य ह्रास 10 प्रतिशत स्क्रेप मूल्य के साथ 25 वर्षों में ह्रास योग्य है, प्लाण्ट का भवन (सीमा दीवार) भी बिना किसी सेल्वेज मूल्य के 25 वर्षों में ह्रास योग्य है। अग्रतर, इस प्लाण्ट के उपयोग में 30 वर्ष की पट्टा अवधि वाली भूमि का 30 वर्ष में परिशोधन होगा।

iv) अन्य स्थिर आस्तियां एवं अमूर्त आस्तियां

अन्य स्थिर आस्तियों एवं अमूर्त आस्तियों पर मूल्य ह्रास कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची – द्वितीय के अधीन विहित रीति एवं दर पर सरल रेखा विधि से प्रभारित किया गया है।

(डी) सहायता अनुदान

i) <u>प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना अनुदान</u> :

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान को, अनुदान के माध्यम से सृजित संबंधित आस्तियों की लागत में से कम किया गया है/समायोजन किया गया है। अनुदान की उपयोग नहीं की गयी राशि को अनुगामी वर्षों में उपयोग करने के लिये आगे लाया गया है एवं तुलन–पत्र में "चालू दायित्व" के शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

"प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना/अन्य अनुदान" से करायी गयी सावधि जमा पर उपार्जित/संचित ब्याज, यदि कोई हो, को विशिष्ट अनुदान खातें में क्रेडिट किया जाता है ना की राजस्व खातें में।

ii) <u>ग्राम विद्युतीकरण प्रोग्राम एवं दूरवर्ती गांव विद्युतीकरण प्रोग्राम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता</u> :

ग्रामीण क्षेत्रों में डीएलएस/एसएलएस स्थापित करने के लिये गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) एवं राज्य सरकार आर्थिक सहायता देती है। सिस्टम के आपूर्तिकर्त्ताओं को आर्थिक सहायता आरआरईसी के माध्यम से दी जाती है जिसमें ऐसे कार्यों के लिये आरआरईसी यथा नोडल एजेंसी के कार्य करता है।

iii) <u>अनुदान: प्रशासनिक एवं कर्मचारियों की लागत की ओर</u>

वर्ष के दौरान प्रशासनिक एवं कर्मचारीवृन्द लागत के तहत् राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, यदि कोई हो, को यथा वर्ष की आय के मान्यता दी जाती है। तथापि, इस वर्ष में ऐसा कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

(ई) ऊर्जा परियोजना पर/से आय/व्ययों के पूंजीकरण का आधार

ऊर्जा परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूर्ण होने, निर्माण, कमीशनिंग एवं ग्रिड से जुड़ जाने पर उनका प्रारम्भण विचारित किया जाता है। इस दिनांक तक परियोजना पर किए गए समस्त व्ययों को आय से कम करते हुए पूंजीकृत किया गया है।

पवन ऊर्जा टरबान्इस को ग्रिड के साथ जोड़ने पर संबंधित वितरण कम्पनी के अधिकारियों द्वारा स्थापना प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है। इसके बाद तुरन्त ही इकाई प्रारम्भ की गई तथा ग्रिड चालू हो गई जिसके भुगतान का बिल बना तथा प्राप्त किया गया। अतः स्थापना प्रमाण–पत्र प्राप्त होने की दिनांक को स्थापना दिनांक मान इसे ही व्यावसायिक उत्पादन की दिनांक भी माना जाता है।

(एफ) सेवानिवृत्ति लाभ/कर्मचारी लाभ

कम्पनी ने भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संख्या द्वारा विहित लेखा मानक–15 (संशोधित) की पालना में सेवानिवृत्ति पर आरआरईसीएल के योग्य कर्मचारियों की "ग्रेच्यूटी" एवं 'अवकाश नकदीकरण"के लाभों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) से पॉलिसी ले रखी है। वैधानिक दायित्वों से संबंधित दायित्व को जीवन बीमा निगम के स्वतंत्र बीमांकक द्वारा की गयी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है तथा प्रदत्त अंशदान लाभ–हानि खातें में लिखा जाता है।

(जी) आय पर करों हेतु लेखांकन

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेएए के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट एवं धारा 115 जेबी के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर के प्रावधान को ध्यान में रखते हुये साथ ही आय कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत वर्ष हेतु देयकर के आधार पर चालू कर के लिये प्रावधान किया जाता है।

आस्तियों एवं दायित्वों की वहन राशि एवं उनके संबंधित कर आधार एवं तुलन–पत्र की दिनांक को आगे लाई गयी हानियां, यदि कोई हो, के मध्य समय अन्तराल के परिणामी भावी कर के लिये आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों को विवेकपूर्ण आधार पर मान्यता दी जाती है। भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था द्वारा विहित लेखा मानक– 22 के अनुसार, तुलन–पत्र की दिनांक को अधिनियमित या मूलतः अधिनियमित कर कानूनों एवं कर दरों का उपयोग करते हुये आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों को मापा जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों में परिवर्तनों के प्रभाव को लाभ व हानि खाता में मान्यता दी जाती है।

(एच) इन्वेन्ट्री का मूल्यांकन

कम्पनी सामग्री के क्रय और विक्रय का संव्यवहार नहीं करती है। कार्बन वित्तीय प्रपत्रों (सीएफआई या सीईआर) का मूल्यांकन स्व उत्पादित प्रमाणित उत्सर्जन में कटौती के लिये लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट के

एक्सपोजर के अनुसार किया गया है। अग्रतर, ईडी के अनुसार क्योंकि ऐसी आस्तियां लेखा मानक 2 के अन्तर्गत शब्द "इन्वेन्ट्री" की दी गई परिभाषा को पूरा करती है, अतः तद्नुसार निरन्तर लागत पर या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित की जाती है, तथापि निरंतर वर्ष के दौरान ऐसे कोई संव्यवहार नहीं है।

(आई) नकद प्रवाह विवरण

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा विहित लेखा मानक–3 के अनुसार नकद प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुये तैयार किया जाता है।

(जे) आस्तियों का क्षरण

आस्तियों का क्षरण उसी समय मान्य किया जाता है जब इन आस्तियों के क्षरण का संकेत मिलता है। इस संकेत के आधार पर आस्तियों की वसूल की जा सकने योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और यदि अनुमानित राशि आस्ति की वहन राशि से कम होती है तो वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है। यह कटौती क्षरण हानि मानी जाती है एवं लाभ–हानि खाते में दर्शायी जाती है। यदि तुलन–पत्र की तिथि को यह संकेत है कि पूर्व निर्धारित क्षरण हानि वर्तमान में नहीं है तो वसूली योग्य राशि पुनर्मूल्यांकित की जाती है तथा आस्ति ह्रास योग्य ऐतिहासिक लागत के अधिकतम के अधीन वसूली योग्य राशि से दर्शाई जाती है, तथापि वर्ष के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार रिकार्ड नहीं किया गया है।

(के) पट्टे (आस्थगित भुगतान शर्तों के अन्तर्गत अर्जित आस्तियों सहित)

वित्तीय पट्टों के अन्तर्गत अर्जित आस्तियों को पट्टे के प्रारम्भ में पट्टेदार आस्तियों के वास्तविक भुगतान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है एवं स्थिर आस्तियों में शामिल किया जाता है। ऐसी आस्तियों के लिये कम्पनी की मूल्य ह्रास नीति के अनुसार इन आस्तियों का मूल्य ह्रास किया जाता है।

(एल) उधार राशियों की लागतें

अर्हक आस्तियों के निर्माण या अधिग्रहण पर आरोप्य ऋण लागतों को उस आस्ति की लागत के यथा अंश के पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हक आस्ति वह है जो इसके अभीष्ट प्रयोग के लिये तैयार होने में आवश्यक रूप से काफी समय लेती है। अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि में जिसमें यह उपगत होती है, यथा व्यय के मान्यता दी जाती है एवं लाभ व हानि खातें में प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा ऐसी कोई लागत उपगत नहीं की गयी है।

(एम) प्रति अंश अर्जन

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानक–20 के अनुसार, कम्पनी मूल प्रति अंश अर्जन की रिपोर्ट करती है। मूल प्रति अंश अर्जन की गणना वर्ष के दौरान बकाया साम्य अंशों की भारित औसत संख्या से वर्ष हेतु शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। क्योंकि साम्य अंश में कोई संभव्य मन्दन नहीं है, अतः यह मूल प्रति अंश अर्जन के समतुल्य है।

(एन) **लागत अभिलेखें**

कम्पनी अधिनियम के अधीन विहित लागत लेखांकन नियम के अनुसार, कम्पनी प्रत्येक संयंत्र के लिये पृथक लागत विवरणों का संधारण कर रही है।

(ओ) **प्रावधान, समाश्रित दायित्व एवं समाश्रित आस्तियां**

पूर्व घटना के परिणामस्वरूप जब कम्पनी का वर्तमान दायित्व होता है तो प्रावधान को मान्यता दी जाती है, यह सम्भावना है कि दायित्वों के निपटारे के लिये आर्थिक लाभों को अंगीभूत किये हुये संसाधनों के बाह्य प्रवाहों की आवश्यकता होगी एवं दायित्व की राशि का एवं विश्वसनीय पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। उनके वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों को घटाया नहीं जाता है और प्रतिवेदित दिनांक को दायित्व के निपटारे के लिये अपेक्षित उत्तम प्राक्कलन के आधार पर नियत किये जाते है। इन प्राक्कलनों का प्रत्येक प्रतिवेदित दिनांक को पुनर्विलोकन किया जाता है एवं चालू उत्तम प्राक्कलनों को दर्शाने के लिये समायोजित किये जाते है।

एक आकस्मिक देनदारी एक संभव दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है जिसके अस्तित्व की कम्पनी के नियंत्रण से परे किसी एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के होने या नहीं होने से पुष्टि हो जायेगी या एक वर्तमान दायित्व जिसको स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्वों ने निपटारे के लिये बाह्य प्रवाहों की आवश्यकता होगी। एक आकस्मिक दायित्व अत्यन्त दुर्लभ मामलों में भी उत्पन्न होता है, जहां दायित्व है उसे मान्यता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इसे विश्वासपूर्वक नहीं मापा जा सकता है। कम्पनी ने आकस्मिक दायित्वों को मान्यता नहीं दी है। तथापि, वित्तीय विवरणों में पृथक से प्रकटीकरण किया गया है।

आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्य किया गया है न ही वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

3. **अतिरिक्त टिप्पणियां**

3.1 कम्पनी भौतिक सामग्री के क्रय एवं विक्रय का संव्यवहार नहीं करती है।

तथापि, कम्पनी ने अपनी 5 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से आज तक सीईआर की 179600 इकाईयां (सीएफआई की कुल 1796) (1 सीएफआई = 100 सीईआर के) निम्न प्रकार उत्पादित की है/आवंटित की है

विन्टेज/डब्ल्यू पीपी संख्या	2003 के लिये	2004 के लिये	2005 के लिये	2006 के लिये	2007 के लिये	कुल सीएफआई
#1337 (25 मे.वा.)	0	283	307	317	324	1231
#1338 (2.25 मे.वा.)	28	28	25	25	24	130
#1339 (2.0 मे.वा.)	22	23	21	16	17	99
#1340 (10.2 मे.वा.)	0	0	0	89	117	206
#1341 (2.1 मे.वा.)	26	29	25	26	24	130
कुल सीएफआई	76	363	378	473	506	1796(सीएफआई)
कुल सीईआर (सीएफआई 100)	7600	36300	37800	47300	50600	179600(सीईआर)

उपरोक्त में से कम्पनी के पास हस्तगत शेष सीएफआई को यहां नीचे दिया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 25 मेगावाट (विन्टेज संख्या 1337) परियोजना के लिये अन्तिम स्टॉक केवल 14 प्रतिशत की सीमा तक लिया गया है क्योंकि शेष 86 प्रतिशत पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन का है एवं आरआरईसी के इलेक्ट्रानिक खाते में सामूहिक रूप से धारित है।

विन्टेज / डब्ल्यू पीपी संख्या	2003 के लिये	2004 के लिये	2005 के लिये	2006 के लिये	2007 के लिये	कुल सीएफआई
#1337 (25 मे.वा.)	0	39.62	42.98	44.38	45.36	172.34(ऊपर की टिप्पणी देखें)
		(283 का 14 प्रतिशत)	(307 का 14 प्रतिशत)	(317 का 14 प्रतिशत)	(324 का 14 प्रतिशत)	
#1338 (2.25 मे.वा.)	28	25	25	17	0	95
#1339 (2.0 मे.वा.)	18	0	1	0	0	19
#1340 (10.2 मे.वा.)	0	0	0	89	112	201
#1341 (2.1 मे.वा.)	0	0	0	0	0	0
कुल	46	64.62	68.98	150.38	157.36	487.34 (सीएफआई)

वर्ष 2007 एवं आगे की अवधि के लिये उत्पादित सीएफआई के विवरण उपलब्ध नहीं है, इसलिये उन वर्षों के पश्चात् के विवरण उपरोक्त तालिका में नहीं दिये गये है और क्योंकि 31.03.2020 को कोई कीमत की दर उपलब्ध नहीं है अतः प्रबंधन ने इनका मूल्य शून्य लेने का निर्णय किया है।

4. पीएमजीवाई योजना के अन्तर्गत 10 किलोवाट क्षमता के एसपीवी के एकल पावर संयंत्रों की लागत की पूर्ति पीएमजीवाई योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत अनुदान के माध्यम से की गयी है। अतः किसी भी आस्ति की एकल प्लाण्टों के लिये दर्शाने के लिये, आवश्यकता नहीं है। हालांकि प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत भूमि एवं संयंत्र की नियंत्रण एवं अभिलेखों के प्रयोजनार्थ 1/–प्रति भूमि व 1/– प्रति संयंत्र के नाममात्र मूल्य पर रिकार्ड किया गया है, तथापि वर्ष के दौरान ऐसी कोई आस्तियां अर्जित नहीं की गयी है।

5. कम्पनी अपने प्रत्येक विद्युत उत्पादन संयंत्र के लिए परियोजना स्थल पर किए व्यय का पृथक् से वित्तीय विवरण रखती है जो कि 2.1 मेगावाट फलौदी में, 2.25 मेगावाट देवगढ़ में, 25 मेगावाट सोडाबंधन (जैसलमेर) में, 10.2 मेगावाट आकल (जैसलमेर) में, 10.2 मेगावाट पोहरा (जैसलमेर) में तथा 100 किलोवाट गौरीर (झूंझूंनू) तथा 01 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र फागी में स्थित है। कम्पनी अभी इन उत्पादन संयंत्रों का निर्धारित प्रारूप में पूर्ण एवं विस्तृत लागत लेखा, प्रत्येक संयंत्र को एक पृथक् अस्तित्व के साथ संधारित कर रही है। प्रत्यक्ष व्ययों को संबंधित पीजीपी में प्रभारित किया जाता है तथा अप्रत्यक्ष व्ययों को उन संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन के अनुसार आनुपातिक रूप में, प्रत्येक संयंत्र के लागत अभिलेखों में दर्शाया गया है।

6. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80–आईए के प्रावधानों के अन्तर्गत कम्पनी कटौती प्राप्त करने के योग्य है (जो ऊर्जा के उत्पादन में लगे हुये औद्योगिक उपक्रमों द्वारा ऊर्जा उत्पादन प्रारम्भ किये जाने के वर्ष से 15

वर्षों में किन्हीं भी 10 लगातार निर्धारित वर्षों में अर्जित लाभ में से कटौती का प्रावधान करती है)। वर्तमान में कम्पनी 1 मेगावाट सौर पीवी फागी संयंत्र की कटौती के लाभ उठाने के लिये योग्य है, जो निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	संयंत्र का नाम	उपक्रम या उद्योग द्वारा उद्यम / क्रियाविधि प्रारम्भ करने की दिनांक	प्रारम्भिक निर्धारण वर्ष जब से कटौती का दावा किया गया है।
1	01 मेगावाट एसपीपी फागी	05.04.2012	निर्धारण वर्ष 2013—2014

लेकिन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने वर्ष के लिये आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के तहत् अपनी कर देयता की गणना की है और कम्पनी ने फागी में 1 मेगावाट सोलर पीवी प्लांट के माध्यम से उत्पन्न लाभ की धारा 80 आईए के अधीन कटौती का दावा नहीं किया है।

7. तत्कालीन रेडा से अग्रणीत शेष सहित पक्षकारों के विविध डेबिट एवं विविध क्रेडिट शेष पुष्टीकरण एवं समाशोधन के अध्याधीन है।

8. 09.08.2002 को रेडा के आरएसपीसीएल के साथ विलयन तक रेडा के विभिन्न शेष कम्पनी को हस्तान्तरित किए गए थे। इन आगे लाये गये शेषों में दायित्व, अनुदान तथा अन्य भी कई मदें सम्मिलित है।

9. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के मंत्रालय द्वारा 26.08.2008 को जारी कार्यालयीन ज्ञापन के अनुसार, जो सिफारिश करता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को अपने ग्राहकों के साथ पत्र—व्यवहार में ज्ञापन मे दायर करने के पश्चात् यथा आवंटित उद्यमकर्ता ज्ञापन क्रमांक का उल्लेख करना चाहिये। कम्पनी ने इस संबंध में पत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। तथापि, कम्पनी ने आज दिनांक तक किसी भी ऐसी सत्ता से कथित ज्ञापन की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं की है। अतः ऐसा कोई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम नहीं है, जिसको कम्पनी को 31.03.2020 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत को 45 दिन से अधिक के लिए देना बकाया शेष हो। इस अधिनियम के अधीन किसी आपूर्तिकर्ता से भी ब्याज का दावा कम्पनी को प्राप्त नहीं हुआ है।

10. वर्ष के दौरान, आरआरईसीएल ने 20 अगस्त, 2019 को "राजीव गांधी अक्षर ऊर्जा दिवस 2019" मनाया जिस पर कम्पनी ने 31.69 लाख रूपये का खर्च किया और कम्पनियों के लाभ के माध्यम से प्रभारित किया और उसे मण्डल ने 26 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी 105 बैठक में स्वीकृति किया है।

11. 107वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में आरआरईसीएल ने राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (आरआरईसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) को अल्पकालिक वित्तीय सहायता के रूप में 13 करोड़ रू. दिये, जिसका मई, 2020 में आरएसडीसीएल द्वारा पुनर्भुगतान कर दिया गया है।

12. आरआरईसीएल ने रिसर्जेंट राजस्थान समिट के संबंध में भुगतान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017—18 में निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो को 5 करोड़ रूपये अग्रिम के रूप में दिये लेकिन वर्ष के दौरान बीआईपी ने सूचित किया (पत्र दिनांक 19.11.2019) की विभिन्न पार्टियों को भुगतान अभी भी किया जाना बाकी है, इसलिये बीआईपी द्वारा नहीं दिये गये उपयोगिता प्रमाण—पत्र के अभाव में, खर्चों की मात्रा निर्धारित नहीं हो सकी इसलिये लेखा—पुस्तकों में इसे मान्यता नहीं दी जा सकी।

13. लेखा मानक–15 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित निम्न सारणी 31.03.2020 को अवकाश नकदीकरण योजना तथा ग्रेच्यूटी योजना की स्थिति दर्शाती है:

प्रथम पॉलिसी

पूर्वानुमान	31.03.2019	31.03.2020	ग्रेच्युटी	अवकाश वेतन
बट्टा दर	8 प्रतिशत	8 प्रतिशत	2019-20	2019-20
वेतन में वृद्धि	7 प्रतिशत	7 प्रतिशत		
बाध्यता की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन को दर्शाती तालिका				
बाध्यता की वर्तमान स्थिति यथा वर्ष के प्रारम्भ में			34709270.00	21242531.00
ब्याज की लागत			2603195.00	1699402.00
वर्तमान सेवा लागत			981871.00	172211.00
प्रदत्त सुविधायें			(6247250.0)	(4102188.00)
बाध्यताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि			908857.00	(558787.00)
वर्ष के अन्त में बाध्यता की वर्तमान स्थिति			**32955943.00**	**19570743.00**
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाती तालिका				
वर्ष के प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य			26432325.00	22657004.92
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ			1875968.7	1520650.03
अंशदान			2064849.98	.00
प्रदत्त सुविधायें			(6247250)	(4102188.00)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि			शून्य	शून्य
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य			24125893.72.	20075466.95
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य को दर्शाती तालिका				
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य			26432325.00	22657004.92
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ			1875968.74	1520650.03
अंशदान			2064849.98	.00
प्रदत्त सुविधायें			(6247250)	(4102188.00)
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य			24125893.72	20075466.95
कोषीय स्थिति			8830049.28	504723.95
योजनागत आस्ति के अनुमानित प्रतिलाभ पर वास्तविक का आधिक्य				
(वास्तविक प्रतिलाभ दर = 31 मार्च को यथा एआरडी के पतन के प्रतिलाभ की अनुमानित दर)				
प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि				
बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि			908857.00	(558787.00)
वर्ष की योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि			शून्य	शून्य
बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि			908857.00	558787.00
वर्ष में प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि			908857.00	558787.00
तुलन–पत्र तथा लाभ–हानि के विवरण में प्रमाणित की जाने वाली राशियां				
वर्ष के अन्त में बाध्यता का वर्तमान मूल्य			32955943.00	19570743.00
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य			24125893.72	20075466.95

कोषीय स्थिति	8830049.28	504723.95
वर्ष के तुलन–पत्र में प्रमाणित शुद्ध आस्तियां/(दायित्व)	-8830049.28	504723.95
लाभ–हानि विवरण में प्रमाणित व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	981871.00	172211.00
ब्याज लागत	2603195.00	1699402.00
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	-1875968.74	-1520650.03
वर्ष में प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि	908857.00	(558787.00)
लाभ–हानि विवरण में प्रमाणित व्यय	2617954.00	909750.00

द्वितीय पॉलिसी

पूर्वानुमान **31.03.2019** **31.03.2020**	**ग्रेच्युटी**	**अवकाश वेतन**
बट्टा दर 8 प्रतिशत 8 प्रतिशत	2019-20	2019-20
वेतन में वृद्धि 7 प्रतिशत 7 प्रतिशत		
बाध्यता की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन को दर्शाती तालिका		
बाध्यता की वर्तमान स्थिति यथा वर्ष के प्रारम्भ में	66377.00	35690.00
ब्याज की लागत	4978.00	2855.00
वर्तमान सेवा लागत	27016.00	14376.00
प्रदत्त सुविधायें	0.00	0.00
बाध्यताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	24619.00	13264.00
वर्ष के अन्त में बाध्यता की वर्तमान स्थिति	**122990.00**	66185.00
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाती तालिका		
वर्ष के प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	98443.47	52060.12
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	5897.1	4453.80
अंशदान	0.00	30043.27
प्रदत्त सुविधायें	0.00	0.00
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	शून्य	शून्य
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	104340.62	86557.19
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य को दर्शाती तालिका		
वर्ष के प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	98443.47	52060.12
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	5897.15	4453.80
अंशदान	0.00	30043.27
प्रदत्त सुविधायें	0.00	0.00
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	104340.62	86557.19
कोषीय स्थिति	18649.38	20372.19
योजनागत आस्ति के अनुमानित प्रतिलाभ पर वास्तविक का आधिक्य		
(वास्तविक प्रतिलाभ दर = 31 मार्च को यथा एआरडी के पतन के प्रतिलाभ की अनुमानित दर)		
प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि		
बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	24619.0	(13264.00)

वर्ष की योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	शून्य	शून्य
बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	24619.00	13264.00
वर्ष में प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि	24619.00	13264.00
तुलन–पत्र तथा लाभ–हानि के विवरण में प्रमाणित की जाने वाली राशियां		
वर्ष के अन्त में बाध्यता का वर्तमान मूल्य		
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	122990.00	66185.00
कोषीय स्थिति	104340.62	86557.19
वर्ष के तुलन–पत्र में प्रमाणित शुद्ध आस्तियां/(दायित्व)	18649.38	20372.19
	18649.38	20372.19
लाभ–हानि विवरण में प्रमाणित व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	27016.00	14376.00
ब्याज लागत	4978.00	2855.00
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	(5897.15)	(4453.8)
वर्ष में प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि	24619.00	13264.00
लाभ–हानि विवरण में प्रमाणित व्यय	50716.00	26041.00

14. संबंधित पक्षकारों का प्रकटीकरण

(ए) कम्पनी के संबंधित पक्षकारों के नाम निम्न प्रकार से है:

I	**कम्पनी में सारवान हित रखने वाले व्यक्ति एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक**
ए	श्री अनिल गुप्ता–आईएएस–प्रबंध निदेशक
बी	श्री के. सी. कुमावत–निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
सी	श्रीमती गजल सक्सेना, कम्पनी सचिव
II	**ऐसे व्यक्ति तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधी****
III	**उपक्रम जिनमें ऊपर वर्णित कोई योग्य व्यक्ति सारवान हित रखता है****

**भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा निर्गमित मानक–18 के पैरा 9 के अनुसार अन्य राज्य से नियंत्रित उपक्रम एवं उक्त उपक्रम के साथ व्यवहार के लिए संबंधित पक्षकार से संबंध के विषय में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(बी) संबंधित पक्षकारों से व्यवहार का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	कम्पनी में सारवान हित रखने वाले व्यष्टि एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	ऐसे व्यष्टि एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के संबंधी**	उपक्रम जिनमें ऊपर वर्णित कोई व्यक्ति सारवान हित रखता है**	31.03.2020 को योग	31.03.2019 को योग
प्रबंधकीय पारिश्रमिक/वेतन					
श्री अनिल गुप्ता, प्रबंध निदेशक	25,78,677.00			25,78,677.00	4,64,093.00

श्री के. सी. कुमावत निदेशक (वित्त)	21,43,047.00			21,43,047.00	1,36104.00
श्रीमती गजल सक्सेना, कम्पनी सचिव	10,21,414.00			10,21,414.00	11,41,613.00
योग	57,43,138.00			57,43,138.00	17,41,810.00

***संविदात्मक बाध्यताओं के अन्तर्गत वेतन भुगतान एवं अन्य देयताओं के अतिरिक्त मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों से कोई संव्यवहार नहीं हुआ है।*

राजस्थान सोलर पार्क विकास कम्पनी (आरआरईसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) को 13.00 करोड़ रूपये का लघु अवधि ऋण दिया गया है।

15. अनुज्ञप्त तथा स्थापित क्षमता (प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित)

	चालू वर्ष	**गत वर्ष**
(i) अनुज्ञप्त क्षमता	लागू नहीं है	लागू नहीं है
(ii) स्थापित क्षमता		
2.25 मेगावाट देवगढ़ पवन फार्म परियोजना	2.25 मेगावाट	2.25 मेगावाट
2.10 मेगावाट फलौदी पवन फार्म परियोजना	2.10 मेगावाट	2.10 मेगावाट
25 मेगावाट सोडा (जैसलमेर) पवन फार्म	25 मेगावाट	25 मेगावाट
10.2 मेगावाट आकल (जैसलमेर) पवन फार्म	10.2 मेगावाट	10.2 मेगावाट
100 किलोवाट–एसपीवी–गौरीर (झुंझुंनू) परियोजना	100 किलोवाट	100 किलोवाट
10.2 मेगावाट पोहरा (जैसलमेर) पवन फार्म	10.2 मेगावाट	10.2 मेगावाट
01 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट फागी	01 मेगावाट	01 मेगावाट

16. पूंजीगत सामग्री, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स या कच्चे माल का इस वर्ष या गत वर्ष में कोई आयात नहीं किया गया है।

17. विदेशी मुद्रा में व्यय : शून्य (गत वर्ष शून्य)

18. विद्युत के उत्पादन और विक्रय के संबंध में मात्रात्मक सूचना (केडब्ल्यूएच) :

	चालू वर्ष	**गत वर्ष**
	यूनिटस् में	यूनिटस् में
प्रारम्भण–पश्चात् अवधि		
<u>उत्पादित यूनिट :</u>		
2.25 मेगावाट देवगढ़ पवन फार्म परियोजना	1090257	1105020
2.10 मेगावाट फलौदी पवन फार्म परियोजना	1843470	2148570
25 मेगावाट जैसलमेर पवन फार्म	28744028	29388160
10.2 मेगावाट आकल पवन फार्म	2643400	3079600
100 किलोवाट–एसपीवी–गौरीर परियोजना	-	-
10.2 मेगावाट पोहरा जैसलमेर	4817266	4153916

01 मेगावाट सोलर पावर प्लाण्ट फागी	1486577	1456369
कुल उत्पादित यूनिटे	40624998	41331635
विक्रय की गयी यूनिट :		
2.25 मेगावाट देवगढ़ पवन फार्म परियोजना	1090257	1105020
2.10 मेगावाट फलौदी पवन फार्म परियोजना	1843470	2148570
25 मेगावाट जैसलमेर पवन फार्म	28744028	29388160
10.2 मेगावाट आकल पवन फार्म	2643400	3079600
100 किलोवाट–एसपीवी–गौरीर परियोजना	-	-
10.2 मेगावाट पोहरा जैसलमेर	4817266	4153916
01 मेगावाट सोलर पावर प्लाण्ट फागी	1486577	1456369
कुल विक्रीत यूनिटे	40624998	41331635

उत्पादन के आंकड़े ग्रिड से ली गयी क्रियाशील विद्युत के शुद्ध है। परियोजना स्थलों पर ऊर्जा की नाममात्र कीअतिरिक्त खपत है इसलिये अलग से नहीं दर्शायी गयी है।

19. वर्ष के दौरान लेखा परीक्षकों के भुगतान/प्रावधान निम्न प्रकार है :–

विवरण	वर्ष 2019–20	वर्ष 2018–19
(i) वैधानिक लेखा परीक्षा शुल्क (जीएसटी के अतिरिक्त)	2,11,750.00	2,11,750.00
(ii) वैधानिक लेखा परीक्षा व्यय	35,000.00	35,000.00
(iii) कर लेखा परीक्षा शुल्क	40,000.00	40,000.00

20. खण्ड प्रतिवेदन

(ए) व्यावसायिक खण्ड :– कम्पनी दो तरह की व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न है:– (ए) पवन/सौर विद्युत परियोजनओं से उत्पादित विद्युत तथा सीईआर के विक्रय से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां (बी) ऊर्जा के उत्पादन के लिये गैर–परम्परागत संसाधनों के प्रोन्नयन के लिये निवेशकों हेतु राजस्थान–सरकार की नोडल एजेन्सी एवं भारत–सरकार एवं राजस्थान–सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये कार्य कर रही है। खण्ड–वार सूचना अनुलग्नक में दी गयी है।

(बी) भौगोलिक खण्ड:– चूंकि कम्पनी के समस्त विद्युत उत्पादन संयंत्र राजस्थान में ही स्थित है, अतः इस खण्ड की आवश्यकता नहीं।

21. लेखा मानक–22 की पालन में कम्पनी ने वर्ष 2019–20 के लिये 3,26,93,036/– रूपये के आस्थगित कर आस्तियों/दायित्वों का सृजन निम्न प्रकार किया है :

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
1	आस्थगित कर आस्तियां	3,26,93,036	5,49,36,646
2	कर दायित्व	(15,31,03,151)	(20,80,39,797)
	शुद्ध/(कर दायित्व) (1–2)	(12,04,10,115)	(15,31,03,151)

22. वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, भविष्य निधि विभाग ने आरआरईसीएल के बैंक खाते से 109885 रूपये वसूल किये तथापि कम्पनी ने आयुक्त के समक्ष अपील दायर की है, अतः मामलें के निस्तारण तक इसे भविष्य निधि विभाग से यथा वसूली योग्य दर्शाया गया है।

23. वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वाद सं. 185,186,187,188 व 189/2018 में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.04.2018 की पालना में कम्पनी ने महा–रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय को यथा अग्रिम 10500000/– रूपये सविरोध जमा कराये हैं। जैसा कि अपील का अन्तिम निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है अतः आरआरईसीएल द्वारा किया गया भुगतान समायोजन के अधीन है और निर्णय पर निर्भर करेगा अतः इसे चालू वित्तीय वर्ष में यथा प्राप्य के व्यवहृत किया गया है।

24. अपील के अधीन आय कर निर्धारण की स्थिति एवं उनका प्रभाव

24.1 आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2008–09 और 2009–10 के लिये आयकर अधिनियम 1961 की धारा 148 के अधीन कर निर्धारण पर पुनर्विचार किया और आयकर अधिनियम की 80–आई–ए में दावा की गयी कटौती को कम की गयी और यथा दावा किये गये कुछ अन्य अतिरिक्त व्ययों के विरूद्ध मांग का सृजन किया। कम्पनी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील दायर की और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आंशिक राहत अनुज्ञात की है। निर्धारिती ने माननीय आयकर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की है और विभाग ने भी अपील दायर की है जैसा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा राहत अनुज्ञात की गयी है। माननीय आयकर अपील न्यायाधिकरण, जयपुर ने विभाग की अपील को खारिज कर दिया और आदेश दिनांक 18.08.2017 द्वारा निर्धारिती को राहत अनुज्ञात की, माननीय आयकर अपील न्यायाधिकरण जयपुर के अपील आदेश के प्रभाव लम्बित है, इसलिये कर के आवश्यक समायोजन को लेखा पुस्तकों में नहीं दिया गया है।

24.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2010–2011, 2011–2012 और 2012–2013 के लिये कर निर्धारण का मूल्यांकन किया गया था, पारित आदेशों में, एलडी निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम की 80 आईए की कटौती के लिये गये दावों के अन्तर्गत कुछ व्ययों को नामंजूर, आय की अमान्य किया है। कम्पनी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील दायर की और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आंशिक राहत अनुज्ञात की है। निर्धारिती ने माननीय आयकर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की है और विभाग ने भी अपील दायर की है जैसा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा राहत अनुज्ञात की गयी है। माननीय आयकर अपील न्यायाधिकरण, जयपुर ने विभाग की अपील को खारिज कर

दिया और आदेश दिनांक 18.08.2017 द्वारा निर्धारिती को राहत अनुज्ञात की, माननीय आयकर अपील न्यायाधिकरण जयपुर के अपील आदेश के प्रभाव लम्बित है, इसलिये कर के आवश्यक समायोजन को लेखा पुस्तकों में नहीं दिया गया है।

24.3 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2016—17 के लये कर निर्धारण का मूल्यांकन किया गया था, पारित आदेशों में, एलडी निर्धारण अधिकारी ने 29.10.2018 को कर निर्धारण आदेश पारित किया जिसमें विभाग ने 8084354/— रूपये की मांग की। ऐसे आदेश के विरूद्ध, आरआरईसीएल ने 27.11.2018 को सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की है; तथापि अपील के लिये सुनवाई अभी तक लम्बित है।

24.4 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2017—18 के लये कर निर्धारण का मूल्यांकन किया गया था, पारित आदेशों में, एलडी निर्धारण अधिकारी ने 29.10.2018 को कर निर्धारण आदेश पारित किया जिसमें विभाग ने 2,50,51,820/— रूपये की मांग की। ऐसे आदेश के विरूद्ध, आरआरईसीएल ने 27.11.2018 को सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की है; और कुल मांग का 20 प्रतिशत यथा 5720760/— रूपये जमा कराके स्थगन के लिये आवेदन दायर किया है तथापि अपील के लिये सुनवाई अभी तक लम्बित है।

25. सेवाकर मामलों की स्थिति, अपील एवं उनका प्रभाव

25.1 केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त (सेवा कर) ने दिनांक 22.01.2015 को आदेश पारित किया है और 12051557 रूपये के सेन्वेट क्रेडिट के गलत उपभोग के कारण 2008—2009 (अक्टूबर, 2008) से 2013—2014 (जून, 2013 तक) की अवधि के लिये आयोजित सेवा कर अंकेक्षण के आधार पर जारी किये गये एससीएन, सेन्वेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6(3)(1) के निबंधनों के अनुसार छूट प्राप्त सामग्री/सेवाओं पर 94256387 रूपये के सेवा कर का असंदाय एवं वार्षिक प्रत्यायन प्रभार पर 538690 रूपये का असंदाय, एक बार प्रत्यायन प्रभार एवं उस अवधि के लिये प्रतिभूति जमा के समपहरण के संदर्भ में 106846634 रूपये की राशि की कुल मांग का सृजन किया है। कम्पनी ने वीसीईएस, 2013 के अन्तर्गत एक अभिवेदन प्रस्तुत किया है एवं वर्ष 2013—14 के दौरान गलत दावा की गयी सेन्वेट क्रेडिट के सम्पूर्ण कर दायित्व तथा उस पर देरी का ब्याज जमा करा दिया है। विभाग ने वीसीईएस आवेदन को नजर अंदाज कर आदेश पारित कर दिया है। उक्त तथ्यानुसार एवं विधिक सलाहकार की राय के अनुसार की गयी मांग पूर्ण नहीं की जा सकती, कम्पनी ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की है। अतः कम्पनी ने इसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया है।

25.2 केन्द्रीय आबकारी आयुक्त (सेवा कर) ने दिनांक 15.03.2016 को आदेश पारित किया है और सी.संख्या वी(एच) एडीजे—I/एसटी/88/2013/2162—64 दिनांक 20.10.2014 के द्वारा जारी किये गये कारण बताओं सूचना के संदर्भ में एमएनआरई से प्राप्त विस्तारण शुल्क एवं सेवा प्रभार पर 9420517 रूपये की राशि के सेवा कर का असंदाय के लिये मांग का सृजन किया है। इस संबंध में, कम्पनी ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष अपील दायर की, परन्तु वित्तीय वर्ष 2019—20 के दौरान, सेवाकर विभाग ने सबका विश्वास (विरासत विवाद) संकल्प योजना का प्रारम्भ किया, आरआरईसीएल ने इस योजना का लाभ उठाया और इस योजना के अनुसार शेष कर के 12475/— रूपये

जमा करा दिये। तद्नुसार विभाग ने भी यथा डिस्चार्ज (मुक्ति) प्रमाण–पत्रएसवीएलडीआरएस–4 जारी कर दिया है, इसलिये अब यह मामला समाप्त हो गया है।

25.3 केन्द्रीय आबकारी उप–आयुक्त (सेवा कर) ने दिनांक 21.12.2017 को आदेश पारित किया है और एमएनआरई से सेवा प्रभार पर 930248.00 रूपये की राशि के सेवा कर के असंदाय के लिये मांग का सृजन किया है। उक्त तथ्यानुसार एवं विधिक सलाहकार की राय के अनुसार आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है। तथापि अपील–आदेश मार्च, 2019में आया जिसमें निर्णय पक्ष में नहीं था, अतः कम्पनी ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष अपील दायर की, परन्तु वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, सेवाकर विभाग ने सबका विश्वास (विरासत विवाद) संकल्प योजना का प्रारम्भ किया, आरआरईसीएल ने इस योजना का लाभ उठाया और इस योजना के अनुसार शेष कर के 186050/– रूपये जमा करा दिये। तद्नुसार विभाग ने भी यथा डिस्चार्ज (मुक्ति) प्रमाण–पत्र एसवीएलडीआरएस–4 जारी कर दिया है, इसलिये अब यह मामला समाप्त हो गया है।

26. समाश्रित दायित्व, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है

- कम्पनी की ओर से/विरूद्ध लगभग 2.75 करोड़ रूपये के कुल 110 विविध मामलें है जिनमें से कुछ तत्कालीन रेडा से संबंधित है जो विलय के दायित्व के रूप में कम्पनी को हस्तान्तरित किये गये है तथा कुछ आरआरईसी अवधि से संबंधित है। कम्पनी ने इन विधिक मामलों के परिणामस्वरूप होने वाले दायित्वों के लिये कोई प्रावधान नहीं किया है क्योंकि यह न ही निर्धारणीय है न ही किसी आदेश के द्वारा निश्चित है, इस प्रकार समाश्रित हैं।

- कम्पनी ने उप पंजीयनकर्ता, देवगढ़ को 08.01.2016 को सूचित किया है तथा कहा चूंकि भूमिकर की मांग अनन्तिम तौर पर जारी की गयी थी इसलिये भूमि कर पर शास्ति लगाना अनुचित है। इसके अतिरिक्त आरआरईसी ने उप पंजीयनकर्ता से अनुरोध किया है कि क्योंकि यह राज्य सरकार का उपक्रम है इसलिये आरआरईसी पर भूमिकर की लेवी की उप पंजीयकर्ता द्वारा दुबारा जांच की जानी चाहिये। परन्तु उप–पंजीयनकर्ता ने आरआरईसी के आवेदन को स्वीकार नहीं किया है। इसलिये, आरआरईसीएल ने उप–पंजीयनकर्ता द्वारा की गयी मांग के विरूद्ध में अपील करने का निर्णय लिया है। प्रबंधन द्वारा किये गये निर्णयानुसार इस मामलें में यथा भार साधक अधिकारी के कार्यवाही करने हेतु कार्मिक अधिकारी, उदयपुर को अधिकृत किया है एवं जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के समक्ष उपरोक्त मांग के विरूद्ध अपील दायर की है। मामलें की सुनवाई प्रक्रियाधीन है। इस मामलें में प्राधिकारी के निर्णयानुसार आगे की कार्यवाही की जायेगी।

27. चालू वर्ष में, 25 मेगावाट सोडा ऊर्जा संयंत्र के संबंध में लिया गया वित्त पट्टा जुलाई, 2019 में समाप्त हो गया था, अतः पट्टा समझौते के उपखण्ड ॥ के खण्ड 2 के अनुसार, संयंत्र को पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर आरआरईसीएल को हस्तान्तरित किया जाना है। अग्रतर, आरआरईसीएल द्वारा किये गये निवेदन पर पीएफसी ने पत्र दिनांक 28.07.2020 द्वारा संयंत्र को 1 (एक) रूपया की दर पर हस्तान्तर करने के लिये अपनी सहमति दे दी है, इसलिये कम्पनी ने लेखा पुस्तकों में इसी तरह के लेखा संव्यवहार को जारी रखा है।

27.1 निदेशक मण्डल ने 19.11.2020 को सम्पन्न हुयी अपनी 111 वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये अपने अंशधारियों को प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत की अंतिम लाभांश की अनुशंषा की है। इसके लिये लेखा–पुस्तकों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

28. आरआरईसी के पवन ऊर्जा परियोजना के कार्यात्मक विश्लेषण की 31.03.2020 को स्थिति का प्रतिवेदनः

क्र. सं.	विन्ड फार्म का नाम	कार्यात्मक विश्लेषण की अवधि	टिप्पणियां
1	25 मेगावाट सोडा बंधन	19.07.2016 से 18.07.2018	19.07.2016 से एनआईडब्ल्यूई एवं स्थल से आंकड़े अभी तक प्रतिक्षीत है।
2	10.2 मेगावाट आकल	1.09.2014 से 31.08.2016	सितम्बर, 2014 से अगस्त, 2016 की अवधि के लिये आरआरबी लिमिटेड से शास्ति के 30,16,134 रूपये की वसूली की गयी, आगे की अवधि के लिये एनआईडब्ल्यूईएवं स्थल से आंकड़े अभी तक प्रतिक्षीत है।
3	10.2 मेगावाट पोहरा	18.11.2013 से 17.11.2016	18.11.2013 से 17.11.2016 की अवधि के लिये आर.आर.बी लिमिटेड से शास्ति के 25,13,620 रूपये की गत वित्तीय वर्ष के दौरान वसूली की गयी, आगे की अवधि के लिये सी.डब्ल्यू.ई.टी. एवं स्थल से आंकड़े अभी तक प्रतिक्षीत है।
4	2.25 मेगावाट देवगढ़	वित्तीय वर्ष 2008—09 से मार्च, 2016	एन.आई.डब्ल्यू.ई. एवं स्थल द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार कार्यात्मक विश्लेषण कर लिया गया है। अप्रेल, 2016 से एवं आगे के आंकड़े एन.आई.डब्ल्यू.ई. से प्राप्त किये जा रहे है।
5	2.10 मेगावाट फलौदी	मार्च, 2012 तक	अप्रेल, 2014 के पश्चात् अभी तक कार्यात्मक विश्लेषण के लिये आंकड़ें प्राप्त नहीं हुये है। मार्च, 2014 तक कार्यात्मक विश्लेषण एवं सी डब्ल्यू.ई.टी. से आंकड़े अभी तक प्रतिक्षीत है।
6	100 किलोवाट, गौरीर, झुंझुंनू		संयंत्र आरईआईएल द्वारा निशुल्क रख—रखाव के अधीन है। अगस्त, 2011 से उत्पादन सन्तोषजनक नहीं है।
7	01 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, फागी	06 अप्रेल, 2014 से 05 अप्रेल, 2016	06.04.2014 से 05.04.2016 तक दो वर्ष की खण्डावधि के लिये संयंत्र का कार्यात्मक विश्लेषण किया गया। एनएमजीजी में न्यूनता के कारण .15 32/केडब्ल्यूएच की दर से 62,47,486/— रूपये के दण्ड की गणना की गयी एवं वित्तीय वर्ष 2016—17 में वसूली की सूचना फर्म को दी गयी और आरआरईसीएल ने वित्तीय वर्ष 2016—17 और 2017—18 में एलएण्डटी को देय परिचालन एवं संधारण प्रभारों के विरूद्ध क्रमशः 2652816/— रूपये और 2355332/— रूपये के अर्थदण्ड को समायोजित किया। अब मैसर्स एलएण्डटी लिमिटेड से अभी भी 1239338/— रूपये वसूली योग्य है। तथापि अर्थदण्ड अधिरोपित करने के प्रबंधन के निर्णय से व्यथित, मैसर्स एलएण्डटी पंच निर्णय हेतु अग्रतर हो गये। अब मामला पंच के समक्ष लम्बित है।

29. "चालू/गैर–चालू आस्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों" के रूप में दिखाये गये शेष राशि में कुछ शेष राशि शामिल है जो अपुष्ट है और समाधान के अधीन है और उनका समायोजन अन्तिम समाधान/पुष्टिकरण/निपटारा के समय किया जायेगा। यथापि, कम्पनी ने एक विशेष तिथि पर शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया शुरू कर दी है और किसी से भी कोई प्रतिकूल पुष्टिकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

30. कम्पनी के निदेशक मण्डल की राय में एवं उनके सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास में, समस्त चालू एवं गैर–चालू आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम का वसूली मूल्य (यदि कोई प्रावधान किया गया हो तो शुद्ध मूल्य) व्यापार के सामान्य अनुक्रम में, कम से कम उस राशि के समतुल्य है जिसमें इनका तुलन–पत्र में कथन किया गया है।

31. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है पूर्व वर्ष के आंकड़ों को समूहित और पुनः समूहित किया गया है।

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार

एच.एम.सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001032सी

ह.

(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 075310

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.

डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.

के. सी. कुमावत
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

ह.

गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8244

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

एच.एम.सिंघवी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने **राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड़** (इसके पश्चात् यथा "नियंत्री कम्पनी" के निर्देशित) एवं इसकी समनुषंगियां (नियंत्री कम्पनी एवं इसकी समनुषंगियों को एक साथ यथा "समूह" के निर्देशित), इसकी सहयुक्त एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ताएं, के समेकित वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण कर लिया है जिसमें 31 मार्च, 2020 तक के समेकित तुलन–पत्र एवं समेकित लाभ हानि विवरण एवं उस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु समेकित रोकड़ प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार सहित समेकित वित्तीय विवरणों (इसके पश्चात् यथा "समेकित वित्तीय विवरणों" के निर्देशित) पर टिप्पणियां समाविष्ट है।

हमारी राय में तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी के कार्यकलाप की स्थिति यथा 31 मार्च, 2020 को एवं इसके लाभ/हानि एवं रोकड़ प्रवाह विवरण के मामलें में, उस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु, इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक–। में दी गयी कथित वित्तीय विवरणों पर हमारी टिप्पणियों में वर्णित मामलों के प्रभाव के सिवाय, भारत में साधरणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य व स्वच्छ परिदृश्य प्रदान करते है।

अभिमत हेतु आधार

हमने, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार, हमारे अंकेक्षण को आयोजित किया है। उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्व को हमारे प्रतिवेदन के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग के अंकेक्षण के लिये अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व में अग्रतर वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी की गयी आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र है एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर लिया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है एवं वित्तीय विवरणों पर हमारे सीमित अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते है।

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सूचना एवं उस पर अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

अन्य सूचनाओं के लिये नियंत्री कम्पनी का प्रबंधन एवं निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में नियंत्री कम्पनी के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित जानकारी शामिल है परन्तु इसमें समेकित वित्तीय विवरण एवं उन पर हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है। समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय में अन्य सूचनाएं सम्मिलित नहीं है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं। समेकित वित्तीय विवरण के हमारे अंकेक्षण के सम्बन्ध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य

सूचनाएं समेकित वित्तीय विवरण के साथ तात्विक रूप से असंगत है या हमारे अंकेक्षण के दौरान या अन्यथा अभिप्राप्त हमारा ज्ञान तात्विक रूप से अशुद्ध वर्णन करता प्रतीत होता है। यदि, हमने जो कार्य निष्पादित किया है उसके आधार पर एवं अन्य अंकेक्षक द्वारा किये गये कार्य/अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर हम यह निष्कर्ष करते है कि इन अन्य सूचनाओं का सारवान मिथ्या कथन है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिये कुछ भी नहीं है।

<u>प्रबंधन एवं जिनके पास समेकित वित्तीय विवरणों के नियमन का प्रभार है, के उत्तरदायित्व</u>

कम्पनी अधिनियम, 2013 में नियत मामलों में इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के संबंध में जो कि अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के साथ–साथ, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, समूह एवं इसकी सहयुक्त एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन एवं समेकित रोकड़ प्रवाह का सत्य व स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करे, नियंत्री कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। समूह में सम्मिलित कम्पनियों एवं इसकी सहयुक्त एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों के संबंधित निदेशक मण्डल का उत्तरदायित्व है कि समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिये एवं कपट व अन्य अनियमितताओं को रोकने व ज्ञात करने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियंत्री कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजनार्थ यथेष्ट लेखा अभिलेखों का संधारण, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयुक्ति, निर्णय एवं प्राक्कलन करना जो कि युक्तियुक्त एवं विवेकपूर्ण हो, समुचित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्विति एवं संधारण जिन्हें वित्तीय विवरणों जो कि सत्य एंव स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करते है और चाहे कपट या त्रुटि के कारण सारभूत गलत विवरण से मुक्त है की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित, लेखा अभिलेखों की विशुद्धता एवं सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे।

समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में, समूह में सम्मिलित कम्पनियों एवं इसकी सहयुक्त एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों के संबंधित निदेशक मण्डल यथा चालू समुत्थान के निरन्तरता हेतु समूह एवं इसकी सहयुक्त एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों की क्षमता का आंकलन करने, चालू समुत्थान से सम्बन्धित मामलों, जैसाकि लागू होता है, का प्रकटीकरण करने एवं चालू समुत्थान के आधार पर लेखांकन का उपयोग करने, का उत्तरदायित्व है जब तक कि प्रबन्धन या तो समूह को समाप्त करने या संचालन को बन्द करने का आशय रखता है या परन्तु ऐसा करने के लिये कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

समूह में सम्मिलित कम्पनियों एवं इसकी सहयुक्त एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों के संबंधित निदेशक मण्डल समूह एवं इसकी सहयुक्त एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिये भी उत्तरदायी है।

समेकित वित्तीय विवरण के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या कथन, चाहे कपट या त्रुटि के कारण, से मुक्त है, एवं अंकेक्षक को रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि अंकेक्षण मानकों के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा विद्यमान सारवान मिथ्या कथन का पता लगाएगा। मिथ्या कथन कपट या त्रुटि

से उत्पन्न हो सकते है और यदि व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप से, सारवान माने जाते है तो उनसे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्त्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

अंकेक्षण मानकों के अनुसार, अंकेक्षण के अंश के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते है एवं सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान पेशेवर संदेहवाद को बनाये रखते है। हमः

- समेकित वित्तीय विवरण के सारवान मिथ्या कथनों की जोखिमों को निश्चित करें और उनका आंकलन करें, चाहे कपट या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रतिकियाशील अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रूप रेखा बनाये और निष्पादित करे एवं अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करे जो हमारी राय के लिये आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हो। कपट के परिणामस्वरूप होने वाले सारवान मिथ्या कथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, साशय लोप, दुर्व्यपदेशन, या आन्तरिक नियंत्रण का अधिभावी प्रभाव शामिल हो सकता है।

- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने के लिये अंकेक्षण के लिये प्रासंगिक आन्तरिक नियन्त्रण का अवबोध जो परिस्थितियों में उपयुक्त है, को प्राप्त करें। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अधीन, हम इस बात पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिये उत्तरदायी है कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों का परिचालन प्रभावशील है।

- उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबन्धन द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों एवं सम्बन्धित प्रकटीकरणों का मुल्यांकन करें।

- चालू समुत्थान आधारित लेखांकन का प्रबन्धन के उपयोग की उपयुक्तता एवं अभिप्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित निष्कर्ष करना कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों जो समूह एवं इसकी सहयुक्त एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ताओं की यथा चालू समुत्थान की निरन्तरता की क्षमता पर महत्त्वपूर्ण संदेह डाल सकती हैं, से सम्बन्धित सारवान अनिश्चितता विद्यमान है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सारवान अनिश्चतता विद्यमान है, तो हमें हमारे अंकेक्षकों के प्रतिवेदन में समेकित वित्तीय विवरण में सम्बन्धित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिये अपर्याप्त हैं। तथापि, भावी घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह एवं इसकी सहयुक्त एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों की यथा चालू समुत्थान की निरन्तरता समाप्त हो सकती है।

- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं अन्तर्वस्तु का मुल्यांकन करें, तथा क्या वित्तीय विवरण अन्तर्निहित संव्यवहार और घटनाओं को इस तरह से दर्शातें है जो स्वच्छ प्रस्तुति को पूरा करते है।

- समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिये इकाईयों या समूह एवं इसकी सहयुक्त तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों के भीतर व्यापारिक गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संदर्भ में पर्याप्त समुचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित ऐसी इकाईयों के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण, जिनके हम स्वतंत्र अंकेक्षक है, के निदेश, निरीक्षण एवं निष्पादन के लिये उत्तरदायी

हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अन्य इकाईयों के लिये, जिनका अंकेक्षण अन्य अंकेक्षकों द्वारा किया गया है, ऐसे अन्य अंकेक्षक उनके द्वारा की गयी अंकेक्षण के निदेश, निरीक्षण एवं निष्पादन के लिये उत्तरदायी है। हम हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिये अकेले ही उत्तरदायी है।

हम, अन्य मामलों में आन्तरिक नियंत्रण की कोई भी महत्वपूर्ण कमियों जिन्हें हम अपने अंकेक्षण के दौरान पहचानते हैं, के सहित निष्कर्षों से उन्हें जिनके पास नियंत्री कम्पनी एवं समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित ऐसी अन्य इकाईयों जिनके हम स्वतंत्र अंकेक्षक है, के नियमन का प्रभार है, सूचित करते हैं।

हम उनको जिनके पास नियमन का प्रभार है, एक कथन के साथ उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता से सम्बन्धित प्रासंगिक नैतिक आवश्यक्ताओं की पालना की है और सभी सम्बन्धों तथा अन्य मामलों जिन्हें हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, सम्बन्धित सुरक्षण पर युक्तियुक्त रूप से सोचा जा सकता है, उन्हें सूचित करते हैं।

अन्य मामले

(ए) हमनें समनुषंगी के वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरणों से 31 मार्च, 2020 को 268. 24 करोड़ रूपये की कुल आस्तियां, 23.15 करोड़ रूपये के कुल राजस्व एवं उस दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लिए 110.68 करोड़ रूपये के शुद्ध रोकड़ प्रवाह प्रदर्शित होते है और जिन्हें समेंकित वित्तीय विवरणों में विचारित किया गया है। राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड जिसके वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण हमारे द्वारा नहीं किया गया है, से संबंधित समेंकित वित्तीय विवरणों में जैसा विचारित किया गया है, 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समूह के अंश के 0.53 करोड़ रूपये की हानि भी समेंकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित है। इन वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचनाओं का अंकेक्षण अन्य अंकेक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमको प्रस्तुत की गयी है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक कि यह इन समनुषंगीयों, संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ताओं एवं सहयुक्त के बाबत सम्मिलित राशियों एवं प्रकटीकरणों से संबंधित है एवं अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट जहां तक की यह पूर्वोक्त समनुषंगीयों, संयुक्त रूप से नियंत्रित सत्ताओं एवं सहयुक्त से संबंधित हैं, पूरी तरह से अन्य अंकेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर है।

अन्य अंकेक्षकों की रिपोर्टों एवं उनके द्वारा किये गये कार्यों तथा प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचनाओं के प्रमाणीकरण पर विश्वास करते हुए, समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय एवं अन्य कानुनी तथा नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट उपरोक्त मामलों के संबंध में रूपान्तरित नहीं है।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते है कि –

ए) हमने वे समस्त सूचनाये एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास से उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के प्रयोजन हेतू आवश्यक थे।

बी) हमारे मत में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित लेंखा पुस्तकें जहां तक इन पुस्तकों के हमारे परीक्षण एवं अन्य अंकेक्षकों की रिपोर्ट से विदित होता है, रखी हुई है।

सी) इस प्रतिवेदन में व्यवहृत समेकित तुलन–पत्र, समेकित लाभ–हानि विवरण एवं समेकित रोकड़

प्रवाह विवरण समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के प्रयोजनार्थ संधारित लेखा–पुस्तकों से मेल खाते है।

डी) हमारे मत में, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों की पालना करते है।

(ई) एक सरकारी कम्पनी होने के नाते कार्पोरेट मामलात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उपधारा (2) के प्रावधान नियंत्री कम्पनी एवं इसकी समनुषंगियों पर लागू नहीं है।

(एफ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशील सक्रियता के संबंध में, अनुलग्नक–ए पर हमारा पृथक प्रतिवेदन देखें।

(जी) कार्पोरेट मामलात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 197 सरकारी कम्पनियों पर प्रयोज्य नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार रिपोर्टिंग नियंत्री कम्पनी एवं इसकी समनुषंगियों पर लागू नहीं है।

(एच) कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मत में एवं हमारी सूचना के सर्वोत्तम एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार :

ए. समेकित वित्तीय विवरण लम्बित मुकदमों का समूह की वित्तीय स्थिति पर होने वाले प्रभावों को प्रकट करते है। समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 22 देखें ।

बी. समेकित वित्तीय विवरणों में प्रचलित कानून या लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित दीर्घावधि संविदा में पूर्वानुमेय हानियां, यदि कोई हो, हेतु प्रावधान किये है।

सी. नियंत्री कम्पनी, एवं इसकी समनुषंगियों, सहयुक्त कम्पनियों एवं भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनियों द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अन्तरित करने वाली कोई राशि नहीं थी, जिसे अन्तरित करने की आवश्यकता थी।

एच.एम. सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन : 001032सी
ह.
(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्य संख्या : 075310
यूडीआईएन: 20075310AAAACJ4966

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

एच.एम.सिंघवी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

अनुलग्नक – 'ए'

वित्तीय विवरणों के सन्दर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खण्ड (i) के अन्तर्गत आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (कम्पनी) की 31 मार्च, 2020 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर उसी दिनांक के लिए वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ–साथ कम्पनी, इसकी समनुषंगी कम्पनियां, इसके सहयुक्त एवं संयुक्त उद्यम, जो की भारत में निगमित कम्पनियां है, के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अंकेक्षण भी किया है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

मूल, इसकी समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम, जो की भारत में निगमित कम्पनियां है, का संबंधित निदेशक मण्डल भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था (आई.सी.ए.आई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी किये गये निदेशन–पत्र में उल्लेखित आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को विचारित करते हुए संबंधित कम्पनियों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण के स्थापित मान–दण्डों के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को अधिष्ठापित करने एवं जारी रखने के लिये उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित संबंधित कम्पनी की नीतियों का अनुसरण पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, कपटों व त्रुटियों का पता लगाना और उनका निवारण, लेखा अभिलेखों की पूर्णता एवं शुद्धता/यथार्थता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की यथासमय तैयारी करने को सम्मिलित करते हुए पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण जो इसके व्यापार को नियमित रूप एवं दक्षता से चलाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से सक्रिय थे की पर्याप्त रूप रेखा, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण सम्मिलित है।

अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारे अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर मूल, इसकी समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम, जो की भारत में निगमित कम्पनियां है, के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये निदेशन–पत्र (निदेशन–पत्र) एवं आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण के लिये लागू होने की सीमा तक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विहित, लेखा परिक्षण के मानकों के अनुसार हमने हमारा अंकेक्षण सम्पादित किया है। इन मानकों एवं निदेशन–पत्र की अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं की पालना करे एवं अंकेक्षण को इस प्रकार से नियोजित व निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को अधिष्ठापित एवं अनुरक्षित किया गया था और ऐसे नियंत्रण सभी सारवान/तात्विक मामलों में प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे, के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सकें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं उनकी सक्रीयता की प्रभावशीलता हेतु अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया को क्रियान्वित करना हमारे अंकेक्षण में निहित है।वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का निर्धारण करना कि सारवान अपर्याप्तता हैं, एवं परीक्षण करना, एवं निर्धारित जोखिम के आधार पर आन्तरिक नियंत्रण की सक्रिय प्रभावशीलता व रूप रेखा का मूल्यांकन करना सम्मिलित था। वित्तीय विवरणों के सारभूत मिथ्या कथन चाहे कपट के कारण या त्रुटि के कारण, के जोखिम के निर्धारण को सम्मिलित करते हुए प्रक्रिया का चयन अंकेक्षक के निर्णयन पर निर्भर करता है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य एवं समनुषंगी कम्पनियां एवं संयुक्त उद्यम, जो की भारत में निगमित कम्पनियां है, के अंकेक्षकों के द्वारा नीचे अन्य मामलों के पैरा में संदर्भित प्राप्त किये गये साक्ष्य पर्याप्त है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर मूल, इसकी समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम, जो की भारत में निगमित कम्पनियां है, के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति पर हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाह्य प्रयोजनार्थ वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिये तैयार किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण मे वो नीतियां व कार्य प्रणालियां सम्मिलित है जो कि

(1) उन अभिलेखों के संधारण से संबंधित है जो कि कम्पनी की आस्तियों के व्ययन एवं व्यवहारों को युक्तियुक्त ब्योरे सहित, शुद्ध एवं उचित रूप से दर्शातें है।

(2) युक्तिसंगत आश्वासन देते है कि सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिये यथा आवश्यक व्यवहारों को दर्ज किया गया है एवं प्राप्तियों व व्ययों को केवल कम्पनी के निदेशकों एवं प्रबंधन के अनुमोदन के अनुसार ही किया जाता हैं।

(3) कम्पनी की आस्तियों का अनधिकृत अर्जन, उपयोग या व्ययन जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, का यथासमय पता लगाने एवं निवारण से संबंधित युक्तिसंगत आश्वासन देवें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अन्तर्निहित परिसीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अन्तर्निहित परिसीमा साथ ही अनुपयुक्त प्रबंधन अथवा मिली भगत की संभावना के कारण, नियंत्रणों की अवहेलना, त्रुटि या कपट के कारण मिथ्या कथन हो सकते है और पता नहीं लगाये जा सकते। साथ ही, भावी अवधियों के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है क्योकि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते है, या कार्याविधि अथवा नीतियों की अनुपालना की मात्रा गिर सकती है।

अभिमत

हमारे मत में, हमारी सूचना के सर्वोत्तम एव हमे दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार एवं नीचे अन्य मामलों के पैरा में संदर्भित अन्य अंकेक्षकों की रिपोर्ट की विचार के आधार पर नियंत्रण मानदण्डों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर संबंधित

कम्पनियों में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति विद्यमान है और भारतीय चार्टड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा अंकेक्षण पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के जारी किये गये निदेशन--पत्र में उल्लेखित आन्तरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को विचारित करते हुये मूल, इसकी समनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम, जो की भारत में निगमित कम्पनियां है, द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिये अधिष्ठापित मान--दण्डों के आधार पर ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2020 को प्रभावी रूप से सक्रिय थे।

अन्य मामलें

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं संचालन प्रभावशीलता जहां तक यह एक समनुषंगी कम्पनी जो की भारत में निगमित कम्पनी है, से संबंधित है, पर अधिनियम की धारा 143(3)(प) के अधीन हमारी पुर्वोक्त रिपोर्ट केवल मात्र भारत में निगमित ऐसी कम्पनियों के अंकेक्षकों की तत्संबंधी रिपोर्टो पर आधारित है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारा अभिमत संशोधित नहीं है।

एच.एम. सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन : 001032सी
ह.
(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्य संख्या : 075310
यूडीआईएनः 20075310AAAACJ4966

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

एच.एम. सिंघवी एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर अनुलग्नक– I

(31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर के लेखों पर हमारी सम दिनांक अंकेक्षण रिपोर्ट के संदर्भ में)

आक्षेप, जिनका प्रभाव लाभ हानि खाते तथा तुलन–पत्र में निर्धारित नहीं किया जा सकता है:

1. नीचे उल्लिखित निम्नलिखित सूची/सूचीयों के अन्तर्गत दर्शाये अनुसार कम्पनी के पुराने क्रेडिट शेष 5,33,36,726.50 रूपये है। ये 3 साल से अधिक की अवधि से चले आ रहे है। इस वर्ष के दौरान इनमें से किसी भी राशि का समायोजन नहीं किया गया, तथा न ही इस बात के प्रमाणित साक्ष्य प्रस्तुत किए गए कि इनका मिलान किया गया, तथा किस तिथि को इनकी पुष्टि प्राप्त की गई थी और क्या ये संबंधित पार्टियों से पुर्नभुगतान अथवा भुगतान योग्य है। अतः हम इन मदों के लाभ तथा हानि खाते पर प्रभाव के परिणामों पर अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ है। ये है:

अन्य दीर्घावधि दायित्व	राशि रूपयों में
प्रतिधारण (एलटी लाइन)	417,456.00
अग्रिम राशि जमा (रेडा)	2,072,829.00
अनुदान हेतु प्राप्तियां	
अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान	
अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान (एमएनईएस)	1,367,772.00
अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान 2007	982,658.00
अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान 04–05 खाते	267,001.00
अन्य अनुदान	
वार्षिक कार्य योजना 11–12 (बीईई) अनुदान खाता	55,385.00
बीईई (प्रवर्तन मशीनरी का संस्थाकीयकरण)	7,00,000.00
एसडीए परियोजना के लिये परामर्श सेवा बीईई अनुदान	15,13,333.00
एमएनईएस जिला सलाह समिति योजना	2600000.00
स्टेच्यू सर्किल पर एसएलएस का प्रदर्शन (बीईई) अनुदान	1,686,000.00
ऊर्जा संरक्षण अनुदान 08–09 (बीईई) खाता	6,37,955.00
ऊर्जा संरक्षण अनुदान (बीईई) 09–10 अनुदान खाता	811956.00
आईजीईए बीईई अनुदान खाता	342517.00

आरईसी ढ़ाचे के लिये वित्तीय सहायता (एकबार) खाता	7,172.00
विविध अनुदान	368400.00
एमएनआरई अनुदान खाता	2,100,447.00
ए.एस.एस. 2001—02 के लिये प्रावधान	19,034.00
सोलर सिटी विकास (जोधपुर) अनुदान खाता	175,000.00
ईसीबीसी व्यवसायिकों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	176800.00
ईसीबीसी क्रियान्वयन हेतु तकनीकी सहायता	19,900.00
अधिसूचित पीएटी योजना पर कार्यशाला	233191.00
106.24 केडब्ल्यूपी एसपीवी ऊर्जा संयंत्र एमएनआरई अनुदान खाता	8389.00
प्रचार अनुदान खाता	1500.00
राज्य योजना अनुदान (आरईपी) खाता 12—13	5996415.00
आरवीई 11—12 (राज्य अंश) खाता	29488000.00
आरईपी अनुदान	
आरईपी (सीएसएस) 09—10 अनुदान खाता	8,67,481.00
सौर जल तापन अनुदान	
सोलर जल तपन सिस्टम सीएसएस खाता	64,472.50
एमएनआरई सेवा प्रभार प्राप्य खाता	198648.00
भारत इलेक्ट्रोनिक्स पीएमजीवाई 02—03 देय खाता	4,430.00
भेल खाता	42,464.00
तकनीकी कृषि इंजीनियरींग कॉलेज, उदयपुर	86,071.00
ऊर्जा संरक्षण बीईई 08—09 देय खाता	7,300.00
पीएमजीवाई (मासिक ऊर्जा बिल) खाता	16,750.00
	53336726.50

2. कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2011—12 में जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर डिस्कॉम को समन्वय समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बैटरियों की एक मुश्त बदली तथा डिस्कॉमों को 40 सौर ऊर्जा संयंत्र सौंपने से पूर्व उपयुक्त संचालन एंव मरम्मत लागत के लिये 1.00 करोड़ रूपये की राशि का अग्रिम एवं दौलतपुरा में 10 मेगावाट ऑफ ग्रिड संयंत्र बनाने के लिये कार्य आदेश के विरूद्ध जयपुर डिस्काम को वित्तीय वर्ष 2018—19 में 4.16 लाख

रूपये का भुगतान किया। उसमें से 24.16 लाख रूपये के व्ययों के विवरण लम्बित है। डिस्कॉमों द्वारा वर्ष के दौरान किये गये व्यय का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है इसलिए लाभ एवं चालू आस्तियां पर इसके प्रभाव यदि कोई हो, के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करने में हम असमर्थ है।

3. कम्पनी के डेबिट शेष (प्राप्य अनुदान) निम्नलिखित है जो कि लम्बे समय से लम्बित है :

- अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान 2006 — 256680 रूपये
- अक्षय ऊर्जा दिवस अनुदान एमएनआरई 2008 — 1750842 रूपये
- 80 सफेद एलईडी डीएलएस (एमएनआरई) खाता — 120000 रूपये
- वार्षिक गतिविधि योजना (2012–13) खाता — 4600103 रूपये
- बायोमास आवासीय एएसएस प्रोग्राम 2001–02 — 79797 रूपये
- डीटीबीयू — 117360 रूपये
- सरकारी लक्ष्य प्राप्ति व्यय अनुदान 12–13 — 27800 रूपये
- आई.आर.ई.पी. सीएसएस — 3650317 रूपये
- पूर्व बोली सोलर आरपीएफ खाता — 147553 रूपये
- पुनः निवेश परिणाम–पारस्परिक बैठक (आईआरईडीए) — 489669 रूपये
- आरई राज्य योजना/एमएनआरई सीएसआई (एसपीवी प्रोजेक्ट 10–11) — 29970 रूपये
- सोलर ऑब्जर्वेट्री सीएसएस अनुदान — 27346.50 रूपये
- स्टॉफ एनर्जी कन्जर्वेशन कोष — 42277 रूपये
- एसटीबीयू (सीएसएस) — 28640 रूपये
- पवन संसाधन निर्धारण अनुदान (सीएसएस) खाता — 53088 रूपये
- सूचना एवं प्रचार अनुदान 12.13 खाता — 24800 रूपये
- प्रचार सोलर कूकर (सीएसएस) — 26181 रूपये
- आरवीई 11–12 (13 गांव) सीएसएस अनुदान — 61529 रूपये
- एमएनईएस अनुदान प्राप्य (डीपीआर) — 100000 रूपये
- एक दिन की पारस्परिक कार्यशाला (पीएटी) एमएनआरई — 50941 रूपये
- ऑफ ग्रिड पीआरओजी 2013–14 (1किवाघं) — 78376 रूपये
- राज्य योजना अनुदान (आरईपी) 11–12 खाता — 296334 रूपये
- प्रशिक्षण एवं जानकारी (जोनल) आरवीई 05–06 कार्यक्रम — 267 रूपये
- सोलर जल ऊष्मा प्रणाली (सेमीनार) अनुदान — 8600 रूपये
- ऊर्जा संरक्षण निधि (बीईई) 07–08 खाता — 527483 रूपये
- पुनः निवेश परिणाम–पारस्परिक बैठक (इरेडा) — 489669 रूपये

शाखा कार्यालयों के लम्बित समायोजन के पूर्ण विवरणों के अभाव में, लाभ एवं चालू आस्तियां पर इसके प्रभाव यदि कोई हो, के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करने में हम असमर्थ है।

4. कम्पनी की लेखापुस्तकों में एक विशिष्ट दिन में प्रस्तुत उनके शेष की पुष्टि करने के लिये प्रक्रिया का अनुसरण करना शुरू किया है। यद्यपि कम्पनी ने व्यापारिक प्राप्तियों, व्यापारिक देयताओं के समाधान के लिये कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है और अन्य दायित्व, ऋण एवं अग्रिम, देनदार, ग्राहकों से अग्रिम, जिनकी अन्तिम पुष्टि/समाधान हमारे प्रकटीकरण को प्रभावित कर सकते है इसलिये, अनिश्चत्ता निहित होने के कारण ऐसे अग्रिमों/बकायों की वसूली की सीमा के बारे में टिप्पणी करने में हम असमर्थ है।

5. कम्पनी ने निम्नलिखित अग्रिम दिये है जो लम्बे समय से समायोजन के लिये लम्बित हैं :

- राउन्ड टेबल कान्फ्रेन्स के लिये अग्रिम 226892 रूपये
- इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली को अग्रिम 36000 रूपये
- कार्यपालक अधिकारी नगर पालिका, भरतपुर को अग्रिम 850000 रूपये
- शिवचरण माथुर सामाजिक नीति अनुसंधान को अग्रिम 20000 रूपये
- रिसर्जेन्ट राजस्थान पाटनर्शिप समिट 2015 को अग्रिम 50000000 रूपये
- मैसर्स वेस्टास पिण्ड टेक इण्डिया प्रा.लि. को अग्रिम 1690073 रूपये
- मैसर्स उजास एनर्जी लि. (डी) 284625 रूपये
- सीपीएफ (राराविम–रेडा) 8313 रूपये
- अधिशाषी अभियन्ता (पीडब्ल्यूडी), जिला खण्ड, फलोदी को अग्रिम 2157 रूपये
- मैसर्स एक्यूरेट एडवरटाइजिंग कन्सलटेन्टस् प्रा.लि. (सी) 11426 रूपये
- राविप्रनि को अग्रिम 174746000 रूपये
- पीओ, टीएडी, उदयपुर निक्षेप कार्य खाता 65750 रूपये
- मैसर्स मणी बालाशत खाता 1500 रूपये
- मैसर्स इलयूजन रियल 9880 रूपये
- आरएसडीसी एवं सीसी लि. को अग्रिम 70000 रूपये
- मैसर्स विश विण्ड इन्फ्रा लि. जयपुर ऋणी 31200 रूपये
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जोधपुर नगर निगम, जोधपुर को अग्रिम 175000 रूपये
- सीएमएस एचसीएम रिपा, जयपुर को अग्रिम 20500 रूपये
- आयुक्त, भरतपुर नगरपालिका परिषद को अग्रिम 1000000 रूपये
- दिगम्बर जैन मंदिर श्री नेमीनाथ जी, अजमेर को अग्रिम 5046 रूपये
- जिला कलेक्टर, अजमेर को अग्रिम 42193 रूपये
- जिला कलेक्टर, बारां को अग्रिम 54496 रूपये
- जिला कलेक्टर, बाड़मेर को अग्रिम 26980 रूपये
- जिला कलेक्टर, बुंदी को अग्रिम 50886 रूपये
- जिला कलेक्टर, चुरू को अग्रिम 24320 रूपये
- जिला कलेक्टर, दौसा को अग्रिम 100000 रूपये

• जिला कलेक्टर, धोलपुर को अग्रिम	200000 रूपये
• जिला कलेक्टर, गंगानगर को अग्रिम	720 रूपये
• जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ को अग्रिम	50514 रूपये
• जिला कलेक्टर, झालावाड़ को अग्रिम	79539 रूपये
• जिला कलेक्टर, करौली को अग्रिम	11073 रूपये
• जिला कलेक्टर, को अग्रिम	74758 रूपये
• जिला कलेक्टर, कोटा को अग्रिम	38241 रूपये
• जिला कलेक्टर, राजसमन्द को अग्रिम	6298 रूपये
• जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर को अग्रिम	22511 रूपये
• जिला कलेक्टर, उदयपुर को अग्रिम	1686000 रूपये
• जयपुर नगर निगम को अग्रिम (एसएलएस बीईई की स्थापना) खाता	6000 रूपये
• जवाहर कला केन्द्र, जयपुर को अग्रिम	72120 रूपये
• मैसर्स आरएसटीसी, जयपुर को अग्रिम	15521 रूपये
• पीएचईडी, शहर खण्ड II (दक्षिण), जयपुर को अग्रिम खाता	35000 रूपये
• बीएसएनएल को अग्रिम खात	10000 रूपये
• बिटस, पिलानी	427127 रूपये
• अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत, पीडब्लयूडी, अजमेर को अग्रिम	175000 रूपये
• राजस्थान के इंजिनियरिंग कॉलेजों को अग्रिम	850000 रूपये
• कार्यपालक अधिकारी, नगरपालिका मण्डल, भरतपुर को अग्रिम	85895 रूपये
• प्रबन्ध निदेशक, आरआईएसएल को अग्रिम	44149 रूपये
• जिला परिषद, बीकानेर (वीईएसपी–राज्य) को अग्रिम	139200 रूपये
• जिला परिषद, झालावाड़ (वीईएसपी–राज्य) को अग्रिम	155129 रूपये

लम्बित समायोजन के पूर्ण विवरणों के अभाव में, लाभ एवं चालू आस्तियां पर इसके प्रभाव यदि कोई हो, के बारे में अपने विचार अभिव्यक्त करने में हम असमर्थ है।

6. ऐसे किसी दायित्व का, जो कानूनी मामलों के परिणाम स्वरूप हो सकता है, कम्पनी ने प्रावधान नहीं किया है क्योंकि न तो यह निर्धारण योग्य है न ही किसी आदेश द्वारा निर्धारित है इसलिए संदिग्ध है।

7. कम्पनी ने विशिष्ट एमएनआरई योजनाओं के लिये पृथक–पृथक बैंक खातों का संधारण नहीं किया है एवं इन्हें सामूहिक बैंक खाते में लिया है इसलिये कथित विशिष्ट योजना कोष में अर्जित ब्याज का निर्धारण नहीं किया ज़ा सकता है। अतः कम्पनी का लाभ इस सीमा तक अधिक कथित है।

एच.एम. सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन : 001032सी
ह.
(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्य संख्या : 075310
यूडीआईएन: 20075310AAAACJ4966

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

प्रपत्र एओसी :1

{कम्पनी(लेखा) विनियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप–धारा (3) के प्रथम प्रावधान के अनुसार}

सहायक/सहयोगी कम्पनियां/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं वाला विवरण पत्र

भाग "अ" : सहायक

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1	सहायक का नाम	राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
2	संबंधित सहायक की प्रतिवैदित अवधि, यदि नियंत्री कम्पनी के प्रतिवैदित अवधि से भिन्न है।	नियंत्री कम्पनी के समान (01.04.2019– 31.03.2020)
3	विदेशी सहायकों के मामलें में संबंधित वित्तीय वर्ष की अन्तिम दिनांक को प्रतिवैदित मुद्रा एवं विनिमय दर	लागू नहीं है
4	अंशपूंजी	5,00,000.00
5	संचय एवं अतिरिक्त	70,59,69,363
6	कुल आस्तियां	2,68,23,58,323
7	कुल दायित्व	2,68,23,58,323
8	निवेश	-
9	व्यापारावर्त	23,15,32,816
10	कर पूर्व लाभ	51,48,419
11	कर हेतु प्रावधान	1,04,21,929
12	कर पश्चात् लाभ	-52,73,510
13	प्रस्तावित लाभांश	-
14	अंशधारण का प्रतिशत	99.99

भाग "बी" सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम

सहयोगी कम्पनीयां एवं संयुक्त उद्यमों से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार विवरण

सहयोगी कम्पनीयां/संयुक्त उद्यमों के नाम		
1	अंततम अंकेक्षित तुलन–पत्र दिनांक	लागू नहीं है
2	वर्ष के अन्त में कम्पनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों के अंश	
–	संख्या में	
–	संयुक्त उद्यम/सहयोगी में निवेश की राशि	
–	धारण की सीमा %	
3	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है का वर्णन	
4	संयुक्त उद्यम/सहयोगी को समेकित क्यों नहीं किया गया, कारण बताये	
5	अंततम अंकेक्षित तुलन–पत्र के अनुसार अंशाधारकों को आरोप्य शुद्ध मूल्य	
6	वर्ष हेतु लाभ/हानि	
I	समेकित में विचार किया गया	
II	समेकित में विचार नहीं किया गया	

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
एच.एम.सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्डर्ट एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001032सी
ह.
(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 075310

स्थान : जयपुर

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त
ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.
के. सी. कुमावत
निदेशक (वित्त) एवं

ह.
गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत विर्निदिष्ट वित्तीय प्रतिवेदन ढ़ाचे के अनुरूप तैयार करना कम्पनी प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक अंकेक्षक/अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखांकन के मानकों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत स्वतंत्र अंकेक्षक के आधार पर प्रकट करना है। यह उनके अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 19 नवम्बर, 2020 द्वारा किया जाना व्यक्त किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निमित कम्पनी अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6)(ए) के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जयपुर के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेक्षण किया है।

हमने राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेक्षण किया है परन्तु राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के उस दिनांक को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेक्षण नहीं किया है। इस अनुपूरक अंकेक्षण को स्वतंत्रतापूर्वक वैधानिक अंकेक्षकों के कार्य दस्तावेजों के बिना अभिगमन् किये, निष्पादित किया है तथा मुख्यतः वैधानिक अंकेक्षकों की जाचं एवं कम्पनी कार्मिक व कुछ लेखांकन अभिलेखों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरे द्वारा किये गये अनुपूरक अंकेक्षण के आधार पर ऐसा कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य मेरे ध्यान में नहीं आया जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत कोई टिप्पणियां वैधानिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट में जोड़ बंध हो।

भारत के नियंत्रक एवं
महा लेखापरीक्षक के लिए एवं निमित्त
ह.
(अतूर्वा सिंन्हा)
महालेखाकार
(लेखा परीक्षण–ll)
राजस्थान, जयपुर।

स्थान – जयपुर
दिनांक –18.12.2020

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
31 मार्च, 2020 को समेकित तुलन–पत्र
सीआईएन: U40101RJ1995SGC009847

(राशि रूपयों में)

	विवरण	देखें टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2020 को समाप्त चालू प्रतिवेदित अवधि के अन्त के आंकड़ें	31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू प्रतिवेदित अवधि के अन्त के आंकड़ें
	1	2		
I.	साम्या एवं दायित्व			
1	**अंशधारकों की निधियां**			
	(ए) अंशपूंजी	2	129,410,780	129,410,780
	(बी) संचितियाँ एवं अतिरिक्त	3	2,665,487,253	2,448,268,312
	(सी) शेयर वारंट के तहत् प्राप्त धन राशि			
2	**शेयर आवेदन धन राशि लम्बित आवंटन**			
3	**गैर–चालू दायित्व**			
	(ए) दीर्घावधि उधार राशिया	4		
	(बी) आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	5	191,592,469	213,863,576
	(सी) अन्य दीर्घावधि दायित्व	6	3,351,751,369	3,265,403,797
	(डी) दीर्घावधि प्रावधान			
4	**चालू दायित्व**			
	(ए) अल्पावधि उधार राशियां			
	(बी) व्यापारिक देयतायें	7		
	एमएसएमई			
	एमएसएमई के अतिरिक्त अन्य		132,612,780	129,196,072
	(सी) अन्य चालू दायित्व	8	1,090,652,080	1,310,197,545
	(डी) अल्पावधि प्रावधान	9	212,675,139	247,166,368
	योग		**7,774,181,870**	**7,743,506,450**
II	आस्तियां			
	गैर–चालू आस्तियां			
1	(ए) स्थिर आस्तियां			
	(i) मूर्त आस्तियां	10	2,189,945,094	1,949,692,184
	(ii) अमूर्त आस्तियां		897,325	-

	(iii) प्रगतिरत पूंजी कार्य		-	4,037,480
	(iv) विकासाधीन अमूर्त आस्तियां			
	(बी) गैर–चालू निवेश	11	-	-
	(सी) आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)			
	(डी) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	12	2,059,590	2,059,590
	(ई) अन्य गैर–चालू आस्तियां	13	1,696,001	1,696,001
2	**चालू आस्तियां**			
	(ए) चालू निवेश			
	(बी) इन्वेन्ट्रीयां			
	(सी) व्यापारिक प्राप्तियां	14	427,131,700	292,917,299
	(डी) नकद एवं नकद समतुल्य	15	4,106,566,054	4,017,351,428
	(ई) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	16	513,545,688	458,210,021
	(एफ) अन्य चालू आस्तियां	17	532,340,418	1,017,542,448
	योग		**7,774,181,870**	**7,743,506,450**
	महत्वपूर्ण लेखां नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां	1		

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
एच.एम.सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001032सी

ह.
(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 075310

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.
के. सी. कुमावत
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

ह.
गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8244

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित लाभ एवं हानि विवरण

(राशि रूपयों में)

	विवरण	देखें टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2020 को समाप्त चालू प्रतिवेदित अवधि के अन्त के आंकड़े	31 मार्च, 2019 को समाप्त चालू प्रतिवेदित अवधि के अन्त के आंकड़ें
I.	संचालन से राजस्व	18	1,287,524,543	1,229,073,525
II.	अन्य आय	19	294,254,412	330,434,158
III.	**कुल राजस्व (I+II)**		**1,581,778,955**	**1,559,507,683**
IV.	**व्यय:**			
	उपभोगित सामग्रियों की लागत			
	व्यापारिक स्कन्ध (ऊर्जा) का क्रय	20	752,581,574	755,340,735
	निर्मित माल, प्रगतिरत कार्य एवं व्यापारिक स्कन्ध की इन्वेन्ट्रीयों में परिवर्तन			
	कर्मचारी हित लाभ व्यय	21	96,142,249	99,519,352
	वित्त लागतें	22	-	5,250,279
	मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	10	261,252,711	214,281,115
	अन्य व्यय	23	142,394,790	93,120,014
	कुल व्यय		**1,252,371,324**	**1,167,511,495**
V.	**अपवादात्मक एवं असाधारण मदों एवं कर के पूर्व लाभ (III-IV)**		**329,407,630**	**391,996,187**
VI.	अपवादात्मक मदें	24	14,072,991	50,683,783
VII.	**असाधारण मदों एवं कर के पूर्व लाभ (V-VI-VIA)**		**315,334,639**	**341,312,404**
VIII.	असाधारण मदें			
IX.	**कर पूर्व लाभ (VII- VIII)**		**315,334,639**	**341,312,404**
X	कर व्यय:			
	(1) चालू कर	25	108,859,375	115,040,916
	(2) पूर्ववर्ती वर्षों के लिये संक्षिप्त प्रावधान		1,256,753	193,455
	(3) आस्थगित कर	26	(22,271,107)	(43,169,524)
	(4) मेट क्रेडिट		859,375	11,750,137
XI	**निरन्तर संचालनों से अवधि हेतु लाभ(हानि) (IX-X)**		**228,348,993**	**280,997,694**

XII	अनिरन्तर संचालनों से लाभ/(हानि)			
XIII	अनिरन्तर संचालनों के कर व्यय			
XIV	अनिरन्तर संचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात्) (XII-XIII)			-
XV	**अवधि हेतु लाभ(हानि) (XI + XIV)**		**228,348,993**	**280,997,694**
XVI	प्रति साम्या अंश उपार्जन	27		
	(1) मूल		17.65	21.71
	(2) मन्दित		17.65	21.71
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणी	1		

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
एच.एम.सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001032सी

ह.
(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 075310

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.
के. सी. कुमावत
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

ह.
गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8244

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जयपुर

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(राशि रुपयों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
टिप्पणी 2 अंशपूंजी				
(ए) प्राधिकृत				
प्रत्येक 10 रूपये मूल्य के साम्या अंश	14,000,000	140,000,000	14,000,000	140,000,000
प्रत्येक 100 रूपये मूल्य के संचयी पूर्वाधिकार अंश	200,000	20,000,000	200,000	20,000,000
	14,200,000	**160,000,000**	**14,200,000**	**160,000,000**
(बी) निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त				
प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त 10 रूपये मूल्य के साम्या अंश	12,941,078	129,410,780	12,941,078	129,410,780
	12,941,078	**129,410,780**	**12,941,078**	**129,410,780**

(ए) वर्ष के प्रारम्भ में एवं अन्त में बकाया अंशों का समाधान

साम्या अंश	31 मार्च, 2020 को अंशों की संख्या	31 मार्च, 2020 को राशि	31 मार्च, 2019 को अंशों की संख्या	31 मार्च, 2019 को राशि
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया	12,941,078	129,410,780	12,941,078	129,410,780
वर्ष के दौरान निर्गमित	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापिस क्रय किये गये	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया	**12,941,078**	**129,410,780**	**12,941,078**	**129,410,780**

(बी) कम्पनी में 5 प्रतिशत अंशों से अधिक धारण करने वाले अंशधारक

प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त 10 रूपये मूल्य के साम्या अंश	31 मार्च, 2020 को धारित अंशों की संख्या	31 मार्च, 2020 को धारण का प्रतिशत	31 मार्च, 2019 को धारित अंशों की संख्या	31 मार्च, 2019 को धारण का प्रतिशत
महामहिम राज्यपाल, राजस्थान	12941071.00	**99.99995%**	12941071.00	**99.99995%**
	12941071.00	**99.99995%**	**12941071.00**	**99.99995%**

(सी) कम्पनी ने 10 रूपये प्रति अंश के सम मूल्य वाले एक ही श्रेणी के साम्या अंश निर्गमित किये हैं। प्रत्येक अंशधारक प्रति अंश धारिता पर एक मतदान के लिये योग्य है।

यदि संचालक मंडल द्वारा लाभांश, अन्तरिम लाभांश को छोड़कर, प्रस्तावित किया जाता है तो यह अंशधारियों द्वारा आगामी वार्षिक साधारण सभा में स्वीकृति के अध्यधीन है।

समापन होने की दशा में, समता अंशधारी सभी पूर्वाधिकार राशियों का वितरण होने के बाद कम्पनी की शेष सम्पत्तियां अपनी अंशधारिता के अनुपात में प्राप्त करने के योग्य होंगे।

(डी) कम्पनी की कोई नियंत्री कम्पनी नहीं है।

(ई) कम्पनी ने संकलित मात्रा में तथा बिना नकद भुगतान प्राप्त किये, जैसे बोनस अंश आवंटित नहीं किये हैं तथा 31 मार्च, 2020 तक की दिनांक से पूर्व के 5 वर्ष तक कोई अंश वापस क्रय नहीं किये है।

(राशि रूपयों में)

		विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
टिप्पणी	3	**संचितियाँ एवं अतिरिक्त**		
	ए.	**पूंजी संचय**		
		वर्ष के प्रारम्भ में शेष	**3,518,038**	3,518,038
		जोड़िये/घटाइये: वर्ष के दौरान		
		वर्ष के अन्त मे शेष	**3,518,038**	**3,518,038**
	बी.	**अन्य संचय (सामान्य संचय)**		
		वर्ष के प्रारम्भ में शेष	**3,959,051**	3,959,051
		जोड़िये/घटाइये: वर्ष के दौरान	-	-
		वर्ष के अन्त मे शेष	**3,959,051**	**3,959,051**
	सी.	**अतिरेक**		
		वर्ष के प्रारम्भ में शेष	2,020,044,751	1,754,648,216
		जोड़िये/घटाइये: वर्ष हेतु लाभ/(हानि)	**228,348,993**	**280,997,690**
		विनियोजन के लिये उपलब्ध लाभ	**2,248,393,744**	**2,035,645,906**
		विनियोजन :		
		अन्तरिम लाभांश*		12,941,078
		अन्तरिम लाभांश पर निगम लाभांश कर		2,660,077
			-	15,601,155
		वर्ष के अन्त में शेष	**2,248,393,744**	**2,020,044,752**
	डी	**सहायता अनुदान**		
		सोलर पार्क भाडला चरण–द्वितीय के लिये सहायता अनुदान	409,616,419	420,746,471
		कुल योग (ए+बी+सी)	**2,665,487,253**	**2,448,268,312**

		विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
टिप्पणी	4	दीर्घावधि उधार राशियां		
	ए	सूरक्षित ऋण		
	ए.i	सावधि ऋण		
		बैंकों से		
	ए.ii	वित्तीय पट्टा प्रतिबद्धताओ की दीर्घावधि परिपक्वतायें		
		योग (ए)	-	-
	बी	असूरक्षित ऋण		
	बी.i	सावधि ऋण		
		अन्य पक्षकारों से		
		योग (बी)	-	-
		कुल योग (ए+बी)	-	-
टिप्पणी	**5**	**आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)**		
	ए	मूल्य ह्रास व्यय		
		प्रारम्भिक शेष	213,863,576	257,033,100
		जोडियेः चालू वर्ष के दायित्व	10,421,929	11,767,122
		घटाइयेः चालू वर्ष की आस्तियां	(32,693,036)	(54,936,646)
		अन्तिम शेष (ए)	**191,592,469**	**213,863,576**
	बी	परिशोधन व्यय		
		प्रारम्भिक शेष	-	-
		जोडियेः चालू वर्ष के दायित्व	-	-
		घटाइयेः चालू वर्ष की आस्तियां	-	-
		अन्तिम शेष (बी)	-	-
		योग (ए+बी)	**191,592,469**	**213,863,576**
		आस्थगित कर दायित्व–शुद्ध	**191,592,469**	**213,863,576**
टिप्पणी	**6**	**अन्य दीर्घावधि दायित्व**		
		अन्य		
	ए	अग्रिम धन राशि निक्षेप	2,882,829	4,007,829
	बी	प्रतिभूति निक्षेप	628,021,636	501,671,544
	सी	अन्य	2,720,846,904	2,759,724,424
			3,351,751,369	**3,265,403,797**
टिप्पणी	**7**	**व्यापारिक देयतायें**		
	ए	संचालन एवं रख–रखाव देयतायें	56,556,066	34,128,054
	बी	विद्युत क्रय के लिये देयतायें	66,930,076	69,095,777
	सी	अन्य देयतायें–व्यय	9,126,639	25,972,241
			132,612,780	**129,196,072**

टिप्पणी	8	अन्य चालू दायित्व		
	ए	दीर्घावधि ऋण की चालू परिपक्वतायें		
		योग (ए)	-	-
	बी	वित्तीय पट्टा प्रतिबद्धताओं की चालू परिपक्वतायें		
		योग (बी)	-	-
	सी	उधार राशियों पर ब्याज प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं		
		आपूर्तिकर्त्ता क्रेडिट (फलोदी) देयता खाते पर ब्याज	**2197104.00**	2197104.00
		योग (सी)	**2,197,104.00**	**2,197,104.00**
	डी	अन्य देयतायें		
	ए.	अग्रिम धन राशि निक्षेप	92,705,899	2,032,899
	बी.	प्रतिभूति निक्षेप	172,100,243	298,934,286
	सी.	अनुदान हेतु प्राप्तियां	305,290,579	713,871,701
	डी.	कर्मचारीवृन्द एवं निधियों की अन्य देयतायें	518,358,256	293,161,556
		योग (डी)	**1,088,454,976**	**1,308,000,441**
		कुल योग	**1,090,652,080**	**1,310,197,545**
टिप्पणी	9	अल्पावधि प्रावधान		
		अन्य		
	ए	कर्मचारी हितलाभ के लिये प्रावधान	2,455,545	847,123
	बी	अन्य को देय अंशदान	3,373,060	3,480,527
	सी	देय वैधानिक दायित्व	27,257,046	15,031,794
	डी	आय कर हेतु प्रावधान	108,859,375	115,040,916
	ई	अन्य प्रावधान–व्यय	70,730,112	112,766,008
			212,675,139	**247,166,368**

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समेकित तुलन–पत्र की टिप्पणियां एवं अभिन्न अंग

टिप्पणी संख्या 10

स्थिर आस्तियों की अनुसूची

(राशि रुपयों में) (राशि रुपयों में)

विवरण	सकल समूह					मूल्यह्रास एवं परिशोधन				शुद्ध समूह	
	प्रारम्भिक शेष	अभिवृद्धियां	कटौतियां/ निवृत्ति	अन्य समायोजन	अन्तिम शेष	प्रारम्भिक शेष	मूल्यह्रास प्रभार	अन्य समायोजन	अन्तिम शेष	अन्तिम शेष	प्रारम्भिक शेष
मूर्त आस्तियां											
पूर्ण स्वामित्व भूमि	24,038,381	-		-	24,038,381	-	-	-	-	24,038,381	24,038,381
पट्टाधृत भूमि	5,057,581	-	-		5,057,581	3,218,289	189,450	-	3,407,739	1,649,842	1,839,292
भवन (पूर्ण स्वामित्व)	60,530,986	-	-		60,530,986	25,512,328	2,601,683	-	28,114,011	32,416,975	35,018,658
संयंत्र एवं उपकरण	2,172,946,100	-	-		2,172,946,100	1,585,181,360	113,245,646		1,698,427,006	474,519,095	587,764,740
वाहन (पूर्ण स्वामित्व)	3,242,310	4,262,633			7,504,943	2,705,409	411,632	-	3,117,041	4,387,902	536,901
अस्थायी संरचना (गार्ड रूम)	39,500	-			39,500	2,056	12,508		14,564	24,936	37,444
फर्नीचर एवं फिक्सचर (पूर्ण स्वामित्व)	8,025,341	-			8,025,341	5,397,006	604,820	-	6,001,826	2,023,515	2,628,335
कार्यालय उपकरण	12,219,935	525,305	-	-	12,745,240	11,110,472	137,085		11,247,556	1,497,684	1,109,463
योग	2,286,100,134	4,787,938	-	-	2,290,888,072	1,633,126,920	117,202,823	-	1,750,329,743	540,558,329	652,973,214
परिसीमा दीवार	330,000	-	-		330,000	21,780	10,890	-	32,670	297,330	308,220
योग	330,000	-	-	-	330,000	21,780	10,890	-	32,670	297,330	308,220
कुल योग	2,286,430,134	4,787,938	-	-	2,291,218,072	1,633,148,700	117,213,713	-	1,750,362,413	540,855,659	653,281,434
अमूर्त आस्तियां विज्ञापन के लिये डिस्क	-	929,250	-	-	929,250	-	31,925	-	31,925	897,325	

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
स्थिर आस्तियों की अनुसूची

	सकल समूह				मूल्य ह्रास/परिशोधन				शुद्ध समूह	
आस्तियों का विवरण	01.04.2019 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान विक्रय/हस्तान्तरण/समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान दिये गये	विक्रय पर समायोजन	31.03.2020 तक कुल	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि	97,788,019			97,788,019	3,967,269	987,758		4,955,026	92,832,993	93,820,750
नोख पर भूमि 1509.2 हैक्टेयर		402,171,418		402,171,418		3,884,263		3,884,263	398,287,155	-
भूमि		91,889,037		91,889,037		211,063		211,063	91,677,974	-
220 किलोवाट जीएसएस	966,027,182			966,027,182	147,102,383	59,126,371		206,228,753	759,798,429	818,924,799
220 केवी एवं 132 केवी प्रसारण लाइन	148,239,616			148,239,616	22,572,629	9,073,156		31,645,785	116,593,831	125,666,987
11 किलोवाट 3 फेज प्रत्यक्ष फीडर 13.60 कि.मी.	4,413,661			4,413,661	885,887	254,705		1,140,592	3,273,069	3,527,774
प्लाटों का सर्वेक्षण (चरण–द्वितीय में पिलर)	3,811,412			3,811,412	3,427,120	212,503		3,639,623	171,789	384,292
सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम	986,796			986,796	178,610	146,282		324,892	661,904	808,186
सड़क	151,290,000			151,290,000	17,747,146	60,187,764		77,934,910	73,355,090	133,542,854
भवन एवं अतिथि गृह	39,994,000			39,994,000	506,938	1,923,020		2,429,958	37,564,042	39,487,062
जल आपूर्ति प्रणाली	82,682,438			82,682,438	2,539,370	7,613,591		10,152,962	72,529,476	80,143,068
एलईडी	78,000			78,000	28,209	31,448		59,657	18,343	49,791

वाटर कूलर	41,000			41,000	25,896	9,540		35,436	5,564	15,104
कम्प्यूटर एवं लेपटॉप	96,800			96,800	61,139	22,524		83,662	13,138	35,661
प्रिंटर	12,000			12,000	7,579	2,792		10,371	1,629	4,421
ईवीटी मीटर भाडला	-	2,625,303		2,625,303		320,293		320,293	2,305,010	-
योग (ए)	**1,495,460,924**	**496,685,758**	**-**	**1,992,146,682**	**199,050,174**	**144,007,072**	**-**	**343,057,247**	**1,649,089,435**	**1,296,410,750**
प्रगतिरत कार्य पूंजी	4,037,480	412,763	4,450,243	-				-	-	4,037,480
योग (बी)	**4,037,480**	**412,763**	**4,450,243**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,037,480**
सर्वयोग (ए+बी)	**1,499,498,404**	**497,098,521**	**4,450,243**	**1,992,146,682**	**199,050,174**	**144,007,072**	**-**	**343,057,247**	**1,649,089,435**	**1,300,448,230**

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
एच.एम.सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001032सी
ह.
(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 075310

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020
यूडीआईएन: UDIN-20075310AAAACJ4966

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त
ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.
के. सी. कुमावत
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

ह.
गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8244

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समेकित तुलन–पत्र की टिप्पणियां एवं अभिन्न अंग

टिप्पणी 11

गैर–चालू निवेश

(राशि रुपयों में)

विवरण	निम्न वर्ष को शेष		निकाय का नाम	सहायक/ सहबद्ध निगम/ संयुक्त उद्यम/ नियंत्रित सत्ता/ अन्य	अंकित मूल्य	अंशों/इकाइयों की संख्या		अंशतः प्रदत्त/ पूर्ण प्रदत्त	धारिता की सीमा (%)	क्या लागत पर कथित	यदि लागत के अतिरिक्त मूल्यांकित है तो मूल्यांकन का आधार निर्दिष्ट करे	
	2019-20	2018-19				2019-20	2018-19			हाँ/ नहीं	2019-20	2018-19
अन्य निवेश												
इक्विटी लेख–पत्रो में निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	लागू नहीं	लागू नहीं
अनुदधृत निवेशो का समुच्चय (ए)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उदधृत निवेशो का समुच्चय (बी)	शून्य	शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल योग (ए+बी)	-	-			-	-	-					

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

(राशि रुपयों में)

		विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
टिप्पणी	12	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		
		असुरक्षित, अच्छे माने गये		
		अग्रिम पूंजी	-	
		प्रतिभूति निक्षेप	2,059,590.00	2,059,590.00
			2,059,590.00	**2,059,590.00**
टिप्पणी	13	अन्य गैर–चालू आस्तिया		
		प्रतिभूति निक्षेप	1,696,001.00	1,696,001.00
			1,696,001.00	**1,696,001.00**
टिप्पणी	14	व्यापारिक प्राप्तियां (असुरक्षित)		
		छः माह से अधिक की बकाया		
		– अच्छे माने गये	88,308,377	42,131
		– संदेहास्पद माने गये	-	-
			88,308,377	**42,131**
		अन्य		
		– अच्छे माने गये	338,823,324	292,875,168
		– संदेहास्पद माने गये		
			338,823,324	**292,875,168**
			427,131,700	**292,917,299**
टिप्पणी	15	नकद एवं नकद समतुल्य		
	(ए)	हस्तगत नकद	-	0.55
	(बी)	बैंकों में शेष		
		चालू खातें में	1,539,391,141	1,356,170,572
		चिन्हित निधि के लिये पीडी खातें में शेष	944,333,314	
		स्थायी जमा खातों में	1,622,841,600	2,661,180,856
			4,106,566,054	**4,017,351,428**

टिप्पणी 16 अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

संबंधित पक्षकारों को ऋण एवं अग्रिम				
असुरक्षित, अच्छे माने गये			-	-
अन्य				
सुरक्षित, अच्छे माने गये				
अन्य	17,620,443	15,161,296		
घटाइये: डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान	(1,104,560)	(1,104,560)	16,515,883	14,056,736
आय कर अग्रिम, आय कर की स्त्रोत पर कटौती एवं प्रतिदाय योग्य			497,029,805	444,153,285
			513,545,688	**458,210,021**

			किसी भी अवधि के दौरान अधिकतम राशि	
				चालू अवधि
ऐसी कम्पनियों द्वारा देय जिनमें कम्पनी के निदेशकों में से एक निदेशक या सदस्य है		-	-	-
ऐसे पक्षकारों द्वारा देय जिसमें कम्पनी के निदेशक (निदेशकों) का हित है		-		-

टिप्पणी 17 अन्य चालू आस्तियां

अनुदान	7,995,851	603,257,251		
घटाइये: डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान	(6,157,430)	(6,157,430)	1,838,421	597,099,821
अनुदानों के तहत् अग्रिम	15,603,664	15,648,787		
घटाइये: डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान	(1,101,794)	(1,101,794)	14,501,870	14,546,993
निश्चित कोष			95,441,604	95,441,604
अन्य	420,566,837	310,462,344		
घटाइये: डूबत एवं संदेहास्पद ऋणों के लिये प्रावधान	(8,314)	(8,314)	420,558,523	310,454,030
			532,340,418	**1,017,542,448**

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये lesfसमेकित लाभ एवं हानि विवरण का हिस्सा एवं टिप्पणियां

	विवरण	2019-2020	2018-2019
18	संचालन से आय		
	उत्पाद का विक्रय	974,341,569	982,467,113
	सेवाओं का विक्रय	311,381,515	244,810,407
	संचालन आय (विक्रय)	1,801,459	1,796,005
		1,287,524,543	**1,229,073,525**
19	अन्य आय		
	ब्याज से आय	162,119,965	223,672,040
	अन्य गैर संचालन प्राप्तियां		
	विविध आय	8,471,231	1,547,572
	प्राप्त अभिवृद्धि शुल्क	82,200	6,000,000
	दण्ड की वसूली	98,483,107	56,316,922
	अन्य आय	25,097,908	42,897,624
		294,254,412	**330,434,158**
20	क्रय		
	विद्युत का क्रय	752,581,574	755,340,735
		752,581,574	**755,340,735**
21	कर्मचारी कल्याण व्यय		
	वेतन एवं मजदूरी	87,339,423	87,434,003
	भविष्य निधि तथा अन्य कोष में अंशदान	7,556,607	9,913,622
	कर्मचारी लाभांश व्यय	1,246,219	2,171,727
		96,142,249	**99,519,352**
22	वित्तीय व्यय		
	पीएफसी 25 मेगावाट विंड फार्म जैसलमेर को पट्टा किराया	-	5,250,279
	अन्य अधिग्रहण की लागत	-	-
		-	**5,250,279**
23	अन्य व्यय		
	भूमि पट्टा किराया	1,529,065	1,546,075
	निरीक्षण प्रभार	660,000	-
	संचालन एवं रख–रखाव व्यय	28,058,187	27,208,780
	वाहन एवं पेट्रोल व्यय	789,055	464,390
	मरम्मत एवं रख–रखाव व्यय	9,000	224,703
	बीमा	2,360,779	2,550,785
	ब्याज व्यय	30,258,290	-
	यात्रा व्यय	2,622,403	4,134,312
	टेलीफोन एवं मोबाइल व्यय	713,650	738,213
	पूर्व अवधि के व्यय	139,138	105,340
	राज्य नवीनीकरण कोष (आरआरईसीएल) खाता	2,000,000	2,000,000
	अन्य व्यय	19,235,742	24,601,545

अंकेक्षण शुल्क खाता	211,750	211,750
जीएसटी अंकेक्षण शुल्क	88,500	-
टैक्स अंकेक्षण शुल्क	30,000	30,000
आन्तरिक अंकेक्षण शुल्क	25,000	25,000
अंकेक्षकों को वाहन व्यय का पुनर्भरण	35,000	35,000
विद्युत प्रभार (मुख्यालय) खाता	930,394	626,289
विद्युत प्रभार	638,822	368,528
जल प्रभार	43,871	21,095
विद्युत प्रभार मथानिया खाता	1,376	-
किराया, दर एवं कर	310,879	357,388
कानूनी, व्यावसायिक एवं परामर्श प्रभार खाता	5,572,840	6,280,929
प्रचार एवं विज्ञापन	7,132,459	1,979,753
बैंक एवं अन्य प्रभार	5,643,153	92,785
जन शक्ति आपूर्ति भाडला	1,964,452	2,821,104
मीटरिंग प्रभार	1,824,940	-
ओएण्डएम प्रभार जीएसएस	19,889,953	16,066,970
पथ प्रकाश प्रभार भाडला चरण–प्रथम	7,751,331	-
प्रदत्त सेवा कर	1,312,727	-
राज्य नवीकरणीय कोष (आरएसडीसीएल)	40,000	-
अनुसूची एवं अनुमान व्यय	572,035	629,280
	142,394,790	**93,120,014**

24 अपवादात्मक मदें

भाडला वाणिज्यिक विकास बाध्यता के लिये ब्याज व्यय	597,791	683,784
सीएसआर व्यय	-	50,000,000
मुख्य मंत्री सहायता कोष	13,475,200	-
	14,072,991	**50,683,784**

25 चालू कर

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये चालू आय कर का प्रावधान	108,859,375	-
वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये चालू आय कर का प्रावधान	-	115,040,916
	108,859,375	**115,040,916**

26 आस्थगित कर

आस्थगित कर	(22,271,107)	(43,169,524)
	(22,271,107)	**(43,169,524)**

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित खण्ड सूचना

(राशि रूपयों में)

व्यावसायिक खण्ड			
विवरण	विद्युत उत्पादन	प्रोन्नयन गतिविधियां	योग
राजस्व			
विक्रय	974,341,569	-	974,341,569
अन्य आय	-	607,437,386	607,437,386
आन्तरिक खण्ड	-	-	-
योग	**974,341,569**	**607,437,386**	**1,581,778,955**
परिणाम			
संचालित लाभ/हानि	696,601,906	(381,267,267)	315,334,639
ब्याज एवं वित्तीय व्यय	-	-	-
कर पूर्व लाभ	**696,601,906**	**(381,267,267)**	**315,334,639**
आय कर			110,116,128
मेट केडिट			(859,375)
आस्थगित कर आस्तिया/दायित्व			(22,271,107)
कर पूर्व शुद्ध लाभ			**228,348,993**
खण्ड आस्तियां	474,519,095	67,233,889	541,752,984
अनाबंटित आस्तियां			7,232,428,886
कुल आस्तियां			**7,774,181,870**
खण्ड दायित्व	55,956,311	295,783,334	351,739,645
अनाबंटित दायित्व			7,422,442,225
कुल दायित्व			**7,774,181,870**
मुल्य ह्रास	115,101,675		115,101,675
अनाबंटित मुल्य ह्रास			146,151,036
कुल मूल्य ह्रास			**261,252,711**

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
एच.एम.सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्डर्ट एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001032सी

ह.
(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 075310

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020
यूडीआईएन: UDIN- 20075310AAAACJ4966

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.
के. सी. कुमावत
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

ह.
गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8244

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, जयपुर
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये समेकित नकद प्रवाह विवरण

		31.03.2020	31.03.2019
ए	**संचालित गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	करारोपण के पूर्व शुद्ध लाभ	315,334,639	341,312,404
	गैर--नकद मदों के लिये समायोजन		
	मूल्य ह्रास	261,252,711	214,281,115
	निवेशी गतिविधि के अन्तर्गत विचारित ब्याज की आय	(162,119,965)	(223,672,040)
	प्रदत्त ब्याज/पट्टा किराया	-	5,250,279
	आय कर के लिये प्रावधान	-	-
	गैर नकद आय (सीएफए अपलिखित)	(11,130,052)	(11,130,052)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के पहले संचालित लाभ	**403,337,333**	**326,041,706**
	निम्न की वृद्धि/कमी के लिये समायोजन		
	चालू दायित्व एवं प्रावधान	(164,272,415)	(411,662,083)
	चालू आस्तियां एवं ऋण व अग्रिम	295,651,962	(194,377,014)
	संचालन से उत्पादित नकद	**534,716,880**	**(279,997,391)**
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	(110,116,128)	(115,234,372)
	चालू वर्ष	859,375	11,750,137
	संचालित गतिविधियों से शुद्ध नकद	**425,460,127**	**(383,481,626)**
बी	**निवेशी गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	स्थिर आस्तियों की अभिवृद्धि	(502,402,946)	(59,606,304)
	स्थिर आस्तियों का निपटान		
	प्रगतिरत पूंजी कार्य में वृद्धि	4,037,480	-
	ब्याज की आय	162,119,965	223,672,040
	निवेशों में वृद्धि	-	
	निवेशी गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकद	**(336,245,501)**	**164,065,736**
सी	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	सरकारी अनुदान	-	**(122,226,600)**
	ब्याज/पट्टा किराया	-	(5,250,279)
	प्रदत्त लाभांश एवं लाभांश कर	-	(15,601,155)
	सुरक्षित ऋण कोष में वृद्धि/कमी	-	-
	असुरक्षित ऋण कोष में वृद्धि/कमी	-	-
	एमएनआरई से वित्तीय सहायता	-	-
	विकास प्रभार एवं पट्टा किराया के तहत अग्रिम	-	-
	दीर्घावधि दायित्वों का परिशोधन	-	-
	वित्तीय गतिविधियों में प्राप्त शुद्ध नकद	**-**	**(143,078,036)**

डी	नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (ए+बी+सी)	89,214,626	(362,493,926)
	नकद एवं नकद समतुल्य (प्रारम्भिक शेष)	4,017,351,428	4,379,845,354
	नकद एवं नकद समतुल्य (अन्तिम शेष)	4,106,566,054	4,017,351,428

टिप्पणी

नकद एवं नकद समतुल्य में शामिल है:		
मुख्यालय में हस्तगत नकद	-	1
मुख्यालय के बैंको में शेष	2,483,190,196	1,355,879,089
बैंको में सावधि जमा	1,622,841,600	2,661,180,856
परियोजना कार्यालय पर नकद एवं बैंक शेष	534,258	291,483
	4,106,566,054	**4,017,351,428**
अंकों को निकटतम रूपयें में पूर्णांकित किया गया है		**0**

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
एच.एम.सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्ड‌र्ट एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001032सी
ह.
(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 075310

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020
यूडीआईएन: UDIN-20075310AAAAGJ4966

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त
ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.
के. सी. कुमावत
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

ह.
गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8244

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड जयपुर
टिप्पणी 1
समेकित लेखों पर महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिये आधार

वित्तीय विवरण को कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अधीन अधिसूचित लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के आधार पर तैयार किये गये है।

2. समेकन के सिद्धान्त

समेकित वित्तीय विवरण राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड (कम्पनी) एवं इसकी समनुषंगी कम्पनियां, सहयुक्त एवं संयुक्त उद्यमों से संबंधित है। समेकित वित्तीय विवरणों को निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया है।

(ए) कम्पनी एवं इसकी समनुषंगी कम्पनियों के वित्तीय विवरण लेखा मानक (एएस) 21– "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार अन्तर्समूह शेषों एवं अन्तर्समूह व्यवहारों को पूर्णतः छोड़कर आस्तियों, दायित्वों, आय एवं व्यय की समान मदों की पुस्तक मूल्य को जोड़कर संयुक्त आधार पर प्रस्तुत/तैयार किया गया है।

(बी) जहां तक संभव हो सका, समेकित वित्तीय विवरणों को समान संव्यवहारों एवं समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिये समान लेखा नीति का उपयोग करते हुये तैयार किया गया है एवं इन्हें कम्पनी के पृथक वित्तीय विवरणों के अनुसार समान रीति से प्रस्तुत किया गया है।

3. अन्य महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

कम्पनी के पृथक वित्तीय विवरणों में जैसा दिया गया है इनका "महत्वपूर्ण लेखा नीतियों" के अन्तर्गत ब्यौरा दिया गया है।

(ए) वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिये आधार

वित्तीय विवरण को कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार साथ ही भारत की चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानकों के अनुसार, चालू समुत्थान के आधार पर जब तक अन्यथा न कहा जाए, लेखा के प्रोद्भवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत तैयार किये जाते है।

(बी) आय और व्यय की मान्यता

(i) विक्रय/क्रय

(ए) कम्पनी अपनी पवन/सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की प्राप्तियों को मान्यता संयुक्त

मीटर पठन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान पॉवर प्रोक्योरमेंट सेन्टर (आरपीपीसी) को करती है। विक्रय बिल आरपीपीसी के साथ निष्पादित पावर क्रय करार के अनुसार प्रस्तुत किए जाते है।

(बी) कम्पनी राजस्थान पॉवर प्रोक्योरमेंट सेन्टर (आरपीपीसी) से निष्पादित ऊर्जा विक्रय समझौते के अनुसार तथा ऊर्जा उत्पादकों के साथ निष्पादित ऊर्जा क्रय समझौते के अनुसार विद्युत विक्रय एवं क्रय प्राप्तियां को मान्यता देती है। विक्रय बिल आरपीपीसी के साथ निष्पादित पावर क्रय करार के अनुसार प्रस्तुत किए जाते है।

(सी) कम्पनी यथा उपलब्ध कार्बन वित्तीय प्रपत्रों/सीईआर का भी मान्यता प्राप्त एक्सचेंज पर विक्रय की प्राप्तियों को मान्यता देती है परन्तु यह व्यापारी की तरह व्यवहार नहीं करती है।

(ii) आय और व्यय की अन्य मदें

कम्पनी लेखांकन की व्यापारिक पद्धति का अनुसरण करती है और आय एवं व्यय के प्रोद्‌भवन के आधार पर मान्य करती है। समस्त आय/व्यय वित्तीय विवरणों पर तात्विक रूप से भारित होने के कारण निम्नलिखित के अतिरिक्त सभी को प्रोद्‌भवन के आधार पर मान्यता दी जाती है:–

(ए) आवेदन/प्रसंस्करण/पंजीयन/विस्तारण शुल्क/भूमि पहचान/प्रत्यायन शुल्क जिसमें विस्तारण शुल्क शामिल है, को उस वर्ष, जिसमें वह वस्तुतः प्राप्त की गई है, के लिए आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(बी) परिनिर्धारित नुकसानी/शास्ति

परिनिर्धारित नुकसानी/शास्ति/न्यून शक्ति मशीन उपलब्धता/ उत्पादन पर क्षति आदि यदि कोई हो, को उस वर्ष जिसमें वसूली की जाती है, में लेखाबद्ध किया जाता है।

(सी) वित्तीय वर्ष के दौरान, प्राप्ति की अनिश्चतता एवं राजस्थान के डिस्कॉमों के साथ समझौते के अधीन होने के कारण, दिसम्बर, 2019 में सम्पन्न हुई मण्डल की 107 वीं बैठक में पारित संकल्प के अनुसार विलम्ब भुगतान अधिभार को वास्तव में प्राप्त आधार पर वर्ष की आय के रूप में मान्य किया गया है।

उपरोक्त 'ए', 'बी' एवं 'सी' के लिये लेखा मानक–1 के खण्ड 17(ए) के अनुसार 'विवेक' की अपेक्षा है कि अनिश्चित भावी घटना/लाभों का पहले से विचार नहीं किया जाये परन्तु जब साकार हो जावे यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि नकद में ही हो, तब ही मान्यता दी जावें। अतः कम्पनी उन्हें रोकड़ आधार पर ज्ञात करती है।

(डी) भारत सरकार पदोन्नति स्कीम की तहत् एमएनआरई से सेवा प्रभार। प्राप्त सेवा प्रभारों को नकद आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

(ई) संचालन और संधारण व्यय संबंधित समझौतों के अनुसार निर्धारित दरों के आधार पर प्रावधि किये गये है।

(सी) स्थिर आस्तियां एवं मूल्य ह्रास

(i) स्थिर आस्तियां :

स्थिर आस्तियों को उनकी अधिग्रहण लागत में से संचित मूल्य ह्रास को कम करके दर्शाया जाता है। लागत में आस्ति के लिये प्राप्त कोई विशेष अनुदान को कम करके आस्तियों को इनकी वर्तमान स्थिति एवं स्थान पर लाने के लिये सभी उपगत व्यय शामिल है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में 10/20 किलोवाट के एकल पावर प्लाण्टों की स्थापना के लिए राज्य सरकार प्लाण्ट की कार्यशील अवधि के लिए पट्टे पर भूमि का निशुल्क आवंटन करती है। तथापि, राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार मुफ्त उपलब्ध करवाई गई भूमि एवं संयंत्रों को नाममात्र के मूल्य रूपये 1/– प्रति संयंत्र तथा रूपये 1/– प्रति भूखण्ड के अनुसार दर्शाया गया है। इस सीमा तक पूंजी आरक्षित कोष बनाया गया है। इन संयंत्रों की स्थापना एवं भूमि का रिकार्ड कम्पनी के पास उपलब्ध है।

(ii) मूल्य ह्रास

i) पवन फार्म परियोजनायें

जैसलमेर के वर्ष 2004–05 के दौरान पूंजीकृत 25 मेगावाट पवन फार्म पर मूल्य ह्रास पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) के साथ निष्पादित पट्टा करार के अनुसार 1 प्रतिशत सेल्वेज मूल्य का विचार करते हुये 15 वर्ष की पट्टा अवधि में अपलिखित करने के लिये 6.60 प्रतिशत की दर से किया गया है एवं भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानक 19 के अनुसार 25 मेगावाट की पट्टाधृत भूमि, भवन एवं सड़क पर मूल्य ह्रास 20 वर्ष का कार्यकाल विचारित करते हुये सरल रेखा विधि से 4.95 प्रतिशत की दर से किया गया है एवं पट्टाधृत भूमि हेतु लिये गये कार्यकाल से मिलान करते हुये 1 प्रतिशत सेल्वेज मूल्य लिया है।

परियोजना के 20 वर्ष के कार्यकाल को विचारित करते हुये पट्टाधृत भूमि पर मूल्य ह्रास सरल रेखा विधि से प्रभारित किया गया है एवं यद्यपि पट्टा 99 वर्ष के लिये स्वीकृत किया गया है परन्तु 20 वर्ष के अन्त में 1 प्रतिशत सेल्वेज मूल्य निर्धारित किया गया है।

ii) सोलर ऊर्जा परियोजना

एक मेगावाट फागी प्लाण्ट पर मूल्य ह्रास 10 प्रतिशत स्क्रेप मूल्य के साथ 25 वर्षों में ह्रास योग्य है, प्लाण्ट का भवन (सीमा दीवार) भी बिना किसी सेल्वेज मूल्य के 25 वर्षों में ह्रास योग्य है। अग्रतर, इस प्लाण्ट के उपयोग में 30 वर्ष की पट्टा अवधि वाली भूमि का 30 वर्ष में परिशोधन होगा।

iii) अन्य स्थिर आस्तियां एवं अमूर्त आस्तियां

अन्य स्थिर आस्तियों पर मूल्य ह्रास कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची – द्वितीय के अधीन विहित रीति एवं दर पर सरल रेखा विधि से प्रभारित किया गया है।

(डी) सहायता अनुदान

i) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना अनुदान :

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत प्राप्त सहायता अनुदान को, अनुदान के माध्यम से सृजित संबंधित आस्तियों की लागत में से कम किया गया है/समायोजन किया गया है। अनुदान की उपयोग नहीं की गयी राशि को अनुगामी वर्षों में उपयोग करने के लिये आगे लाया गया है एवं तुलन–पत्र में "चालू दायित्व" के शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

"प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना/अन्य अनुदान" से करायी गयी सावधि जमा पर उपार्जित/संचित ब्याज, यदि कोई हो, को विशिष्ट अनुदान खातें में क्रेडिट किया जाता है ना की राजस्व खातें में।

ii) ग्राम विद्युतीकरण प्रोग्राम एवं दूरवर्ती गांव विद्युतीकरण प्रोग्राम के अन्तर्गत आर्थिक सहायता :

ग्रामीण क्षेत्रों में डीएलएस/एसएलएस स्थापित करने के लिये गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय (एमएनईएस) एवं राज्य सरकार आर्थिक सहायता देती है। सिस्टम के आपूर्तिकर्त्ताओं को आर्थिक सहायता आरआरईसी के माध्यम से दी जाती है जिसमें ऐसे कार्यों के लिये आरआरईसी यथा नोडल एजेंसी के कार्य करता है।

iii) प्रशासनिक एवं कर्मचारीवृन्द लागत के तहत अनुदान :

वर्ष के दौरान प्रशासनिक एवं कर्मचारीवृन्द लागत के तहत् राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, यदि कोई हो, को यथा वर्ष की आय के मान्यता दी जाती है। तथापि, इस वर्ष में ऐसा कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

(ई) ऊर्जा परियोजना पर/से आय/व्ययों के पूंजीकरण का आधार

ऊर्जा परियोजनाओं के सफलतापूर्वक पूर्ण होने, निर्माण, कमीशनिंग एवं ग्रिड से जुड़ जाने पर उनका प्रारम्भण विचारित किया जाता है। इस दिनांक तक परियोजना पर किए गए समस्त व्ययों को आय से कम करते हुए पूंजीकृत किया गया है।

पवन ऊर्जा टरबान्इस को ग्रिड के साथ जोड़ने पर संबंधित वितरण कम्पनी के अधिकारियों द्वारा स्थापना प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है। इसके बाद तुरन्त ही इकाई प्रारम्भ की गई तथा ग्रिड चालू हो गई जिसके

भुगतान का बिल बना तथा प्राप्त किया गया। अतः स्थापना प्रमाण–पत्र प्राप्त होने की दिनांक को स्थापना दिनांक मान इसे ही व्यावसायिक उत्पादन की दिनांक भी माना जाता है।

(एफ) सेवानिवृत्ति लाभ/कर्मचारी लाभ

कम्पनी ने भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संख्या द्वारा विहित लेखा मानक–15 (संशोधित) की पालना में सेवानिवृत्ति पर आरआरईसीएल के योग्य कर्मचारियों की ''ग्रेच्यूटी'' एवं 'अवकाश नकदीकरण''के लाभों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) से पॉलिसी ले रखी है। वैधानिक दायित्वों से संबंधित दायित्व को जीवन बीमा निगम के स्वतंत्र बीमांकक द्वारा की गयी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है तथा प्रदत्त अंशदान लाभ–हानि खातें में लिखा जाता है।

(जी) आय पर करों हेतु लेखांकन

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेएए के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट एवं धारा 115 जेबी के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर के प्रावधान को ध्यान में रखते हुये साथ ही आय कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत वर्ष हेतु देयकर के आधार पर चालू कर के लिये प्रावधान किया जाता है।

आस्तियों एवं दायित्वों की वहन राशि एवं उनके संबंधित कर आधार एवं तुलन–पत्र की दिनांक को आगे लाई गयी हानियां, यदि कोई हो, के मध्य समय अन्तराल के परिणामी भावी कर के लिये आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों को विवेकपूर्ण आधार पर मान्यता दी जाती है। भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था द्वारा विहित लेखा मानक– 22 के अनुसार, तुलन–पत्र की दिनांक को अधिनियमित या मूलतः अधिनियमित कर कानूनों एवं कर दरों का उपयोग करते हुये आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों को मापा जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों में परिवर्तनों के प्रभाव को लाभ व हानि खाता में मान्यता दी जाती है।

(एच) इन्वेन्ट्री का मूल्यांकन

कम्पनी सामग्री के क्रय और विक्रय का संव्यवहार नहीं करती है। कार्बन वित्तीय प्रपत्रों (सीएफआई या सीईआर) का मूल्यांकन स्व उत्पादित प्रमाणित उत्सर्जन में कटौती के लिये लेखांकन पर मार्गदर्शन नोट के एक्सपोजर के अनुसार किया गया है। अग्रतर, ईडी के अनुसार क्योंकि ऐसी आस्तियां लेखा मानक 2 के अन्तर्गत शब्द ''इन्वेन्ट्री'' की दी गई परिभाषा को पूरा करती है, अतः तद्नुसार निरन्तर लागत पर या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित की जाती है।

(आई) नकद प्रवाह विवरण

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा विहित लेखा मानक–3 के अनुसार नकद प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुये तैयार किया जाता है।

(जे) आस्तियों का क्षरण

आस्तियों का क्षरण उसी समय मान्य किया जाता है जब इन आस्तियों के क्षरण का संकेत मिलता है। इस संकेत के आधार पर आस्तियों की वसूल की जा सकने योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और यदि अनुमानित राशि आस्ति की वहन राशि से कम होती है तो वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है।

यह कटौती क्षरण हानि मानी जाती है एवं लाभ–हानि खाते में दर्शायी जाती है। यदि तुलन–पत्र की तिथि को यह संकेत है कि पूर्व निर्धारित क्षरण हानि वर्तमान में नहीं है तो वसूली योग्य राशि पुनर्मूल्यांकित की जाती है तथा आस्ति ह्रास योग्य ऐतिहासिक लागत के अधिकतम के अधीन वसूली योग्य राशि से दर्शाई जाती है।

(के) पट्टे (आस्थगित भुगतान शर्तों के अन्तर्गत अर्जित आस्तियों सहित)

वित्तीय पट्टों के अन्तर्गत अर्जित आस्तियों को पट्टे के प्रारम्भ में पट्टेदार आस्तियों के वास्तविक भुगतान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है एवं स्थिर आस्तियों में शामिल किया जाता है। ऐसी आस्तियों के लिये कम्पनी की मूल्य ह्रास नीति के अनुसार इन आस्तियों का मूल्य ह्रास किया जाता है।

(एल) उधार राशियों की लागतें

अर्हक आस्तियों के निर्माण या अधिग्रहण पर आरोप्य ऋण लागतों को उस आस्ति की लागत के यथा अंश के पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हक आस्ति वह है जो इसके अभीष्ट प्रयोग के लिये तैयार होने में आवश्यक रूप से काफी समय लेती है। अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि में जिसमें यह उपगत होती है, यथा व्यय के मान्यता दी जाती है एवं लाभ व हानि खातें में प्रभारित किया जाता है।

(एम) प्रति अंश अर्जन

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानक–20 के अनुसार, कम्पनी मूल प्रति अंश अर्जन की रिपोर्ट करती है। मूल प्रति अंश अर्जन की गणना वर्ष के दौरान बकाया साम्य अंशों की भारित औसत संख्या से वर्ष हेतु शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। क्योंकि साम्य अंश में कोई संभव्य मन्दन नहीं है, अतः यह मूल प्रति अंश अर्जन के समतुल्य है।

(एन) लागत अभिलेखें

कम्पनी अधिनियम के अधीन विहित लागत लेखांकन नियम के अनुसार, कम्पनी प्रत्येक संयंत्र के लिये पृथक लागत विवरणों का संधारण कर रही है।

(ओ) प्रावधान, समाश्रित दायित्व एवं समाश्रित आस्तियां

पूर्व घटना के परिणामस्वरूप जब कम्पनी का वर्तमान दायित्व होता है तो प्रावधान को मान्यता दी जाती है, यह सम्भावना है कि दायित्वों के निपटारे के लिये आर्थिक लाभों को अंगीभूत किये हुये संसाधनों के बाह्य

प्रवाहों की आवश्यकता होगी एवं दायित्व की राशि का एवं विश्वसनीय पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। उनके वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों को घटाया नहीं जाता है और प्रतिवेदित दिनांक को दायित्व के निपटारे के लिये अपेक्षित उत्तम प्राक्कलन के आधार पर नियत किये जाते है। इन प्राक्कलनों का प्रत्येक प्रतिवेदित दिनांक को पुनर्विलोकन किया जाता है एवं चालू उत्तम प्राक्कलनों को दर्शाने के लिये समायोजित किये जाते है।

एक आकस्मिक देनदारी एक संभव दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है जिसके अस्तित्व की कम्पनी के नियंत्रण से परे किसी एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं के होने या नहीं होने से पुष्टि हो जायेगी या एक वर्तमान दायित्व जिसको स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्वों ने निपटारे के लिये बाह्य प्रवाहों की आवश्यकता होगी। एक आकस्मिक दायित्व अत्यन्त दुर्लभ मामलों में भी उत्पन्न होता है, जहां दायित्व है उसे मान्यता प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इसे विश्वासपूर्वक नहीं मापा जा सकता है। कम्पनी ने आकस्मिक दायित्वों को मान्यता नहीं दी है। तथापि, वित्तीय विवरणों में पृथक से प्रकटीकरण किया गया है।

आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्य किया गया है न ही वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी

(ए) आय और व्यय की मान्यता

कम्पनी लेखांकन की व्यापारिक पद्धति का अनुसरण करती है और आय एवं व्यय के प्रोद्भवन के आधार पर मान्य करती है। समस्त आय/व्यय वित्तीय विवरणों पर तात्विक रूप से भारित होने के कारण निम्नलिखित के अतिरिक्त सभी को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी जाती है:—

1. कम्पनी द्वारा प्राप्त किराया, अन्य कम्पनियों को उप—पट्टा के माध्यम से अनुज्ञात भूमि उपयोग हेतु बकाया राशि है। ऐसी संविदा के लिये एक बार की प्राप्त राशि को सरल रेखा आधार पर 30 वर्ष की संविदा अवधि पर लाभ व हानि विवरण में यथा आय के मान्यता दी जाती है।

2. कम्पनी द्वारा प्राप्त वार्षिक किराया, अन्य कम्पनियों को उप—पट्टा के माध्यम से अनुज्ञात भूमि उपयोग हेतु बकाया राशि है। प्राप्त वार्षिक किराया को लाभ व हानि विवरण में, जैसे ही और जब उपार्जित होते है, मान्यता दी जाती है।

3. वार्षिक संचालन एवं संधारण प्रभार प्राप्यों को उस वर्ष में जिसमें यह प्रोद्भूत होते है, लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। वार्षिक संचालन एवं संधारण पर उपगत समनुरूपी व्ययों को लाभ व हानि विवरण में प्रभारित किया जाता हें।

4. सभी विकासकों द्वारा उपयोग की जा सकने वाली भूमि पर सामूहिक आधार भूत संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिये प्राप्त एक बार के वसूली प्रभारों को 30 वर्ष के पट्टा अवधि पर सरल रेखा आधार पर लाभ व हानि विवरण में लिया गया है।

5. सोलर पार्क भाडला चरण–द्वितीय के विकास के लिये एमएनआरई से प्राप्त सीएफए को लेखा मानक–12 के अनुसार 40 वर्ष की अवधि पर आय के अन्तर्गत परिशोधित किया है।

(बी) स्थिर आस्तियां

स्थिर आस्तियों को उनकी अधिगृहण लागत में से संचित मूल्य ह्रास को कम करके दर्शाया जाता है। लागत में आस्ति के लिये प्राप्त कोई विशेष अनुदान को कम करके आस्तियों को इनकी वर्तमान स्थिति एवं स्थान पर लाने के लिये सभी उपगत व्यय शामिल है।

(सी) मूल्य ह्रास एवं परिशोधन

स्थिर आस्तियों पर मूल्य ह्रास कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची – द्वितीय के अधीन विहित रीति एवं दर पर अपलिखित मूल्य विधि से प्रभारित किया जायेगा। राजस्थान सरकार द्वारा कम मूल्य दर पर कम्पनी को 99 वर्ष की पट्टावधि के लिये आवंटित भूमि का पट्टा अवधि पर समानुपातिक परिशोधन किया गया है।

(ई) सेवानिवृत्ति लाभ / कर्मचारी लाभ

कम्पनी ने सेवानिवृत्ति पर "ग्रेच्यूटी" एवं 'अवकाश नकदीकरण" के लाभों के लिए कोई पॉलिसी नहीं ले रखी है।

(एफ) आय पर करों हेतु लेखांकन

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेएए के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट एवं धारा 115 जेबी के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर के प्रावधान को ध्यान में रखते हुये साथ ही आय कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत वर्ष हेतु देयकर के आधार पर चालू कर के लिये प्रावधान किया जाता है।

आस्तियों एवं दायित्वों की वहन राशि एवं उनके संबंधित कर आधार एवं तुलन–पत्र की दिनांक को आगे लाई गयी हानियां, यदि कोई हो, के मध्य समय अन्तराल के परिणामी भावी कर के लिये आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों को विवेकपूर्ण आधार पर मान्यता दी जाती है। भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था द्वारा विहित लेखा मानक– 22 के अनुसार, तुलन–पत्र की दिनांक को अधिनियमित या मूलतः अधिनियमित कर कानूनों एवं कर दरों का उपयोग करते हुये आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों को मापा जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों में परिवर्तनों के प्रभाव को लाभ व हानि खाता में मान्यता दी जाती है।

(जी) नकद प्रवाह विवरण

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा विहित लेखा मानक–3 के अनुसार नकद प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुये तैयार किया जाता है।

(एच) आस्तियों का क्षरण

आस्तियों का क्षरण उसी समय मान्य किया जाता है जब इन आस्तियों के क्षरण का संकेत मिलता है। इस संकेत के आधार पर आस्तियों की वसूल की जा सकने योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और यदि अनुमानित राशि आस्ति की वहन राशि से कम होती है तो वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है।

यह कटौती क्षरण हानि मानी जाती है एवं लाभ–हानि खाते में दर्शायी जाती है। यदि तुलन–पत्र की तिथि को यह संकेत है कि पूर्व निर्धारित क्षरण हानि वर्तमान में नहीं है तो वसूली योग्य राशि पुनर्मूल्यांकित की जाती है तथा आस्ति ह्रास योग्य ऐतिहासिक लागत के अधिकतम के अधीन वसूली योग्य राशि से दर्शाई जाती है।

(आई) उधार राशियों की लागतें

अर्हक आस्तियों के निर्माण या अधिग्रहण पर आरोप्य ऋण लागतों को उस आस्ति की लागत के यथा अंश के पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हक आस्ति वह है जो इसके अभीष्ट प्रयोग के लिये तैयार होने में आवश्यक रूप से काफी समय लेती है। अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि में जिसमें यह उपगत होती है, यथा व्यय के मान्यता दी जाती है एवं लाभ व हानि राशि में प्रभारित किया जाता है। तथापि, कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई उधार राशि लागत का उपगत नहीं किया है।

(जे) लागत अभिलेखें

कम्पनी लागत अभिलेखों का संधारण नहीं कर रही है।

(के) प्रति अंश अर्जन

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानक–20 के अनुसार, कम्पनी मूल प्रति अंश अर्जन की रिपोर्ट करती है। मूल प्रति अंश अर्जन की गणना वर्ष के दौरान बकाया साम्य अंशों की भारित औसत संख्या से वर्ष हेतु शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। क्योंकि साम्य अंश में कोई संभव्य मन्दन नहीं है, अतः मन्दित प्रति अंश अर्जन की गणना नहीं की गयी है।

(एल) खण्ड रिपोर्टिंग

वर्तमान में निर्धारिती मुख्य रूप से केवल एक खण्ड अर्थात् सोलर पार्क का विकास एवं केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में ही संचालन कर रहा है, अतः खण्ड रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

4. अतिरिक्त टिप्पणियां

कम्पनी भौतिक सामग्री के क्रय एवं विक्रय का संव्यवहार नहीं करती है।
तथापि, कम्पनी ने अपनी 5 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से आज तक सीईआर की 179600 इकाईयां

(सीएफआई की कुल 1796) (1 सीएफआई = 100 सीईआर के) निम्न प्रकार उत्पादित की है/आवंटित की है :

विन्टेज/डब्ल्यू पीपी संख्या	2003 के लिये	2004 के लिये	2005 के लिये	2006 के लिये	2007 के लिये	कुल सीएफआई
#1337 (25 मे.वा.)	0	283	307	317	324	1231
#1338 (2.25 मे.वा.)	28	28	25	25	24	130
#1339 (2.0 मे.वा.)	22	23	21	16	17	99
#1340 (10.2 मे.वा.)	0	0	0	89	117	206
#1341 (2.1 मे.वा.)	26	29	25	26	24	130
कुल सीएफआई	76	363	378	473	506	1796(सीएफआई)
कुल सीईआर (सीएफआई 100)	7600	36300	37800	47300	50600	179600(सीईआर)

उपरोक्त में से कम्पनी के पास हस्तगत शेष सीएफआई को यहां नीचे दिया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 25 मेगावाट (विन्टेज संख्या 1337) परियोजना के लिये अन्तिम स्टॉक केवल 14 प्रतिशत की सीमा तक लिया गया है क्योंकि शेष 86 प्रतिशत पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन का है एवं आरआरईसी के इलेक्ट्रानिक खाते में सामूहिक रूप से धारित है।

विन्टेज/डब्ल्यू पीपी संख्या	2003 के लिये	2004 के लिये	2005 के लिये	2006 के लिये	2007 के लिये	कुल सीएफआई
#1337 (25 मे.वा.)	0	39.62	42.98	44.38	45.36	172.34 (ऊपर की टिप्पणी देखें)
		(283 का 14 प्रतिशत)	(307 का 14 प्रतिशत)	(317 का 14 प्रतिशत)	(324 का 14 प्रतिशत)	
#1338 (2.25 मे.वा.)	28	25	25	17	0	95
#1339 (2.0 मे.वा.)	18	0	1	0	0	19
#1340 (10.2 मे.वा.)	0	0	0	89	112	201
#1341 (2.1 मे.वा.)	0	0	0	0	0	0
कुल	46	64.62	68.98	150.38	157.36	487.34 (सीएफआई)

वर्ष 2007 एवं आगे की अवधि के लिये उत्पादित सीएफआई के विवरण उपलब्ध नहीं है, इसलिये उन वर्षों के पश्चात् के विवरण उपरोक्त तालिका में नहीं दिये गये है और क्योंकि 31.03.2020 को कोई कीमत की दर उपलब्ध नहीं है अतः प्रबंधन ने इनका मूल्य शून्य राशि लेने का निर्णय किया है।

5. पीएमजीवाई योजना के अन्तर्गत 10 किलोवाट क्षमता के एसपीवी के एकल पावर संयंत्रों की लागत की पूर्ति पीएमजीवाई योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत अनुदान के माध्यम से की गयी है। अतः किसी भी आस्ति की एकल प्लाण्टों के लिये दर्शाने के लिये, आवश्यकता नहीं है। हालांकि प्रत्येक परियोजना के अन्तर्गत भूमि एवं

संयंत्र की नियंत्रण एवं अभिलेखों के प्रयोजनार्थ 1/–प्रति भूमि व 1/– प्रति संयंत्र के नाममात्र मूल्य पर रिकार्ड किया गया है, तथापि वर्ष के दौरान ऐसी कोई आस्तियां अर्जित नहीं की गयी है।

6. कम्पनी अपने प्रत्येक विद्युत उत्पादन संयंत्र के लिए परियोजना स्थल पर किए व्यय का पृथक् से वित्तीय विवरण रखती है जो कि 2.1 मेगावाट फलौदी में, 2.25 मेगावाट देवगढ़ में, 25 मेगावाट सोडाबंधन (जैसलमेर) में, 10.2 मेगावाट आकल (जैसलमेर) में, 10.2 मेगावाट पोहरा (जैसलमेर) में तथा 100 किलोवाट गौरीर (झूंझूंनू) तथा 01 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र फागी में स्थित है। कम्पनी अभी इन उत्पादन संयंत्रों का निर्धारित प्रारूप में पूर्ण एवं विस्तृत लागत लेखा, प्रत्येक संयंत्र को एक पृथक् अस्तित्व के साथ संधारित कर रही है। प्रत्यक्ष व्ययों को संबंधित पीजीपी में प्रभारित किया जाता है तथा अप्रत्यक्ष व्ययों को उन संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन के अनुसार आनुपातिक रूप में, प्रत्येक संयंत्र के लागत अभिलेखों में दर्शाया गया है।

7. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80–आईए के प्रावधानों के अन्तर्गत कम्पनी कटौती प्राप्त करने के योग्य है (जो ऊर्जा के उत्पादन में लगे हुये औद्योगिक उपक्रमों द्वारा ऊर्जा उत्पादन प्रारम्भ किये जाने के वर्ष से 15 वर्षों में किन्हीं भी 10 लगातार निर्धारित वर्षों में अर्जित लाभ में से कटौती का प्रावधान करती है)। वर्तमान में कम्पनी 1 मेगावाट सौर पीवी फागी संयंत्र की कटौती के लाभ उठाने के लिये योग्य है, जो निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	संयंत्र का नाम	उपक्रम या उद्योग द्वारा उद्यम/क्रियाविधि प्रारम्भ करने की दिनांक	प्रारम्भिक निर्धारण वर्ष जब से कटौती का दावा किया गया है।
1	01 मेगावाट एसपीपी फागी	05.04.2012	निर्धारण वर्ष 2013–2014

लेकिन चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने वर्ष के लिये आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 बीएए के तहत् अपनी कर देयता की गणना की है और कम्पनी ने फागी में 1 मेगावाट सोलर पीवी प्लांट के माध्यम से उत्पन्न लाभ की धारा 80 आईए के अधीन कटौती का दावा नहीं किया है।

8. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के मंत्रालय द्वारा 26.08.2008 को जारी कार्यालयीन ज्ञापन के अनुसार, जो सिफारिश करता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को अपने ग्राहकों के साथ पत्र–व्यवहार में ज्ञापन मे दायर करने के पश्चात् यथा आवंटित उद्यमकर्ता ज्ञापन क्रमांक का उल्लेख करना चाहिये। कम्पनी ने इस संबंध में पत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। तथापि, कम्पनी ने आज दिनांक तक किसी भी ऐसी सत्ता से कथित ज्ञापन की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं की है। अतः ऐसा कोई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम नहीं है, जिसको कम्पनी को 31.03.2020 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत को 45 दिन से अधिक के लिए देना बकाया शेष हो। इस अधिनियम के अधीन किसी आपूर्तिकर्ता से भी ब्याज का दावा कम्पनी को प्राप्त नहीं हुआ है।

9. वर्ष के दौरान, आरआरईसीएल ने 20 अगस्त, 2019 को "राजीव गांधी अक्षर ऊर्जा दिवस 2019" मनाया जिस पर कम्पनी ने 31.69 लाख रूपये का खर्च किया और कम्पनियों के लाभ के माध्यम से प्रभारित किया और उसे मण्डल ने 26 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी 105 बैठक में स्वीकृति किया है।

10. आरआरईसीएल ने रिसर्जेंट राजस्थान समिट के संबंध में भुगतान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2017—18 में निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो को 5 करोड़ रूपये अग्रिम के रूप में दिये लेकिन वर्ष के दौरान बीआईपी ने सूचित किया (पत्र दिनांक 19.11.2019) की विभिन्न पार्टियों को भुगतान अभी भी किया जाना बाकी है, इसलिये बीआईपी द्वारा नहीं दिये गये उपयोगिता प्रमाण—पत्र के अभाव में, खर्चों की मात्रा निर्धारित नहीं हो सकी इसलिये लेखा—पुस्तकों में इसे मान्यता नहीं दी जा सकी।

11. लेखा मानक—15 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित निम्न सारणी 31.03.2020 को अवकाश नकदीकरण योजना तथा ग्रेच्यूटी योजना की स्थिति दर्शाती है:

प्रथम पॉलिसी

पूर्वानुमान	31.03.2019	31.03.2020	ग्रेच्युटी	अवकाश वेतन
बट्टा दर	8 प्रतिशत	8 प्रतिशत	2019-20	2019-20
वेतन में वृद्धि	7 प्रतिशत	7 प्रतिशत		
बाध्यता की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन को दर्शाती तालिका				
बाध्यता की वर्तमान स्थिति यथा वर्ष के प्रारम्भ में			34709270.00	21242531.00
ब्याज की लागत			2603195.00	1699402.00
वर्तमान सेवा लागत			981871.00	172211.00
प्रदत्त सुविधायें			(6247250.0)	(4102188.00)
बाध्यताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि			908857.00	(558787.00)
वर्ष के अन्त में बाध्यता की वर्तमान स्थिति			**32955943.00**	**19570743.00**
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाती तालिका				
वर्ष के प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य			26432325.00	22657004.92
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ			1875968.7	1520650.03
अंशदान			2064849.98	.00
प्रदत्त सुविधायें			(6247250)	(4102188.00)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि				
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य			24125893.72.	20075466.95
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य को दर्शाती तालिका				
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य			26432325.00	22657004.92
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ			1875968.74	1520650.03
अंशदान			2064849.98	.00
प्रदत्त सुविधायें			(6247250)	(4102188.00)

वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	24125893.72	20075466.95
कोषीय स्थिति	8830049.28	504723.95
योजनागत आस्ति के अनुमानित प्रतिलाभ पर वास्तविक का आधिक्य		
(वास्तविक प्रतिलाभ दर = 31 मार्च को यथा एआरडी के पतन के प्रतिलाभ की अनुमानित दर)		
प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि		
बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	908857.00	(558787.00)
वर्ष की योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	शून्य	शून्य
बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	908857.00	558787.00
वर्ष में प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि	908857.00	558787.00
तुलन–पत्र तथा लाभ–हानि के विवरण में प्रमाणित की जाने वाली राशियां		
वर्ष के अन्त में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	32955943.00	19570743.00
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	24125893.72	20075466.95
कोषीय स्थिति	8830049.28	504723.95
वर्ष के तुलन–पत्र में प्रमाणित शुद्ध आस्तियां/(दायित्व)	-8830049.28	504723.95
लाभ–हानि विवरण में प्रमाणित व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	981871.00	172211.00
ब्याज लागत	2603195.00	1699402.00
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	-1875968.74	-1520650.03
वर्ष में प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि	908857.00	(558787.00)
लाभ–हानि विवरण में प्रमाणित व्यय	2617954.00	909750.00

द्वितीय पॉलिसी

पूर्वानुमान	31.03.2019	31.03.2020	ग्रेच्युटी	अवकाश वेतन
बट्टा दर	8 प्रतिशत	8 प्रतिशत	2019-20	2019-20
वेतन में वृद्धि	7 प्रतिशत	7 प्रतिशत		
बाध्यता की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन को दर्शाती तालिका				
बाध्यता की वर्तमान स्थिति यथा वर्ष के प्रारम्भ में			66377.00	35690.00
ब्याज की लागत			4978.00	2855.00
वर्तमान सेवा लागत			27016.00	14376.00
प्रदत्त सुविधायें			0.00	0.00
बाध्यताओं पर बीमांकिक (लाभ)/हानि			24619.00	13264.00
वर्ष के अन्त में बाध्यता की वर्तमान स्थिति			122990.00	66185.00
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन को दर्शाती तालिका				
वर्ष के प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य			98443.47	52060.12
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ			5897.1	4453.80
अंशदान			0.00	30043.27
प्रदत्त सुविधायें			0.00	0.00

योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि		
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	104340.62	86557.19
योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य को दर्शाती तालिका		
वर्ष के प्रारम्भ में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	98443.47	52060.12
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	5897.15	4453.80
अंशदान	0.00	30043.27
प्रदत्त सुविधायें	0.00	0.00
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	104340.62	86557.19
कोषीय स्थिति	18649.38	20372.19
योजनागत आस्ति के अनुमानित प्रतिलाभ पर वास्तविक का आधिक्य		
(वास्तविक प्रतिलाभ दर = 31 मार्च को यथा एआरडी के पतन के प्रतिलाभ की अनुमानित दर)		
प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि		
बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	24619.0	(13264.00)
वर्ष की योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	शून्य	शून्य
बाध्यता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	24619.00	13264.00
वर्ष में प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि	24619.00	13264.00
तुलन–पत्र तथा लाभ–हानि के विवरण में प्रमाणित की जाने वाली राशियां		
वर्ष के अन्त में बाध्यता का वर्तमान मूल्य		
वर्ष के अन्त में योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	122990.00	66185.00
कोषीय स्थिति	104340.62	86557.19
वर्ष के तुलन–पत्र में प्रमाणित शुद्ध आस्तियां/(दायित्व)	18649.38	20372.19
	18649.38	20372.19
लाभ–हानि विवरण में प्रमाणित व्यय		
वर्तमान सेवा लागत	27016.00	14376.00
ब्याज लागत	4978.00	2855.00
योजनागत आस्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	(5897.15)	(4453.8)
वर्ष में प्रमाणित बीमांकिक (लाभ)/हानि	24619.00	13264.00
लाभ–हानि विवरण में प्रमाणित व्यय	50716.00	26041.00

12. संबंधित पक्षकारों का प्रकटीकरण

(ए) कम्पनी के संबंधित पक्षकारों के नाम निम्न प्रकार से है:

I	**कम्पनी में सारवान हित रखने वाले व्यक्ति एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक**
ए	श्री अनिल गुप्ता–आईएएस–प्रबंध निदेशक
बी	श्री के. सी. कुमावत–निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्त अधिकारी
सी	श्रीमती गजल सक्सेना, कम्पनी सचिव
II	**ऐसे व्यक्ति तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधी****
III	**उपक्रम जिनमें ऊपर वर्णित कोई योग्य व्यक्ति सारवान हित रखता है****

**भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा निर्गमित मानक–18 के पैरा 9 के अनुसार अन्य राज्य से नियंत्रित उपक्रम एवं उक्त उपक्रम के साथ व्यवहार के लिए संबंधित पक्षकार से संबंध के विषय में प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(बी) संबंधित पक्षकारों से व्यवहार का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	कम्पनी में सारवान हित रखने वाले व्यष्टि एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	ऐसे व्यष्टि एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के संबंधी**	उपक्रम जिनमें ऊपर वर्णित कोई व्यक्ति सारवान हित रखता है**	31.03.2020 को योग	31.03.2019 को योग
प्रबंधकीय पारिश्रमिक / वेतन					
श्री अनिल गुप्ता, प्रबंध निदेशक	25,78,677.00			25,78,677.00	4,64,093.00
श्री के. सी. कुमावत निदेशक (वित्त)	21,43,047.00			21,43,047.00	1,36104.00
श्रीमती गजल सक्सेना, कम्पनी सचिव	10,21,414.00			10,21,414.00	11,41,613.00
योग	**57,43,138.00**			**57,43,138.00**	**17,41,810.00**

**संविदात्मक बाध्यताओं के अन्तर्गत वेतन भुगतान एवं अन्य देयताओं के अतिरिक्त मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधियों से कोई संव्यवहार नहीं हुआ है।

13. अनुज्ञप्त तथा स्थापित क्षमता (प्रबंधन द्वारा यथा प्रमाणित)

	चालू वर्ष	**गत वर्ष**
(i) अनुज्ञप्त क्षमता	लागू नहीं है	लागू नहीं है
(ii) स्थापित क्षमता		
2.25 मेगावाट देवगढ़ पवन फार्म परियोजना	2.25 मेगावाट	2.25 मेगावाट
2.10 मेगावाट फलौदी पवन फार्म परियोजना	2.10 मेगावाट	2.10 मेगावाट
25 मेगावाट सोडा (जैसलमेर) पवन फार्म	25 मेगावाट	25 मेगावाट
10.2 मेगावाट आकल (जैसलमेर) पवन फार्म	10.2 मेगावाट	10.2 मेगावाट
100 किलोवाट–एसपीवी–गौरीर (झुंझुनू) परियोजना	100 किलोवाट	100 किलोवाट
10.2 मेगावाट पोहरा (जैसलमेर) पवन फार्म	10.2 मेगावाट	10.2 मेगावाट
01 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट फागी	01 मेगावाट	01 मेगावाट

14. पूंजीगत सामग्री, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स या कच्चे माल का इस वर्ष या गत वर्ष में कोई आयात नहीं किया गया है।

15. विदेशी मुद्रा में व्यय : शून्य (गत वर्ष शून्य)

16. विद्युत के उत्पादन और विक्रय के संबंध में मात्रात्मक सूचना (केडब्ल्यूएच) :

	चालू वर्ष	गत वर्ष
	यूनिटस् में	यूनिटस् में
प्रारम्भण–पश्चात् अवधि		
उत्पादित यूनिट :		
2.25 मेगावाट देवगढ़ पवन फार्म परियोजना	1090257	1105020
2.10 मेगावाट फलौदी पवन फार्म परियोजना	1843470	2148570
25 मेगावाट जैसलमेर पवन फार्म	28744028	29388160
10.2 मेगावाट आकल पवन फार्म	2643400	3079600
100 किलोवाट–एसपीवी–गौरीर परियोजना	-	-
10.2 मेगावाट पोहरा जैसलमेर	4817266	4153916
01 मेगावाट सोलर पावर प्लाण्ट फागी	1486577	1456369
कुल उत्पादित यूनिटे	**40624998**	**41331635**
विक्रय की गयी यूनिट :		
2.25 मेगावाट देवगढ़ पवन फार्म परियोजना	1090257	1105020
2.10 मेगावाट फलौदी पवन फार्म परियोजना	1843470	2148570
25 मेगावाट जैसलमेर पवन फार्म	28744028	29388160
10.2 मेगावाट आकल पवन फार्म	2643400	3079600
100 किलोवाट–एसपीवी–गौरीर परियोजना	-	-
10.2 मेगावाट पोहरा जैसलमेर	4817266	4153916
01 मेगावाट सोलर पावर प्लाण्ट फागी	1486577	1456369
कुल विक्रीत यूनिटे	**40624998**	**41331635**

17. खण्ड प्रतिवेदन

(ए) व्यावसायिक खण्ड :– कम्पनी दो तरह की व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न है:– (ए) पवन / सौर विद्युत परियोजनओं से उत्पादित विद्युत तथा सीईआर के विक्रय से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियां (बी) ऊर्जा के उत्पादन के लिये गैर–परम्परागत संसाधनों के प्रोन्नयन के लिये निवेशकों हेतु राजस्थान–सरकार की नोडल एजेन्सी एवं भारत–सरकार एवं राजस्थान–सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये कार्य कर रही है। खण्ड–वार सूचना अनुलग्नक में दी गयी है।

(बी) भौगोलिक खण्ड:– चूंकि कम्पनी के समस्त विद्युत उत्पादन संयंत्र राजस्थान में ही स्थित है, अतः इस खण्ड की आवश्यकता नहीं।

18. वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान, भविष्य निधि विभाग ने आरआरईसीएल के बैंक खाते से 109885 रूपये वसूल किये तथापि कम्पनी ने आयुक्त के समक्ष अपील दायर की है, अतः मामलें के निस्तारण तक इसे भविष्य निधि विभाग से यथा वसूली योग्य दर्शाया गया है।

19. वित्तीय वर्ष 2018–2019 में वाद सं. 185,186,187,188 व 189/2018 में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09.04.2018 की पालना में कम्पनी ने महा–रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय को यथा अग्रिम 10500000/– रूपये सविरोध जमा कराये हैं। जैसा कि अपील का अन्तिम निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है अतः आरआरईसीएल द्वारा किया गया भुगतान समायोजन के अधीन है और निर्णय पर निर्भर करेगा अतः इसे चालू वित्तीय वर्ष में यथा प्राप्य के व्यवहृत किया गया है।

20. अपील के अधीन आय कर निर्धारण की स्थिति एवं उनका प्रभाव

ए. आयकर विभाग ने कर निर्धारण वर्ष 2008–09 और 2009–10 के लिये आयकर अधिनियम 1961 की धारा 148 के अधीन कर निर्धारण पर पुनर्विचार किया और आयकर अधिनियम की 80–आई–ए में दावा की गयी कटौती को कम की गयी और यथा दावा किये गये कुछ अन्य अतिरिक्त व्ययों के विरूद्ध मांग का सृजन किया। कम्पनी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील दायर की और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आंशिक राहत अनुज्ञात की है। निर्धारिती ने माननीय आयकर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की है और विभाग ने भी अपील दायर की है जैसा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा राहत अनुज्ञात की गयी है। माननीय आयकर अपील न्यायाधिकरण, जयपुर ने विभाग की अपील को खारिज कर दिया और आदेश दिनांक 18.08.2017 द्वारा निर्धारिती को राहत अनुज्ञात की, माननीय आयकर अपील न्यायाधिकरण जयपुर के आदेश के अपील प्रभाव लम्बित है, इसलिये कर के आवश्यक समायोजन को लेखा पुस्तकों में नहीं दिया गया है।

बी. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2010–2011, 2011–2012 और 2012–2013 के लिये कर निर्धारण का मूल्यांकन किया गया था, पारित आदेशों में, एलडी निर्धारण अधिकारी ने आयकर अधिनियम की 80 आईए की कटौती के लिये गये दावों के अन्तर्गत कुछ व्ययों को नामंजूर, आय अमान्य किया है। कम्पनी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील दायर की और प्रथम अपीलीय अधिकारी ने आंशिक राहत अनुज्ञात की है। निर्धारिती ने माननीय आयकर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की है और विभाग ने भी अपील दायर की है जैसा कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा राहत अनुज्ञात की गयी है। माननीय आयकर अपील न्यायाधिकरण, जयपुर ने विभाग की अपील को खारिज कर दिया और आदेश दिनांक 18.08.2017 द्वारा निर्धारिती को राहत अनुज्ञात की, माननीय आयकर अपील न्यायाधिकरण जयपुर के आदेश के अपील प्रभाव लम्बित है, इसलिये कर के आवश्यक समायोजन को लेखा पुस्तकों में नहीं दिया गया है।

सी. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2016–17 के लये कर निर्धारण का मूल्यांकन किया गया था, पारित आदेशों में, एलडी निर्धारण अधिकारी ने 29.10.2018 को कर निर्धारण आदेश पारित किया जिसमें विभाग ने 8084354/– रूपये की मांग की। ऐसे आदेश के विरूद्ध,

आरआरईसीएल ने 27.11.2018 को सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की है; तथापि अपील के लिये सुनवाई अभी तक लम्बित है।

डी. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिये कर निर्धारण का मूल्यांकन किया गया था, पारित आदेशों में, एलडी निर्धारण अधिकारी ने 29.10.2018 को कर निर्धारण आदेश पारित किया जिसमें विभाग ने 2,50,51,820/– रूपये की मांग की। ऐसे आदेश के विरूद्ध, आरआरईसीएल ने 27.11.2018 को सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की है; और कुल मांग का 20 प्रतिशत यथा 5720760/– रूपये जमा कराके स्थगन के लिये आवेदन दायर किया है तथापि अपील के लिये सुनवाई अभी तक लम्बित है।

21. सेवाकर मामलों की स्थिति, अपील एवं उनका प्रभाव

ए. केन्द्रीय उत्पाद आयुक्त (सेवा कर) ने दिनांक 22.01.2015 को आदेश पारित किया है और 12051557 रूपये के सेन्वेट क्रेडिट के गलत उपभोग के कारण 2008–2009 (अक्टूबर, 2008) से 2013–2014 (जून, 2013 तक) की अवधि के लिये आयोजित सेवा कर अंकेक्षण के आधार पर जारी किये गये एससीएन, सेन्वेट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 6(3)(1) के निबंधनों के अनुसार छूट प्राप्त सामग्री/सेवाओं पर 94256387 रूपये के सेवा कर का असंदाय एवं वार्षिक प्रत्यायन प्रभार पर 538690 रूपये का असंदाय, एक बार प्रत्यायन प्रभार एवं उस अवधि के लिये प्रतिभूति जमा के समपहरण के संदर्भ में 106846634 रूपये की राशि की कुल मांग का सृजन किया है। कम्पनी ने वीसीईएस, 2013 के अन्तर्गत एक अभिवेदन प्रस्तुत किया है एवं वर्ष 2013–14 के दौरान गलत दावा की गयी सेन्वेट क्रेडिट के सम्पूर्ण कर दायित्व तथा उस पर देरी का ब्याज जमा करा दिया है। विभाग ने वीसीईएस आवेदन को नजर अंदाज कर आदेश पारित कर दिया है। उक्त तथ्यानुसार एवं विधिक सलाहकार की राय के अनुसार की गयी मांग पूर्ण नहीं की जा सकती, कम्पनी ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष अपील दायर की है। अतः कम्पनी ने इसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया है।

बी. केन्द्रीय आबकारी आयुक्त (सेवा कर) ने दिनांक 15.03.2016 को आदेश पारित किया है और सी.संख्या वी(एच) एडीजे– I/एसटी/88/2013/2162–64 दिनांक 20.10.2014 के द्वारा जारी किये गये कारण बताओं सूचना के संदर्भ में एमएनआरई से प्राप्त विस्तारण शुल्क एवं सेवा प्रभार पर 9420517 रूपये की राशि के सेवा कर का असंदाय के लिये मांग का सृजन किया है। इस संबंध में, कम्पनी ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष अपील दायर की, परन्तु वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, सेवाकर विभाग ने सबका विश्वास (विरासत विवाद) संकल्प योजना का प्रारम्भ किया, आरआरईसीएल ने इस योजना का लाभ उठाया और इस योजना के अनुसार शेष कर के 12475/– रूपये जमा करा दिये। तद्नुसार विभाग ने भी यथा डिस्चार्ज (मुक्ति) प्रमाण–पत्र के एसवीएलडीआरएस–4 जारी कर दिया है, इसलिये अब यह मामला (समाप्त) हो गया है।

सी. केन्द्रीय आबकारी उप–आयुक्त (सेवा कर) ने दिनांक 21.12.2017 को आदेश पारित किया है और एमएनआरई से सेवा प्रभार पर 930248.00 रूपये की राशि के सेवा कर के असंदाय के लिये मांग का सृजन

किया है। उक्त तथ्यानुसार एवं विधिक सलाहकार की राय के अनुसार आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है। तथापि अपील–आदेश मार्च, 2019में आया जिसमें निर्णय पक्ष में नहीं था, अतः कम्पनी ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष अपील दायर की, परन्तु वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, सेवाकर विभाग ने सबका विश्वास (विरासत विवाद) संकल्प योजना का प्रारम्भ किया, आरआरईसीएल ने इस योजना का लाभ उठाया और इस योजना के अनुसार शेष कर के 186050/– रूपये जमा करा दिये। तद्नुसार विभाग ने भी यथा डिस्चार्ज (मुक्ति) प्रमाण–पत्र के एसवीएलडीआरएस–4 जारी कर दिया है, इसलिये अब यह मामला (समाप्त) हो गया है।

22. समाश्रित दायित्व, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है

- कम्पनी की ओर से/विरूद्ध लगभग 2.75 करोड़ रूपये के कुल 110 विविध मामलें है जिनमें से कुछ तत्कालीन रेडा से संबंधित है जो विलय के दायित्व के रूप में कम्पनी को हस्तान्तरित किये गये है तथा कुछ आरआरईसी अवधि से संबंधित है। कम्पनी ने इन विधिक मामलों के परिणामस्वरूप होने वाले दायित्वों के लिये कोई प्रावधान नहीं किया है क्योंकि यह न ही निर्धारणीय है न ही किसी आदेश के द्वारा निशिचित है, इस प्रकार समाश्रित है।

- कम्पनी ने उप पंजीयनकर्ता, देवगढ़ को 08.01.2016 को सूचित किया है तथा कहा चूंकि भूमिकर की मांग अनन्तिम तौर पर जारी की गयी थी इसलिये भूमि कर पर शास्ति लगाना अनुचित है। इसके अतिरिक्त आरआरईसी ने उप पंजीयनकर्ता से अनुरोध किया है कि क्योंकि यह राज्य सरकार का उपक्रम है इसलिये आरआरईसी पर भूमिकर की लेवी की उप पंजीयकर्ता द्वारा दुबारा जांच की जानी चाहिये। परन्तु उप–पंजीयनकर्ता ने आरआरईसी के आवेदन को स्वीकार नहीं किया है। इसलिये, आरआरईसीएल ने उप–पंजीयनकर्ता द्वारा की गयी मांग के विरूद्ध में अपील करने का निर्णय लिया है। प्रबंधन द्वारा किये गये निर्णयानुसार इस मामलें में यथा भार साधक अधिकारी के कार्यवाही करने हेतु कार्मिक अधिकारी, उदयपुर को अधिकृत किया है एवं जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के समक्ष उपरोक्त मांग के विरूद्ध अपील दायर की है। मामलें की सुनवाई प्रक्रियाधीन है। इस मामलें में प्राधिकारी के निर्णयानुसार आगे की कार्यवाही की जायेगी।

23. आरआरईसी के पवन ऊर्जा परियोजना के कार्यात्मक विश्लेषण की 31.03.2020 को स्थिति का प्रतिवेदनः

क्र. सं.	विन्ड फार्म का नाम	कार्यात्मक विश्लेषण की अवधि	टिप्पणियां
1	25 मेगावाट सोडा बंधन	19.07.2016 से 18.07.2018	19.07.2016 से एनआईडब्ल्यूई एवं स्थल से आंकड़े अभी तक प्रतिक्षीत है।
2	10.2 मेगावाट आकल	1.09.2014 से 31.08.2016	सितम्बर, 2014 से अगस्त, 2016 की अवधि के लिये आरआरबी लिमिटेड से शास्ति के 30,16,134 रूपये की वसूली की गयी, आगे की अवधि के लिये एनआईडब्ल्यूईएवं स्थल से आंकड़े अभी तक प्रतिक्षीत है।

3	10.2 मेगावाट पोहरा	18.11.2013 से 17.11.2016	18.11.2013 से 17.11.2016 की अवधि के लिये आरआरबी लिमिटेड से शास्ति के 25,13,620 रूपये की गत वित्तीय वर्ष के दौरान वसूली की गयी, आगे की अवधि के लिये सीडब्ल्यूईटी एवं स्थल से आंकड़े अभी तक प्रतिक्षीत है।
4	2.25 मेगावाट देवगढ़	वित्तीय वर्ष 2008–09 से मार्च, 2016	एनआईडब्ल्यूई एवं स्थल द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़ों के अनुसार कार्यात्मक विश्लेषण कर लिया गया है। अप्रेल, 2016 से एवं आगे के आंकड़े एनआईडब्ल्यूई से प्राप्त किये जा रहे है।
5	2.10 मेगावाट फलौदी	मार्च, 2012 तक	अप्रेल, 2014 के पश्चात् अभी तक कार्यात्मक विश्लेषण के लिये आंकड़ें प्राप्त नहीं हुये है। मार्च, 2014 तक कार्यात्मक विश्लेषण एवं सीडब्ल्यूईटी से आंकड़े अभी तक प्रतिक्षीत है।
6	100 किलोवाट, गौरीर, झुंझुनू		संयंत्र आरईआईएल द्वारा निशुल्क रख–रखाव के अधीन है। अगस्त, 2011 से उत्पादन सन्तोषजनक नहीं है।
7	01 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, फागी	06 अप्रेल, 2014 से 05 अप्रेल, 2016	06.04.2014 से 05.04.2016 तक दो वर्ष की खण्डावधि के लिये संयंत्र का कार्यात्मक विश्लेषण किया गया। एनएमजीजी में न्यूनता के कारण .15 32/केडब्ल्यूएच की दर से 62,47,486/– रूपये के दण्ड की गणना की गयी एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में वसूली की सूचना फर्म को दी गयी और आरआरईसीएल ने वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18 में एलएण्डटी को देय परिचालन एवं संधारण प्रभारों के विरूद्ध क्रमशः 2652816/– रूपये और 2355332/– रूपये के अर्थदण्ड को समायोजित किया। अब मैसर्स एलएण्डटी लिमिटेड से अभी भी 1239338/– रूपये वसूली योग्य है। तथापि अर्थदण्ड अधिरोपित करने के प्रबंधन के निर्णय से व्यथित, मैसर्स एलएण्डटी पंच निर्णय हेतु अग्रतर हो गये। अब मामला पंच के समक्ष लम्बित है।

23.1 निदेशक मण्डल ने 19.11.2020 को सम्पन्न हुयी अपनी 111 वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये अपने अंशधारियों को प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत की अंतिम लाभांश की अनुशंषा की है। इसके लिये लेखा–पुस्तकों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

24. इसकी समनुषंगी कम्पनी से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण

ए. कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान सोलर पार्क चरण–प्रथम में सड़क की लाइटिंग के लिये 1,27,01,417 रूपये का अग्रिम दिया था, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरवीपीएन ने बताया की संशोधित और कम किए गए अनुमानों के साथ पूर्वोक्त कार्य पूरा हो गया है, इसलिये कम्पनी ने चालू वित्तीय वर्ष में 7550021/– रूपये का खर्च बुक किया है।

बी. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने ग्राम नोख जिला जैसलमेर ने नोख सोलर पार्क के विकास के लिए राजस्थान सरकार से 99 वर्षों की लीज अवधि पर 490939638 /– रूपये में 1856.73 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है।

सी. आरएसडीसीएल नोख जिला जैसलमेर राजस्थान में 925 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित कर रहा है, वर्ष के दौरान कम्पनी ने नोख सोलर पार्क में आधारभूत संरचना की सुविधा प्रदान करने के लिये फरवरी, 2020 में मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड के साथ 735 मेगावाट क्षमता के कार्यान्वयन सहयोग समझौते को निष्पादित किया है और शेष 190 मेगावाट क्षमता के लिए एनटीपीसी लिमिटेड ने डेवलपर मोड में शेष क्षमता को चालू करने का वचन दिया है।

डी. कम्पनी ने वसूली के आधार पर वार्षिक जल प्रभारों की आय को मान्यता दी है।

ई. वर्ष के दौरान कम्पनी ने सोलर पार्क भडला चरण– II के लिये एमएनआरई द्वारा उपलब्ध कराये गये अधिक सीएफए पर एमएनआरई को 3,02,58,290/– रूपये के ब्याज का भुगतान किया है। जैसाकि अधिक प्राप्त किया गया सीएफए पिछले वित्तीय वर्ष में एमएनआरई को वापस कर दिया गया था।

एफ. कम्पनी ने समुदाय विकास दायित्व, पहले भाडला सीएसआर से ज्ञात, पर 5,97,791.00 रूपये (कर पश्चात) का ब्याज क्रेडिट किया है।

जी. आरआरईसीएल के निदेशक मण्डल द्वारा 18.08.2011 को सम्पन्न हुयी 68वी. बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में कम्पनी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी कम्पनी है एवं यह कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन 02.11.2011 को निगमित हुयी थी।

एच. पूंजी संविदा/प्रतिबद्धता के संबंध में कोई आंकलित दायित्व नहीं है जिसका निष्पादन करना हो।

आई. कोई भी कर्मचारी वर्ष की कुछ अवधि के लिये 5,00,000 रूपये या अधिक प्रतिमाह अथवा पूर्ण वर्ष के लिये 60,00,000 रूपये प्रति वर्ष की समग्र परिश्रम पर नियुक्त नहीं हुआ है।

जे. कम्पनी के निदेशक मण्डल की राय में एवं उनके सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास में, समस्त चालू आस्तियों का वसूली मूल्य (यदि कोई प्रावधान किया गया हो तो शुद्ध मूल्य) व्यापार के सामान्य अनुक्रम में, कम से कम उस राशि के समतुल्य है जिसमें इनका तुलन–पत्र में कथन किया गया है।

के. वर्ष के दौरान कोई आगम/निर्गम विदेशी विनिमय नहीं है।

एल. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के मंत्रालय द्वारा 26.08.2008 को जारी कार्यालयीन ज्ञापन के अनुसार, जो सिफारिश करता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को अपने ग्राहकों के साथ पत्र–व्यवहार में ज्ञापन मे दायर करने के पश्चात् यथा आवंटित उद्यमकर्ता ज्ञापन क्रमांक का उल्लेख करना चाहिये। कम्पनी ने इस संबंध में पत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। तथापि, कम्पनी ने आज दिनांक तक किसी भी ऐसी

सत्ता से कथित ज्ञापन की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं की है। अतः ऐसा कोई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम नहीं है, जिसको कम्पनी को 31.03.2020 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत को 45 दिन से अधिक के लिए देना बकाया शेष हो। इस अधिनियम के अधीन किसी आपूर्तिकर्ता से भी ब्याज का दावा कम्पनी को प्राप्त नहीं हुआ है।

एम. समाश्रित दायित्व, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है, निम्न प्रकार है—

आयकर अधिकारी वाई 1 (1) जयपुर ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिये कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.12.2019 पारित किया और कुछ अतिरिक्त कर 78,54,47,791/– रूपये की मांग की जिसके विरूद्ध तथ्यों और हमारे कर सलाहकार के अभिमत की गयी मांग उचित नहीं है, के अनुसार अतः आरएसडीसीएल ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है। इसलिये कम्पनी ने कोई प्रावधान नहीं किया है।

25. कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अन्तर्गत यथा अपेक्षित उपक्रम की यथा सहायक/सहबद्ध/संयुक्त उद्यमों के समेकित अतिरिक्त सूचना

उपक्रम का नाम	शुद्ध आस्तियां अर्थात कुल दायित्वों को कम कर के कुल आस्तियां		लाभ या हानि में अंश	
	समेकित शुद्ध आस्तियों का प्रतिशत	राशि	समेकित शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत	राशि
मूल				
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	**74.73%**	**2,08,89,28,669.00**	**100.00%**	**23,36,22,503.00**
सहायक कम्पनी				
राजस्थान सोलर पार्क विकास कम्पनी लिमिटेड	**25.27%**	**70,64,69,363.00**	**0.00%**	**-52,73,510.00**

26. जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया है पूर्व वर्ष के आंकड़ों को समूहित और पुनः समूहित किया गया है।

हमारी समतिथि के पृथक प्रतिवेदन के अनुसार
एच.एम.सिंघवी एण्ड कम्पनी के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 001032सी

ह.
(सीए संजय गोधा)
साझेदार
सदस्यता संख्या 075310

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020
यूडीआईएनः UDIN- 20075310AAAACJ4966

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 06940604

ह.
के. सी. कुमावत
निदेशक (वित्त) एवं
मुख्य वित्त अधिकारी

ह.
गजल सक्सेना
कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ8244

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

की

पूर्ण स्वामित्व वाली

सहायक कम्पनी

नवम् वार्षिक प्रतिवेदन
एवं
लेखा

2019-20

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

निदेशक मण्डल (21.12.2020 को)		
	श्री सुबोध अग्रवाल, आई.ए.एस	अध्यक्ष
	श्री आशीष मोदी, आई.ए.एस	निदेशक
	श्री आर.के. जैन	निदेशक
	श्री ए.के. सक्सेना	निदेशक
	श्री सुनित माथुर	निदेशक
	श्री के.सी. कुमावत	निदेशक
	श्री दिनेश पहाडिया	निदेशक
पंजीकृत कार्यालय	ई–166, युधिष्ठिर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–302001	
वैधानिक अंकेक्षक	बी.जैन एण्ड एसोसिएटस् चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर	
आंतरिक अंकेक्षक	आर.एम. कोठारी एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर	
बैंकर्स	पंजाब नेशनल बैंक आन्ध्रा बैंक	

अनुक्रमणिका

नोटिस

निगम की जानकारी

मण्डल का प्रतिवेदन

- अनुलग्नक– I – एमजीटी–9
- अनुलग्नक– II – सीएसआर रिपोर्ट

वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

तुलन–पत्र

लाभ व हानि विवरण

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

(सीआईएन संख्या U40102RJ2011SGC036861)

नोटिस

यह सूचना दी जाती है कि राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों की वार्षिक साधारण सभा बुधवार, 30 दिसम्बर, 2020 को सांय 4.30 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय ई–166, युधिष्ठर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर पर निम्नलिखित कार्य सम्पादन करने के लिये आयोजित होगीः–

सामान्य व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरण प्राप्त करना, विचारित करना एवं ग्रहण करना।

   संशोधन (संशोधनों) सहित या रहित, निम्नलिखित सामान्य संकल्प पर विचार एवं अनुमोदन करने के लियेः

   "**संकल्प लिया कि** 31 मार्च, 2020 को कम्पनी का अंकेक्षित तुलन–पत्र, उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण पत्र, रोकड़ प्रवाह विवरण पत्र, उन पर टिप्पणियों के साथ, उन पर वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन, वर्ष के लिए निदेशकों का प्रतिवेदन तथा प्रबंधन के उत्तर के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पूरक अंकेक्षण रिपोर्ट सहित वित्तीय विवरणों को एतद्द्वारा प्राप्त कर अंगीकृत किया जाता है।"

2. **अंकेक्षकों की नियुक्ति**

   संशोधन (संशोधनों) सहित या रहित, निम्नलिखित सामान्य संकल्प पर विचार एवं अनुमोदन करने के लियेः

   "संकल्प लिया कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा मै. बी.जैन एण्ड एसोसिएटस् चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है तथा इनकी सेवाओं के लिये निदेशक मण्डल द्वारा यथा निर्धारित अंकेक्षण शुल्क की राशि 45000 /– रूपये एवं लागू कर अतिरिक्त एवं वाहन व्यय के पुनर्भरण हेतु राशि 7,500/– रूपये एवं लागू कर अतिरिक्त की पुष्टि की जाती है।

   आगे यह भी संकल्प लिया कि मै. शाह पाटनी एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है एवं कम्पनी के निदेशक मण्डल को अंकेक्षण शुल्क निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाता है।"

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के
निदेशक मण्डल की आज्ञा से

ह.
के. सी. कुमावत
निदेशक
(डीआईएनः 08411774)

पंजीकृत कार्यालयः
ई–166, युधिष्ठिर मार्ग,
सी–स्कीम, जयपुर
दिनांक 21.12.2020

टिप्पणियांः

1. सभा में उपस्थित रहने एवं मतदान करने को अधिकृत सदस्य अपने स्थान पर उपस्थित रहने एवं मतदान करने के लिये प्रतिनिधि को नियुक्त करने के लिये अधिकृत है। उक्त प्रतिनिधि का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। यदि प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाती है तो कम्पनी के पास यथावत रूप से पूरा किया हुआ निम्नलिखित प्रतिनिधि का प्रपत्र वापिस आ जाना चाहियें।

2. कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा के समय के कम से कम 48 घंटे पहले प्रतिनिधि का प्रपत्र जमा करा दिया जाना चाहिये।

3. वार्षिक साधारण सभा की तिथि तक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्यालय अवधि के दौरान सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रपत्र निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगें।

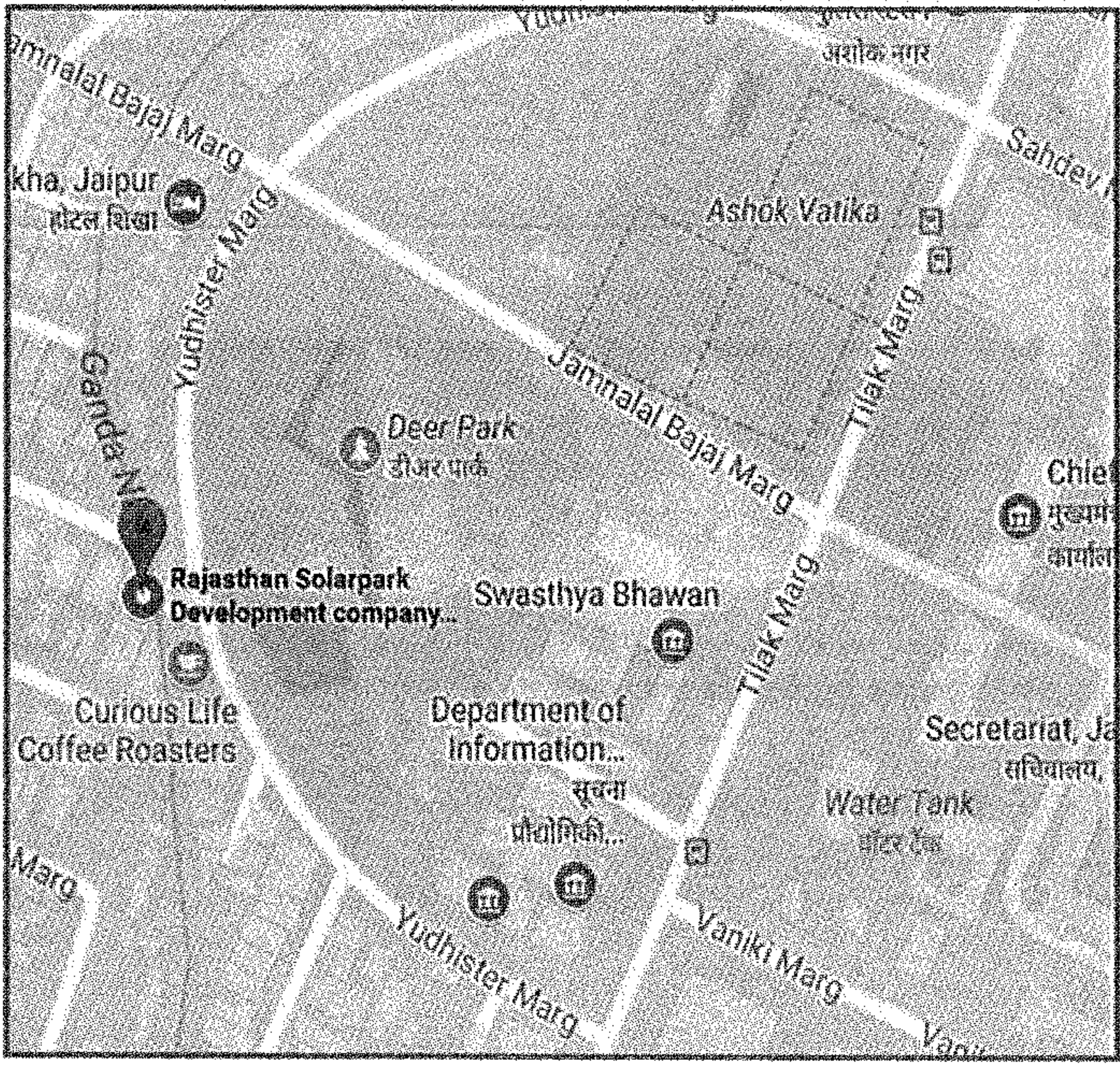
अशोक नगर
Jamnalal Bajaj Marg
kha, Jaipur
होटल शिखा
Yudhister Marg
Sahdev
Ashok Vatika
Tilak Marg
Ganda
Jamnalal Bajaj Marg
Deer Park
डीअर पार्क
Chief
Rajasthan Solarpark
Development company...
Swasthya Bhawan
Tilak Marg
Curious Life
Coffee Roasters
Department of
Information...
सूचना
प्रौद्योगिकी...
Secretariat, Ja
सचिवालय,
Water Tank
Marg
Yudhister Marg
Vaniki Marg

प्रपत्र संख्या एमजीटी–11
प्रतिनिधि का फार्म

{कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) एवं कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में}

सीआईएनः U40102RJ2011SGC036861

सदस्य (सदस्यों) का नाम :
पंजीकृत पता : ई–166, युधिष्ठिर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
ई–मेल आईडी : solar.rrec@gmail.com
फोलियो नं./ग्राहक आईडीः

डीपी आईडीः

मैं/हम आरएसडीसीएल के .... प्रत्येक 10 रूपये के साम्या अंशों के सदस्य होते हुये, निम्न को

(1) नाम ....
पता..
ई–मेल आईडी..
हस्ताक्षर.................................... या उसके न होने पर

(2) नाम ....
पता..
ई–मेल आईडी..
हस्ताक्षर.................................... या उसके न होने पर

(3) नाम ....
पता..
ई–मेल आईडी..
हस्ताक्षर.................................... या उसके न होने पर

अपनी/हमारी ओर से प्रतिनिधि के रूप में कम्पनी की नवम् वार्षिक साधारण सभा जो बुधवार दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 को ई–166, युधिष्ठिर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर पर सांय 4.30 बजे आयोजित हो रही है, में भाग लेने और मतदान (मतदान होने पर) करने के लिये एवं ऐसे संकल्पों, जो कि नीचे इंगित है, के संबंध में किसी स्थगन के लिए एतद्द्वारा नियुक्त करता हूँ :

1. 31 मार्च, 2020 को अंकेक्षित तुलन–पत्र, उस तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण एवं उस पर निदेशक मण्डल तथा अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अंगीकरण।

2. वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये मैसर्स शाह पाटनी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस की नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक का निर्धारण।

एक रूपया का रेवेन्यू स्टाम्प लगाए

वर्ष 2020 के .... दिन को हस्ताक्षर किये।
सदस्य (सदस्यों) के हस्ताक्षर ....
प्रोक्सी धारक (प्रोक्सी धारकों) के हस्ताक्षर ....

टिप्पणीः प्रतिनिधि का यह प्रपत्र यथावत् रूप से पूरा किया हुआ कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सभा के समय के कम से कम 48 घंटे पहले जमा करा देना चाहियें।

निदेशकों का प्रतिवेदन

सदस्यगण,

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये अंकेक्षित लेखे एवं नवम् वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय विशिष्टताएं

(i) संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये कम्पनी के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम निम्न प्रकार है:

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये (रूपये लाखों में)	31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये (रूपये लाखों में)
संचालन से राजस्व	1868.52	2011.39
अन्य आय	446.80	913.06
योग	**2315.33**	**2924.44**
व्यय		
(i) प्रारम्भिक व्यय	-	-
(ii) कर्मचारी हित लाभ व्यय	25.94	25.62
(iii) मूल्य ह्रास एवं परिशोधन	1440.07	965.23
(iv) अन्य व्यय	749.10	232.67
योग	**2215.11**	**1223.52**
अपवादात्मक एवं असाधारण मदों के पूर्व लाभ/हानि	100.21	1700.92
अपवादात्मक तथा असाधारण मदें	48.72	306.84
कर पूर्व लाभ	51.48	1394.08
कर		
घटाइये : चालू	8.59	300.41
जोड़िये : मेट क्रेडिट	8.59	117.50
घटाइये : गत वर्षों से संबंधित कम कर		-
घटाइये : आस्थगित कर	104.22	117.67
अवधि के लिए लाभ एवं हानि	(52.7)	1093.51

टिप्पणी : चूंकि नोख सोलर पार्क की नई परियोजना प्रगतिरत है तथा इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिये कम्पनी को धन की आवश्यकता है, अतः निदेशक लाभांश की घोषणा करने में अपनी असमर्थता दर्शाते है।

अंशपूंजी

कम्पनी की अधिकृत पूंजी केवल 5 लाख रूपये है। समग्र 5 लाख रूपये की प्रदत्त अंशपूंजी, इस प्रतिवेदन की दिनांक को, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं इसके नामांकितों द्वारा धारित है।

निक्षेप

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कम्पनी ने कोई भी निक्षेप स्वीकार नहीं किये है।

आरक्षित को हस्तान्तरण

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा कोई राशि आरक्षित निधि में नहीं ले जायी गयी है।

व्यवसाय संचालन का पुनर्विलोकन एवं भावी संभाव्यता

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (आरएसडीसीएल), राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है, वहीं राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कम्पनी है एवं कम्पनी अधिनियम के अधीन एक सरकारी कम्पनी है।

राजस्थान सोलर ऊर्जा नीति, 2011 के खण्ड 5.4.2. के अनुसार, कम्पनी राजस्थान में सोलर पार्को के प्रबंधन एवं आधारभूत संरचना के विकास के लिये निगमित की गयी थी।

भड़ला सोलर पार्क

भड़ला चरण प्रथम

क्रमबद्ध तरीके से सोलर पार्क के विकास के लिये ग्राम–भड़ला, तहसील–बाप, जिला जोधपुर में 10,000 हैक्टेयर भूमि को परिलक्षित किया गया था। प्रथम–चरण में, 3000 हेक्टेयर भूमि का सर्वेक्षण किया गया। एडीबी सलाहकार ने डी.पी.आर. तैयार की एवं कुल 75 मेगावाट की क्षमता की परियोजना की स्थापना के लिये 186 हेक्टेयर भूमि का चुनाव किया गया। आरआरईसी द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से सात सोलर ऊर्जा उत्पादकों का चयन किया गया था। कुल 65 मेगावाट क्षमता के 6 संयंत्र प्रारम्भ हो चूके है। मैसर्स एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स् लिमिटेड (10 मेगावाट) ने अपनी परियोजना का प्रारम्भण नहीं किया है और इसलिये इसके पीपीए को निरस्त कर दिया गया है।

भड़ला चरण द्वितीय

द्वितीय चरण के लिये, 5000 हेक्येटर भूमि का सर्वेक्षण किया गया था। एडीबी सलाहकार ने (10 एसपीवी प्लाटों का) 680 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क के विकास के लिये डी.पी.आर. तैयार की। सोलर पार्कों के विकास एवं अल्ट्रा मेगा सोलर ऊर्जा परियोजनाओं के लिये एमएनआरई योजना के अन्तर्गत इस पार्क को स्थापित किया गया है। भड़ला सोलर पार्क चरण–द्वितीय के विकास के लिये राजस्थान सरकार ने कम्पनी को 1797.45 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। कम्पनी ने 1364.46 हेक्टेयर भूमि सोलर ऊर्जा उत्पादकों को अपने प्लाण्ट स्थापित करने के लिये सब–लीज पर दी है। शेष भूमि सोलर पार्क की अन्य आधारभूत संरचना के लिये है एवं आर.एस.डी.सी.एल. के आधिपत्य में है। सड़क निर्माण, सड़क प्रकाश व्यवस्था एवं ससुज्जित कार्यालय भवन तथा विश्राम ग्रह के निर्माण का

कार्य आदेश आरएसआरडीसीएल को दिया गया था। जल आपूर्ति सिस्टम का कार्य आदेश पीएचईडी को दिया गया था। यह सभी कार्य पूर्ण हो गये है। ऊर्जा के निष्क्रमण के लिये ईएचवी सिस्टम के निर्माण का कार्य कम्पनी द्वारा किया गया। टर्नकी आधार पर 220/132/33 केवी के 2 पूलिंग स्टेशनों के निर्माण के लिये, मैसर्स मान्टेकार्लो लिमिटेड, अहमदाबाद को ठेका दिया गया जिसने 28.02.2017 तक सभी प्रकार से कार्य पूर्ण कर दिया है। टर्नकी आधार पर 22 केवी एवं 132 केवी विद्युत प्रसारण हेतु लाइनों के निर्माण के लिये मैसर्स सोना इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर को ठेका दिया गया था। उक्त कार्य भी पूर्ण हो चुका हैं।

420 मेगावाट क्षमता (भड़ला सोलर पार्क चरण–द्वितीय के प्लाट न. 1,2,3,8,9 एवं 10 पर प्रत्येक 70 मेगावाट) के 6 सोलर पीवी परियोजनाओं की स्थापना के लिये एनटीपीसी द्वारा बोली प्रक्रिया के माध्यम से सोलर ऊर्जा उत्पादकों का चयन किया गया था। एनटीपीसी ने भी शेष बचे हुये प्लाट संख्या 4,5,6 एवं 7 में 260 मेगावाट क्षमता की अपनी परियोजनाओं को स्थापित कर दिया है। भड़ला सोलर पार्क चरण–द्वितीय (कुल 680 मेगावाट) की सभी परियोजनायें प्रारम्भ हो गयी है।

<u>नोख सोलर पार्क</u>

ग्राम–नोख, तहसील पोकरण, जिला–जैसलमेर में सोलर पार्क के विकास के लिये लगभग 2500 हेक्टेयर सरकारी भूमि को कम्पनी ने इंगित कर लिया है। एमएनआरई योजना के अन्तर्गत नोख में 980 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क को स्थापित करने के लिये एमएनआरई ने सिद्धान्ततः स्वीकृति दे दी है। इंगित भूमि का स्थलाकृति–सर्वेक्षण एवं भू–तकनीकी जांच एवं नोख सोलर पार्क के विकास के लिये डीपीआर की तैयारी का कार्य मैसर्स पीडीकोर द्वारा किया गया है। डीपीआर एमएनआरई द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है। नोख सोलर पार्क के विकास के लिये कुल 1856.73 हैक्टेयर भूमि को उपयुक्त पाया गया था एवं इसे जिला कलेक्टर, जैसलमेर द्वारा आरएसडीसीएल को आवंटित किया गया है। तद्नुसार, सोलर पार्क की क्षमता 925 मेगावाट होगी। सोलर पार्क की 925 मेगावाट क्षमता के लिये डीपीआर को संशोधित किया गया है। सोलर पार्क में जल आपूर्ति प्रणाली और सड़के और सड़क प्रकाश व्यवस्था कम्पनी के निक्षेप कार्यों के अन्तर्गत क्रमशः पीएचईडी एवं आरएसआरडीसी द्वारा विकसित किया जायेगा। सोलर पार्क से उत्पादित विद्युत का अंतर राज्य प्रसारण सिस्टम को प्रसारण पीजीसीआईएल जीएसएस के माध्यम से किया जायेगा जिसके लिये पीजीसीआईएल से समझौतों को 04.11.2019 को हस्ताक्षरित किये गये है।

कम्पनी ने विद्युत के निष्क्रमण के लिये ईएचवी प्रणाली के निर्माण का कार्य लिया है। 220/33 केवी के 4 पूलिंग स्टेशनों के निर्माण और 220 केवी प्रसारण लाइनों के निर्माण, दोनों वृहत आधार पर, के लिये दो पृथक टेण्डर जारी किये गये है।

नोख सोलर पार्क के 4 सौर ऊर्जा परियोजनायें ईपीसी (3X245 मे.वा.) एवं डेवलपर (1X190 मे.वा.) मोड़ के अन्तर्गत एनटीपीसी द्वारा स्थापित किये जायेगे। ईपीसी परियोजनाओं के लिये क्रियान्वयन एवं समर्थक समझौते 20.02.2020 को एनटीपीसी एवं आरएसडीसीएल के मध्य हस्ताक्षरित किये गये है। 190 मेगावाट परियोजना के लिये विकासक का चयन बोली प्रक्रिया के माध्यम से एनटीपीसी द्वारा किया जायेगा।

निदेशक

वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित कम्पनी के यथा निदेशक के नियुक्त हुये थे :

क्र.सं.	नाम	नियुक्ति की दिनांक
1	श्री नमित मेहता	05/04/2019
2	श्री सुरेश चौहान	03/04/2019
3	श्री वाई.के.रायजादा	03/04/2019
4	श्री के.सी.कुमावत	03/04/2019
5	श्री लोकश विजय	09/08/2019
6	श्री एस.आर. महालदा	23/12/2019

वर्ष 2019–20 के दौरान निम्नलिखित की यथा कम्पनी के निदेशक के सेवायें समाप्त हो गयीं:

क्र.सं.	नाम	यथा निदेशक के सेवा समाप्ति की दिनांक
1	श्री नवीन अरोड़ा	03/04/2019
2	श्री संदीप चौहान	03/04/2019
3	श्री राजन कपूर	10/06/2019
4	श्री बी.एस. रत्नू	08/08/2019
5	श्री एस.एस. मीणा	23/12/2019

31 मार्च, 2020 को कम्पनी के निदेशक मण्डल की संरचना निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	डीआईएन
1	श्री अजिताभ शर्मा	अध्यक्ष	02758682
2	श्री अनिल गुप्ता	निदेशक	08232468
3	श्री नमित मेहता		08414996
4	श्री वाई.के.रायजादा	निदेशक	00893752
5	श्री सुरेश चौहान	निदेशक	08372229
6	श्री के.सी.कुमावत	निदेशक	08411774
7	श्री लोकश विजय	निदेशक	08534033
8	श्री एस.आर. महालदा	निदेशक	08646615

अंकेक्षक एवं अंकेक्षकों की रिपोर्ट

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कम्पनी के लेखों का अंकेक्षण करने के लिए मैसर्स बी.जैन एण्ड एसोसिएटस् चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर को अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया है। अंकेक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2020–21 के लिये मैसर्स शाह पाटनी एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस, जयपुर को निगम का वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया है। अंकेक्षकों का पारिश्रमिक निगम की साधारण सभा अथवा साधारण सभा में जैसा निर्णय लिया जाये, के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। आपके निदेशक आपसे अनुरोध करते हैं कि अंकेक्षकों के पारिश्रमिक के निर्धारण हेतु निदेशक मंडल को अधिकृत किया जाये।

कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में निदेशकों का उत्तरदायित्व

निदेशकों के उत्तरदायित्व कथन के संबंध में, कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में आपके निदेशक रिपोर्ट करते है कि:–

(i) वार्षिक लेखों को तैयार करने में बनाने में लागू समस्त लेखा मानकों का अनुसरण सारवान बदलाव के संबंध में उचित व्याख्या सहित किया गया है।

(ii) लेखा नीतियों का चयन विवेकपूर्ण किया गया है उन्हें निरन्तर प्रयुक्त किया गया है एवं ऐसे निर्णय तथा प्राक्कलन किये गये हैं जो कि तर्कसंगत एवं विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अन्त में और इस अवधि के लिए कम्पनी के लाभ को दर्शाते हुये कम्पनी के कार्यों की सत्य एवं उचित स्थिति दर्शायी जा सके।

(iii) इस तथ्य का उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा गया है कि कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं रोकने के लिए समुचित प्रत्यन्न किये जायें।

(iv) निदेशकों ने चालू समुत्थान आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए गये हैं।

(v) समस्त प्रयोज्य कानूनों (सिद्धांतों) के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये उचित प्रणालियां एवं ऐसी प्रणालियां पर्याप्त एवं प्रभावशाली रूप से संचालित थी।

निदेशक मण्डल की बैठकें :

मण्डल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान निदेशक मण्डल की चार बैठकें सम्पन्न हुयी थी। मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति निम्न प्रकार है:–

मण्डल की बैठक निदेशक का नाम	03.05.2019 की 35वीं बैठक	26.08.2019 की 36वीं बैठक	20.09.2019 की 37वीं बैठक	27.12.2019 की 38वीं बैठक	टिप्पणी
श्री अजिताभ शर्मा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	—
श्री अनिल गुप्ता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	—
श्री नमित मेहता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	—
श्री वाई.के. रायजादा	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	—
श्री सुरेश चौहान	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	—
श्री बी.एस. रत्नू	हाँ	—	—	—	08.08.2019 को यथा निदेशक केरूप में सेवा समाप्त
श्री के.सी. कुमावत	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	—
श्री एस.एस. मीणा	हाँ	हाँ	नहीं	—	23.12.2019 को यथा निदेशक केरूप में सेवा समाप्त

श्री राजन कपुर	नहीं	—	—	—	10.06.2019 को यथा निदेशक केरूप में सेवा समाप्त
श्री लोकेश विजय	—	नहीं	हाँ	हाँ	09.08.2019 को यथा निदेशक केरूप में नियुक्त
श्री एस.आर. महालदा	—	—	—	हाँ	23.12.2019 को यथा निदेशक केरूप में नियुक्त

सी.एस.आर. समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में कम्पनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का गठन किया है जिसमें 31.03.2020 को निम्नलिखित निदेशक सदस्य है:

i) श्री अनिल गुप्ता

ii) श्री के.सी.कुमावत

iii) श्री एस.आर. महालदा

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सी.एस.आर. समिति की एक बैठक 13.03.2020 को कम्पनी की सी.एस.आर. गतिविधियों पर विचार–विमर्श एवं मॉनीटर करने के लिये सम्पन्न हुई।

साधारण सभा

वार्षिक साधारण सभा: समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी की 8वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन 30 सितम्बर, 2019 को हुआ था।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी पर्याप्तता

कम्पनी के आकार के अनुसार कम्पनी में पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।

ऋणों, प्रत्याभूतियों एवं निवेशों का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी ने ऋण तथा गारंटी नहीं दी है एवं निवेश भी नहीं किया हैं।

विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम

कम्पनी राज्य में अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के कारोबार के प्रोन्नयन में संलग्न है। वर्ष 2019–20 के दौरान विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम शून्य रहा।

कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के धारा नियम 5(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना शून्य है।

ऊर्जा संरक्षण

आरएसडीसीएल का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण एवं राज्य में सोलर पार्कों के कार्यान्वयन एवं विकास के माध्यम से

अक्षय ऊर्जा को उन्नत करने के लिये कार्य करना है। कम्पनी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति समर्पित है और अक्षय ऊर्जा को उन्नत करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।

तकनीकी संलयन

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (एम) के अनुसार अनुसंधान एवं विकास के अधीन तकनीकी संलयन के संबंध में सूचना शून्य है।

कम्पनी अधिनियम की धारा 92 के प्रावधानों के अधीन वार्षिक विवरणी का सारांश

एमजीटी 9 में वार्षिक विवरणी का सारांश इस वार्षिक विवरणी के एक भाग के रूप में संलग्न है। यह राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के पृष्ठ www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl पर भी उपलब्ध है।

धारा 188 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ अनुबंधों अथवा व्यवस्थाओं का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ कम्पनी द्वारा किये गये अनुबंधों/व्यवस्थाओं का विवरण के ब्यौरों के प्रकटीकरण के संबंध में सूचना को शून्य माना जायें।

जोखिम प्रबंधन नीति

आपकी कम्पनी में जोखिम को ज्ञात करने, निर्धारित करने, उनको कम करने के उपाय तथा उनके उचित और समय पर निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिये तंत्र है।

राजस्थान सरकार का प्रत्यक्ष रूप से/अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाला एवं नियंत्रित उपक्रम होने के कारण इसकी कार्यशीलता एवं अस्तित्व पूर्णतः राज्य सरकार की नीतियों एवं अन्य निर्णय जो कम्पनी के संचालन एवं अस्तित्व पर प्रभाव डालते हो, पर निर्भर है।

कम्पनी की चालू समुत्थन प्रास्थिति एवं भविष्य में इसके संचालन को प्रभावित करने वाले नियामकों/न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा पारित कोई महत्वपूर्ण अथवा सारवान आदेश का विवरण

नियामकों/न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण अथवा सारवान आदेश पारित नहीं किए गए हैं, जो कम्पनी की चालू समुत्थन प्रास्थिति एवं भविष्य में इसके संचालन को प्रभावित करें।

निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) :

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये, सीएसआर गतिविधियों हेतु 25,54,482.00 रूपये की कुल राशि उपलब्ध थी। यह सीएसआर नीति राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के पृष्ठ www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl पर भी उपलब्ध है। कम्पनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार प्रकटीकरण अनुलग्नक – II में किये गये है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अन्य प्रकटीकरण

आपके निदेशक प्रस्तुत करते है कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में कोई प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मामलों में कोई संव्यवहार नहीं था :

1. अधिनियम के अध्याय V के अन्तर्गत आवृत्त निक्षेपों से संबंधित ब्यौरे।
2. अधिकारिक अधिकारों लाभांशों, वोट या अन्यथा के साथ साम्या अंशों का निर्गम।

3. किसी भी योजना के अन्तर्गत कम्पनी के कर्मचारियों को अंशों (स्वेट साम्या अंशो सहित) का निर्गम।
4. व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं है।
5. वित्तीय वर्ष के अन्त एवं प्रतिवेदन की दिनांक के मध्य कोई सारवान परिवर्तन और प्रतिबद्धतायें जो कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हो, नहीं है।
6. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के निबंधनों में कोई ऋण, प्रत्याभूति नहीं दी है और निवेश नहीं किये है।
7. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(3) के अन्तर्गत निदेशकों के नियुक्ति से संबंधित नीति, प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान, निदेशकों की अर्हतायें, निदेशकों की स्वतंत्रता एवं अन्य संबंधित मामलों के प्रकटीकरण के प्रावधान एम.सी.ए. अधिसूचना दिनांक 05 जून, 2015 के अनुसार सरकारी कम्पनियों के लिये छूट प्राप्त है।
8. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सीए) के अनुसार प्रकटीकरण लागू नहीं होता है जैसाकि अंकेक्षकों ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं की है।
9. स्वतंत्र निदेशक, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, अंकेक्षण समिति, निदेशकों का कार्यात्मक मूल्यांकन, सतर्क तंत्र से संबंधित प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।
10. कम्पनी की कोई समनुषंगी / सहबद्ध कम्पनी नहीं है।

सचिवीय मानकों की अनुपालना पर कथन

समस्त सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये निदेशकों ने उचित प्रणालियां परिकल्पित की है एवं ऐसी प्रणालियां पर्याप्त एवं प्रभावशाली रूप से संचालित थी।

अभिस्वीकृति

आपके निदेशक, नियंत्री कम्पनी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, राज्य सरकार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एवं भारत सरकार की अन्य एजेन्सियां, राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग एवं वित्त विभाग एवं अन्य विभाग का धन्यवाद ज्ञापित करते है। मण्डल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वैधानिक अंकेक्षकों एवं बैंकों द्वारा दिये गये उनके मूल्यावान सहयोग के लिये भी धन्यवाद ज्ञापित करते है।

निदेशक मण्डल की ओर से
ह.
(डॉ.सुबोध अग्रवाल, आईएएस)
अध्यक्ष
डीआईएन : 06940604

दिनांक : 21.12.2020
स्थानः जयपुर।

अनुलग्नक–1

प्रपत्र संख्या एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष को
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में)

I. पंजीयन एवं अन्य ब्यौरे :

i)	सीआईएन	U40102RJ2011SGC036861
	पंजीयन दिनांक	02/11/2011
ii)	कम्पनी का प्रवर्ग	पब्लिक कम्पनी
iii)	कम्पनी का उप–प्रवर्ग	अंशों द्वारा लिमिटेड सरकारी कम्पनी
iv)	क्या अंश मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है	नहीं
	वार्षिक साधारण का विवरण	
v)	क्या वार्षिक साधारण सभा के समय विस्तार के लिये स्वीकृति दी गयी थी	हाँ
	यदि वार्षिक साधारण सभा का आयोजन नहीं हुआ था, तो इसके आयोजन नहीं होने के कारणों को निर्दिष्ट करें	लागू नहीं है
vi)	कम्पनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का नाम एवं पता	
	कम्पनी का नाम	राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
	पता	ई–166, युधिष्ठिर मार्ग, सी–स्कीम,
	कस्बा/शहर	जयपुर
	राज्य	राजस्थान
	पिन कोड	302005
	देश का नाम	भारत
	देश का कोड	+91
	दूरभाष (एसटीडी क्षेत्रीय कोड संख्या सहित)	0141–2225859
	फैक्स नम्बर	0141–2226028
	ई–मेल	solar.rrec@gmail.com
	वेबसाइट	–
vii)	जहां पर पंजीकृत कार्यालय स्थित है उस अधिकारिता वाले पुलिस स्टेशन का नाम	अशोक नगर, जयपुर
	रजिस्ट्रार एवं अन्तरण अभिकर्त्ता का नाम एवं पताः पूर्ण पता एवं संपर्क हेतु ब्यौरा दिया जाना है	लागू नहीं है।

II. कम्पनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां

कम्पनी के कुल व्यापारावर्त्त के 10 प्रतिशत या अधिक सहायता करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण :

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का वर्णन एवं नाम	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड़	कम्पनी के कुल व्यापारावर्त्त का प्रतिशत
1	उत्पाद / सेवाओं का विक्रय	422 / 4220 / 42209	80.70 प्रतिशत
2	अन्य आय	422 / 4220 / 42209	19.30 प्रतिशत

III. नियंत्री, समनुषंगी तथा सहयुक्त कम्पनी के विवरण (जिनके लिये सूचना दी जा रही है उन कम्पनियों की संख्या)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	सीआईएन / जीएलएन	नियंत्री / समनुषंगी / एसोशिएट	धारित अंशों का प्रतिशत	प्रयोज्य धारा
1	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	U40101RJ1995SGC009847	नियंत्री कम्पनी	100%	2(87)

IV. अंश धारण पद्धति
(कुल साम्या का यथा प्रतिशत के साम्या अंश पूंजी का विवरण)

ए) श्रेणीवार अंश धारण

	अंशधारक का प्रवर्ग	वर्ष के प्रारम्भ में धारित अंशों की संख्या (01 अप्रेल, 2019 को)				वर्ष के अन्त में धारित अंशों की संख्या (31 मार्च, 2020 को)				वर्ष के दौरान परिवर्तन-प्रतिशत में
		डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का प्रतिशत	
(ए)	संप्रवर्तक									
	निकाय निगम राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	—	49993	49993	99.99	—	49993	49993	99.99	–
	श्री तन्मय कुमार के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	1	1	0.002	–	–	–	–	–
	श्री बी.के. दोसी के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	1	1	0.002	–	–	–	–	–
	श्री एस.के. बसवाल के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	1	1	0.002	–	–	–	–	–

	श्री बी.एस. रत्नू के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	1	1	0.002	–	–	–	–	–
	श्री नवीन अरोड़ा के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	1	1	0.002	–	–	–	–	–
	श्री संदीप चौहान के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	1	1	0.002	–	–	–	–	–
	श्री कमल जैन के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	1	1	0.002	–	–	–	–	–
	श्री अजिताभ शर्मा के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	–	–	–	–	1	1	0.002	–
	श्री अनिल गुप्ता के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	–	–	–	–	2	2	0.002	–
	श्री एस.एस.मीणा के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	–	–	–	–	–	–	–	वर्ष के भीतर 1 अंश हस्तान्तरित
	श्री के.सी.कुमावत के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	–	–	–	–	1	1	0.002	–
	श्री सुरेश चौहान के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	–	–	–	–	1	1	0.002	–
	श्री वाई.के. रायजादा के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	–	–	–	–	1	1	0.002	–
	श्री एस.आर. महालदा के साथ संयुक्त रूप से आरआरईसीएल	–	–	–	–	–	1	1	0.002	–
(बी)	**पब्लिक अंशधारण (गैर संस्थाएं)**									
(1)	एक लाख रूपये तक की अभिहित अंश पूंजी धारक व्यष्टि	शून्य								
(ए)	भारत के लिये प्रतिपक्षी सम्पत्ति का संरक्षक									
(बी)	**कुल पब्लिक अंशधारण (बी)**									
(सी)	सर्वयोग (ए+बी)	–	50000	50000	100 प्रतिशत	–	50000	50000	100 प्रतिशत	–

बी) प्रवर्तको का अंशधारण

क्र. सं.	अंशधारक का नाम	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण			वर्ष के अन्त में अंशधारण			वर्ष के दौरान अंशधारण में परिवर्तन प्रतिशत में
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशो में विल्लंगमित /प्रतिभूत अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	कुल अंशो में विल्लंगमित/ प्रतिभूत अंशों का प्रतिशत	
1	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम	50000	100	——	50000	100	——	——

सी) संप्रवर्तकों के अंशधारण में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें) :

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारम्भ में अश धारण		वर्ष के दौरान संचति अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में (01.04.2018)	50000	100.00%	50000	100.00%
	वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी, विशेषरूप से वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुऐ (जैसे कि आबंटन/अन्तरण/ बोनस/स्वेट साम्या, इत्यादि	**शून्य**			
	वर्ष के अन्त में (31.03.2019)	50000	100.00%	50000	100.00%

डी) शीर्ष दस अंशधारकों के अंशधारण की पद्धति

(निदेशकों, संप्रवर्तको तथा जीडीआरएस एवं एडीआरएस के धारकों के अतिरिक्ति)

क्र . सं.	शीर्ष 10 अंशधारको के प्रत्येक हेतु	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण		वर्ष के दौरान संचित अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्य ा	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारम्भ में				
	वर्ष के दौरान संप्रवर्तकों के अंशधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी, विशेषरूप से वृद्धि/कमी का उल्लेख करते हुए	**शून्य**			

	(जैसे कि आबंटन/अन्तरण/बोनस/स्वेट साम्या, इत्यादि)	
	वर्ष के अन्त में	

ई) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की अंशधारिता

क्र. सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का अंशधारण	वर्ष के प्रारम्भ में अंशधारण		वर्ष के दौरान संचित अंशधारण	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का प्रतिशत
	उपरोक्त के समान				

एफ) ऋणग्रस्तता (ऋणिता)

बकाया/प्रोद्भूत ब्याज परन्तु तत्काल भुगतान देय नहीं है सहित कम्पनी की ऋण ग्रस्तता

	निक्षेपों के अतिरिक्त प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता	–	–	–	–
i. मूल राशि	–	–	–	–
ii. ब्याज देय परन्तु अप्रदत्त	–	–	–	–
iii. ब्याज प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं	–	–	–	–
योग (i+ii+iii)	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष के अन्त में ऋणिता				
i. मूल राशि	–	–	–	–
ii. ब्याज देय परन्तु अप्रदत्त	–	–	–	–
iii. ब्याज प्रोद्भूत परन्तु देय नहीं	–	–	–	–
योग (i+ii+iii)	–	–	–	–

XI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिको का पारिश्रमिक

(ए) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं/अथवा मैनेजर का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/मैनेजर का नाम
1	सकल वेतन	शून्य
2	स्टाक विकल्प करार	
3	स्वीट साम्या	
4	कमीशन (यथा लाभ का प्रतिशत या अन्य)	
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें	
	योग (ए)	
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	

(बी) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

किसी भी निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है।

(सी) प्रबंध निदेशक/मैनेजर/ पूर्णकालिक निदेशकों के अतिरिक्त अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिको का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिका के नाम			
		मुख्य कार्यपालक अधिकारी	कम्पनी सचिव	मुख्य वित्त अधिकारी	योग
1	सकल वेतन	शून्य			
2	स्टाक विकल्प करार				
3	स्वीट साम्या				
4	कमीशन –यथा लाभ का प्रतिशत या अन्य				
5	अन्य, कृपया विशेष रूप से उल्लेख करें				
	योग				

XII. शास्तियां/दण्ड/अपराधों का प्रशमन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी पर कोई शास्ति/दण्ड अधिरोपित नहीं किया था एवं कम्पनी द्वारा कोई अपराधों का प्रशमन नहीं किया गया था।

ह.

(डॉ. सुबोध अग्रवाल, आईएएस)

अध्यक्ष

अनुलग्नक–II

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

1. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की नीति को निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 30.10.2017 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में स्वीकृत किया गया तथा इसका नाम "आरएसडीसीएल सीएसआर नीति" रखा गया एवं राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के पृष्ठ www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl पर उपलब्ध है। कम्पनी के दृष्टिकोण के अनुरूप, आरएसडीसीएल, अपने सामाजिक दायित्व के कार्यों से समाज के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रयास करती रहेगी तथा समुदायों में अपनी सामुदायिक सेवाओं, अभियानों को चलाती रहेगी ताकि समाज तथा समुदायों का निरन्तर उत्थान हो और इस तरह कम्पनी पर्यावरणीय चिन्ताओं के साथ कार्पोरेट सामाजिक दायित्व निभाने में अपनी भूमिका निभाती रहेगी।

आरएसडीसीएल की सीएसआर नीति के उद्देश्य इस प्रकार है:

ए) कम्पनी के लिये सुसंगत निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (इसके पश्चात् संक्षिप्त में यथा सीएसआर के निर्दिष्ट) ढ़ाचे को स्थापित करना।

बी) समाज के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रयास करना तथा समुदायों में अपनी सामुदायिक सेवाओं, अभियानों को चलाना ताकि समाज तथा समुदायों का निरन्तर उत्थान हो और इस तरह कम्पनी पर्यावरणीय चिन्ताओं के साथ कार्पोरेट सामाजिक दायित्व निभाने में अपनी भूमिका निभाती रहे।

सी) उन क्षेत्रों की पहचान करना जिनमें सीएसआर परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जायेगा एवं अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से अपने लिये सामुदायिक सद्भावना को सृजित करना एवं कॉर्पोरेट इकाई के रूप में एक सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को निखारना।

डी) सीएसआर कार्यान्वयन एजेन्सीयों की क्षमता निर्धारण के लिये समर्थ बनाना।

2. **सीएसआर समिति की संरचना**

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में कम्पनी ने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) समिति का गठन किया है, जिसमें 31.03.2020 को निम्नलिखित निदेशक सदस्य है:

i) श्री अनिल गुप्ता

ii) श्री के.सी. कुमावत

iii) श्री एस.आर. महालदा

3. गत 3 वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध लाभ– 12,77,24,091 / – रूपये (लगभग)

4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त औसत शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत)– 25,54,482 / – रूपये

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सामाजिक दायित्व के कार्यों पर किये गये व्यय का ब्यौरा :

(ए) आगे लाई गयी गत वर्षों की अव्ययित राशि : 18,08,088 / – रूपये

(बी) व्यय की गई राशि – 42,75,200 / – रूपये

(सी) अव्ययित राशि – 87,370 / – रूपये

(डी) वित्तीय वर्ष के दौरान जिस रूप में राशि व्यय की गयी उसका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है :

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	अभिज्ञात सीएसआर प्रोजेक्ट / कार्यकलाप	क्षेत्र जिसमें प्रोजेक्ट आता है	प्रोजेक्ट या कार्य क्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य एवं जिले का उल्लेख जहां प्रोजेक्ट / कार्य किया गया	प्रोजेक्ट / कार्य अनुसार राशि का प्रावधान (बजट)	प्रोजेक्ट / कार्य पर व्यय की गई राशि उपशीर्ष (1) प्रोजेक्ट / कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष हुआ व्यय (2) उपरिव्यय	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	व्यय की गई राशि : स्वयं द्वारा या निष्पादन करने वाली एजेन्सी के माध्यम से
1	आरएमआरएस को चिकित्सीय उपकरण प्रदान किये गये	स्वास्थ्य	कोक्लीयर इम्पलान्ट सर्जरी के लिये आवश्यक ऑटोलोजिक ड्रिल सिस्टम आरएमआरएस को प्रदान किये गये	18,08,088 / – रूपये	17,75,200 / – रूपये		राजस्थान मेडिकल रिलिफ सोसाइटी को चिकित्सीय उपकरण के लिए राशि प्रदान की गई
2	कोविड के प्रकोप को दूर करने के लिये वेन्टीलेटरों के क्रय के लिये उपलब्ध कराया गया	स्वास्थ्य	कोविड शमन निधि के लिये वेन्टीलेटरों के क्रय के लिये उपलब्ध कराया गया	25,00,000 / – रू.	25,00,000 / – रू.	42,75,200 / – रू.	प्रचलित कोविड द्वारा प्रकोप को दूर करने के लिये धन राशि कोविड शमन निधि में प्रदान की गयी

6. प्रमाणित किया जाता है सीएसआर नीति की निगरानी कम्पनी के सीएसआर उद्देश्य तथा नीति के अनुरूप की जा रही है।

ह. (निदेशक)	ह. (अध्यक्ष सीएसआर समिति)

स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के सदस्यगण

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने **राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण कर लिया है जिसमें 31 मार्च, 2020 तक के तुलन–पत्र एवं लाभ हानि विवरण एवं उस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु रोकड़ प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य विस्तृत सूचनाओं सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां समाविष्ट है।

हमारी राय में तथा हमारी जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी के कार्यकलाप की स्थिति यथा 31 मार्च, 2020 को एवं इसके लाभ एवं रोकड़ प्रवाह विवरण के मामलें में, उस दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु भारत में साधरणतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित सत्य व स्वच्छ परिदृश्य प्रदान करते है।

अभिमत हेतु आधार

हमने, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार, हमारे अंकेक्षण को आयोजित किया है। उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्व को हमारे प्रतिवेदन के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग के अंकेक्षण के लिये अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व में अग्रतर वर्णित किया गया है। हम नैतिक अपेक्षाओं जो अधिनियम के प्रावधानों एवं इसके अधीन नियमों के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के प्रासंगिक है के साथ भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी की गयी आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र है एवं इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर लिया है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है एवं वित्तीय विवरणों पर हमारे सीमित अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते है।

वित्तीय विवरणों के अतिरिक्त सूचना एवं उस पर अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिये कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में मण्डल के प्रतिवेदन के अनुलग्नकों सहित मण्डल के प्रतिवेदन, व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट में सम्मिलित जानकारी शामिल है परन्तु इसमें वित्तीय विवरण एवं उन पर हमारे अंकेक्षकों की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

वित्तीय विवरण पर हमारी राय में अन्य सूचनाएं सम्मिलित नहीं है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरण के हमारे अंकेक्षण के सम्बन्ध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है और ऐसा करने पर, विचार करें कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरण के साथ तात्विक रूप से असंगत है या हमारे अंकेक्षण के दौरान या अन्यथा अभिप्राप्त हमारा ज्ञान तात्विक रूप से अशुद्ध वर्णन करता प्रतीत होता है। हमने जो कार्य निष्पादित किया है उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष करते है कि इन अन्य सूचनाओं का कोई सारवान मिथ्या कथन नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिये प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में नियत मामलों में इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में जो कि कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के साथ--साथ, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार, कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन एवं रोकड़ प्रवाह का सत्य व स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करे, कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में सम्मिलित है, कम्पनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिये एवं कपट व अन्य अनियमितताओं को रोकने व ज्ञात करने के लिये अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथेष्ट लेखा अभिलेखों का संधारण, उचित लेखा नीतियों का चयन एवं प्रयुक्ति, निर्णय एवं प्राक्कलन करना जो कि युक्तियुक्त एवं विवेकपूर्ण हो, समुचित आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्विति एवं संधारण जिन्हें वित्तीय विवरणों जो कि सत्य एंव स्वच्छ परिदृश्य प्रस्तुत करते है और चाहे कपट या त्रुटि के कारण सारभूत गलत विवरण से मुक्त है की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित, लेखा अभिलेखों की विशुद्धता एवं सम्पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे।

वित्तीय विवरण को तैयार करने में, प्रबन्धन यथा चालू समुत्थान के निरन्तरता हेतु कम्पनी की क्षमता का आंकलन करने, चालू समुत्थान से सम्बन्धित मामलों, जैसाकि लागू होता है, का प्रकटीकरण करने एवं चालू समुत्थान के आधार पर लेखांकन का उपयोग करने, का उत्तरदायित्व है जब तक कि प्रबन्धन या तो कम्पनी को समाप्त करने या संचालन को बन्द करने का आशय रखता है या परन्तु ऐसा करने के लिये कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मण्डल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिये भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरण के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण सारवान मिथ्या कथन, चाहे कपट या त्रुटि के कारण, से मुक्त है, एवं अंकेक्षक को रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च्व स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि अंकेक्षण मानकों के अनुसार किया गया अंकेक्षण हमेशा विद्यमान सारवान मिथ्या कथन का पता लगाएगा। मिथ्या कथन कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और यदि व्यक्तिगत रूप से या सकल रूप से, सारवान माने जाते है तो उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिये गये उपयोगकर्त्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

अंकेक्षण मानकों के अनुसार, अंकेक्षण के अंश के रूप में, हम पेशवर निर्णय लेते है एवं सम्पूर्ण अंकेक्षण के दौरान व्यावसायिक संदेहवाद को बनाये रखते है। हम:

- वित्तीय विवरण के सारवान मिथ्या कथनों की जोखिमों को निश्चित करें और उनका आंकलन करें, चाहे कपट या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रतिकियाशील अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रूप रेखा बनाये और निष्पादित करे एवं अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करे जो हमारी राय के लिये आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित हो। कपट के परिणामस्वरूप होने वाले सारवान मिथ्या कथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, साशय लोप, दुर्व्यपदेशन, या आन्तरिक नियंत्रण का अधिभावी प्रभाव शामिल हो सकता है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने के लिये अंकेक्षण के लिये प्रासंगिक आन्तरिक नियन्त्रण का अवबोध

जो परिस्थितियों में उपयुक्त है, को प्राप्त करें। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के अधीन, हम इस बात पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिये उत्तरदायी है कि क्या कम्पनी के पास पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों का परिचालन प्रभावशील है।

- उपयोग की गयी लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबन्धन द्वारा किये गये लेखांकन अनुमानों एवं सम्बन्धित प्रकटीकरणों का मुल्यांकन करें।
- चालू समुत्थान आधारित लेखांकन का प्रबन्धन के उपयोग की उपयुक्तता एवं अभिप्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित निष्कर्ष करना कि क्या उन घटनाओं या स्थितियों जो कम्पनी की यथा चालू समुत्थान की निरन्तरता की क्षमता पर महत्त्वपूर्ण संदेह डाल सकती हैं, से सम्बन्धित सारवान अनिश्चितता विद्यमान है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सारवान अनिश्चतता विद्यमान है, तो हमें हमारे अंकेक्षकों के प्रतिवेदन में वित्तीय विवरण में सम्बन्धित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, ऐसे प्रकटीकरण हमारी राय को संशोधित करने के लिये अपर्याप्त है। तथापि, भावी घटनाओं या स्थितियों के कारण कम्पनी की यथा चालू समुत्थान की निरन्तरता समाप्त हो सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं अन्तर्वस्तु का मुल्यांकन करें, तथा क्या वित्तीय विवरण अन्तर्निहित संव्यवहार और घटनाओं को इस तरह से दर्शातें है जो स्वच्छ प्रस्तुति को पूरा करते है।

हम, अन्य मामलों में आन्तरिक नियंत्रण की कोई भी महत्वपूर्ण कमियों जिन्हें हम अपने अंकेक्षण के दौरान पहचानते हैं, के सहित निष्कर्षों से उन्हें जिनके पास नियमन का प्रभार है, सूचित करते है।

हम उनको जिनके पास नियमन का प्रभार है, एक कथन के साथ उपलब्ध कराते हैं कि हमने स्वतंत्रता से सम्बन्धित प्रासंगिक नैतिक आवश्यक्ताओं की पालना की है और सभी सम्बन्धों तथा अन्य मामलों जिन्हें हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, सम्बन्धित सुरक्षण पर युक्तियुक्त रूप से सोचा जा सकता है, उन्हें सूचित करते हैं।

अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 11 के निबन्धनों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये कम्पनी (अंकेक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा अपेक्षित है, हम 'अनुलग्नक–ए' में कथित आदेश के पैरा 3 व 4 में यथा विनिर्दिष्ट मामलों पर, लागू होने की सीमा तक, एक विवरण संलग्न करते है।
2. अग्रतर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के प्रावधानों के अनुसार हम "सामान्य एवं कम्पनी/क्षेत्र विशिष्ट निर्देश" पर हमारी रिपोर्ट अनुलग्नक– ए एवं अनुलग्नक–बी (यहां संलग्न है) में प्रस्तुत कर रहे है।
3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम रिपोर्ट करते है कि –
   - ए) हमने वे समस्त सूचनाये एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास से हमारे अंकेक्षण के प्रयोजन हेतू आवश्यक थे।
   - बी) हमारे मत में, कम्पनी ने विधि द्वारा यथापेक्षित समुचित लेंखा पुस्तकें जहां तक इन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से विदित होता है, रखी हुई है।

सी) इस प्रतिवेदन में व्यवहृत तुलन–पत्र, लाभ–हानि विवरण एवं रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा–पुस्तकों से मेल खाते है।

डी) हमारे मत में, पूर्वोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों की पालना करते है।

(ई) 31मार्च, 2020 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन जो कि निदेशक मण्डल द्वारा रिकार्ड किये गये हैं, के आधार पर कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के निबन्धनों मे यथा निदेशक के 31मार्च, 2020 को नियुक्त होने के लिये निरर्हित नहीं है।

(एफ) वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रभावशील सक्रियता के संबंध में, 'अनुलग्नक–सी' पर हमारा पृथक प्रतिवेदन देखें।

(जी) कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे मत में एवं हमारी सूचना के सर्वोत्तम एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार :

i- कम्पनी में कोइ लम्बित मुकदमा नहीं है जों इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव रखेगा।

ii- कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में प्रचलित कानून या लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घावधि संविदा में पूर्वानुमेय हानियां, यदि कोई हो, हेतु प्रावधान किये है।

iii- कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अन्तरित करने वाली कोई राशि नहीं थी जिसे अन्तरित करने की आवश्यकता थी।

बी.जैन एण्ड एसोसिएटस के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
(फर्म पंजीकरण सं. 500100एन)
(सीए भावना नथरानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 422027
युडीआइएनः 20422027एएएबीक्यू9042

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक – ए

हमारे समदिनांक प्रतिवेदन के शीर्षक 'अन्य कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के अन्तर्गत परिच्छेद 1 में संदर्भित

i) (ए) कम्पनी ने अपनी स्थिर आस्तियों का यथेष्ट विवरण, परिमाणात्मक विवरण एवं आस्ति की प्रास्थिति सहित पूर्ण विवरण सहित उचित अभिलेखों का संधारण किया है।

(बी) सत्यापन के नियमित प्रोग्राम के अनुसार प्रबंधन द्वारा स्थिर आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। ऐसे सत्यापन पर कोई सारवान असंगतियां नहीं पायी गयी है।

(सी) अचल सम्पत्तियों के स्वत्व विलेख कम्पनी के नाम में है।

ii) कम्पनी के पास कोई इन्वेन्ट्री नहीं है, इसलिए इन्वेन्ट्री के भौतिक सत्यापन से संबंधित पैरा लागू नहीं होते है।

iii) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अन्तर्गत अनुरक्षित पंजिका में सूचीबद्ध कम्पनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारी या अन्य पार्टियों को कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। अतः कम्पनी पर आदेश के उप पैरा (iii) के खण्ड (ए), (बी) एवं (सी) लागू नहीं हैं।

iv) कम्पनी ने अधिनियम की धारा 185 एवं धारा 186 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया है, निवेश नहीं किया है, प्रत्याभूतियां एवं प्रतिभूतियां नहीं दी है। अतः आदेश का पैरा 3 का खण्ड (iv) कम्पनी पर लागू नहीं है।

v) कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 या कोई अन्य संबंधित प्रावधान एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत आवृत्त कोई सार्वजनिक निक्षेप स्वीकार नहीं किये है।

vi) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी द्वारा लागत अभिलेखों के संधारण को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

vii) (ए)प्रावधायी निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्रीकर, सेवा कर, माल एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर एवं अन्य अविवादित वैधानिक बकायों को इनके लागू होने तक की परिसीमा तक उचित प्राधिकरणों के पास नियमित रूप से जमा करवाया जा रहा है। कोई अविवादित वैधानिक बकाया जो कि उसकी देय होने की तारीख से 6 महिने की अवधि से ज्यादा 31 मार्च, 2020 को बकाया हो, की कोई राशि देय नहीं थी।

(बी) कम्पनी के अभिलेखों के अनुसार, आयकर या बिक्रीकर या सेवा कर या माल एवं सेवा कर या सीमा शुल्क या आबकारी शुल्क या मूल्य वर्धित कर या उपकर की कोई बकाया नहीं है जो कि किसी विवाद के कारण संबंधित प्राधिकरणों के पास जमा नहीं करायी गयी है सिवाय आयकर अधिनियम, 1956 के अधीन 78,54,47,791/– रूपये की मांग के जिसके लिये आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गयी है।

viii) हमें दी गयी सूचनाओ एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, किसी भी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकार या डिबेंचर धारकों को बकाया के पुनर्भुगतान में कम्पनी दोषी नहीं रही हैं।

ix) कम्पनी ने वर्ष के दौरान प्रारम्भिक पब्लिक ऑफर या अग्रतर पब्लिक ऑफर (ऋण प्रपत्रों सहित) द्वारा कोई

धन इकट्ठा नहीं किया है। अवधि ऋण द्वारा उठायी गयी धन राशि का उपयोग उसी कार्य हेतु किया गया है जिसके लिये ऋण लिया था।

x) भारत में साधरणतया स्वीकृत अंकेक्षण प्रथाओं के अनुसार कम्पनी की लेखा पुस्तकों एवं अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान न तो कम्पनी द्वारा और कम्पनी के साथ इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई कपट कम्पनी के ध्यान में आया न ही प्रबन्धन द्वारा कोई ऐसा मामला हमें सूचित किया गया है ।

xi) अपनायी गयी अंकेक्षण प्रक्रिया एवं प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर वर्ष के दौरान प्रबंधकीय पारिश्रमिक का कम्पनी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है या नहीं दिया गया है। तद्नुसार, आदेश के खण्ड 3(xi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।

xii) हमारे मत में, कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है एवं इस पर निधि नियम, 2014 लागू नहीं है। अतः आदेश के खण्ड (xii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।

xiii) हमारे मत में, संबंधित पक्षकार से सभी व्यवहार अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुपालना में है तथा इन व्यवहारों के, लागू लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित ब्योरे वित्तीय विवरणों में प्रकट किये गये है।

xiv) कम्पनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान न ही कोई अधिमानी आवंटन किया गया है न ही किसी अंश या पूर्णतः या अंशतः परिवर्त्य डिबेंचर का प्लेसमेंट नहीं किया गया है। तद्नुसार, आदेश का पैरा xiv के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।

xv) कम्पनी ने कम्पनी के निदेशकों से संबंधित व्यक्तियों या निदेशकों से कोई गैर–नकद व्यवहार नहीं किया है। तद्नुसार, आदेश का पैरा xv कम्पनी पर लागू नहीं है।

xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अन्तर्गत कम्पनी को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तद्नुसार, आदेश का पैरा 3(xvi) कम्पनी पर लागू नहीं है।

बी.जैन एण्ड एसोसिएटस के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
(फर्म पंजीकरण सं. 500100एन)
(सीए भावना नथरानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 422027
युडीआइएनः 20422027एएएएबीक्यू9042
स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

<u>अनुलग्नक–बी (1)</u>

वर्ष 2019–20 के लिये राजस्थान सोलर पार्क विकास कम्पनी लिमिटेड के मामले में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 145 (5) के अधीन रिपोर्ट

हमारे मत में एवं हमारी सूचना के सर्वोत्तम एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार,

(i) कम्पनी के पास पट्टाधृत भूमि के लिये स्पष्ट पट्टा विलेख है।

(ii) अधित्यजन / ऋणों / उधारों / ब्याज इत्यादि के अपलेखन का कोई मामला नहीं है।

(iii) ऐसी कोई इन्वेन्ट्रीयां नहीं है जो कि तीसरे पक्षकार के पास हों एवं सरकार या अन्य अधिकारियों से यथा उपहार के कम्पनी द्वारा प्राप्त की गयी कोई आस्तियां नहीं है। तथापि कम्पनी ने केन्द्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त किया है जिसकी लेखा पुस्तकों में उचित रूप से प्रविष्टियां की गयी है।

बी.जैन एण्ड एसोसिएटस के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
(फर्म पंजीकरण सं. 500100एन)
(सीए भावना नथरानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 422027
युडीआइएनः 20422027एएएएबीक्यू9042

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

अनुलग्नक बी(2)

वर्ष 2019–20 के लिये राजस्थान सोलर पार्क विकास कम्पनी लिमिटेड के मामले में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 145 (5) के अधीन रिपोर्ट

हमारे मत में एवं हमारी सूचना के सर्वोत्तम एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार,

1. कम्पनी के स्वामित्व में कोई खाली पड़ी भूमि नहीं है एवं कम्पनी की किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है, वाद के अधीन नहीं है, अनुपयोगी नहीं है या अधिशेष घोषित नहीं है।

2. कम्पनी में संविदात्मक निबंधनों के अनुसार राजस्व की वसुली के लिये प्रभावी प्रणाली विद्यमान है एवं प्रयोज्य लेखा मानकों की पालना में राजस्व को लेखा–पुस्तकों में उचित रूप से लेखाबद्ध किया जाता है।

बी.जैन एण्ड एसोसिएटस के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
(फर्म पंजीकरण सं. 500100एन)
(सीए भावना नथरानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 422027
युडीआइएनः 20422027एएएएबीक्यू9042

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक –सी

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खण्ड (i) के अन्तर्गत आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड की 31 मार्च, 2020 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी को उसी दिनांक को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ–साथ आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अंकेक्षण भी किया है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था (आई.सी.ए.आई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी किये गये निदेशन–पत्र में उल्लेखित आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को विचारित करते हुए कम्पनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण के स्थापित मान–दण्ड़ों के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को अधिष्ठापित करने एवं जारी रखने के लिये उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित कम्पनी की नीतियों का अनुसरण पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, कपटों व त्रुटियों का पता लगाना और उनका निवारण, लेखा अभिलेखों की पूर्णता एवं शुद्धता/यथार्थता एवं विश्वसनीय वित्तीय सूचनाओं की यथासमय तैयारी करने को सम्मिलित करते हुए पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण जो इसके व्यापार को नियमित रूप एवं दक्षता से चलाने को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से सक्रिय थे की पर्याप्त रूप रेखा, कार्यान्वियन एवं अनुरक्षण सम्मिलित है।

अंकेक्षेकों का उत्तरदायित्व

हमारे अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण के लिये लागू होने की सीमा तक निदेशन–पत्र एवं लेखा–परीक्षण के मानकों, दोनों आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण के लिये प्रयोज्य एवं, दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये, के अनुसार हमने हमारा अंकेक्षण सम्पादित किया है। इन मानकों एवं निदेशन–पत्र की अपेक्षा है कि हम नीतिपरक आवश्यकताओं की पालना करे एवं अंकेक्षण को इस प्रकार से नियोजित व निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को अधिष्ठापित एवं अनुरक्षित किया गया था और ऐसे नियंत्रण सभी सारवान/तात्विक मामलों में प्रभावी रूप से क्रियान्वित थे, के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सकें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं उनकी सक्रीयता की प्रभावशीलता हेतु अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया को क्रियान्वित करना हमारे अंकेक्षण में निहित है।वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का निर्धारण करना कि सारवान अपर्याप्तता हैं, एवं परीक्षण करना, एवं निर्धारित जोखिम के आधार पर आन्तरिक नियंत्रण की सक्रिय प्रभावशीलता व रूप रेखा का मूल्यांकन करना सम्मिलित था। वित्तीय विवरणों के सारभूत मिथ्या कथन चाहे कपट के कारण या त्रुटि के कारण, के जोखिम के निर्धारण को सम्मिलित करते हुए प्रक्रिया का चयन अंकेक्षक के निर्णयन पर निर्भर करता है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य पर्याप्त है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति पर हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिये एक उचित आधार उपलब्ध कराते है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार बाह्य प्रयोजनार्थ वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने के लिये तैयार किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण मे वो नितियां व कार्य प्रणालियां सम्मिलिति है जो कि

(1) उन अभिलेखों के संधारण से संबंधित है जो कि कम्पनी की आस्तियों के व्ययन एवं व्यवहारों को युक्तियुक्त ब्योरे सहित, शुद्ध एवं उचित रूप से दर्शित करते है।

(2) युक्तिसंगत आश्वासन देते है कि सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिये यथा आवश्यक व्यवहारों को दर्ज किया गया है एवं प्राप्तियों व व्ययों को कवेल कम्पनी के निदेशकों एवं प्रबंधन के अनुमोदन के अनुसार ही किया जाता हैं।

(3) कम्पनी की आस्तियों का अनधिकृत अर्जन, उपयोग या व्ययन जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, का यथासमय पता लगाने एवं निवारण से संबंधित युक्तिसंगत आश्वासन देवें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अन्तर्निहित परिसीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अन्तर्निहित परिसीमा साथ ही अनुपयुक्त प्रबंधन अथवा मिली भगत की संभावना के कारण, नियंत्रणों की अवहेलना, त्रुटि या कपट के कारण मिथ्या कथन हो सकते है और पता नहीं लगाये जा सकते। साथी ही, भावी अवधियों के लिये वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है क्योकि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते है, या कार्याविधि अथवा नीतियों की अनुपालना की मात्रा गिर सकती है।

अभिमत

हमारे मत में और हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, भारतीय चार्टर्ड़ एकाउन्टेन्टस संस्था (आई.सी.ए. आई) द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर जारी किये गये निदेशन–पत्र में उल्लेखित आन्तरिक नियंत्रण के आवश्यक तत्वों को विचारित करते हुए कम्पनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण के स्थापित मान–दण्ड़ों के आधार पर कम्पनी में सभी महत्वपूर्ण मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति विद्यमान है और 31 मार्च, 2020 को प्रभावी रूप से सक्रिय थे।

बी.जैन एण्ड एसोसिएटस के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
(फर्म पंजीकरण सं. 500100एन)
(सीए भावना नथरानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 422027
युडीआइएनः 20422027एएएएबीक्यू9042

स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

सी.ए डब्ल्यू I/वि–11014/का.से./सोलरपार्क/2019–20/सौ–22

संख्या/NO. 1262

सत्यमेव जयते

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान
जनपथ, जयपुर 302 005

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-II) RAJASTHAN
JANPATH, JAIPUR-302 005

दिनांक/Date 22/12/2020

अध्यक्ष
राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड,
ई–166 युधिष्ठिर मार्ग,
जयपुर 302005

विषय : राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड, जयपुर के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणी।

महोदय,

मुझे कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6) के अंतर्गत कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्थान सोलरपार्क डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड, जयपुर के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम की धारा 143(6)(b) के अधीन *समीक्षा न करने का प्रमाण–पत्र (नॉन रिव्यू सर्टिफिकेट)* जारी करने का निर्देश हुआ है।

उपरोक्त अवधि के वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की सात प्रतियां, जैसी कि साधारण सभा में रखी जावें तथा स्वीकृत की जावें, कृपया इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

ओंकार
उपमहालेखाकार
(लेखा परीक्षा प्रबंधन समूह –I)

Phone : 0141-2385431-39 • Fax : 91-141-2385230 • E-mail : agauRajasthan2@cag.gov.in

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कम्पनी लमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कम्पनी लमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अन्तर्गत विर्निदिष्ट वित्तीय प्रतिवेदन ढ़ाचे के अनुरूप तैयार करना कम्पनी प्रबन्धन का उत्तरदायित्व है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक अंकेक्षक/अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखांकन के मानकों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत स्वतंत्र अंकेक्षक के आधार पर प्रकट करना है। यह उनके अंकेक्षण प्रतिवेदन दिनांक 19 नवम्बर, 2020 द्वारा किया जाना व्यक्त किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निमित कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (6)(ए) के अन्तर्गत राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेंट कम्पनी लमिटेड जयपुर के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक अंकेक्षण नहीं करने का निर्णय किया है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
के लिए एवं निमित्त
(अतूर्वा सिन्हा)
महालेखाकार
(लेखा परीक्षण–II)
राजस्थान, जयपुर।

स्थान – जयपुर
दिनांक –

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

CIN: U40102RJ2011SGC036861

31 मार्च, 2020 को तुलन–पत्र

राशि रूपयों में

विवरण	टिप्पणी संख्या		31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को
साम्या एवं दायित्व					
अंशधारकों की निधियां					
(ए) अंशपूंजी	1	500,000		500,000	
(बी) आरक्षित एवं अधिशेष	2	705,969,363		722,372,925	
(सी) शेयर वारण्ट के तहत प्राप्त धन राशि		-	706,469,363	-	722,872,925
अंश आवेदन धन राशि लम्बित आवंटन					
गैर–चालू दायित्व					
दीर्घावधि उधार राशिया					
आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)	3	71,182,354		60,760,425	
अन्य दीर्घावधि दायित्व	4	1,619,268,762		1,679,742,851	
अन्य दीर्घावधि प्रावधान			1,690,451,116		1,740,503,276
चालू दायित्व					
अल्पावधि उधार राशियां	5	130,000,000		-	
व्यापारिक देयतायें	6	693,454	-	424,076	
अन्य चालू दायित्व	7	153,885,015		148,496,908	
अल्पावधि प्रावधान	8	859,375	285,437,844	30,040,916	178,961,900
योग			**2,682,358,323**		**2,642,338,101**
आस्तियां					
गैर–चालू आस्तियां					
स्थिर आस्तियां	9				
मूर्त आस्तियां		1,649,089,435		1,296,410,750	
अमूर्त आस्तियां				-	
प्रगतिरत पूंजी कार्य				4,037,480	
विकासाधीन अमूर्त आस्तियां			1,649,089,435		1,300,448,230
गैर–चालू निवेश					

आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)					
दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम					
अन्य गैर–चालू आस्तियां	10	662,547,692	662,547,692	-	-
चालू आस्तियां					
चालू निवेश					
इन्वेन्ट्रीयां					
व्यापारिक प्राप्य	11	41,527		7,999,718	
नकद एवं बैंक शेष	12	49,451,673		1,156,247,649	
अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	13	316,597,636		175,602,189	
अन्य चालू आस्तियां	14	4,630,359	370,721,195	2,040,314	1,341,889,871
योग			**2,682,358,323**		**2,642,338,101**
महत्वपूर्ण लेखां नीतियां					
संलग्न टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का अंगभूत भाग है।					

यह हमारी समतिथि के प्रतिवेदन के अनुसार।

बी.जैन एण्ड एसोसिएट्स के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 500100एन
(भावना नथरानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 422027
स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के
निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष
डीआईएन (06940604)

ह.
कृष्ण चन्द कुमावत
निदेशक
डीआईएन (08411774)

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये नकद प्रवाह विवरण

		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
ए	**संचालित गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	कर एवं अपवादात्मक मदों के पूर्व शुद्ध लाभ	10,021,410	140,092,550
	निम्न के लिये समायोजन :		
	मूल्य ह्रास एवं पूर्वावधि व्यय एवं अपलिखित व्यय	144,007,072	96,522,727
	आय कर के लिये प्रावधान		
	अपवादात्मक मदें	-4,872,991	-683,784
	गैर–नकद आय (सीएफए अपलिखित)	-11,130,052	-11,130,052
	कार्यशील पूंजी परिवर्तनों के पहले संचालित लाभ	**138,025,439**	**224,801,442**
	निम्न के लिये समायोजन :		
	चालू दायित्वों में वृद्धि/(कमी)	-23,524,056	71,586,705
	गैर–चालू आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	-658,510,212	-
	चालू आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	-135,627,301	643,618,679
	संचालन गतिविधियों से नकद	**-679,636,130**	**940,006,826**
	आय कर देय/प्रदत्त	**-859,375**	**-30,040,916**
	पर्व वर्ष के प्रावधान/मेट क्रेडिट	**859,375**	**11,750,137**
	संचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद	-679,636,130	921,716,047
बी	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	पूर्व संचालन व्यय	-	-
	निगमन के लिये उपगत	-	-
	स्थिर आस्तियों का क्रय	-496,685,758	-59,346,093
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकद	**-496,685,758**	**-59,346,093**
सी	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**		
	सरकारी अनुदान का पुनर्भुगतान	-	-122,226,600

आस्थगित कर दायित्वों में परिवर्तन	-	-
प्राप्त अल्पावधि ऋण	130,000,000	
विकास प्रभार एवं पट्टा किराया के तहत अग्रिम		
दीर्घावधि दायित्वों का परिशोधन	-60,474,089	-58,674,886
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकद	**69,525,911**	**-180,901,486**
नकद एवं नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि	**-1,106,795,976**	**681,468,466**
नकद एवं नकद समतुल्यों का प्रारिम्भक शेष	1,156,247,649	471,217,292
नकद एवं नकद समतुल्यों का अन्तिम शेष	**49,451,673**	**1,152,685,759**
नकद एवं नकद समतुल्यों में निम्न का समावेश है		
हस्तगत नकद चैक एवं ड्राफ्ट		
अनुसूचित बैंकों के चालू खातें मे शेष	49,451,673	1,152,685,759
अनुसूचित बैंक के निक्षेप खातें में शेष		-
अन्य बैंकों में शेष		
	49,451,673	**1,152,685,759**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां		**15**

टिप्पणियां:
नकद प्रवाह विवरण को भारत की चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानक–3 में यथा वर्णित "अप्रत्यक्ष विधि" के अधीन तैयार किया गया है।

यह हमारी समतिथि के प्रतिवेदन के अनुसार।

बी.जैन एण्ड एसोसिएटस के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 500100एन
(भावना नथरानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 422027
स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के
निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष
डीआईएन (06940604)

ह.
कृष्ण चन्द कुमावत
निदेशक
डीआईएन (08411774)

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

CIN: U40102RJ2011SGC036861

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि विवरण

			(राशि रूपयों में)
विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
राजस्व			
संचालन से राजस्व	15	186,852,562	201,138,791
अन्य आय	16	44,680,254	91,305,780
कुल		**231,532,816**	**292,444,571**
व्ययः			
उपभोगित सामग्रियों की लागत			
व्यापारिक माल का क्रय			
परिपूर्ण माल, डब्ल्यूआईपी एवं स्कन्ध की इन्वेन्ट्रीयों में परिवर्तन निर्माणी एवं संचालन व्यय			
कर्मचारी हित लाभ व्यय	17	2,594,136	2,562,135
वित्त लागतें			
मूल्य ह्रास एवं परिशोधन व्यय	9	144,007,072	96,522,727
अन्य संचालन एवं सामान्य व्यय	18	74,910,198	23,267,158
कुल		**221,511,406**	**122,352,020**
अपवादात्मक एवं असाधारण मदों एवं कर के पूर्व लाभ		**10,021,410**	**170,092,550**
अपवादात्मक मदें	19	**4,872,991**	**30,683,784**
असाधारण मदों एवं कर के पूर्व लाभ		**5,148,419**	**139,408,766**
असाधारण मदें		-	-
कर पूर्व लाभ		**5,148,419**	**139,408,766**
कर व्ययः			

	चालू कर		859,375	30,040,916
	आस्थगित कर		10,421,929	11,767,122
	मेट क्रेडिट		-859,375	-11,750,137
	पूर्व वर्षों से संबंधित प्रावधान			
	निरन्तर संचालनों से अवधि हेतु लाभ/(हानि)		**-5,273,510**	**109,350,865**
	अनिरन्तर संचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
	अनिरन्तर संचालनों के कर व्यय		-	-
	अनिरन्तर संचालनों से लाभ/(हानि) (कर पश्चात्)		-	-
	अवधि हेतु लाभ/(हानि)		**-5,273,510**	**109,350,865**
	प्रति साम्या अंश उपार्जन			
	–मूल		**-105.47**	**2,187.02**
	–मन्दित			
	लेखों पर टिप्पणियां, महत्वपूर्ण लेखां नीतियां एवं अतिरिक्त टिप्पणियां	17		

अंकेक्षक का प्रतिवेदन
हमारी समतिथि के प्रतिवेदन के अनुसार
बी.जैन एण्ड एसोसिएटस के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 500100एन
(भावना नथरानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 422027
स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के
निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष
डीआईएन (06940604)

ह.
के.सी.कुमावत
निदेशक
डीआईएनः (08411774)

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

राशि रूपये में

टिप्पणी	विवरण	31 मार्च, 2020 को			31 मार्च, 2019 को		
		अंकित मूल्य प्रति अंश	संख्या	राशि	अंकित मूल्य प्रति अंश	संख्या	राशि
1	अंशपूंजी						
	(ए) प्राधिकृत						
	साम्या अंश	10	50,000	500,000	10	50,000	500,000
			50,000	**500,000**		**50,000**	**500,000**
	(बी) निर्गमित						
	साम्या अंश–पूर्णतः प्रदत्त	10	50,000	500,000	10	50,000	500,000
			50,000	**500,000**		**50,000**	**500,000**
	(सी) अभिदत्त एवं प्रदत्त						
	साम्या अंश–पूर्णतः प्रदत्त	10	50,000	500,000	10	50,000	500,000
			50,000	**500,000**		**50,000**	**500,000**

(ए) वर्ष के प्रारम्भ में एवं अन्त में बकाया अंशों का समाधान

	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
साम्या अंश	**संख्या**	**राशि**	**संख्या**	**राशि**
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	50000	500000	50000	500000
जोडियेः वर्ष के दौरान निर्गमित अंश	0	0	0	0
घटाइयेः वर्ष के दौरान पुनः क्रय किये गये अंश	0	0	0	0
वर्ष के अन्त में शेष	**50,000**	**500,000**	**50,000**	**500,000**

(बी) **कम्पनी में 5 प्रतिशत अंशों से अधिक धारित अंशधारक**

	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
साम्या अंश प्रत्येक 10 रूपये पुर्णतः प्रदत्त	धारित अंशों की संख्या	धारिता का प्रतिशत	धारित अंशों की संख्या	धारिता का प्रतिशत
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	49993	**99.99%**	49993	**99.99%**
	49,993	**99.99%**	**49,993**	**99.99%**

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

राशि रूपये में

टिप्पणी	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
2	संचितयां एवं अतिरेक		
2.1	लाभ व हानि के विवरण में अतिरेक		
	वर्ष के प्रारम्भ में शेष	**301,626,454**	**192,275,589**
	जोडियेः लाभ व हानि के विवरण से हस्तान्तरित	-5,273,510	109,350,865
		296,352,944	**301,626,454**
	विनियोग :–		
	लाभांश	-	-
	निगम लाभांश कर	-	-
		-	-
	वर्ष के अन्त में शेष	**296,352,944**	**301,626,454**
2.2	सोलर पार्क भड़ला चरण–द्वितीय के लिये सहायता अनुदान	409,616,419	420,746,471
		409,616,419	**420,746,471**
	योग (2.1+2.2)	**705,969,363**	**722,372,925**
3	आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)		
	आस्थगित कर दायित्व	71,182,354	60,760,425
		71,182,354	**60,760,425**
4	अन्य दीर्घावधि दायित्व		
	एक बार पट्टा धन राशि (30 वर्ष)	367,805,357	381,571,576
	एक बार विकास प्रभार (30 वर्ष)	1,199,868,188	1,244,776,854
	नोख में जल आपूर्ति प्रणाली के विकास के लिये अग्रिम	51,595,218	53,394,421
		1,619,268,762	**1,679,742,851**
5	अल्पावधि उधार राशियां		
	मै. राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	130,000,000	
		130,000,000	-

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी	विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
6	व्यापारिक देयतायें		
	–सुक्ष्य एवं लघु उपक्रम (देखे टिप्पणी 1 एवं 2 नीचे)		
	–अन्य	693,454	424,076
		693,454	**424,076**
7	अन्य चालू दायित्व		
	लेनदारों के लिये व्यय	7,255,747	8,689,023
	कर्मचारीवृन्द की देयताय	20,800	25,921
	वैधानिक बकाया (पीएफ,ईएसआई,आईटीडीएस एवं जीएसटी सहित)	433,412	798,903
	अन्य दायित्व	146,175,056	138,983,061
		153,885,015	**148,496,908**
8	**अल्पावधि प्रावधान**		
	आयकर के लिये प्रावधान	859,375	30,040,916
		859,375	**30,040,916**
10	**अन्य गैर चालू आस्तियां**		
	सावधि जमाओं में		
	....12 माह से अधिक की परिपक्वता	662,547,692	-
	नकद एवं नकद समतुल्य (....टिप्पणी के अनुसार)		
		662,547,692	**-**
11	व्यापारिक प्राप्यतायें		
	छः माह से अधिक के बकाया		
	–अच्छे माने गये	41,527	41,527
	–संदेहप्रद माने गये		
		41,527	**41,527**
	अन्य		
	–अच्छे माने गये	-	7,958,191
	घटाइयेः संदेहप्रद ऋणों के लिये प्रावधान	-	-
		-	**7,958,191**
		41,527	**7,999,718**
12	नकद एवं नकद समतुल्य		
(ए)	**नकद एवं नकद समतुल्य**		
	हस्तगत नकद		
	बैंक में शेष–चालू खातें में	5,006,669	5,007,696
	असूचियत बैंक में शेष		
	–जमा खातें में	-	-
		5,006,669	**5,007,696**
(बी)	**बैंक में अन्य शेष :**		
	बैंक प्रत्याभूति के तहत एफडीआर–12 माह से अधिक	706,992,696	1,151,239,953
	"अन्य गैर चालू आस्तियां" शीर्ष अन्तरगत प्रकट की गयी	-662,547,692	
		44,445,004	**1,151,239,953**
		49,451,673	**1,156,247,649**
13	**अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम**		
	अग्रिम कर भुगतान एवं आईटीडीएस	176,698,860	149,027,954
	अन्य अग्रिम एवं वसूली योग्य	139,898,776	26,574,235
		316,597,636	**175,602,189**
14	**अन्य चालू आस्तियां**		
	जीएसटी इनपुट प्राप्य/समायोज्य	4,630,359	2,040,314
		4,630,359	**2,040,314**

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड

31.03.2020 को स्थिर आस्तियां

टिप्पणी संख्या – 9

(राशि रूपयो में)

	सकल समूह				मूल्य ह्रास एवं परिशोधन				शुद्ध समूह	
आस्तियों का विवरण	01.04.2019 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान विक्रय/हस्तांतरण/समायोजन	31.03.2020 को	01.04.2019 को प्रारम्भिक	वर्ष के दौरान प्रावधित	विक्रय पर समायोजन	31.03.2020 तक कुल	31.03.2020 को	31.03.2019 को
भूमि	97,788,019			97,788,019	3,967,269	987,758		4,955,026	92,832,993	93,820,750
नोख में 1609.2 हैक्टेयर भूमि		402,171,418		402,171,418		3,884,263		3,884,263	398,287,155	-
भूमि		91,889,037		91,889,037		211,063		211,063	91,677,974	-
220 कि.वा. जीएसएस	966,027,182			966,027,182	147,102,383	59,126,371		206,228,753	759,798,429	818,924,799
220 केवी व 132 केवी टीआर लाइनें	148,239,616			148,239,616	22,572,629	9,073,156		31,645,785	116,593,831	125,666,987
11 केवी थ्री फेज प्रत्यक्ष फीडर	4,413,661			4,413,661	885,887	254,705		1,140,592	3,273,069	3,527,774
प्लाटों का सर्वेक्षण (चरण–द्वितीय में पिलर	3,811,412			3,811,412	3,427,120	212,503		3,639,623	171,789	384,292
सीसीटीवी निगरानी प्रणाली	986,796			986,796	178,610	146,282		324,892	661,904	808,186
सड़क	151,290,000			151,290,000	17,747,146	60,187,764		77,934,910	73,355,090	133,542,854
भवन एव विश्राम गृह	39,994,000			39,994,000	506,938	1,923,020		2,429,958	37,564,042	39,487,062
जल आपूर्ति प्रणाली	82,682,438			82,682,438	2,539,370	7,613,591		10,152,962	72,529,476	80,143,068
एलईडी	78,000			78,000	28,209	31,448		59,657	18,343	49,791
वाटर कूलर	41,000			41,000	25,896	9,540		35,436	5,564	15,104
कम्प्यूटर एवं लेपटॉप	96,800			96,800	61,139	22,524		83,662	13,138	35,661
प्रिंटर	12,000			12,000	7,579	2,792		10,371	1,629	4,421
ईबीटी मीटर भड़ला	-	2,625,303		2,625,303		320,293		320,293	2,305,010	-
योग (ए)	1,495,460,924	496,685,758	-	1,992,146,682	199,050,174	144,007,072	-	343,057,247	1,649,089,435	1,296,410,750
प्रगतिरत पूंजी कार्य										
प्रगतिरत पूंजी कार्य	4,037,480	412,763	4,450,243	-				-	-	4,037,480
योग (बी)	4,037,480	412,763	4,450,243	-	-	-	-	-	-	4,037,480
सर्वयोग (ए+बी)	1,499,498,404	497,098,521	4,450,243	1,992,146,682	199,050,174	144,007,072	-	343,057,247	1,649,089,435	1,300,448,230

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के
निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष
डीआईएन (06940604)

ह.
के.सी.कुमावत
निदेशक
डीआईएन: (08411774)

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
15	**संचालन से राजस्व**		
	वार्षिक संचालन एवं रख–रखाव प्रभार	91,106,468.05	82,824,063.30
	वार्षिक पट्टा किराया	22,766,336.53	21,682,225.00
	एक बार के विकास प्रभार	44,908,666.67	68,211,205.84
	एक बार की पट्टा धन राशि	13,766,218.93	13,766,218.93
	सीएफए आय	11,130,052.00	11,130,052.00
	मीटरिंग प्रभार	-	1,824,940.00
	जल आपूर्ति के किराये की आय	1,375,617.00	1,118,426.00
	जल आपूर्ति प्रणाली के किराये की आय	1,799,203.00	581,660.00
		186,852,562.18	**201,138,791.07**
16	**अन्य आय**		
	एफएफडी खाते पर बैंक ब्याज	5,888,214.00	15,848,862.00
	एफडीआर पर ब्याज	38,577,485.00	61,541,366.24
	एफडीआर पर पूर्व अवधि का ब्याज	-	1,484,536.53
	विलम्बित भुगतान पर ब्याज	109,555.00	-
	विविध आय	-	424,650.00
	टेण्डर शुल्क	105,000.00	-
	दण्डात्मक ब्याज	-	4,936,745.82
	शास्ति	-	7,069,619.00
		44,680,254.00	**91,305,779.59**
17	**कर्मचारी हित लाभ व्यय**		
	वेतन व्यय	2,367,086.00	2,332,097.00
	बोनस एक्स–ग्रेसिया प्रोत्साहन राशि	20,800.00	41,600.00
	पेंशन का अंशदान	206,250.00	188,438.00
		2,594,136.00	**2,562,135.00**

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी	विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष
18	अन्य संचालन एवं सामान्य व्यय		
	कर अंकेक्षण शुल्क	30,000.00	30,000.00
	निरीक्षण प्रभार	660,000.00	-
	आन्तरिक अंकेक्षक के शुल्क	25,000.00	25,000.00
	कानूनी एवं व्यावसायिक व्यय	3,205,434.00	2,627,195.00
	ब्याज व्यय	30,258,290.00	-
	कार्यालय व्यय	212,725.10	287,679.75
	बैंक एवं अन्य प्रभार	5,643,152.70	92,784.68
	मानव शक्ति आपूर्ति भाडला	1,964,452.00	2,821,104.00
	वाहन व्यय	168,561.00	60,056.00
	वाहन किराया व्यय	28,445.00	603,053.00
	विद्युत एवं जल व्यय	682,693.00	389,623.00
	मीटरिंग प्रभार	1,824,940.00	-
	जीएसएस के संचालन एवं रख–रखाव प्रभार	19,889,953.44	16,066,969.55
	भाडला चरण–I में पथ प्रकाश प्रभार	7,751,331.00	
	प्रचार एवं विज्ञापन	879,206.00	-
	प्रदत्त सेवाकर	1,312,726.65	-
	राज्य नवीकरणीय कोष	40,000.00	-
	दूरभाष व्यय	299,944.00	214,580.00
	यात्रा व्यय	33,344.00	49,113.00
		74,910,197.89	**23,267,157.98**
19	असाधारण मदें		
	भाडला वाणिज्यिक विकास दायित्व के लिये ब्याज व्यय	597,791.00	683,784.00
	सीएसआर व्यय	4,275,200.00	-
	मुख्य मंत्री सहायता कोष	-	30,000,000.00
		4,872,991.00	**30,683,784.00**

टिप्पणी संख्या 20

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां एवं लेखों पर अतिरिक्त टिप्पणियां

अ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(ए) वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिये आधार

वित्तीय विवरण को कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार साथ ही भारत की चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानकों के अनुसार, चालू समुत्थान के आधार पर जब तक अन्यथा न कहा जाए, लेखा के प्रोद्भवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत परम्परा के अन्तर्गत तैयार किये जाते है।

(बी) आय और व्यय की मान्यता

कम्पनी लेखांकन की व्यापारिक पद्धति का अनुसरण करती है और आय एवं व्यय के प्रोद्भवन के आधार पर मान्य करती है। समस्त आय/व्यय वित्तीय विवरणों पर तात्विक रूप से भारित होने के कारण निम्नलिखित के अतिरिक्त सभी को प्रोद्भवन के आधार पर मान्यता दी जाती है:–

1. कम्पनी द्वारा प्राप्त एक बार का किराया, अन्य कम्पनियों को उप–पट्टा के माध्यम से अनुज्ञात भूमि उपयोग हेतु बकाया राशि है। ऐसी संविदा के लिये एक बार की प्राप्त राशि को सरल रेखा आधार पर 30 वर्ष की संविदा अवधि पर लाभ व हानि विवरण में यथा आय के मान्यता दी जाती है।
2. कम्पनी द्वारा प्राप्त किराया, अन्य कम्पनियों को उप–पट्टा के माध्यम से अनुज्ञात भूमि उपयोग हेतु बकाया राशि है। प्राप्त वार्षिक किराया को उस वर्ष में जिसमें यह प्रोद्भूत होते है, लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।
3. वार्षिक संचालन एवं संधारण प्रभार प्राप्यों को उस वर्ष में जिसमें यह प्रोद्भूत होते है, लाभ व हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। वार्षिक संचालन एवं संधारण पर उपगत समनुरूपी व्ययों को लाभ व हानि विवरण में प्रभारित किया जाता हैं।
4. सभी विकासकों द्वारा उपयोग की जा सकने वाली भूमि पर सामूहिक आधार भूत संरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिये प्राप्त एक बार के प्रभारों को 30 वर्ष के पट्टा अवधि पर सरल रेखा आधार पर लाभ व हानि विवरण में लिया गया है।
5. सोलर पार्क भाडला चरण–द्वितीय के विकास के लिये एमएनआरई से प्राप्त सीएफए को लेखा मानक– 12 के अनुसार 40 वर्ष की अवधि पर आय के अन्तर्गत परिशोधित किया है।

(सी) स्थिर आस्तियां

स्थिर आस्तियों को उनकी अधिगृहण लागत में से संचित मूल्य ह्रास को कम करके दर्शाया जाता है। लागत में आस्ति के लिये प्राप्त कोई विशेष अनुदान को कम करके आस्तियों को इनकी वर्तमान स्थिति एवं स्थान पर लाने के लिये सभी उपगत व्यय शामिल है।

(डी) मूल्य ह्रास एवं परिशोधन

स्थिर आस्तियों पर मूल्य ह्रास कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची – द्वितीय के अधीन विहित रीति एवं दर पर अपलिखित मूल्य विधि से प्रभारित किया जायेगा। राजस्थान सरकार द्वारा कम मूल्य दर पर कम्पनी को 99 वर्ष की पट्टावधि के लिये आवंटित भूमि का पट्टा अवधि पर समानुपातिक परिशोधन किया गया है।

(ई) **सेवानिवृत्ति लाभ / कर्मचारी लाभ**

कम्पनी ने सेवानिवृत्ति पर "ग्रेच्यूटी" एवं 'अवकाश नकदीकरण" के लाभों के लिए कोई पॉलिसी नहीं ले रखी है।

(एफ) **आय पर करों हेतु लेखांकन**

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेएए के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर क्रेडिट एवं धारा 115 जेबी के अधीन न्यूनतम वैकल्पिक कर के प्रावधान को ध्यान में रखते हुये साथ ही आय कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत वर्ष हेतु देयकर के आधार पर चालू कर के लिये प्रावधान किया जाता है।

आस्तियों एवं दायित्वों की वहन राशि एवं उनके संबंधित कर आधार एवं तुलन–पत्र की दिनांक को आगे लाई गयी हानियां, यदि कोई हो, के मध्य समय अन्तराल के परिणामी भावी कर के लिये आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों को विवेकपूर्ण आधार पर मान्यता दी जाती है। भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था द्वारा विहित लेखा मानक–22 के अनुसार, तुलन–पत्र की दिनांक को अधिनियमित या मूलतः अधिनियमित कर कानूनों एवं कर दरों का उपयोग करते हुये आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों को मापा जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं दायित्वों में परिवर्तनों के प्रभाव को लाभ व हानि खाता में मान्यता दी जाती है।

(जी) **नकद प्रवाह विवरण**

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा विहित लेखा मानक–3 के अनुसार नकद प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हुये तैयार किया जाता है।

(एच) **आस्तियों का क्षरण**

आस्तियों का क्षरण उसी समय मान्य किया जाता है जब इन आस्तियों के क्षरण का संकेत मिलता है। इस संकेत के आधार पर आस्तियों की वसूल की जा सकने योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और यदि अनुमानित राशि आस्ति की वहन राशि से कम होती है तो वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है।

यह कटौती क्षरण हानि मानी जाती है एवं लाभ–हानि खाते में दर्शायी जाती है। यदि तुलन–पत्र की तिथि को यह संकेत है कि पूर्व निर्धारित क्षरण हानि वर्तमान में नहीं है तो वसूली योग्य राशि पुनर्मूल्यांकित की जाती है तथा आस्ति ह्रास योग्य ऐतिहासिक लागत के अधिकतम के अधीन वसूली योग्य राशि से दर्शाई जाती है।

(आई) **उधार राशियों की लागतें**

अर्हक आस्तियों के निर्माण या अधिग्रहण पर आरोप्य ऋण लागतों को उस आस्ति की लागत के यथा अंश के पूंजीकृत किया जाता है। एक अर्हक आस्ति वह है जो इसके अभीष्ट प्रयोग के लिये तैयार होने में आवश्यक रूप से काफी समय लेती है। अन्य सभी ऋण लागतों को उस अवधि में जिसमें यह उपगत होती है, यथा व्यय के मान्यता दी जाती है एवं लाभ व हानि राशि में प्रभारित किया जाता है। तथापि, कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई उधार राशि लागत का उपगत नहीं किया है।

(जे) **लागत अभिलेखें**

कम्पनी लागत अभिलेखों का संधारण नहीं कर रही है।

(के) प्रति अंश अर्जन

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस संस्था द्वारा जारी किये गये लेखा मानक–20 के अनुसार, कम्पनी मूल प्रति अंश अर्जन की रिपोर्ट करती है। मूल प्रति अंश अर्जन की गणना वर्ष के दौरान बकाया साम्य अंशों की भारित औसत संख्या से वर्ष हेतु शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। क्योंकि साम्य अंश में कोई संभव्य मन्दन नहीं है, अतः मन्दित प्रति अंश अर्जन की गणना नहीं की गयी है।

(एल) खण्ड रिपोर्टिंग

वर्तमान में कम्पनी मुख्य रूप से केवल एक खण्ड अर्थात् सोलर पार्क का विकास एवं केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में ही संचालन कर रहा है, अतः खण्ड रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

ब. लेखों पर टिप्पणियां

(1) लेखा मानक –18 के अनुसार संबंधित पक्षकार का प्रकटीकरण

(ए) संबंधित पक्षकार एवं उनका संबंध

(i) नियंत्री कम्पनी : राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

(ii) एसोसिएटस् : शून्य

(बी) मुख्य प्रबंधन कार्मिकः (31.03.2020 को)

(i) श्री अजिताभ शर्मा, आई.ए.एस - अध्यक्ष

(ii) श्री अनिल गुप्ता - निदेशक

(iii) श्री वाई.के. रायजादा - निदेशक

(iv) श्री सुरेश चौहान - निदेशक

(v) श्री लोकेश विजय - निदेशक

(vi) श्री के.सी. कुमावत - निदेशक

(vii) श्री एस.आर. महालदा - निदेशक

(viii) नमित मेहता - निदेशक

(सी) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार

विवरण	नियंत्री कम्पनी	मुख्य प्रबंधन कार्मिक
साम्या अभिदान	4,99,930.00 रूपये	70.00 रूपये

(2) चालू वर्ष के दौरान कोई पूंजी सामग्री, स्टोर एवं स्पेयर पार्टस् या कोई कच्चा माल का आयात नहीं किया गया है।

(3) कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान सोलर पार्क चरण–प्रथम में सड़क की लाइटिंग के लिये 1,27,01,417 रूपये का अग्रिम दिया था, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान आरवीपीएन ने बताया की संशोधित और कम किए गए अनुमानों के साथ पूर्वोक्त कार्य पूरा हो गया है, इसलिये कम्पनी ने चालू वित्तीय वर्ष में 7550021 / – रूपये का खर्च बुक किया है।

(4) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने ग्राम नोख जिला जैसलमेर ने नोख सोलर पार्क के विकास के लिए राजस्थान सरकार से 99 वर्षों की लीज अवधि पर 490939638 /– रूपये में 1856.73 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है।

(5) आरएसडीसीएल नोख जिला जैसलमेर राजस्थान में 925 मेगावाट का सोलर पार्क विकसित कर रहा है, वर्ष के दौरान कम्पनी ने नोख सोलर पार्क में आधारभूत संरचना की सुविधा प्रदान करने के लिये फरवरी, 2020 में मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड के साथ 735 मेगावाट क्षमता के कार्यान्वयन सहयोग समझौते को निष्पादित किया है और शेष 190 मेगावाट क्षमता के लिए एनटीपीसी लिमिटेड ने डेवलपर मोड में शेष क्षमता को चालू करने का वचन दिया है।

(6) वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपने मण्डल की स्वीकृति से तीन माह की अवधि के लिये आरआरईसीएल से 13.00 करोड़ रूपये की अल्पावधि वित्तीय सहायता ली है।

(7) कम्पनी ने वसूली के आधार पर वार्षिक जल प्रभारों की आय को मान्यता दी है।

(8) वर्ष के दौरान कम्पनी ने सोलर पार्क भडला चरण– II के लिये एमएनआरई द्वारा उपलब्ध कराये गये अधिक सीएफए पर एमएनआरई को 3,02,58,290/– रूपये के ब्याज का भुगतान किया है। जैसाकि अधिक प्राप्त किया गया सीएफए पिछले वित्तीय वर्ष में एमएनआरई को वापस कर दिया गया था।

(9) कम्पनी ने समुदाय विकास दायित्व, पहले भाडला सीएसआर से ज्ञात, पर 5,97,791.00 रूपये (कर पश्चात) का ब्याज क्रेडिट किया है।

(10) आरआरईसीएल के निदेशक मण्डल द्वारा 18.08.2011 को सम्पन्न हुयी 68वी. बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसरण में कम्पनी राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी कम्पनी है एवं यह कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन 02.11.2011 को निगमित हुयी थी।

(11) पूंजी संविदा/प्रतिबद्धता के संबंध में कोई आंकलित दायित्व नहीं है जिसका निष्पादन करना हो।

(12) कोई भी कर्मचारी वर्ष की कुछ अवधि के लिये 5,00,000 रूपये या अधिक प्रतिमाह अथवा पूर्ण वर्ष के लिये 60,00,000 रूपये प्रति वर्ष की समग्र परिश्रम पर नियुक्त नहीं हुआ है।

(13) कम्पनी के निदेशक मण्डल की राय में एवं उनके सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास में, समस्त चालू आस्तियों का वसूली मूल्य (यदि कोई प्रावधान किया गया हो तो शुद्ध मूल्य) व्यापार के सामान्य अनुक्रम में, कम से कम उस राशि के समतुल्य है जिसमें इनका तुलन–पत्र में कथन किया गया है।

(14) वर्ष के दौरान कोई आगम/निर्गम विदेशी विनिमय नहीं है।

(15) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों के मंत्रालय द्वारा 26.08.2008 को जारी कार्यालयीन ज्ञापन के अनुसार, जो सिफारिश करता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को अपने ग्राहकों के साथ पत्र–व्यवहार में ज्ञापन मे दायर करने के पश्चात् यथा आवंटित उद्यमकर्ता ज्ञापन क्रमांक का उल्लेख करना चाहिये। कम्पनी ने इस संबंध में पत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। तथापि, कम्पनी ने आज दिनांक तक किसी भी ऐसी सत्ता से कथित ज्ञापन की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं की है। अत: ऐसा कोई सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम नहीं है, जिसको कम्पनी को 31.03.2019 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत को 45 दिन से अधिक के लिए देना बकाया शेष हो। इस अधिनियम के अधीन किसी आपूर्तिकर्ता से भी ब्याज का दावा कम्पनी को प्राप्त नहीं हुआ है।

(16) समाश्रित दायित्व, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है, निम्न प्रकार है–

- आयकर अधिकारी वार्ड 1 (1) जयपुर ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के अधीन कर निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिये कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.12.2019 पारित किया और कुछ अतिरिक्त पर 78,54,47,791/– रूपये की मांग की जिसके विरूद्ध तथ्यों और हमारे कर सलाहकार के अभिमत की गयी मांग उचित नहीं है, के अनुसार आरएसडीसीएल ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है। इसलिये कम्पनी ने कोई प्रावधान नहीं किया है।

(17) प्रतिअंश अर्जन

वर्ष	2019–20	2018–19
अंशधारकों को आरोप्य शुद्ध लाभ/(हानि) (रु.)	(5273509.9)	109350864.83
साम्या अंशों की भारित औसत संख्या	50000	50000
10 रूपये के मूल्य के प्रतिअंश पर मूल अर्जन (हानि)(रु.)	(105.47)	2187.02

तुलन–पत्र एवं लाभ व हानि विवरण के साथ जुड़े हुये टिप्पणी 1–17 उनके अभिन्न अंग है।

अंकेक्षक का प्रतिवेदन
हमारी समतिथि के प्रतिवेदन के अनुसार
बी.जैन एण्ड एसोसिएटस के लिये
चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस
एफआरएन सं. 500100एन
(भावना नथरानी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 422027
स्थान : जयपुर
दिनांक : 19.11.2020

राजस्थान सोलर पार्क डवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड के
निदेशक मण्डल के लिये एवं निमित्त

ह.
डॉ. सुबोध अग्रवाल
अध्यक्ष
डीआईएन (06940604)

ह.
के.सी.कुमावत
निदेशक
डीआईएनः (08411774)

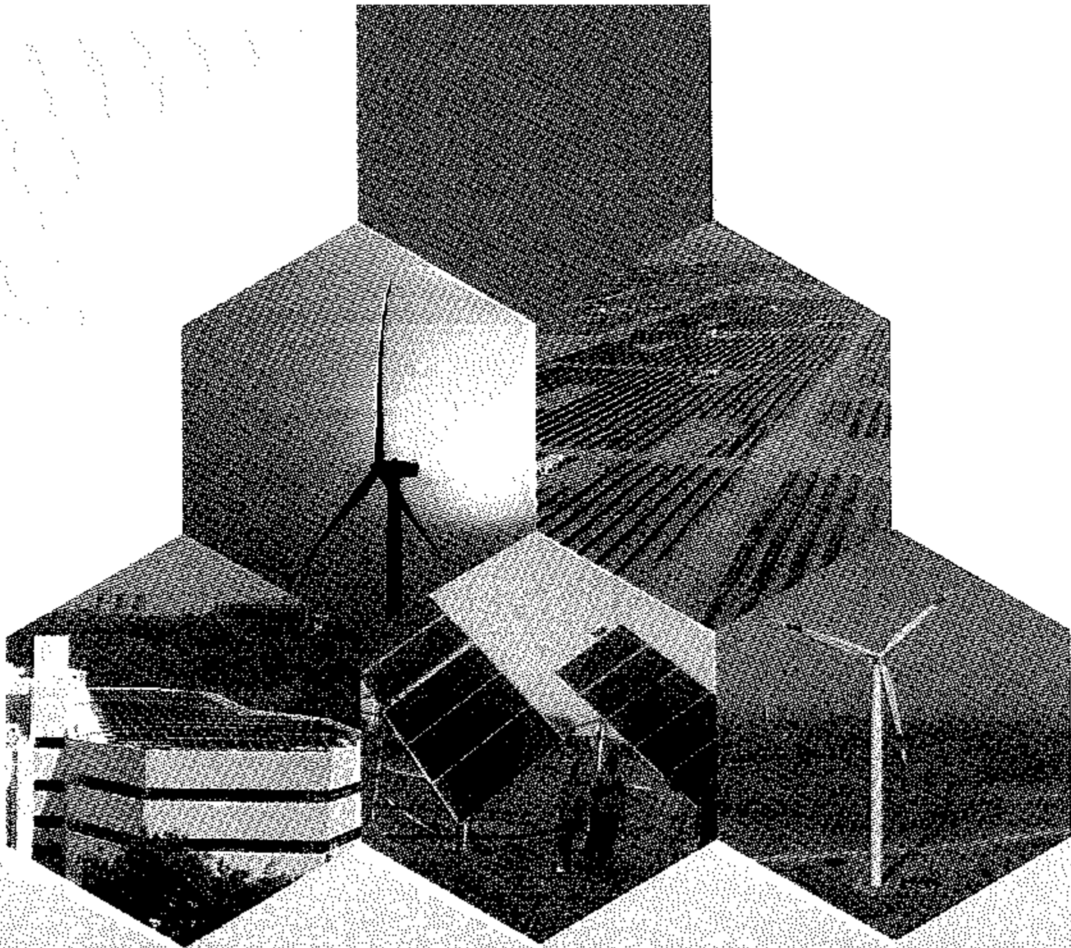

RRECL

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

ई–166, युधिष्ठिर मार्ग, सी–स्कीम,

जयपुर, फोन : 0141–2229341, 2221650

ई–मेल : rrec2016@gmail.com

वेबसाइट : www.energy.rajasthan.gov.in/rrecl

Premier # 9783955551